लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र / Eighth Session]

[खंड 30 में अंक 11 से 20 तक है
Vol. XXX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 13, बुधवार, 8 अगस्त, 1973/17 श्रावण, 1895 (शक)
No. 13, *Wednesday, August*, 8,1973 / *Srawana* 17, 1895 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
241.	अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ने की योजना	Plan to put satellite in Space	1–3
242.	चौथी योजना के दौरान अकालग्रस्त राज्यों को अतिरिक्त सहायता	Additional Funds for Famine hit States during Fourth Plan	3–7
244.	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिये आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अवधि बढ़ाना ।	Extension of period for receipt of Applications for Grant of Pension to Freedom Fighters	7–11
245.	औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उत्पादन में वृद्धि ।	Increase in production in Industrial Establishment .	11–13
246.	इंदौर, मध्य प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots in Indore, Madhya Pradesh . .	13–14

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

243.	उड़ीसा में लघु उद्योगों को सहायता	Assistance to Small Scale Industries in Orissa . .	15
247.	आसाम में चर्बी संबंधी घोटाला	Racket in Tallow in Assam	15–16
248.	राजस्थान आण्विक विद्युत परियोजना तथा मद्रास आण्विक विद्युत परियोजना के लिये अतिरिक्त उन्नयन तथा परिष्करण संयंत्रों की आवश्यकता ।	Need for Additional upgrading and purification plants for Rajasthan Atomic Power Project and Madras Atomic Power Project . .	16
249.	परमाणु बिजली घर	Nuclear Power Station .	16–17
250.	दिल्ली सेंट्रल जेल में एक युवा नौसेना-नाविक द्वारा आत्महत्या ।	Suicide by a Young Navy Sailor in Delhi Central Jail .	17
251.	उद्योगों की प्रगति के बारे में उच्च-स्तरीय मूल्यांकन यूनिट ।	High Level Evaluation Unit for Progress of Industries	17

---

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—20 LSS/73

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
252.	मुल्की नियमों के क्रियान्वयन के बारे में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय	Andhra Pradesh High Court's Judgement on Implementation of Mulki Rules . .	17–18
253.	ए० बी० सी० प्लास्टिक नामक आधुनिक प्लास्टिक के निर्माण के लिये देशीय प्रौद्योगिकी ।	Indigenous Technology for manufacture of Modern Plastic known as ABC Plastic	18
254.	वर्ष 1973 में औद्योगिक उत्पादन में कमी ।	Decline in Industrial Production in 1973	17–18
255.	पश्चिम बंगाल में धागे के अभाव में रंजक सज्जीकरण तथा परिष्करण एककों का बंद होना ।	Closure of Dyeing, Sizing and Processing Units for want of yarn in West Bengal .	19
256.	दिल्ली में चोरी और भ्रष्टाचार में अंतर्ग्रस्त पुलिस कर्मचारियों की गिरफ्तारी ।	Arrest of Police personnel in Delhi in connection with Theft and Corrupt practices	20
257.	आंध्र पृथक्तावादियों द्वारा सम्पत्ति का विनाश ।	Destruction of property by Andhra Separatists .	20
258.	"जाब्स इन वैस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट फालोस ए मिस्टीरियस पैटर्न" शीर्षक के समाचार ।	News item entitled "Jobs in West Bengal recruitment follows mysterious Pattern" .	20–21
259.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन ।	Inland Water Transport during Fifth Plan . .	21
260.	'कोर सेक्टर' में बड़े औद्योगिक गृह तथा विदेशी कम्पनियां ।	Large Houses and Foreign Companies in Core Sector	21–22
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2401.	साम्प्रदायिक दंगो में सम्पत्ति की हानि तथा प्रभावित लोगों को दिया गया मुआवजा ।	Amount of property lost in communal incidents and compensation paid to the affected people . . .	22
2402.	रेलवे पुलिस में असंतोष	Unrest among Railway Police Force	22–23
2403.	दिल्ली में लघु उद्योगों की स्थापना हेतु इंजीनियरिंग स्नातकों से आवेदन पत्र ।	Applications from Engineering Graduates for setting up of Small Scale Industries in Delhi	23
2404.	हरियाणा की आटा मिलों की बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग ।	Utilisation of idle capacity of Flour Mills in Haryana	23–24

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2405.	दिल्ली में फ्लोर मिल्स स्थापित करने के लिये इंजीनियरी स्नातकों से आवेदन पत्र ।	Applications from Engineering Graduates for setting up Flour Mills in Delhi . . .	25
2406.	उत्तर प्रदेश में तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारी ।	CRP and BSF Personnel posted in U.P.	26
2407.	त्रिपुरा राज्य से पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का निकाला जाना ।	Deportation of Pakistan Nationals from Tripura State	26
2409.	अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों को स्थायी बनाना ।	Conversion of Temporary Telephone connections into permanent ones . .	26-27
2410.	सरकारी नौकरी करने वाल स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना।	Grant of pensions of freedom fighters in Government Service	27
2411.	केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में परमाणु खनिज संसाधन ।	Atomic Mineral resources in the Coastal areas of Kerala	27–28
2412.	रुस में हुए फिल्म समारोह में शामिल करने के लिये मलयालम् फिल्म 'स्वयंवरम' के चुने जाने के संबंध में कदाचार	Malpractices in the selection of Malayalam Movie 'Swayam Varam' for Film Festival in U.S.S.R.	28
2413.	सरकारी कर्मचारियों की सम्पात्त का विवरण ।	Property Statements of Government Employees . . .	28
2414.	लेखन सामग्री का निर्माण करने हेतु मैसर्स कोरस इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा आयातित वस्तुओं का उपयोग किया जाना ।	Use of Imported Items by M/s Kores India (Private) Limited for Manufacture of Stationery.	29
2415.	पश्चिम बंगाल की रुग्ण मिलें चलाने के लिये राज्य कपड़ा निगम बनाने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार से ऋणों के लिये अनुरोध ।	Request made by West Bengal Government for Loan to form State Textile Corporation to run sick mills of West Bengal . . .	29-30
2416.	उड़ीसा में पुरातत्वीय वस्तुओं की चोरी की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	CBI Inquiry into Theft of Antiquities in Orissa . .	30
2417.	तारापुर परमाणु बिजली घर से गुजरात को बिजली को सप्लाई ।	Supply of power to Gujarat from Tarapur Atomic Power Station	30
2418.	बड़ौदा में भारी पानी परियोजना की स्थापना ।	Setting up of Heavy Water Project in Baroda . . .	31

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2419	जे० के० समूह द्वारा उडीसा में स्थापित उद्योग ।	Industries set up by J. K. Group in Orissa.	31
2420	भारतीय पैट्रोलियम संस्थान (इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम) देहरादून में वैज्ञानिकों की कमी ।	Shortage of Scientific Personnel in the Indian Institute of Petrolcum, Dehra Dun.	31–32
2421.	दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर फासफोरस भरे ड्रमों में आग लग जाना।	Breaking out of fire in drums containing phosphorus on Delhi-Uttar Pradesh Boarder	32
2422.	दिल्ली क्षेत्र में क्रासबार एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ाया जाना ।	Upgrading of cross bar Exchanges in Delhi area	32
2423.	बेरोजगारी संबंधी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिये अंतः मंत्रालय कार्यकारी दल का गठन ।	Setting up of an inter-ministerial working group to examine recommendations of the committee on Unemployment	32
2424.	विन्बर्ग एलन स्कूल, मसूरी में प्रबंधकों द्वारा लोगों को जबरन ईसाई धर्म में लाया जाना ।	Forced conversions to Christianity by management of Winberg Allen School, Musoorie	33
2425.	एक ईसाई धर्म प्रचारक की गतिविधियां ।	Activities of a Christian Missionary	33
2426.	टेलीफोन उपकरणों का आयात ।	Import of Telephone Equipments	33–34
2427.	पाली (राजस्थान) में चोरी से टेलीफोन करने के मामलों का पता लगाना ।	Detection of Unauthorised Telephone Callsat Pali (Rajasthan)	34
2428.	विविध भारतीय सेवा में नये कार्यक्रम शामिल करने तथा उसकी सेवा में सुधार करने संबंधी प्रस्ताव का फिल्म तथा शास्त्रीय संगीत पर प्रभाव ।	Effect of the proposal to Incorporate New Features and Improve Vividh Bharati Service on Film and Classical Music	34
2429.	सूरत, गुजरात में सीमेंट का नष्ट हो जाना ।	Destruction of Cement in Surat, Gujarat	34–35
2430.	चौथी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी में वृद्धि ।	Increase in Unemployment in Fourth Five Year Plan	35–37
2431.	शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिये गुजरात को सहायता ।	Aid to Gujarat for Educated Unemployed	37–38

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2432.	पश्चिम बंगाल में सीमेंट की कमी ।	Shortage of Cement in West Bengal	38
2433.	शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिये पश्चिम बंगाल की योजना ।	West Bengal Plan for Educated Unemployed . . .	38–39
2434.	रोजगार के अवसर बनाने के लिये राज्यों को धन का आबंटन ।	Allotment of Funds to States to create Employment . .	39–41
2435.	सरकारी और गैर सरकारी संयंत्रों में उत्पादन और अधिस्थापित क्षमता ।	Production and installed capacity in Public and Private Sector Plants. . . .	41
2436.	उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये आबंटन ।	Allocation made to Uttar Pradesh for providing jobs to educated unemployed .	42
2437.	ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना ।	Plan to provide employment to educated unemployed in Rural Areas.	42–43
2438.	सरकार द्वारा नियंत्रण में ली गई कपड़ा मिलों के लिये होल्डिग कंपनी का गठन ।	Formation of Holding Co. for Textile Mills taken over by Government . . .	43
2439.	केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये चालू वर्ष के परिव्यय में कमी ।	Reduction in Current Year's Outlay for Central/Centrally Sponsored Schemes . .	43
2440.	पंजाब और बिहार की आय में अंतर	Disparity in Incomes of Punjab and Bihar . . .	43–44
2441.	1973-74 में घाटे के बजट को सीमित रखने हेतु चालू वर्ष के योजना कार्यक्रम का पुनर्विलोकन ।	Review of the current year's plan programmes as part of the exercise aimed at containing the Budget Deficit in 1973-74.	44
2442.	रेशम की सुधरी हुई किस्म के उत्पादन संबंधी मैसूर तकनीक को रेशम का उत्पादन करने वाले अन्य क्षेत्रों को लागू करना ।	Extension of Mysore Technique of production improved quality of silk to other silk producing areas	44
2443.	सीमेंट का आयात	Import of Cement . .	44–45
2444.	एक्सचेंज परमिट घोटाले का पता लगाना ।	Unearthing of Exchange permit Racket . . .	45
2445.	त्रिपुरा को सीमेंट की सप्लाई	Supply of Cement to Tripura .	45–46

अता. प्र. संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2446.	अनुसूचित जातियों का वास भमि का अधिकार ।	Scheduled Castes right to Homestead Lands . . .	46
2447.	अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये छात्रवृत्तियों की राशि में वृद्धि ।	Increase in the amount of Scholarships for Scheduled Castes and Scheduled Tribes . . .	46
2448.	राज्यों में बचन बद्ध श्रमपद्धति	Bonded Labour System in States	47
2449.	पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून में वैज्ञानिक की कमी ।	Shortage of Scientist in Institute of Petroleum, Dehradun	47
2450.	उड़ीसा में सरकारी सेवा में प्रवेश के लिये आयु सीमा ।	Increase in Age Limit for Entry into Government Service in Orissa	47-48
2451.	फिल्म प्रशिक्षण और अभिनय प्रशिक्षण स्कूलों जैसी संस्थाओं को बंद करने का प्रस्ताव ।	Proposal to ban institutions indulged in Film Training and training in Art of Acting Schools. . . .	48
2452.	अहमदाबाद में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Roits in Ahmedabad	48
2454.	उड़ीसा में औद्योगिक समितियों का सर्वेक्षण ।	Survey of Industrial Societies in Orissa	49
2455.	बुरहानपुर तहसील के गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन लागाना ।	Setting up of PCO's in Villages of Burhanpur Tehsil. . .	49
2456.	उत्तर प्रदेश के छत्तीसगढ़ और चम्बल क्षेत्र में यातायात के साधनों की कमी ।	Lack of Communications in Chhatisgarh and Chambal Areas	49–50
2458.	आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को स्थिर रखना ।	Stablisation of rising prices of Essential consumer Goods.	50
2459.	विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा उपराष्ट्रपति के साथ जाने वाले प्रेस-दलों में संवाददाता	Correspondents in press Teams accompanying the President, Prime Minister and Vice President on Foreign Tour .	50
2460.	फिल्मों का सेंसर	Censoring of Film. . .	51
2461.	देश में पुलिस द्वारा हरिजनों को यातनाएं देना ।	Police Atrocities on Harijans in the Country. . . .	51
2462.	पांचवीं योजनावधि के दौरान परमाणु विद्युत कार्यक्रम के लिये जनशक्ति की कमी ।	Shortage of Manpower for Atomic Power programme during Fifth Plan . .	52

अता. प्र. संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2463.	परमाणु इंधनग्रेड के यूरेनियम का उत्पादन ।	Production of Uranium of Nuclear fuel trade	52–53
2464.	रिएक्टरों का डिजाइन बनाना ।	Designing of Reactors	53
2465.	देश की क्षमताओं के अनुरूप आण्विक रिएक्टरों का डिजाइन पुनः तैयार करना ।	Redesigning of Nuclear Reactors to suit the country's Capabilities	53
2466.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को धन का आबंटन ।	Allocation of Funds to KVI	54
2467.	श्रीनगर में टेलीविजन के प्रसारण में पाकिस्तान द्वारा अवरोध उत्पन्न करना ।	Jamming of T.V. Broadcasting in Srinagar by Pakistan	54
2468.	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति और समयोपरि भत्ते की पद्धत्ति का दुरुपयोग ।	Misuse of Medical Reimbursement System and Overtime Allowance	55
2469.	आंध्र प्रदेश में कम शक्ति वाले रेडियो स्टेशन ।	Weak Transmissions of Radio Broadcasting Stations in Andhra Pradesh	55–56
2470.	रुग्ण कपड़ा मिलों को आधुनिक बनाने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार द्वारा लेने के बारे में मैसूर सरकार का अनुरोध ।	Request from Mysore Govenment to Central Government to take responsibility to modernise sick Textile Mills	56
2471.	भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण विभाग के अधीन समुद्री जैव केन्द्र की स्थापना ।	Setting up of Marine Biological Station of the Zoological Survey of India	56
2472.	भारत इटली सहयोग ।	Indo-Italian Collaboration	56–57
2473.	भारत सरकार और एन० ए० एस० ए० टीम के बीच भारतीय उपग्रह कार्यक्रम पर बातचीत ।	Discussion between Government of India and NASA Team regarding Indian Satellite programme	57
2474.	बिहार के गांवों में ऊंची जातियों के जमीदारों द्वारा अनुसूचित जातियों के लोगों पर हमला ।	Assault on Scheduled Castes in Villages of Bihar by Landlords of Upper Caste	57–58
2475.	संगीत तथा नाटक विभाग के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल ।	Hunger Strike by the Employees of Song and Drama Division	58–59
2476.	समाचार को अखबारी कागज का वितरण ।	Distribution of Newsprint among Newspapers	59–61

अता. प्र. संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2477.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पर व्यय ।	Expenditure incurred on CRP.	61–62
2478.	बिजली की कम वोल्टेज होने के कारण दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज का बंद होना	Closing of Telephone Exchange in Delni due to Low Voltage of Electricity. . . .	62
2479.	मद्रास से आकाशवाणी को अधिकतम विज्ञापन ।	Maximum advertisements to All India Radio from Madras	62
2480.	आंध्र प्रदेश के विभाजन के अभियान के कारण हुई जान और माल की हानी ।	Loss of Life and Property due to movement for Bifurcation of Andhra Pradesh . .	62–63
2481.	विदेशी सहयोग को पूर्णतया बंद कर देने का प्रस्ताव ।	Proposal for complete stoppage of Foreign Collaboration	63
2482.	मिज़ो नेशनल फ्रंट नेताओं से शांति वार्ता करने संबंधी सुझाव ।	Suggestions from Mizo National Front Leaders for holding Peace Talks . .	63
2483.	आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के गावों में नक्सलवादियों द्वारा धन एकत्र करना ।	Collection of Money by Naxalites in Villages in Warangal District, Andhra Pradesh	63–64
2484.	उड़ीसा के लिये निकल का कारखाना ।	Nickel Plant for Orissa .	64
2485.	पांचवीं योजनावधि के दौरान दूर-संचार सेवा का विकास ।	Tele-Communication Development during Fifth Plan period	64–66
2486.	जांच आयोग अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त जांच-आयोग ।	Commissions appointed by Government under the Commissions of Inquiry Act	66
2487.	जांच आयोग अधिनियम का संशोधन ।	Amendment of Commissions of Inquiry Act. . .	66–67
2488.	राज्यों में गैर योजना व्यय ।	Non-Plan Expenditure in States	67
2489.	पांचवीं योजनावधि के दौरान गांवों में नये डाकघर खोलना ।	Opening of New Post Offices in Villages during Fifth Plan period.	67–68
2490.	गोमिया (रांची) में विस्फोटक कारखाने में हुई दुर्घटना के बारे में जांच ।	Investigation into the Accident in Explosive Factory at Gomia (Ranchi) . .	68

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2491.	उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में हरिजनों के साथ अत्याचार ।	Torture of Harijans in U.P. and Punjab.	68–69
2492.	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सहायकों का एक ही ग्रेड में स्थिर रहना ।	Stagnation of Assistants in Central Government Offices.	69–70
2494.	हैदराबाद में दक्षिणी जोनल परिषद् की बैठक ।	Southern Zonal Council Meeting at Hyderabad.	70–71
2495.	जींद (हरियाणा) में नमक की कीमत ।	Salt Price in Jind (Harayana)	71
2496.	राज्यों में जनशक्ति तथा रोज़गार एककों पर व्यय ।	Expenditure on Manpower and Employment Units in States.	71–72
2497.	आय में विषमता ।	Disparity in Income	72
2498.	ग्रामों के डाकघरों के खोलने तथा बन्द करने के आधार ।	Basis for Opening and Closing of Post Offices in Villages.	72–74
2499.	राजस्थान को सीमेंट की सप्लाई ।	Supply of Cement to Rajasthan.	74–75
2500.	सीमेंट को कालाबाजार में बेचने वाले व्यक्तियों पर मुकदमों ।	Prosecution of Persons Selling Cement in Black Market.	75
2501.	पश्चिम बंगाल में व्यापक क्षेत्र विकास परियोजना ।	Comprehensive Area Development Project in West Bengal	75
2502.	सरकारी प्रबंध वाले टेक्सटाइल मिल्स एसोसियेशन का कार्यकरण ।	Function of Government Managed Textile Mills Association	75–76
2503.	औद्योगिक संयंत्र स्थापित करने हेतु लाईसेन्सों के लिये आवेदन पत्र ।	Applications for licences for Setting up of Industiral Plants	76
2504.	दिल्ली में एक टेलीफोन आपरेटर को छूरा मारना ।	Stabbing of a Telephone Operator in Delhi.	77
2505.	'टूथ पेस्ट' का निर्माण लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित करना ।	Reservation of Manufacture of Tooth Paste for Small Scale Industry	77–78
2506.	समान्तर बम्बई योजना ।	Parallel Bombay Scheme	78
2507.	दिल्ली के थानों में निर्दोष लोगों को यातना देना और पीटना ।	Torture and Beating of Innocent people in Delhi Police Stations	79

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2508.	राज्यों में टेलीवीजन सेटों के निर्माण के लिये भारतीय अलैक्ट्रानिक्स निगम द्वारा राज्य सरकारों के साथ बातचीत ।	Negotiations by Electronics Corporation of India with State Governments for manufacture of T.V. Sets in States	79
2509.	गाजियाबाद (उ० प्र०) के एस० डी० एम० द्वारा परमिटों का जारी किया जाना ।	Issue of Cement Permits by SDM Ghaziabad (U.P.)	80
2510.	गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में सीमेंट की कमी ।	Shortage of Cement in Ghaziabad U.P.	80
2512.	राज्यों द्वारा शिक्षित बेरोजगारों पर किया गया व्यय ।	Expenditure incurred by States on Educated Unemployed.	81–82
2513.	उत्तर बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस जारी करना ।	Issue of Licence for Setting of Industries in North Bihar.	82
2514.	टेलीफोन बिलों की बकाया राशि की वसूली ।	Recovery of Telephone Arrears	83
2515.	दिल्ली में क्रासबार एक्सचेंजों का कार्यकरण ।	Functioning of Cross Bar Exchanges in Delhi . .	83–84
2516.	अत्यंत महत्वपूर्ण एककों के कार्य के पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन के लिये एक उच्चस्तरीय निकाय ।	High Level Body in Monitoring and Evaluation for Core Sector Units . . .	84
2517.	एन० एस० आई० सी० के बारे में सिन्हा समिति का प्रतिवेदन ।	Report of Sinha Committee regarding NSIC . . .	84–85
2518.	तमिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा बनाये गये कथित नारे ।	Slogans allegedly formulated by Tamilnadu Chief Minister	85
2519.	विदेशी टायर निर्माता कम्पनियों की उत्पादन क्षमता ।	Production capacity of Foreign Tyre Manufacture Companies	85
2520.	बंगाली फिल्मों का निर्माण करने के लिये संयुक्त भारत बंगलादेश परियोजनायें ।	Joint indo Bangladesh Projects for Producing Bengali Films	85–86
2521.	डाक तार विभाग के कर्मचारियों के लिये केरल में क्वार्टरों का निर्माण ।	Construction of quarters for the Employees of P. & T. Department in Kerala . . .	86
2522.	योजना आयोग की स्वीकृती के लिये पड़ी परियोजनाएं ।	Project awaiting Approval of Planning Commission . .	86

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2523.	दिल्ली में लाइसेंसशुदा स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पोस्टर लगाने पर रोक लगाने संबंधी प्रस्ताव ।	Proposal to ban the posters at places other those licensed in Delhi	87
2524.	गोरखपुर जिले (उ० प्र०) का विकास ।	Development of Gorakhpur District (U.P.) . .	87-88
2525.	मांगों की जांच करने के लिये कागज उद्योग का अध्ययन ।	Study of Paper Industry to assess Requirements. . .	88
2526.	केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली के तार कर्मचारियों द्वारा 'धीरे काम करो' आन्दोलन ।	'Go slow' move by Telegraph Workers of CTO, New Delhi . .	88-89
2527.	उड़ीसा में रूसी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संभाव्यता की जांच ।	Examination of the Feasibility of Soviet Aided Projects in Orissa	89
2528.	कोयले की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में कमी ।	Set Back to Industrial Production due to shortage of coal	89
2529.	दिल्ली से गढ़वा भेजे गये तार और तार मनीआर्डर की विलंब से डिलीवरी ।	Slow Delivery of Telegrams and T. M. O.'s sent from Delhi to Garhwal	89-90
2530.	पालामऊ (बिहार) के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना ।	Grant of Pension to Freedom Fighters from Palamau (Bihar)	90
2531.	संघ लोक सेवा आयोग की स्वीकृति के बिना मंत्रालयों तथा सरकारी उपक्रमों में की गई अस्थायी नियुक्तियां ।	Temporary appointments made in Ministries and Public Undertakings without U.P.S.C.'s Approval	90-91
2532.	पुलिस के कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों का आबंटन ।	Allotment of Government Accommodation to Police Personnel	92
2533.	उत्तर प्रदेश के लिये पांचवीं योजना	Fifth Plan for U.P. .	92-93
2534.	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना	Dispersal of Industries in Backward Areas .	93
2535.	इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया हैदराबाद में आधुनिक इलैक्ट्रानिक उपकरणों ।	Sophisticated Electronic Equipment produced in Electronics Corporation of India, Hyderabad	93-94
2536.	दिल्ली में गलत व्यक्तियों को पेंशन और ताम्रपत्रों का दिया जाना ।	Award of Tamra Patras and Grant of Pensioners to Wrong Persons in Delhi . .	94
2537.	पांचवीं योजना में अहमदाबाद में टेलीवीजन केन्द्र ।	T. V. in Ahmedabad in Fifth Plan	94

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2538.	देय राशि से अधिक राशि वाले टेलीफोन काल बिलों के संबंध में टेलीफोन उपभोक्ताओ की शिकायतें ।	Comp'aints of Telephone Subscribers Regarding over-charging of Telephone Call Bills.	94–95
2539.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में 'ड्राफ्ट पोलीसी, विवरण की वैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रीयों द्वारा आलोचना ।	Criticism by Scientists and Educationists of Draft Policy Statement on Science and Technology . . .	95
2540.	राष्ट्रीय आय के बारे में श्वेत पत्र	White Paper on National Income	95–96
2541.	चौथी योजना के दौरान प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों में कमी ।	Shortfalls in targets to be achieved	96–97
2542.	नेपा मिल्स का जीर्णोद्धार (रिनोवेशन) ।	Renovation of NEPA Mills	97
2543.	देश में नक्सलवादियों की गतिविधियां ।	Activities of Naxalities in the country	97–98
2544.	देश में टेलेक्स एक्सचेंज	Telex Exchanges in the country	98
2545.	दूसरी वाले स्थानों के लिये बुक की गयी ट्रंक कालों में विलंब ।	Delays in Trunk Calls Booked for Long Distances . .	98
2546.	देश में नये केन्द्रों के लिये टेलेक्स सेवा का विस्तार ।	Extension of Telex Service to New Centres in the country	99
2547.	पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारत-पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा से सीमा सुरक्षा दल के सैनिकों का अपहरण ।	Kidnapping of B.S.F. Soldiers By Pakistan from Western Indo-Pak Border . . .	99
2548.	दिल्ली प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को 'ताम्रपत्र' देना ।	Award of Tamra Patras to Freedom Fighters by Delhi Administration . . .	99
2549.	मुगबियों और जल पक्षियों के प्रिय स्थानों की संरक्षण योजना आरंभ करने के लिये भारत की गीली भूमियों का मानचित्र ।	Map of India Wetlands for Launching a conservation projects for Habitats of Water Fowls and Birds . .	99–100
2550.	आई० ए० एस० और अन्य केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं के पाठ्यक्रम बदलने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति	Appointment of a High Level committee to change the Syllabi for IAS and other Central Services Examinations	100
2551.	अमृतसर में टेलीवीजन स्टेशन	Television Station at Amritsar	100
2552.	सूखा पीड़ित क्षेत्रों की समस्यायें सुलझाने के लिये विशेष योजनाएं ।	Special Schemes to solve problems of Drought Affected Areas	100–101
2553.	"पुलिस टीरचर आफ इन्नोसेंट" पुलिस शीर्षक से छपा समाचार ।	News item Police Torture of Innocent	101

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2554.	लघु उद्योग विकास निगम द्वारा छोटे उद्यमियों का निरुत्साहित किया जाना ।	Dampening of Enthusiasm of Small entrepreneurs by SSIDC	101
2555.	पांचवीं योजना के लिये वित्तीय संसाधन ।	Financial Resources for Fifth Plan	102
2556.	भारत में ब्रिटिश शासन को बनाये रखने में योगदान देने वालों के आश्रितों को वंशानुगत अनुदान ।	Hereditary grants to dependents of those who contributed for extension of British Rule in India	102
2557.	फैजाबाद में सुन्नी मुसलमानों के के जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की जांच ।	Investigation into the Lathi Charge by Police on Suni Muslim Procession in Faizabad, U.P.	102–103
2558.	फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में सीमेंट की कमी ।	Shortage of Cement in Faizabad (U.P.)	103
2559.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् के अध्यक्ष की गिरफ्तारी ।	Arrest of President of U.P. State Employees Joint Council	104
2560.	गैर अनुसचिवीय तथा तकनीकी पदालियों में अनुसचिवीय पद बनाना ।	Creation of Secretariat Posts in Non-Secretariat and Technical Cadres	104
2561.	'पिन कोड' प्रणाली को लोकप्रिय बनाना ।	Popularising Pin Code System.	104–105
2562.	विदेशों से चोरी छिपे टेलीवीजन सेट लाये जाने के बारे में टेलीविजन सेट निर्माताओं के प्रतिनिधि मंडल से प्राप्त अभ्यावेदन ।	Representation from Delegation of Television set Manufacturers regarding the smuggling of T. V. Sets from Abroad	106
2563.	ड्रिलों के लिये बिट्स का निर्माण	Manufacture of Bits for Drills	106
2564.	पांचवीं योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम ।	Science and Technology Programmes during Fifth Plan	106–107
2565.	देश में संचार व्यवस्था का विकास	Development of Communication System in the country .	107
2566.	देश में घाटे में चल रहे शाखा डाकघर ।	Branch Post Offices in the country Running under Loss	108–109
2567.	समाचार पत्र वित्त निगम की स्थापना	Setting up of Newspaper Finance Corporation . .	109
2568.	दिल्ली में नई टेलीफोन डायरेक्टरी का जारी किया जाना ।	Issue of New Telephone Directory in Delhi	109–110
2569.	देश में खोले गये काल आफिस तथा पब्लिक काल आफिस ।	Combind Offices and Public Call Offices opened in the country	110
2570.	दैनिक साप्ताहिक और मासिक पत्रों को श्रव्य और दृश्य प्रचार निदेशक द्वारा विज्ञापन के दिये जाने का आधार ।	Basis for releasing advertisements to Dailies, Weeklies and Monthlies by Directors of Audo Visual Publicity .	110–111

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2571.	तारापुर परमाणु बिजलीघर से बिजली का बिक्री मूल्य ।	Sale price of Power from Tarapur Atomic Station . .	111
2572.	परमाणु बिजली घरों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन करने के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट	Report of the Committee set up for Locating Suitable Sites for Atomic Power Stations .	111-112
2573.	पांचवीं योजनावधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना ।	Opening of P.C.O.'s in Rural areas during Fifth Plan Period	112
2574.	पांचवी योजना के लिए विदेशी सहायंता ।	Foreign Aid for Fifth Plan .	113
2575.	सदर बाजार के दंगों के बारे में "रमण रुल्स आऊट जुडीशियल प्रोब" शीर्षक से प्रकाशित समाचार ।	News Item "Raman Rules out judicial probe" Regarding Sadar Bazar Riots .	113
2576.	देश में ट्रकों और बसों के टायर बनाने वाले कारखाने ।	Truck and Bus Tyres Manufacturing Units in the country.	113-114
2577.	हिन्दू कालेज दिल्ली के वार्डन पर हमला ।	Attack on Warden of Hindu College, Delhi . . .	114
2578.	कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज लाइनों की क्षमता ।	Telephone Exchange Lines Capacities in Calcutta, Bombay and Delhi . . .	115
2579.	बीड़ी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Bidi Industry	116
2580.	पिछड़े क्षेत्रों का टेलीविजन द्वारा विकास ।	Development of Backward Regions Through Television	116
2581.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनायें क्रियान्वित करने के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाना ।	Creation of a separate Ministry for Carrying out Welfare Schemes for Scheduled Castes and Scheduled Tribes · ·	117
2582.	तारापुर परमाणु संयंत्र में दोष	Defects in Tarapur Atomic Plant	117
2583.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना ।	Setting up of Industrial projects in West Bengal · · ·	118
2584.	दारजिलिंग पहाड़ियों में हिप्पियों की गतिविधियाँ ।	Activities of Hippies in Darjeelling Hills · · · ·	118
2585.	दिल्ली विश्वविद्यालय के कैफे को गिराने के बारे में कांस्टेबलों के एक दल द्वारा अतिरिक्त जिला मांजस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना करना ।	Defying the orders of Additional District Magistrate by a Group of constables in regard to the Demolition of Delhi University's Cafe · · ·	119
2586.	संगीत तथा नाटक प्रभाग के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच रिपोर्ट ।	CBI Report on Song and Drama Division · · · · ·	119
2587.	अखबारी कागज के संबंध में समाचार पत्रों द्वारा बरती गई अनियमितताएं ।	Irregularities Committed by the News papers in regard to News Print · · · ·	119-120

आ० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2588.	मूल्य वृदिध के कारण पंचवीं योजना के व्यय में वृद्धि । Increase in the Fifth Plan outlay due to Rise in Prices	121
2589	अखबारी कागज का उत्पादन और खपत । Production and consumption of News Print	121
2590.	महत्वपूर्ण व्यक्तियों के टेलीफोनों को गुप्त माइक्रोफोन द्वारा सुनना (बगिंग)। Bugging of Telephones of Important persons	122
2591.	सरकारी उपक्रमों में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों सहित सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप । Corruption charges against Public Servants including Senior Executives in Public Undertakings	122
2592.	उत्तर प्रदेश के प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस दल के कार्मिक संघ के नेताओं की गतिविधियां । Activities of Trade Union Leaders of Provincial Armed Constabulary of U.P.	122–123
2594.	लेनिन शताब्दि के अवसर पर डाक टिकट । Postal Stamp on the occasion of Lenin Centenary	123
2595.	पाकिस्तान के लिये चंडीगढ़ से बुक की गई ट्रंग कालें । Trunk calls booked from Chandigarh for places in Pakistan	123
2596.	सीमेंट उद्योग में अनुसंधान Research in Cement Industry	124
2597.	राष्ट्रीय आय के अनुमानों में त्रुटि Error in the Estimates of National Income	124
2598.	उद्योगों में विदेशी सहयोग की जांच करने के लिए समिति । Committee to examine foreign collaboration in Industry	124–125
2599.	न्यूजीलैंड में एक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा "प्लांट ब्रिडिंग" के बारे में जानकारी प्राप्त करना । Discovery on plant breeding by an Indian Scientist in Newzealand	125
2600.	मुस्लिम लीग की गतिविधियों के बारे में केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में चर्चा । Discussion in Central Zonal Council meeting regarding the activities of Muslim League	125–126
दिनांक 18-4-1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7425 के उत्तर मे शुध्दि करने वाला वक्तव्य	Statement Correcting reply to Unstarred Question No. 7425, dated 18-4-73	126
अविलम्बनिय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना।	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
विमुद्रीकरण के भय से सौ रुपये के नोटो को छोटे नोटों में बदलवाने के लिए बैंकों में लोगों की भीड़ लगने का समाचार ।	Reported rush on banks to exchange hundred rupee notes for fear of demonetisation—	
श्री पी० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatsubbaiya	126 127
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	127,128-129 व 130–131
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table.	131–132
संसदीय समितियां–कार्य का संक्षिप्त विवरण	Parliamentary Committees—Summary of Work.	132

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	132
सुति धागे पर कानुनि नियंत्रण के बारे में वक्तव्य —	Statement Re. Statutory Control on Cotton Yarn—	
प्रो० डी० पी० चटोपाध्याय	Prof. D.P. Chattopadyhyaya.	
उत्तर प्रदेश मे बाढ कि स्थिति के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Flood Situation in Uttar Pradesh —	133–135
श्री बाल गोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma.	135
नियम 377 के अंतर्गत मामले—	Matter Under Rule 377—	
गुजरात मे कोयले की भारी कमी	Acute shortage of coal in Gujarat.	135
उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध उद्घोषणा के बारे मे—	Statutory Resolution Re. Proclamation in Relation to Uttar Pradesh—	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	136, 143–144 व 146
श्री तारकेश्वर पांडे	Shri Tarkeshwar Pandey.	146–147
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee.	147–148
श्री संत बख्श सिंह	Shri Sant Bux Singh	148
श्री अटल. बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	148–149
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malviya..	149
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan . . .	150–151
श्री दीनेश सिंह	Shri Dinesh Singh . .	151–152
श्री शिव कुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri	152
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh .	152–153
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad .	153–154
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे	Shri Krishna Chandra Pandey	154
श्री राम धन	Shri Ram Dhan . .	154–155
श्री मुल्की राज सैनी	Shri Mulki Raj Saini .	155
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi .	155–156
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh . .	156
श्री परिपूर्णानन्द पैन्युली	Shri Paripoornanand Painuli	156–157
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar. .	157
आधे घंटे कि चर्चा —	Half-an-hour Discussion —	
कोक भट्टी बैटरियों की खराब दशा का दुर्गापुर इस्पात कारखाने के उत्पादन पर प्रभाव —	Effect of poor condition of Coke oven Batteries on production in Durgapur Steel Plant—	
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	157–158
श्री टी० ए० पाई	Shri T.A. Pai . . .	158–159

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 8 अगस्त, 1973/17 श्रावण, 1895 (शक)
Wednesday, August 8, 1973/Sravana 17, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अन्तरीक्ष में उपग्रह छोड़ने की योजना

*241. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मौसम सम्बन्धी जानकारी तथा पड़ौसी देशों की गतिविधियों सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्तरिक्ष में उपग्रह छोड़ने की कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या अन्तरिक्ष में कोई उपग्रह छोड़ा गया है अथवा छोड़ने का विचार है ;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए किसी बाहरी देश से सहयोग मांगा गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 'वैज्ञानिक एवं अनुप्रयोग उपग्रह' अन्तरिक्ष में छोड़ने की योजना बनाई है ।

(ख) अभी तक भारत ने कोई उपग्रह अंतरिक्ष में नहीं छोड़ा है । भारत में ही पूरी तरह से डिज़ायन बनाकर तैयार किया गया एक वैज्ञानिक उपग्रह दिसम्बर, 1974 तक अंतरिक्ष में छोड़ने का प्रस्ताव है ।

(ग) तथा (घ) जी, हां, उपरोक्त वैज्ञानिक उपग्रह सोवियत भूमि से एक रूसी राकेट की सहायता से छोड़ने के लिए, सोवियत संघ के साथ मिलकर कार्य करने का एक करार किया गया है ।

श्री शंकरराव सावंत : इस उपग्रह से किस प्रकार की जानकारी मिलने की आशा है ? क्या इस से पड़ौसी राज्यों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है ? दूसरा प्रश्न यह है कि रुस के साथ कब करार किया गया था तथा करार की शर्तों के अनुसार वास्तव में कब कार्य आरम्भ किया गया है ? तीसरे, क्या रुसी सरकार अन्तरिक्ष सम्बन्धी खोज की सम्पूर्ण तकनीकी जानकारी में भाग लेने को सहमत हुई है अथवा केवल सीमित जानकारी तक सहमत हुई है और यदि हाँ तो वह सीमाएं क्या हैं ? चौथे, इस जानकारी के बदले में हमने रूस को क्या देना स्वीकार किया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस उपग्रह से तीन वैज्ञानिक परीक्षण किये जाएंगे। एक एक्स रे खगोल विज्ञान दूसरा सोलर न्यूट्रान्स और गामा रेज तथा तीसरा आयन मण्डलीय पैरामीटरों के भाप के बारे में है। यह कार्य शुद्ध वैज्ञानिक है। इन सभी परीक्षणों का उद्देश्य ऐसी वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करना है जिनका सम्बन्ध कतिपय वज्ञानिक लक्ष्यों से है। ऐसे उपग्रहों से जिनमें कैमरा आदि जैसे आवश्यक उपकरण हो सकते हैं यह सम्भव है कि गोचर क्षेत्र में उत्पन्न हो रही विभिन्न परिस्थितियों या गतिविधियों आदि का पता लगाया जा सके। इस उपग्रह में इस प्रकार का उपकरण नहीं रखा गया है। यह वैज्ञानिक उपग्रह है जिसमें केवल वही उपकरण होंगे जिनको उन वैज्ञानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बनाया गया है जिनका मैंने उल्लख किया है।

इस प्रयोजन के लिए आई० एस० आर० ओ० और रूस की एकेडेमी आफ सांशीनज के बीच 10 मई, 1972 को करार हुआ। सहयोग के अन्तर्गत रुस के द्वारा वहाँ से उपग्रह छोड़ने की शर्त है। उपग्रह का डिजाइन तथा निर्माण भारत में किया जाएगा। रुस सोलर सैल, टेप रिकार्डर आदि कुछ सहायक उपकरण सप्लाई करेगा। करार के अन्तर्गत यही बातें हैं।

श्री शंकरराव सावंत : मैंने यह भी पूछा था कि क्या रुस सम्पूर्ण तकनीकी जानकारी में सहयोग देगा। यदि उसकी कुछ सीमाएं हैं तो वह क्या हैं तथा इसके बदले में आपने रुस को क्या देना स्वीकार किया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं यह नहीं समझा कि क्या माननीय सदस्य का पूरी तकनीकी जानकारी से अभिप्राय यह है कि रुसी विशेषज्ञ यहाँ आएंगे तथा राकेट निर्माण सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करेंगे अथवा इन कार्यों में हमारी सहायता करेंगे। मैंने इस करार की शर्तों का तथा यहाँ किये जाने वाले कार्यों का उल्लेख कर दिया है। इस करार से सम्बन्धित यही बातें हैं। इस करार के अन्तर्गत इससे अतिरिक्त कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या स्वर्गीय डा० विक्रम साराभाई ने उपग्रह तथा अन्य कई मामलों के बारे में अंतरिक्ष अनुसंधान तथा वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे तथा क्या उनके प्रस्तावों को तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है तथा उन्हें उनकी योजनाओं तथा रुपरेखा के अनुरूप ठीक प्रकार से क्रियान्वित किया जा रहा है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है अन्तरिक्ष विज्ञान के विकास के क्षेत्र में डा० साराभाई ने भारत का पथ प्रदर्शन किया था। इस क्षेत्र में जो भी कार्य किये जा रहे हैं उनमें अधिकतर कार्यों की कल्पना उन्ही ने की थी तथा उन्होंने उनकी नींव डाली थी। उन्होंने एक रुपरेखा तैयार की थी जिसका अनुसरण किया जा रहा है। यह सच है कि प्राप्त अनुभव के अनुरूप कुछ सुधार किये गये हैं तथा कुछ कार्यक्रमों की गति धीमी की जा रही है। किन्तु इस कार्यक्रम को तैयार किये जाने में उनका ही योगदान प्रमुख है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरे पास भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के तत्वावधान में गत अगस्त को अन्तरिक्ष अनुसंधान तथा क्रियान्विति सम्बन्धी भारतीय कार्यक्रम के बारे में हुये सेमीनार की रिपोर्ट है। मौसम विज्ञान उपग्रहों सम्बधी कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की थी कि भारत को मौसम विज्ञान उपग्रह छोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन देशों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध हो सकती है जो इस प्रकार के उपग्रह छोड़ रहे हैं। अत: मौसम विज्ञान सम्बन्धी उपग्रह छोड़ने के बजाय हमें संदेश ग्रहण करने के लिये सेंसरों तथा लेंड स्टेशनों का विकास करना चाहिये। क्या हमने इनकी बजाय दूसरे कार्य को प्राथमिकता दी है ? मैं सिफारिश को उद्धृत कर सकता हूं :

> इसका विचार है कि भारत को आगामी दशाब्दी में मौसम विज्ञान उपग्रहों पर धनराशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है "।

श्री कृष्ण चंद्र पंत : सेंसरों के विकास की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया गया है तथा जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है हम सेंसरों का विकास कर रहे हैं। स्थल कार्यक्रम के उद्देश्य से अहमदाबाद स्थित स्टेशन का विकास किया जा रहा है। यह विकास 'बीमिंग' कार्यक्रमों के लिये किया जाएगा जिसके अन्तर्गत उपग्रह से वापस किरणें विकीर्ण होंगी तथा ग्रामों के विभिन्न समूहों में कार्यक्रम दिखाये जा सकते हैं। आज भी इस दिशा में अहमदाबाद स्टेशन की क्षमता का विकास किया जा रहा है तथा यह बाह्य संदेशों को ग्रहण कर रहा है। अत: माननीय सदस्य ने जिस आवश्यकता का उल्लेख किया है उस दिशा में अब भी कदम उठाये जा रहे है। अब जिस उपग्रह को छोड़ा जाएगा उसका मुख्य उद्देश्य, जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूं, तथा वैज्ञानिक परीक्षणों का क्षेत्र मौसम सम्बन्धी जानकारी से भिन्न है। एक्स रे सम्बन्धी परीक्षणों का सम्बन्ध अन्तरिक्ष का एक्स रे लेने की अपेक्षा कृत अधिक आधुनिक वैज्ञानिक खोज से है तथा इसका सीधा सम्बन्ध एक्स रेज की खोज से है। इसी प्रकार न्यूट्रान और गामा एक्स किरणों के बारे में परीक्षणों का सम्बन्ध सौर शक्ति के साधनों का पता लगाना है। विज्ञान का यह क्षेत्र भी अति आधुनिक है। इन सभी समस्याओं का सम्बन्ध वैज्ञानिक परीक्षणों से हैं। आप यह कह सकते हैं कि ओपन मण्डलीय पैरामीटरों का सम्बन्ध मौसम सम्बन्धी दूर संचार समस्याओं से हैं।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि गत भारतीय उपग्रह रुसी लांचिग पैड से छोड़ा गया था और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं? लांचिग पैड के बारे में भारत कब तक आत्मनिर्भर हो जाएगा? दूसरे, क्या यह भी सच है कि टेलीविजन कार्यक्रमों के उद्देश्य से छोड़े गये उपग्रह से प्राप्त हो रही दोषपूर्ण रेडियो सूक्ष्म तरंगों की कुछ आलोचना की गई है और यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री कृष्ण चंद्र पंत : अभी तक कोई भारतीय उपग्रह नहीं छोड़ा गया। यह तो केवल किसी की कल्पना हो सकती है।

श्री समरगुह : यह जानकारी सलाहकार समिति में दी गई थी।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : पहला उपग्रह रुसी उपग्रह केन्द्र से छोड़ा जा रहा है।

Additional Funds for Famine-hit States during Fourth Plan

*242. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether famine-hit States have been given some additional funds to promote developmental works in the Fourth Five Year Plan; and

(b) if so, the names of the said States and the amount sanctioned by the Central Government to each State together with the purpose for which sanctioned?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देते हुए तीन विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों में तेजी से विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को जो केन्द्रीय निधियां दी गई वे विवरण 1 में दर्शायी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5350/73]** अभावग्रसित क्षेत्रों को 1972-73 की रबी के लिए आपाद् कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत जो धन आबंटित किया गया वह विवरण 2 में दर्शाया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5350/73]** चौथी योजना के पहले चार वर्षों के दौरान सूखाग्रसित क्षेत्रों में अभाव की स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों को जो अतिरिक्त धनराशि आबंटित की गई वह विवरण 3 में दर्शायी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5350/73]** राहत तथा विकास, दोनों प्रकार के कामों पर यह खर्च किया गया था।

Shri Dhan Shah Pradhan: May I know from the hon. Minister the names of the famine-hit areas of the States in the country where works of permanent nature have been carried out during five years of the fourth year plan. I also want to know the names of the programme of permanent nature extended in the areas where crops have been a total failure or where only one-fourth crops could be grown or where the crops have been destroyed by floods etc., by the Government during the last five years. It has been observed that *Adivasi* areas are generally hit very otfen by it.

श्री मोहन धारिया : मैंने सभी जानकारी प्रस्तुत कर दी है । विवरण एक में मैंने जिलावार जानकारी दी है । क्षेत्रों का निर्धारण करने के पश्चात ये सभी कार्यक्रम आरम्भ किये गये । सभी जानकारी दे दी गई है ।

Shri Dhan Shah Pradhan: The Government of Madhya Pradesh demanded Rs. 22 crores. May I know whether this amount was given to them and if not the reasons therefor. Famine hit areas face there major problems, *viz.*, of accommodation, employment and food. May I also know the extent of progress achieved by the Government to solve these problems? The figures available to us show that nothing has been done in this direction. No programme has been taken up in the areas declared famine-hit in the various states of the entire country. Will the hon. Minister mention the names of the States where permanent programmes have been taken up?

श्री मोहन धारिया : मैंने विवरणों में यह सभी जानकारी दे दी है ।

श्री एन० शिवप्पा : मैसूर राज्य में भी अभूतपूर्व अकाल पड़ा है । राज्य का लगभग एक चौथाई क्षेत्र सूखा की लपेट में आ गया है । प्रस्तुत विवरण में केवल पांच जिलों का उल्लेख किया गया है जबकि यह क्षेत्र अकाल राहत दिये जाने वाले क्षेत्र का आठवाँ भाग भी नहीं है । मैसूर राज्य में लगभग 36 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थव्यवस्था है । मैसूर राज्य के लिये सूखा राहत के लिये केवल उतनी ही धनराशि नियत की गई है जितनी ऐसे अन्य राज्यों के लिये की गई है जिनके पास फालतू संसाधन है । इस राज्य की वित्तीय स्थिति अत्यंत खराब है । ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार तथा विशेषकर योजना आयोग से यह अनुरोध किया है कि सूखा की गम्भीर स्थिति का मुकाबला करने के लिये इस समय कम से कम 20 करोड़ रुपये अधिक दिए जाएं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय कितना धन नियत किया गया है और मैसूर राज्य में पहले से ही चल रहे वित्तीय संकट तथा सूखे की गम्भीर स्थिति से निपटने के लिये मंत्री महोदय क्या आश्वासन दे सकते है ।

श्री मोहन धारिया : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है, विवरण देश के चिह्नित सूखापीड़ित क्षेत्रों के विषय में है । इस प्रकार के 54 क्षेत्र हैं और उन्हीं के आधार पर विवरण दिया गया है । विवरण तथा III में गत वर्ष किये गये रबी की फसल के द्रुत कार्यक्रमों के बारे में तथा कृषि कार्यों के लिये उपलब्ध करायी गई धन राशि और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को दी गई केन्द्रीय सहायता के बारे में जानकारी दी गई है । प्रत्येक बार, जब कभी कोई प्राकृतिक आपदा होती है, एक केन्द्रीय दल भेजा जाता है, यह दल मूल्यांकन करता है और उस मूल्यांकन के आधार पर एक अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत फारमूले के अनुसार सहायता दी जाती है । इसी प्रकार मैसूर को भी सहायता दी गई है । आंकड़े विवरण में दिये गये हैं ।

श्री एन० शिवप्पा : मैसूर राज्य में इस समय लगभग 36 करोड़ रुपये की राशि की घाटे की अर्थव्यवस्था चल रही है । राज्य की वर्तमान गम्भीर स्थिति के लिये कितनी सहायता देने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही सामान्य प्रश्न है परन्तु इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित है । मंत्रीमहोदय ने विवरणों में सभी जानकारी दी है । आप और क्या पूछ सकते हैं ?

श्री के० लकप्पा : श्री शिवप्पा के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होंने सूखापीड़ित क्षेत्रों के चिह्नित करने के विषय में एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। उसका उत्तर नहीं दिया गया है...

अध्यक्ष महोदय : शान्ति रखिये। क्या आप प्रश्न पूछने की श्री शिवप्पा की क्षमता में विश्वास नहीं रखते हैं ? (**व्यवधान**)

श्री एन० शिवप्पा : मैं उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी जानकारी उपलब्ध थी, मंत्रीमहोदय ने सभा पटल पर रख दी है।

श्री एन० शिवप्पा : राज्य में बहुत से सूखापीड़ित क्षेत्र हैं। यहाँ केवल पांच जिले बताये गये हैं। मैंने यह पूछा था कि मैसूर राज्य को और कितनी सहायता दी जा रही है...

श्री के० लकप्पा : मैसूर राज्य में बहुत से क्षेत्र सूखापीड़ित हैं... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रखिये। मैसूर राज्य के दो सदस्य एक साथ खड़े हो गये हैं (**व्यवधान**)

श्री मोहन धारिया : विवरण I में समस्त देश के चिह्नित सूखापीड़ित क्षेत्र बताये गये हैं जिनके लि य धनराशि नियत की गई है। सदन को ज्ञात है कि 100 करोड़ रुपये की राशि इन 54 जिलों के लिये उपलब्ध कराई गई है और इनके नाम विवरण में दिये गये हैं। जहाँ तक मैसूर की दूसरी आपदाओं अथवा गत वर्ष के सूखों का सम्बन्ध है इसके बारे में विवरण II और III में सब जानकारी दी गयी है। इस चालू वर्ष में यदि मैसूर में फिर सूखा पड़ता है तब राज्य सरकार स्वत: ही सहायता के लिये कहेगी... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी सदस्य को अनुमति नहीं दे रहा हूं। जब तक किसी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तब तक उनका भाषण कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

Shri Ramavatar Shastri : Bihar is facing a serious famine condtion this year. The State has been affected from this calamity in past also. In fourth five year Plan you have mentioned four districts of Bihar *i.e.*, Monghyr, Palamau, Gaya and Shahbad. In order to face the drought the Government had proposed to provide 6 crores to these districts as against the amount of Rs. 2,18,83,000 made available so far. This is the last year of the fourth five year Plan, so, may I know the reasons for not providing the assistance to the extent it was proposed to be given and whether the Government have not made their demand to this extent or they have not spent? Do you think that this amount is sufficient to meet the requirement of drought affected areas?

श्री मोहन धारिया : 6 करोड़ रुपये की यह राशि उन जिलों के लिये निर्धारित की गई है और इसका उपयोग बिहार सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों के लिये किया जायेगा। चालू वर्ष के दौरान अब तक बिहार सरकार ने 2,18,00000 रुपये की राशि के कार्यक्रम क्रियान्वित किये हैं, यदि बिहार सरकार शेष धन राशि को भी उपयोग में लाती है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं भी बिहार सरकार को यह बात लिखूंगा।

श्री दशरथ देव : मेरे विचार में त्रिपुरा राज्य के लिये कोई धनराशि नहीं दी गई है। गत दो वर्षों में राज्य में भारी सूखा पड़ा है। गत वर्ष सूखे के कारण अकाल की स्थिति में 400 से भी अधिक लोगों की भूख से मृत्यु हो गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि त्रिपुरा राज्य के लिये कोई धनराशि आबंटित क्यों नहीं की गई ?

श्री मोहन धारिया : विवरण I में मैंने बताया है कि वर्ष 1972-73 में त्रिपुरा राज्य को 50 लाख रुपये की राशि दी गई। विवरण I में देश में 54 चिह्नित चिरकालीन सूखाग्रस्त ज़िले बताये गये है, विवरण II प्राकृतिक आपदाओं के बारे में है; जब कभी आपदा आती है, केन्द्रीय दल के मूल्यांकन के अनुसार धनराशि उपलब्ध करा दी जाती है ।

श्री दशरथ देव : त्रिपुरा राज्य चिरकालीन सूखाग्रस्त रहनेवाला तथा प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त रहने वाला राज्य है । सरकार ने इस पर विचार क्यों नहीं किया है ।

Shri Chandrika Prasad: Mr. Speaker, Sir, according to statement I, U.P. has been allocated lowest amount of assistance. U.P. has been ignored in statements II & III also. Statement I indicates 4 or 5 districts in Uttar Pradesh whereas there are 23 districts affected by famine. Balia, Azamgarh, Gazipur suffering from starvation have been ignored. May I know from the hon. Minister as to why Uttar Pradesh is being ignored.

Secondly, may I know whether in view of the prevailing famine conditions the Government propose to fix some percentage for the severely affected districts of backward areas out of the fund allotted by the Government of India in this regard?

The Minister of Planning (Shri D. P. Dhar): This Question relates to the programme chalked out by the Central Government to provide assistance particularly to drought affected areas where there has been no rain. As regards the condition of Uttar Pradesh as stated by hon. member, I may submit that with God's grace there has been no drought in Uttar Pradesh last year.

Shri Chandrika Prasad: There had been drought.

Shri D. P. Dhar: He is talking about the current year. Recently, a Central team had been there and they have made their assessment and the assistance will be made available to U.P. to that extent accordingly.

श्री पी० आर० शिनाय : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मूल रूप में सूखापीड़ित राज्यों को यह आश्वासन दिया था कि वे सूखाराहत कार्यों के लिये पूरी सहायता देंगे परन्तु अब केन्द्र इस बात पर बल देती है कि राज्यों को भी व्यय का 25 प्रतिशत योगदान करना चाहिये और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

श्री डी० पी० धर : प्रश्न के स्वरूप के विषय में कुछ गलतफहमी है । आज जो प्रश्न पूछा गया है वह सूखापीड़ित क्षेत्रों में विकास के लिये नियमित कार्यक्रमों के बारे में है । माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न उठाया है वह प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राहत देने सम्बन्धी कार्यक्रमों के बारे में है । इस प्रश्न के उत्तर में दूसरे प्रश्न का उत्तर निहित नहीं है ।

Shri Bhagirath Bhanwar: It is a fact that the districts of various States mentioned in the statement for providing addition assistance are chronically affected areas suffering from famine and drought if so, whether they have chalked out any plan for the permanent solution of the problem and also the outlines thereof?

May I know the state-wise breakup of the percentage of additional assistance proposed to be provided to various states during fourth five year Plan in this regard?

श्री मोहन धारिया : जैसा कि मैंने पहले बताया है, विवरण I में उल्लिखित क्षेत्र और जिले देश में बार बार प्रभावित होने वाले तथा सूखापीड़ित क्षेत्रों में से हैं। ये कार्यक्रम छोटी सिंचाई, संचार, वनारोपण, भूमि संरक्षण, चारे की व्यवस्था तथा इससे संबंधित अन्य कार्यक्रमों के रूप में है। इसमें धनराशि का उल्लेख किया गया है और मुझे यह दुबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो भी प्रयास हमने किये हैं, वे विवरण में उल्लिखित हैं। परन्तु मैं आपकी अनुमति से आज सभा को यह बताना चाहूंगा कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हमने समेकित दृष्टिकोण अपनाया है और हम नहीं चाहते हैं कि संकट उत्पन्न हों और तब कार्यक्रमों को आरम्भ किया जाये। अतएव, हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे सभी प्रकार के कायक्रमों को तैयार रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र ही ऐसे कार्यक्रमों को आरम्भ किया जाये और धन बरबाद न किया जाये।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले का देवरकोंडा ताल्लुक प्राय: सूखा रहने वाले क्षेत्र संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राय: सूखा रहने वाला क्षेत्र घोषित किया गया था और इसके लिए धन की व्यवस्था की गई थी। परन्तु विवरण में इसका जिक्र नहीं आया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके क्या कारण हैं ? मंत्री महोदय द्वारा दिए गए विवरण में इसे क्यों नहीं शामिल किया गया है ?

श्री मोहन धारिया : इन जिलों का चयन विशेषज्ञ समिति ने किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास ऐसा उत्तम उत्तर होना चाहिए जिससे सब संतुष्ट हो जाएं अन्यथा प्रत्येक सदस्य इस सरल प्रश्न का अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हैं।

Shri Hukuam Chand Kachwai : The Madhya Pradesh Government had asked for Rs. 25 crores from the Central Government and they released Rs. 8 crores. Out of which only Rs. 4 crores had been spent. Jhabna is undergoing severe drought and people are dying of starvation in Sidri. The number of deaths is 21, but Madhya Pradesh and the Centre have not made any proper arrangements. May I know whether in such conditions will they agree to their demand and what steps they are going to take with regards to non-utilization of funds by States?

श्री मोहन धारिया : यह कहना ठीक नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार ने धनराशि व्यय नहीं की है। 8 करोड़ रुपये में से उन्होंने 4 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। यह कार्यक्रम कुछ वर्ष पहले आरम्भ किया गया था और अब यह गति पकड़ रहा है और मुझे आशा है कि सभी सरकारें यथासंभव धनराशि व्यय करेंगी।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिये आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अवधि बढ़ाना

*244. **श्री समर गुह**
श्री गंगाचरण दीक्षित } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अवधि को बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी अवधि बढ़ाई गई है और आवेदन-पत्रों की पात्रता का निर्णय करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) & (b) The last date for receipt of applications from freedom fighters for grant of pension with retrospective effect, that is, 15th August, 1972 has now been extended from 30th June 1973 to 14th August, 1973. Thus the entire duration of the Jayanti Year has been covered. Applications of freedom fighters or their dependents received after 14th August, 1973, will be considered for grant of pension, if eligible, from the date of receipt of the application

The salient features of the Freedom Fighters pension Scheme containing criteria adopted for deciding the eligibility are laid on the Table of the House. [*Placed in Library. Sec. No. LT-5351/73.*]

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों में स्वतंत्रता सेनानियों को पहले ही मंजूर किए गए पेंशन के नवीनतम आंकड़े क्या है, यदि यह संख्या बड़ी है तो वे इसे सभा पटल पर रख सकते हैं, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या 15 अगस्त के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार किया जायेगा, मैं उनका ध्यान एक बात और लाना चाहता हूं। यह अंगूठे तथा अंगुलियों के छाप प्राप्त करने के बारे में जोर देने के बारे में है। यह अक अपमानास्पद कार्य है क्योंकि कोई भी व्यक्ति पेंशन लेते समय अंगूठा अथवा अंगुलियों का छाप नहीं देता है, अतएव अंगूठा अथवा अंगुलियों के निशान प्राप्त करने की अपमानजनक तथा गलत प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मोटे तौर पर 1,16,000 आवेदनपत्रों पर कार्यवाही की गई है। इसमें से मोटे तौर पर 50,000 आवेदनपत्रों को पेंशन के लिए मंजूरी दी गई है। लगभग इतने ही आवेदन-पत्रों को स्पष्टीकरण के लिए राज्यों को भेजा गया है। लगभग 16,000 आवेदनपत्रों को अस्वीकृत किया गया, यह मोटी रूपरेखा है ।

मेरे मित्र यह दख सकते हैं कि गत कुछ सप्ताहों से 1,64,254 आवेदन पत्रों पर बहुत तेजी से कार्य हुआ है। माननीय सदस्य अवधि बढ़ाये जाने के बारे में जानना चाहते हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि आवेदनपत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि 15 अगस्त 1973 नहीं है अपितु अन्तिम तिथि वह होगी जिसके बाद से पेंशन आवेदनपत्रों के प्राप्त होने की तिथि से स्वीकृत की जाएगी।

दूसरे शब्दों में, यदि हमें आवेदनपत्र 15 अगस्त से पूर्व प्राप्त होते हैं तो हम पेंशन की मंजूरी 15 अगस्त 1972 से देंगे, इसके बाद से आगे की अवधि से दिये जायेंगे। 'अंतिम तिथि' का अर्थ इसी से है। तीसरे प्रश्न के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यदि वे सभापटल पर रखे गए विवरण के पृष्ठ 3 को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि कुछ पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नमूना हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का छाप आदि सम्मिलित हैं।

श्री समर गुह : मैं एक विशेष मामला बताता हूँ जो मिहिर लाल चट्टोपाध्याय से संबंधित हैं, जो इस सभा के सदस्य थे। उन्हें ऐसा करने को कहा गया था, उन्हें कहा गया था कि जब तक वह अपना अंगूठा अथवा अंगूली का छाप नहीं देते हैं तब तक उन्हें उनके आवेदनपत्र पर पेंशन नहीं मिलेगी ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि आवश्यक हुआ तो हम व्यक्तिगत मामलों में स्पष्टिकरण जारी कर सकते हैं। स्पष्ट: ही आशय यह है कि अशिक्षित व्यक्ति से उसके अंगूठे का छाप लिया जाये।

श्री समर गुह : मैं सरकार को बधाई देता हूँ क्योंकि उन्होंने आजाद हिंद फौज और भारतीय स्वतंत्रता लीग के सदस्यों को पेंशन देने हेतु उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों की परिभाषा में सम्मिलित कर लिया है, इस तथ्य को देखते हुए श्री सेझियान मेरी बात से सहमत होंगे—कि देश के विभिन्न भागों से पेंशन पाने हेतु आजाद हिंद फौज के सदस्यों से हजारों आवेदनपत्र प्राप्त हो रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि आजाद हिंद फौज के भूतपूर्व सदस्य और आजाद हिंद फौज एसोसिएशन के सचिव के रिकार्डों को प्राप्त करने में कुछ कठिनाईयां उपस्थित हो रही हैं क्योंकि इन व्यक्तियों द्वारा देश के बाहर संघर्ष करने के कारण ये रिकार्ड या तो नष्ट हो गए हैं अथवा कुछ रिकार्ड रक्षा विभाग के पास हो सकते हैं, तो क्या सरकार एक समिति नियुक्त करेगी जो दस्तावेजों तथा रिकार्डों जिनके आधार पर उनको पेंशन मिलेगी, के मामलों को निपटायेगी।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री शाह नवाज खान के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की जा रही है और मेरे विचार में श्री मोहन सिंह उसके सदस्य हैं। मुझे तीसरे सदस्य का नाम याद नहीं हैं। माननीय सदस्य ने जिस कठिनाई का उल्लेख किया है वह वास्तविक है और इसलिए उन सभी आवेदन-पत्रों की जांच पड़ताल करने के लिये अेक समिति की नियुक्ति की आवश्यकता है।

श्री सभर गुह : आजाद हिंद फौज एक पुरानी एसोसिएशन है,

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह एक सुझाव है।

श्री धामनकर : शहीदों के कोतवाल नाम के एक समूह के दो सदस्य गोली से मार दिए गए थे। शेष सदस्य विभिन्न राज्यों में चले गए और वे नये नाम धारण करके रह रहे हैं। अब कठिनाई यह है कि वे एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित हो रहे हैं और उनके आवेदन पत्रों पर विचार नहीं हो रहा है। इन भूमिगत कार्यकर्ताओं को वास्तविक कठिनाइयां हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसे मामलों में विशेष रियायत की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वे भूमिगत कार्यकर्ता है ?

श्री धामनकर : वे विभिन्न राज्यों से आए है।

अध्यक्ष महोदय : भूमिगत के नाम से अनेक व्यक्ति पेंशन के लिए अपना दावा करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि वह सभा पटल पर रखे गए विवरण और नियमों को पढ़े तो उन्हे यह पता चलेगा कि दोनों बातों को ध्यान में रखा गया है। यदि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भूमिगत रहने वाले व्यक्ति के बारे कोई साक्ष्य है, तो यह इसका एक भाग है, अगर वह उस समय नाम बदल कर रहा तब अगर कोई विधायक अथवा संसद सदस्य उसके साथ था, तो वह प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकता है कि वह नाम बदल कर रहा था। उस मामले में इसे भी ध्यान में रखा जा सकता है। कुछ अन्य कठिनाइयां भी हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं। और जिन्हें हल करने को पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है।

श्री डी० एन० तिवारी : स्वाधीनता सेनानियों के आवेदन पत्रों पर दो स्तरों पर राज्यों और केन्द्र में कार्यवाही की जा रही है और इसलिए इसमें समय लगता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 30 मार्च 1973 तक स्वाधीनता सेनानियों से प्राप्त सभी आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार को भेज दिये गये हैं और क्या केन्द्रीय सरकार अब तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर 15 अगस्त, 1973 तक की समयसीमा के अन्दर अन्तिम निर्णय कर लेगी। तीसरे, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार के पास ऐसे स्वाधीनता सैनानी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का क्या साधन है, जो वस्तुतः छः महीने अथवा अधिक की अवधि के लिए जेल में रहा है, परन्तु वह दो या तीन जेलों में रहा है, परन्तु उनमें से एक या दो जेलों से प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वे नष्ट हो चुके हैं? वह उन व्यक्तियों से मिलने में भी असमर्थ हैं जो उस व्यक्ति के साथ उस समय जेल में थे और जो अब संसद् सदस्य अथवा विधायक है। सरकार ऐसे मामलों पर किस प्रकार कार्यवाही करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि अगर हमें राज्य सरकार से जानकारी नहीं भी मिलती है और अगर केन्द्रीय सरकार को प्राप्त आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हैं, तो हम अस्थायी पेंशन तत्काल मंजूर कर देते हैं और हम राज्य सरकार द्वारा आवेदन पत्र भेजें जाने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं और इसलिए, कोई समय नहीं लगता है और इस बारे में कतई समय बरबाद नहीं होता है। राज्य सरकार से अनुमति मिल जाने पर ही पेंशन की मंजूरी की पुष्टि की जाती है, लेकिन अनन्तिम स्वीकृति तत्काल दे दी जाती है।

दूसरे, हमें आशा है कि 31 मार्च, 1973 तक प्राप्त हुए सभी आवेदनपत्रों पर 15 अगस्त, 1973 तक कार्यवाही कर दी जायगी—समय सीमा 31 मार्च, 1973 है, 30 मार्च, 1973 नहीं। इसका मैंने सदन को वचन दिया है और हम उसी आधार पर कार्यवाही कर रहे हैं। अब केवल कुछ दिन ही शेष रहते है ।

जिस कठिनाई का माननीय मित्र ने उल्लेख किया, वह वास्तविक है कि कुछ व्यक्ति एक जेल में नहीं रहे और उन्हें अन्य जेलों में स्थानान्तरित किया गया और उन्हें एक जेल से जो प्रमाणपत्र मिल जाते हैं, जबकि अन्य जेलों से नहीं। तीन प्रकार की व्यवस्थायें की गई हैं। एक जलों से प्राप्त सर्टीफिकेटों की है और उसके न मिलने पर, किसी ऐसे विधायक अथवा संसद सदस्य का इस आशय का प्रमाणपत्र हो कि वह उनके साथ जेल में रहा था और इस प्रकार के प्रमाणपत्र के भी न मिलने पर राज्य सरकार इस बात को प्रमाणित करे कि वह व्यक्ति केन्द्रीय योजना के अधीन स्वाधीनता सेनानी था। इस बारे में बिहार में एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना की गई है और अगर वह समिति मामले की जांच करती है और राज्य सरकार को इस बारे में सिफारिश करती है और राज्य सरकार उस आधार पर प्रमाणित करती है कि अमुक व्यक्ति स्वाधीनता सेनानी था, तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रश्न का भाग (ख) किसी आवेदनकर्ता की पात्रता को निश्चित करने सम्बन्धी मानदण्ड के बारे में है। रायल इण्डियन नेवी के विद्रोह का नेतृत्व श्री बी० सी० दत्त ने किया था और निर्धारित मानदण्ड के अनसार वह पात्र नहीं हो सकते; पिछली बार मंत्री महोदय ने बताया था कि आजाद हिन्द फौज के सदस्य और रायल इण्डियन नेवी के विद्रोह में भाग लेने वाले व्यक्ति पेंशन के हकदार होंगे। परन्तु उनकी कठिनाई यह है कि रायल इण्डियन नेवी के विद्रोह में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को असैनिक जेलों में नहीं रखा गया,इसलिए वे छः महीने की कैद के प्रमाणपत्र पेश नहीं कर सकते। विरोधाभास की बात यह है कि श्री बी० सी० दत्त, जिन्होंने वर्ष 1946 में रायल इण्डियन नेवी के विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटन के तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा जिनके नाम का हाउस आफ कामन्स में उल्लेख किया गया, पेंशन प्राप्त करने के हकदार नहीं ह, क्योंकि तकनीकी दृष्टि से वह पात्र नहीं है। इसलिए, रायल इण्डियन नेवी विद्रोह के मामले में क्या मंत्री महोदय उक्त नियम में छूट देंगे और 1946 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को पेंशन देने का प्रयास करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जिन व्यक्तियों ने रायल इण्डियन नेवी के विद्रोह में भाग लिया था, उन्हें शामिल किया गया है। सारा दृष्टिकोण यही है कि किसी प्रकार से समस्याओं का समाधान ढूंढा जाय। हम तकनीकी या कट्टरपंथी विचार नहीं रखते और अगर हमारे ध्यान में य कठिनाइयां लाई जाती है, तो हम उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : कुछ ऐसे भी व्यक्ति ह, जो बंगलादेश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आये ह और जिन्होंने 1930 और 1932 के बीच के स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लिया और जो अब भारत में है और उनके पास न तो जलके ही प्रमाण पत्र हैं और न ही संसद सदस्यों अथवा विधायकों के प्रमाण पत्र है। उनके मामलों पर कैसे निर्णय किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह सब ब्यौरा है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ऐसे अनेक संसद सदस्य और विधायक और अनेक भूतपूर्व संसद सदस्य एवं भूतपूर्व विधायक है, जो इस वर्ग के अन्तगत आते हैं। वस्तुतः हमने ऐसे कुछ स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन को मंजूरी दी है। सबसे अधिक राशि की पेंशन श्री एस० एम० घोष को मंजूर की गई है। अगर इस योजना के अन्तर्गत कुछ विशिष्ट व्यक्तिगत कठिनाइयां हैं, जिन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, तो उनपर अलग से विचार किया जा सकता है। परन्तु मोटे तौर पर, अब तक अनेक ऐसे मामलों में पेंशन की मंजूरी दे दी गई है, जो इस योजना के अन्तर्गत आते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अब हमें अगले प्रश्न पर चर्चा करनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : रोजाना कुछ न कुछ आता है और हम केवल तीन या चार प्रश्नों तक ही पहुंच पाते है। यह आपके ही हित में है कि मैं यह कह रहा हूं कि अब हम इस प्रश्न को छोड़कर आगे बढ़ें। हम किसी प्रश्न पर अटक जाते है और उस प्रश्न से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम अभी भी तीसरे प्रश्न पर रुके हुए हैं और 11 बजकर 49 मिनट हो चुके हैं। यह आपकी इच्छा पर है।

Shri Jagannath Rao Joshi : I would like to know whether the names of some of the freedom fighters belonging to different political parties have been deleted from the list of the freedom fighters later on? I had told you such an instance. During the regime of Nizam, Shri Brij Pal Singh Thakur of Bidar was imprisoned for five years. He had to receive the Tamrapatra in last August, his name was there in the list, but award of Tamrapatra was stopped at the instance of some Congressman. Now it is second 15th August, but his case is still pending. I would like to know whether there is any machinery to examine the applications of those freedom fighters who belong to various political parties and about the partiality? Would you continue to work at the instance of the State Governments?

Shri K. C. Pant : I have just now said that pension has also been sanctioned to certain M.Ps. But it is not a fact. Their income is adequate at present, they have, therefore, not been sanctioned any pension.

Shri Ramavtar Shastri : You have sanctioned pension to one M.P. of Bihar.

Shri K. C. Pant : You tell us, we would stop it.

The question of any partiality in this connection does not arise. If any mistake has been made in any case, it could be corrected. I do not know whether he had submitted all the documents or not. I have already told that if the Central Government receives all the documents it sanctions provisional pension without consulting the State Government. There is, therefore, no question of asking the State Government or their interference. Hence, your suspicion is baseless.

Shri Jagannath Rao Joshi : I had written a letter eight months back, but I have not received any reply so far.

Shri K. C. Pant : You would get a reply.

Increase in production in Public Sector Industrial establishments

*245. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether any scheme for labourers framed on "produce more, consume more" basis has been sent by his Ministry to the Public Sector Industrial Establishments with a view to increasing production; and

(b) if so, the main features thereof ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग ने इस प्रकार की कोई स्कीम तैयार नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Dr. Laxminarain Pandeya: Mr. Speaker, the form in which I had sent the question has been changed. I had mentioned 'produce more and receive more' but now in the changed form it is 'produce more and consume more'. It has been stated in reply to this changed version that no scheme has been formulated to this effect. But my original question was different. How the same was changed?

Mr. Speaker: The original questions are sent from the Secretariat.

Dr. Laxminarain Pandeya: My original question was regarding 'produce more and receive more' it means that if the workers show more production, they will get maximum benefit.

Mr. Speaker: It is alright. Let the hon'ble Member ask question regarding this.

Dr. Laxminarain Pandeya: I want to know whether any scheme has been formulated under which the workers doing more work in the factories can receive more benefit and whether any such scheme has been formulated to the public undertakings?

श्री मोहन धारिया: मैंने पहले ही बता दिया है कि हमने इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र में हमने संकेत मात्र दिया है कि अधिक से अधिक रचनात्मक प्रयास किये जायेंगे और मजूरी का प्रश्न भी उत्पादन के साथ ही जोड़ना होगा।

Dr. Laxminarain Pandeya: In case no such scheme has been formulated, whether any scheme is under consideration whereby workers doing maximum work may get maximum benefit? Such scheme can be there and it was discussed as well?

श्री मोहन धारिया: जैसा कि मैंने बताया है पांचवी पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में संकेत दिया गया है और हम ईस मामले को लेकर राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे है।

श्री के० लकप्पा: क्या योजना आयोग सरकारी उपक्रमों में अनुशासन लाने के लिये किसी नये दृष्टिकोण पर विचार कर रहा है जिससे उन्हें अधिक कारगर ढंग से चलाया जा सके और उत्पादन बढ़ाया जा सके, यदि हां, तो उत्पादन बढ़ाने के विचार से ऐसे उपक्रमों में अनुशासन लाने सम्बन्धी नई विचारधारा की रुपरेखा क्या है?

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर): मेरा निवेदन है कि अनुपूरक प्रश्न ऐसा है जिसके बारें में न कोई प्रश्न पूछा गया है और न उत्तर दिया गया है। यदि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे कुछ और समय दिया जाये तो कृपा होगी।

श्री के० लकप्पा: यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उत्पादन बढ़ाने के बारे में है। मैंने पूछा है कि क्या उन सरकारी उपक्रमों और उनके प्रबन्ध में उत्पादन बढ़ाने के विचार से अनुशासन लाने के लिये किसी नई विचारधारा पर विचार किया जा रहा है? यह संगत प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: मूल प्रश्न यह है कि क्या श्रमिकों के लिये 'अधिक उत्पादन करो और अधिक खपत करो' के आधार पर कोई योजना बनाई गई है? डा० पांडे का कहना है "अधिकाधिक उत्पादन करो और अधिकाधिक प्राप्त करो"। उस पर कोई उत्तर नहीं दिया गया।

श्री के० लक्कप्पा : अधिक उत्पादन प्रबन्ध पर निर्भर करता है अत: योजना आयोग को अनुशासन स्थापित करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा तात्पर्य यह नहीं है ।

श्री के० लक्कप्पा : शीर्षक यह है "औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उत्पादन में वृद्धि" ।

अध्यक्ष महोदय : अब और अनूपूर्वक प्रश्न मत पूछिये ।

Communal Riots in Indore, Madhya Pradesh

***246. Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether communal riots broke out in Indore City of Madhya Pradesh on the 7th July, 1973;

(b) if so, the causes thereof;

(c) the persons killed and property lost as a result thereof; and

(d) the action taken by Government against the rioters?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (d) According to information received from the Government of Madhya Pradesh, tension arose in Indore City on July 7, 1973 following an incident in which minor injuries were inflicted on a person by certain others not belonging to his community. Timely action taken by the local authorities, including prompt imposition of curfew and precautionary arrests under section 151 of the Code of Criminal Procedure, prevented escalation of the situation. There was neither loss of life nor any significant loss of property. A case has been registered under section 307/34 I.P.C. in connection with the incident and is under investigation.

Shri Ramavtar Shastri : I want to know the causes that lead to communal disturbances in Indore and particulars of the persons being prosecuted by the Government in this regard? The hon'ble Minister may please let us know the details of these persons—whether they belong to political parties or they are independent?

Shri Ram Niwas Mirdha : This incident should not be termed as a communal incident according to the State Government. A clash took place between some people and the local administrative authorities took prompt action which prevented escalation of the trouble. In view of this, no one should give communal colour to this incident. On the basis of action is being taken and some persons having already been arrested. I do not have the details of the persons arrested at the moment. But prosecutions has been launched against the persons belonging to both the communities. The persons arrested after imposition of Section 144 includes all types of people and one should not have the impression that efforts were made to take action against a particular community.

Shri Ramavtar Shastri: The incidents of communal disturbances are increasing and it seems that the Government cannot stop them under the provisions of the existing Penal Code. There is a great demand to ban the activities of some persons or organisations who incite communal disturbances. What is the reaction of Government in regard thereto?

Shri Ram Niwas Mirdha: It is not true that communal incidents are increasing keeping in view the situation in Madhya Pradesh in particular. 44 similar incidents had occurred in Madhya Pradesh in 1970 whereas their number was 21 in 1971 and 22 in 1972. Therefore it would be wrong to say that such incidents are increasing.

Shri Ramavtar Shastri: I am talking about the country as a whole.

Shri Ram Niwas Mirdha: We cannot say that the situation is deteriorating in the country even as a whole. However, the hon'ble Member is aware that Central Government have taken sufficient steps and as a result thereof such incidents are now under control to a great extent.

Shri Phool Chand Verma: The hon'ble Minister has concealed the reasons. The actual reason is that there is a Special Armed Force in Indore, Madhya Pradesh. Some persons belonging to minority community have occupied the land forcibly after erecting a fencing. The Commandant, on the instruction of the Revenue Officer, removed that fence.

Mr. Speaker: The matter is sub-judice. He is telling the factual position but not asking a question.

Shri Phool Chand Verma: I want to know the name of the community of persons who attacked that person? In Indore... (*Interruptions*)

Shri Ram Niwas Mirdha: It will not be proper to give communal shape to such a small incident.

Shri Jagannath Rao Joshi: Then why the question was admitted? In case it was not a communal riot, why the same was admitted? Either the question of the hon'ble Member should be answered or else why the question was admitted? ... (*Interruptions*) ...

Mr. Speaker: It is Parliament, not a bazar.

Shri Jagannath Rao Joshi: Mr. Speaker, I wanted to know whether the hon'ble Minister does not know the facts or he is concealing them. Why should it not be stated clearly?

Mr. Speaker: You are a seasoned member, why are you talking in this manner?

Shri Ram Niwas Mirdha: I do not want to say any thing more than this that an incident in which persons of two communities might have been involved should not be termed as a communal riot... (*Interruptions*).

Mr. Speaker: I do not know, what is happening? When we can conduct the proceedings peacefully, what is the use of shouting? This is not proper. It should not happen everyday... (*Interruptions*).

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.

उड़ीसा में लघु उद्योगों को सहायता

*243. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत देश में लघु उद्योगों को सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों को कितनी सहायता दी गई; और

(ग) गत तीन वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा को कितनी सहायता दी गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री० सी० सुब्रहमण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) देश के लघु औद्योगिक एककों को बैंकों व अन्य ऋण देने वाली अन्य संस्थाओं द्वारा दी गई वित्तीय सहायता की गारण्टियों की बकाया राशि नीचे दिखाई गयी है :—

अन्त तक	बकाया गारण्टियों की राशि (लाखों रुपये में)
दिसम्बर, 1970	73,432
सितम्बर, 1971	81,969
सितम्बर, 1972	106,436

(ग) उड़ीसा राज्यों में बकाया गारण्टियों की राशि निम्न प्रकार थी :—

अन्त तक	बकाया गारण्टियों की राशि (लाखों रुपयें में)
दिसम्बर, 1970	423
सितम्बर, 1971	496
सितम्बर, 1972	620

आसाम में चर्बी संबंधी घोटाला

*247. **श्री पी० ए० स्वामिनाथन्** :
श्री वी० मायावन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1973 के "टाईम्स आफ इंडिया" (अहमदाबाद संस्करण) में "रैकेट इन टैलो अनअथ्र्ड इन आसाम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) मामला पुलिस को दे दिया गया है जो इसकी जांच कर रही है। मामले की अभी जांच की जा रही है।

राजस्थान आणविक विद्युत परियोजना तथा मद्रास आणविक विद्युत परियोजना के लिए अतिरिक्त उन्नयन तथा परिष्करण संयंत्रों की आवश्यकता

*248. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान आण्विक विद्युत परियोजना तथा मद्रास आण्विक विद्युत परियोजना के लिए आरम्भ में ही अतिरिक्त उन्नयन तथा परिष्करण संयंत्रों की आवश्यकता अनुभव क्यों नहीं की गयी थी तथा उनके लिये व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी; और

(ख) उक्त सुविधाओं की कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी तथा उस पर कितनी लागत आयेगी?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना तथा मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना में प्रारम्भ में लगाये गए परिष्करण करने वाले एवं ग्रेड बढ़ाने वाले संयंत्रों के आकार एवं उनकी क्षमता कनाडा के डगलस पाइंट स्टेशन के डिजाइन पर आधारित थे किन्तु डगलस पाइंट स्टेशन के संचालन से प्राप्त अनुभव के आधार पर बाद में ये संयंत्र अपर्याप्त पाये गए। इस कारण, राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना तथा मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना में परिष्करण करने वाले एवं उनके ग्रेड को बढाने वाले अतिरिक्त संयंत्रों की स्थापना करना आवश्यक हो गया है। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना में ग्रेड बढ़ाने वाले अतिरिक्त संयंत्र (क्षमता 11 लिटर/प्रति घंटा) तथा अतिरिक्त परिष्करण-संयंत्र की स्थापना पर क्रमशः लगभग 132 लाख रुपये तथा 84 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। अतिरिक्त परिष्करण संयंत्र राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना में निर्माणाधीन है तथा उसके सन 1974 के प्रारम्भ तक तैयार हो जाने की सम्भावना है; ग्रेड को बढ़ाने वाले अतिरिक्त संयंत्र के लिए योजना तैयार की जा रही है तथा इसके पूरा होने में लगभग से 2 से $2\frac{1}{2}$ वर्ष का समय लगेगा।

मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के लिए परिष्करण करने वाले एवं ग्रेड बढ़ाने वाले अतिरिक्त संयंत्रों के विवरण को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इन संयंत्रों के विवरण को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही उन पर आने वाले पूंजीगत व्यय के बारे में अनुमान लगाया जा सकेगा। सामान्य रूप से इन संयंत्रों का निर्माण वर्तमान में निर्माणाधीन मुख्य संयंत्र, के साथ-साथ चलेगा।

परमाणु बिजली घर

*249. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग 500 मैगावाट का परमाणु बिजलीघर स्थापित करेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बिजली घर अब तक बनाये गये बिजलीघरों तुलना में सब से बड़ा होगा; और

(ग) प्रस्तावित बिजलीघर कब तक पूरा हो जायेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) 500 मैगावाट शक्ति के किसी परमाणु बिजलीघर के निकट भविष्य में स्थापित किए जाने की सम्भावना नहीं है, तथापि इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक अध्ययन किये जा रहे हैं। स्थापित होने पर यह बिजली घर अब तक स्थापित किया गया सबसे बड़ा एकल यूनिट होगा।

दिल्ली सेंट्रल जेल में एक युवा नौसेना-नाविक द्वारा आत्महत्या

*250. **श्री राम भगत पासवान :**
श्री० ए० के० गोपालन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक युवा नौसैना-नाविक ने जिसे कुछ समय के कारावास का दण्ड दिया गया था दिल्ली सेन्ट्रल जेल में आत्महत्या कर ली;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्। प्रथम श्रेणी के एक मैजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अधीन जांच की गई थी।

(ग) जांच के निष्कर्षों के अनुसार बंदी ने लटक कर आत्महत्या की थी। मृत्यु का कारण स्वासावरोध था।

उद्योगों की प्रगति के बारे उच्चस्तरीय में मूल्यांकन यूनिट

*251. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मूलभूत उद्योगों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए बनाये गए उच्चस्तरीय मूल्यांकन यूनिट के गठन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस यूनिट ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसने अब तक कोई रिपोर्ट पेश की है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना आयोग द्वारा गठित किए जा रहे प्रबोधन और मूल्यांकन एकक में एक सलाहकार, जिसकी हैसियत भारत सरकार के पदेन सचिव के बराबर होगी तथा तीन अन्य परामर्शदाता होंगे।

(ख) अभी तक नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मुल्की नियमों के क्रियान्वयन के बारे में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय

*252. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1973 को दिये गये आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय की ओर दिलाया गया है, जिसमें चुनौती दिये गये सरकारी आदेश को रद्द करते हुए

न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि आन्ध्र प्रदेश सरकार भारत के संविधान के उपबन्धों और मुल्की नियम अधिनियम की पूर्ण उपेक्षा करते हुए मुल्कि नियमों का क्रियान्वयन करना चाहती है; और

(ख) राज्य सरकार की इस प्रवृत्ति को सही मोड़ देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) सरकार 10 जुलाई, 1973 को आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की प्रतिलिपि की प्रतीक्षा कर रही है ।

ए० बी० सी० प्लास्टिक नामक आधुनिक प्लास्टिक के निर्माण के लिए देशीय प्रौद्योगिकी

*253. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान कर्ताओं ने रक्षा और उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किये जाने वाले ए० बी० सी० प्लास्टिक नामक आधुनिक प्लास्टिक के निर्माण हेतु, देशीय प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो देश की वर्तमान आवश्यकता कितनी है और इस बारे में अनुसंधान द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा बचाये जाने की सम्भावना है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्) : (क) जी हां, औद्योगिक अनुसंधान संबंधी श्री राम संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं ने ए० बी० एस० प्लास्टिक के निर्माण के लिए एक जानकारी का विकास किया है ।

(ख) देश में ए० बी० एस० प्लास्टिक की वर्तमान आवश्यकता ों का अभी सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है। यह अनुमान लगाया जाता है कि चतुर्थ योजना की समाप्ति पर हमारी आवश्यकता लगभग 3,000 टन प्रतिवर्ष होगी जबकि पांचवीं योजना की समाप्ति तक इसका प्रक्षेपण लगभग 10,000 टन प्रतिवर्ष होगा। चूंकि, ए० बी० एस० प्लास्टिक का भारत में अभी निर्माण नहीं हो रहा है अतएव सूक्ष्म रूप से यह अनुमान लगाना कठिन है कि देशीय ए० बी० एस० प्लास्टिक के निर्माण से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है ।

वर्ष 1973 में औद्योगिक उत्पादन में कमी

*254. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :

श्री त्रिदिब चौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) क्या फरवरी 1973 के 192 उत्पादन सूचकांक में, फरवरी 1972 के सूचकांक की तुलना में 281 प्रतिशत की कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1972 और 1973 में प्रति माह हुए औद्योगिक विकास की दर के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) औद्योगिक उत्पादन बढाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्): (क) वर्ष 1971 की तुलना में 1972 के दौरान औद्योगिक उत्पादन (आधार वर्ष 1960–100) के सूचकांक में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दिखायी पड़ी; बहरहाल, वर्ष 1972 के प्रथम दो महीनों की तुलना में 1973 के प्रथम दो महीनों (जनवरी-फरवरी) के दौरान सूचाकांक में 0.7% की गिरावट दिखायी पड़ी है;

(ख) फरवरी, 1972 की तुलना में फरवरी, 1973 के महीने में सूचकांक में 3.8 प्रतिशत (2.8% की नहीं) की गिरावट दिखायी पड़ी;

(ग) वर्ष 1973 के प्रथम दो महीनों के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध है, जो 1972 के इन्हीं महीनों की तुलना में जनवरी 1973 में तो 2.4 प्रतिशत की वृद्धि का और फरवरी 1973 में 3.8 प्रतिशत की गिरावट का संकेत देते हैं; साथ में यह भी कथित्वव्य है कि ये आंकड़े प्रारम्भिक ही हैं, जिन्हें और अधिक लेखा जोखा मिलने पर केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा शुद्ध किया जाना है ।

(घ) उन प्रमुख कारणों में, जिन्होंने इस अवधि में औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित किया है, वे हैं बिजली की लगातार कमी; कतिपय उद्योग जैसे वनस्पति एवं सूती वस्त्र बनाई के लिए कच्चे माल की कमी; तथा कोयले व वैगनों की कमी जिन्होंने सीमेंट या इस्पात उद्योगों को प्रभावित किया है; बिजली की कमी को दूर करने के लिए डीजल जनित्र सेटों के आयात हेतु संस्वीकृतियों समेत अनेक कदम उठाये गये है। कच्चे माल के आयात हेतु विशेष आवंटनों की व्यवस्था की जा रही है। कोयले की उपलब्धता तथा ढुलाई में सुधार लाने के लिए कदम उठाये जा रह है। क्षमता के भरपूर उपयोग की अनुमति देने तथा उत्पादन में विविधिकरण करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं तथा उत्पादन व विनियोजन में बढ़ाने के लिए निकासियों में तीव्रता लाने हेतु अभ्युपाय भी किए जा रहे है।

पश्चिम बंगाल में धागे के अभाव में रंजक, सज्जीकरण तथा परिष्करण एककों का बन्द होना

*255. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल मे धागे के अभाव में कम से कम 25 रंजक तथा 12 सज्जीकरण और परिष्करण एकक बन्द हों गए है;

(ख) क्या सरकार बुनकरों को धागें की सप्लाई कर रही है;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि धागें के न मिलने से हजारों बुनकर भुखमरी के शिकार हो रहे है; और

(घ) यदि हां तो इन बुनकरों को भुखमरी से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वहां के बुनकरों को सूत का सम्भरण वस्त्र आयुक्त (टैक्सटाइल कमिशनर) द्वारा उस सरकार को की गई इकठ्ठी आपुति में से किया जाता है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में चोरी और भ्रष्टाचार मे अन्तर्ग्रस्त पुलिस कर्मचारियों की गिरफ्तारी

*256. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, मई और जून, 1973 के दौरान दिल्ली में चोरी और भ्रष्टाचार में अन्तर्गस्त होने के कारण कितने पुलिस कर्मचारियों को गिरफतार किया गया; और

(ख) उन कर्मचारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पांच।

(ख) अप्रैल से जून, 73 तक की अवधि के दौरान एक उप-निरीक्षक और तीन कांस्टेबलों को रिश्वत लेने पर गिरफतार किया गया तथा एक कांस्टेबल को एक सुनार से 9-1/2 तोला सोना तथा एक सोने की जंजीर लेने पर गिरफतार किया गया। उन सभी के विरूद्ध मामले दर्ज किये गये है।

आन्ध्र पृथकतावादियों द्वारा सम्पत्ति का विनाश

*257. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री आन्ध्र पृथकतावादियों द्वारा सम्पत्ति के विनाश के बारे में, 25 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8130 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व, आय-कर, तथा बिक्री-कर विभाग के 17 कार्यालयों और राज्य परिवहन की 50 बसों पर आक्रमन के पीछे अपने निजी स्वार्थ के लिए क्रमश : अधिकतम सीमा के अधिक भूमि रखने वालों, आय-कर का अपवंचन करने वालों तथा बिक्रीकर के नियमों का उल्लंघन करने वालों और गैर-सरकारी बसों के मालिकों का हाथ था; और

(ख) क्या इन अपराधों के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम ही है, अक्तूबर, 1972 के बाद की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में हिंसा और अराजकता की बहुत सी घटनाएं घटी। प्रश्न में उल्लिखित सरकारी कार्यालयों और राज्य परिवहन की बसों पर आक्रमण की घटनाएं आन्ध्र प्रदेश में आंदोलन के दौरान हुई। ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि प्रश्न में उल्लिखित वर्ग ने अपने स्वार्थों को दृष्टि में रखते हुए आक्रमणों को उत्तजित किया था अथवा नहीं।

(ख) जहां कहीं आवश्यक समझा गया कानून के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की गई थी और राज्य में सामान्य स्थिति लाई गई है।

"जाब्स इन वैस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट फालोस ए मिस्टिरियस पेटर्न शीर्षक से समाचार

*258. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 5 जून, 1973 के "द स्टेटसमैन" (कलकत्ता) में "जाब्स इन वैस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट फालोस मिस्टीरियस पैटर्न" शिर्षक से प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को इस लेख में लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए एक निष्पक्ष समिति नियुक्त करने की सलाह देने पर विचार कर रही है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर भरती करने में किस प्रकार की नीति तथा प्रक्रिया अपनाई जाय, इस बात का निश्चय कहना राज्य सरकार का काम है। अतः भारत सरकार इस प्रकार के मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती।

पांचवीं पंच वर्षीय योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन

*259. **श्री एन० श्रीकांतन नायर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए कुल कितनी धनराशि रखी गई है; और

(ख) अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए योजना आयोग द्वारा किन योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है ?

योजना मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) पांचवी योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर अभी सम्बद्ध राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जाना है। तदुपरान्त ही अंतिम रूप से निर्णय किया जायेगा।

कोर सैक्टर में बड़े औद्योगिक गृह तथा विदेशी कम्पनियां

*260. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी में घोषित संशोधित औद्योगिक लाइसेन्स नीति से बड़े औद्योगिक गृहों तथा विदेशी कम्पनियों के लिये "कोर सेक्टर" में शामिल होने का रास्ता खुल गया है;

(ख) क्या उस के बाद से बड़े औद्योगिक गृह तथा विदेशी कम्पनियों "कोर सेक्टर" में धन लगाने के लिये आगे आई हैं;

(ग) यदि हां, तो (कोर सेक्टर) में जिन बड़े औद्योगिक गृहों तथा विदेशी कम्पनियों ने रुचि दिखलायी है, उन के नाम क्या हैं; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की हैं ?

औद्योगिक विकास एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्) : (क) से (घ) फरवरी, 1970 में घोषित की गई औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति के अनुसार अन्य आवेदन कर्ताओं के साथ बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित प्रतिष्ठानों, जिनकी परिभाषा "औद्योगिक लाइसेंस नीति विषयक जांच समिति" की रिपोर्ट में दी गई है, और विदेशी प्रधानता वाली कम्पनियों से यह आशा की गई थी कि वे "कोर" तथा भारी विनियोजन वाले क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने में हिस्सा लें और योगदान करें। फरवरी, 1973 में घोषित गई संशोधित औद्योगिक लाइसस विषयक नीति के अनुसार "कोर" व भारी विनियोजन के क्षत्र में आने वाले उद्योगों की एक इकठ्ठी सूची बना दी गई है और बड़े औद्योगिक घरानों की परिभाषा जो लाइसेंस देने में प्रतिबन्धों के लिए अपनायी जाएगी। अब उस परिभाषा के समरूप बन गई है जो एकाधिकार व प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 में अपनाई गई है।

1-2-73 से लेकर 30-6-73 की अवधि के दौरान विदेशी कम्पनियों तथा **एकाधिकार व प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम** के अन्तर्गत पंजीबद्ध कम्पनियों से औद्योगिक लाइसेंसों के लिए 62 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन उद्योगों में बड़े औद्योगिक घराने तथा विदेशी कम्पनियों हिस्सा लेने की पात्र थी। इनमें से एक आवेदन सम्बन्धित पार्टी द्वारा वापस ले लिया गया है और बाकी विचाराधिन हैं। चूकि ऐसे आवेदनों को गोपनीय माना जाता है। इसलिए कार्यवाही के अधीन आवेदनों के बारे में विस्तृत ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

साम्प्रदायिक दंगों में सम्पत्ति की हानि तथा प्रभावित लोगों को दिया गया मुआवजा

2401. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में साम्प्रदायिक दंगों में कुल कितनी सम्पत्ति की हानि हुई;

(ख) क्या केन्द्र ने प्रभावित लोगों को उनकी नुकसान हुई सम्पत्ति के लिये मुआवजा दिया है अथवा सहायता दी है अथवा प्रतिकर दिया है और यदि हां, तो प्रत्येक घटना में कितनी राशि दी गई ; और

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक पुनः बुलाने की वांछनीयता पर विचार किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग मे राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अब तक प्राप्त सूचना पर आधारित एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रीय एकता परिषद की भविष्य की भूमिका तथा कार्य तथा उन रूपरेखाओं जिन पर इसे पुनर्गठित किया जाना चाहिये पर विचार करने के लिये प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन समिती स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1-1-1973 से 30-6-1973 तक की अवधि के दौरान साम्प्रदायिक दंगों में नष्ट सम्पत्ति की राशि
बिहार	30,345/- रुपये.
मैसूर	8,874/- रुपये
दिल्ली	4,76,395/- रुपये

टिप्पणी:-(1) इस अवधि के दौरान गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, गोवा, लक्कादीव, मिजोराम, पांडिचेरी तथा अरुणाचल प्रदेश में कोई साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुये।

(2) शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना आनी है।

रेलवे पुलिस मे असंतोष

2402. **श्री वसंत साठे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असंतोषजनक कार्य और सेवा की शर्तों के कारण रेलवे पुलिस में बढ़ रहे असंतोष की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उनके काम करने और रहन सहन की स्थिति में सुधार करने को सुनिश्चित करने के लिय क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) रेलवे का पुनर्गठन करने और उसे नया रूप देने और रेलवे पुलिस की कार्यकरण क्षमता में वांछित सुधार करने के लिये उसे नया रूप देने के लिये क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों और सभी संघ राज्य क्षत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, रेलवे पुलिस बल में उनके काम करने तथा रहन सहन की दशा के बारे में बढ़ रहे असंतोष की कोई रिपोर्ट नहीं है। अन्य राज्यों से अभी सूचना आनी है।

(ख) और (ग) पुलिस राज्य का विषय है और रेल्वे पुलिस बल राज्य पुलिस का एक भाग है। अतः रेलवे पुलिस बल के काम करने तथा रहन सहन की स्थिति में सुधार करने के लिये राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वयं और यदि आवश्यक हुआ तो रेलवे प्राधिकारियों के परामर्श से कदम उठाये जाते है।

दिल्ली में लघु उद्योगों की स्थापना हेतु इंजीनियरींग स्नातकों से आवेदन पत्र

2403. **श्री इसहाक सम्मली** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग निदेशालय, दिल्ली प्रशासन ने फरवरी, 1973 में दिल्ली के निवासी इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलाजी में डिग्री प्राप्त बेरोजगार इंजीनियरों से दिल्ली विकास अधिकार के विभिन्न औद्योगिक क्षत्रों में प्लाटों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र मांगे थे जिससे वे लघु उद्योग स्थापित कर सकें;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त आवेदनपत्रों का ब्यौरा क्या है और इनकी जांच किस प्रकार की गयी थीं; और

(ग) जिन इंजीनियरिंग स्नातकों की प्लाट आवंटित कर दिये गये हैं उनका ब्यौरा क्या तथा जिनकी अभी प्लाट आवंटित किय जाने हैं उनका ब्यौरा क्या है और उनकी प्लाट कब तक दे दिये जायेंगे?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आवंटित किये जाने वाले 38 प्लाटों के लिए 593 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इन आवेदन पत्रों पर दिल्ली प्रशासन कार्यवाही कर रहा है। कार्यवाही पूरी होने पर इनका विवरण जाना जा सकेगा।

हरियाणा की आटा मिलों की बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग

2404. **श्री इसहाक सम्मली** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त हरियाणा की आटा मिलों का ब्यौरा और उनकी क्षमता कितनी है;

(ख) इन में से कौन सी मिले पूरी मात्रा में गेहूं न मिलने के कारण अपनी पूरी क्षमता उपयोग नहीं कर पा रही है;

(ग) क्या इनमें से कुछ मिलों की अनुपयक्त पड़ी क्षमता के बावजूद वर्ष 1972 तथा 1973 (जून तक) हरियाणा में कुछ नई मिलों की स्थापना के लिये लाइसेन्स जारी किये गये है, यदि हां, तो उसके कारण और ब्यौरा क्या है; और

(घ) पहले से साइसेन्स प्राप्त तथा कार्यरत मिलों की पूरी क्षमता के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) एक सूची संलग्न है (अनुबन्ध 1) ।

(ख) रौलर फ्लोर मिलों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये कोटे में से गेहूं का आबंटन किया जाता है । पूरे परिणाम में आबंटन के अभाव में कोई भी मिल अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रही है ।

(ग) देश में गेहूं के बढे हुए उत्पादन का अनुमान लगाते हुए हरियाणा में 1972 तथा, 1973 में नये एककों की स्थापनाहेतु अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस देना वांछनीय समझा गया था ताकि आगामी वर्षों की मांगें पूरी की जा सकें । 1972 और 1973 में नये एककों की स्थापना के लिए दो लाइसेंस दिये गये है; संलग्न विवरण (अनुबन्ध 2) में ब्यौरा दिया गया है ।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित कोटे में से राज्य सरकारें व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, प्रपुन उपभोक्ताओं तथा रौलर मिलों आदि के लिए उसे बांटने के लिए स्वतंत्र हैं । जैसे ही गेहूं की सप्लाई स्थिति में सुधार होता है लाइसेंस प्राप्त क्षमताओं के अच्छे तथा और अधिक प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु सभी संभव प्रयास किए जायेंगे ।

विवरण I

एकक का नाम	क्षमता प्रतिमास
1. मै० अमर फ्लोर मिल्स, सीरसा . .	2250 मी० टन
2. मै० इम्पिरियल फ्लोर मिल्स, अम्बाला .	2134 ,,
3. मै० वेद लक्ष्मी फ्लोर और जनरल मिल्स . .	1941 ,,
4. मै० सेठ राम नारायण रोलर फ्लोर मिल्स, बहादुरगढ़	3000 ,,
5. मै० केपीटल फ्लोर मिल्स, फरीदाबाद . . .	2500 ,,
6. मै० आर० बी० बनारसी दास रौलर मिल्स, अम्बाला शहर .	3881 ,,

विवरण II

1. मै० अग्रवाल रोलर फ्लोर मिल्स, करनाल	प्रतिमास 2500 मीट्रिक टन औद्योगिक लाइसेंस 1972 में दिया गया ।
2. मै० हरयाणा रोलर फ्लोर मिल्स, तोहाना	प्रतिमास 2500 मीट्रिक टन औद्योगिक लाइसेंस जून 1973 में दिया गया । (सितम्बर 1972 का आशयपत्र परिवर्तित)

दिल्ली में फ्लोर मिल्स स्थापित करने के लिये इंजीनियरी स्नातकों से आवेदन पत्र

2405. श्री इसहाक सम्भली : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन बेरोजगार स्नातक इंजीनियरों से प्राप्त आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने वर्ष 1972 में दिल्ली में स्वचालित रोलर फ्लोर मिल्स स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिये जाने के लिये आवेदन पत्र भेजे थे और जिनकी सिफारिश तकनीकी विकास महानिदेशालय ने की थी;

(ख) इन आवेदन पत्रों पर किस प्रकार विचार किया गया था और इन बेरोजगार इंजीनियरों को लाइसेंस देने के लिये क्या कसौटी अपनाई गई है;

(ग) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिनकी अब तक लाइसेस दिये गये है और अन्य आवेदन पत्रों का निपटान कब तक किया जायेगा; और

(घ) दिल्ली में बेरोजगार इंजीनियरों को और अन्य लोगों को वर्ष 1972 में फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री के लिये जारी किये गये लाइसेंसों की कुल संख्या कितनी है और संबंधित पार्टियों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) 1972 में 30,000 टन के वार्षिक क्षमता वाली एक स्वचलित/रोलर फ्लोर मिल की स्थापना करने के लिए एक आवेदन पत्र दिल्ली के श्रीराम मिल्स का प्राप्त हुआ था जो बेरोजगार इंजीनियर बताए जाते है । तकनीकी विकास महानिदेशालय ने आवेदन पत्र की सिफारिश की थी तथा 16 अगस्त, 1972 को उन्हें एक आशय पत्र जारी कर दिया गया था ।

औद्योगिक लाइसेन्स हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर विहित कार्यप्रणाली के अनुसार कार्यवाही की जाती है तथा इन पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है ।

(घ) 1922 में गेहूं के उत्पादनों का निर्माण करने के लिए दिल्ली में नए प्रतिष्ठापनों की स्थापना हेतु तीन औद्योगिक लाइसेंस तथा एक आशय पत्र जारी किया गया था । इनका ब्यौरा बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1972 में दिल्ली में आटा मिल स्थापित करने हेतु जारी किए गए लाइसेन्स तथा आशय पत्र

लाइसेंस	लाइसेंस/ आशयपत्र की तारीख	क्षमता प्रतिवर्ष
1. श्री सत्यनारायण गुप्ता, नई दिल्ली (मे० शिव रोलर फ्लोर मिल)	24-7-72	30,000 मी० टन
2. श्री बी० डी० हन्सारिया, नई दिल्ली (मे० राजधानी रोलर फ्लौर मिल)	7-9-72	30,000 मी० टन
3. श्री ओम प्रकाश गुप्त, नई दिल्ली .	7-9-72	30,000 मी० टन
*आशय पत्र		
1. श्री रवी मितल, नई दिल्ली	16-8-72	30,000 मी०टन

* कहा जाता है कि ये बेरोजगार इंजीनियर है ।

CRP and BSF personnel posted in U.P.

2406. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Officers and Jawans of the Central Reserve Police and the Border Security Force working in Uttar Pradesh at present; and

(b) the monthly expenditure being incurred by Government on the personnel of the said Force?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) Central Reserve Police—33 Coys.

Border Security Force—16 Coys.

(b) **CRP:** Rs. 24,82,200/- (excluding running expenses of vehicles depending on mileage run which vary from month to month).

BSF: Rs. 10,94,400/- (excluding the charges for vehicles which are to be calculated on the basis of distance actually covered).

Deportation of Pakistan Nationals from Tripura State

2407. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3196 on 14th March, 1973 and state:

(a) whether the information in regard to parts (a) and (b) of the said Question has since been collected; and

(b) if so, the facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) and (b) No, Sir. The information is still awaited from the Government of Tripura.

अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों को स्थायी बनाना

2409. श्री प्रमुदास पटल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि ऐसे अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों को स्थायी बनाने पर विचार किया जायेगा जो गत दो वर्षों से इस्तमाल किय जा रह हैं;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में इस समय कुल अस्थायी कनेक्शनों की कोई सूची तैयार की गयी है; और

(ग) जिन लोगों ने टेलीफोन लगवाने के लिये आवेदन पत्र भेजे हैं उन सब को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) इस प्रकार का एक सुझाव सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है ।

(ख) यदि आवश्यक हुआ तो प्रत्येक सर्किल/जिले को यह सूची तैयार करने के लिए कहा जाएगा ।

(ग) (i) रायबरेली में एक दूसरी स्विचिंग फैक्ट्री स्थापित कर पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान देश में टेलीफोन उपस्करों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

(ii) टेलीफोन यंत्रों के संयोजन के लिए नैनी में एक दूसरी युनिट स्थापित की गई है।

(iii) जमींदोज के बुलों के निर्माण के लिए हैदराबाद में एक दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई है।

पांचवीं योजना के दौरान जो अतिरिक्त उपस्कर उपलब्ध होंगे उनसे आशा है कि पांचवीं योजना के अंत तक टेलीफोन कनेक्शनों की वर्तमान स्थिति में काफी सुधार होगा।

सरकारी नौकरी करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना

2410. **श्री अनन्त प्रसाद शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी नौकरी करने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों को अतिरिक्त वेतनवृद्धि देने के लिये अनुच्छेद जारी कर रही है जो स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 के अन्तर्गत पेंशन दि जाने के पात्र हैं परन्तु उनकी वार्षिक आय 5,000 रुपये से कम नहीं है;

(ख) क्या सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 के अन्तर्गत पेशन देने का निर्णय किया है जिनकी वर्तमान वार्षिक आय 5,000 रुपये से कम नहीं है परन्तु सेवा निवृत्ति होने पर जिनकी वार्षिक आय 5,000 रुपये से कम होगी; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को भी अनुदेश जारी किये जा रहे हैं कि राज्य सरका ों के कर्मचारियों भी इस प्रकार की रियायतें दी जायें ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) सभी पात्र स्वतंत्रता सेनानियों को इस बात का विचार किये बिना कि वे सरकारी सेवा (केन्द्रीय अथवा राज्य) में है या अन्य सेवा में, केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत की जाती है बशर्ते कि उनकी वार्षिक आय 5000 रुपये से कम हो। सेवा निवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारो स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिये आवेदन कर सकते है यदि उनकी कुल वार्षिक आय 5,000 रुपये स कम हो और अन्य प्रकार से वे पात्र हों।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में परमाणु खनिज संसाधन

2411. **श्री वयालार रवि** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज विभाग ने केरल के तटवर्ती क्षेत्रों स परमाणु खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं और इन खनिज संसाधनों का प्रयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा आन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु खनिज प्रभाग केरल के समुद्रतट के साथ-साथ तटवर्ती रेत में बहुमूल्य खनिजों का पता लगाने का काम कर रहा है तथा आजकल वह उन क्षेत्रों में विद्यमान खनिज भंडारों में खनिज की मात्रा का अनुमान लगा रहा है जो राज्य सरकार द्वारा मैसर्स केरल मिनरल्स एण्ड मैटल्स लिमिटेड को दिये गये है।

(ख) अब तक किये गये सर्वेक्षणों के आधार पर यह पता लगा है क्विलोन जिले में स्थित निदकाड़ा तथा कायामकुलम के बीच के क्षेत्र, जिसे चवारा कहा जाता है, में खनिज के भंडार सब से अधिक समृद्ध है। इन भंडारों के एक भाग के लिए खनन संबधी रियायत मैसर्स इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड को दी गई है जो परमाणु ऊर्जा विभाग का एक सरकारी उपक्रम है तथा एक अन्य भाग के लिए ऐसी ही रियायत केरल राज्य सरकार के एक उपक्रम मैसर्स केरल मिनरल्स एण्ड मैटल्स लिमिटेड को दी गई है।

रूस में हुए फिल्म समारोह मे शामिल करने के लिए मलयालम फिल्म 'स्वयंवरम' के चुने जाने के संबंध में कदाचार

2412. **श्री वयालार रवि** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रूस में हुए फिल्म समारोह में शामिल करने के लिए मलयालम फिल्म 'स्वयंवरम' के चुने जाने के संबंध में किये गये कदाचार के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) तथा (ख) जी, हां। माननीय सदस्य ही से केवल एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की समुचित रूप से जांच की गई थी। एक स्वतंत्र चयन पनल ने इस फिल्म को मास्को अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रवेश के लिए उपयुक्त ठहराया था। इस बारे में कोई अनियमितता नहीं थी। इस फिल्म को हाल ही में वर्ष 1972 की 'सर्वोत्तम फीचर फिल्म' का पुरस्कार प्रदान किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों की सम्पत्ति का विवरण

2413. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की अपने सम्पत्ति के विवरण में उन सभी वस्तुओं को दिखाना होता है जिनका मूल्य 1,000 रुपये से अधिक है;

(ख) क्या यह नियम अंग्रेजों की देन हैं; और

(ग) यदि नही तो, मूलत: नियम कब बनाया गया था तथा क्या रुपये के मूल्य में तेजी से आई गिरावट को देखते हुए सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि परिवर्तित स्थितियों के अनुरूप ही इस राशि को बढ़ा दिया जाए ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग मे राज्य-मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) से (ग) भ्रष्टाचार निरोध समिति (सन्थानम कमेटी) की सिफारिशों के अनुसरण में जारी किए गए केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18(1) के अन्तर्गत, जिन्हें दिनांक 30-11-1964 से लागू किया गया, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को परिसम्पत्ति तथा देयता सम्बन्धी विवरणी सरकार द्वारा निर्धारित किये गये एक फार्म में प्रस्तुत करनी पड़ती है। इस नियम के अनुसरण में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए एक फार्म निर्धारित किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को 1,000 रुपये से ऊपर की चल सम्पत्ति की मदें निर्दिष्ट करनी पड़ती थी। तथापि, सरकारी कर्मचारियों द्वारा परिसम्पत्ति तथा देयता संबंधी विवरणियां प्रस्तत करने सम्बन्धी सारे प्रश्न की समीक्षा किये जाने तक, इस विवरणी का प्रस्तुत किया जाना आस्थगित रखा गया है।

लेखन सामग्री का निर्माण करने हेतु मैसर्स कोरस इंडिया प्रायवेट लिमिटेड द्वारा आयातित वस्तुओ का उपयोग किया जाना

2414. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड अपने कारखानों में विभिन्न प्रकार की लेखन सामुग्री का निर्माण करने के लिये कौन-कौन सी आयातित वस्तुओं का उपयोग कर रही है ;

(ख) आयातित माल का प्रति क्विंटल उत्पादन अनुपात क्या है; और

(ग) आयातित कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं का प्रति क्विंटल मूल्य क्या है और उन पर होने वाले लाभ की प्रतिशत क्या है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) मैसर्स कोरस इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने कारखानों में विभिन्न लेखन-सामग्री का निर्माण करने में इस्तमाल की जा रही आयातित वस्तुएं तथा आयात का अंश नीचे दिया गया है :—

निर्माण की वस्तु	आयातित सामुग्री	आयातित अंश का प्रतिशत
1. डुप्लिकेटिंग स्टेन्सिल	1 स्टेन्सिल टिशू 2 नाइट्रोसेल्यूलोज 3 ओलील अलकोहोल 4 टिटेनियम डाई आक्साइड	11.63
2. कार्बन पेपर	1 कारबोनाइसिंग टिशू 2 मोम 3 रंग 4 कारबन ब्लेक	9.74
3. कंप्यूटर रिबन	1 नायलोन 14-1/16 चौड़े 2 ब्लक टोनर 3 ब्लैक ओलियट 4 स्पर्न आयल 5 कार्बन ब्लैक (विशेष किस्म का)	0.36
4. टाइपराइटर रिबने	कार्बन ब्लैक (1 विशेष किस्म का)	
5. डुप्लिकेटिंग इंक (बड़ी आकार की ट्यूबें)	कार्बन ब्लैक	1.2

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

पश्चिम बंगाल की रुग्ण मिलें चलानेके लिये राज्य कपडा निगम बनाने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार से ऋणो के लिये अनुरोध

2415. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें पश्चिम बंगाल की सभी बीमार मिलें चलाने के हेतू एकहाथ वस्त्र निगम बनाने के लिय तीन करोड़ रुपये की राशि का ऋण दिया जाये; और

(ख) यदि हां तो पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य में हाथ में ली गई वस्त्र मिलों के लिए अपने हिस्से के 49 प्रतिशत खर्चे की पूर्ति हेतु वर्ष 1972-72 के लिए 1 करोड़ तथा 1973-73 के लिए 2 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी थी । भतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय ने अनुमान लगाया था कि राज्य सरकार को 1971-72 में 80 लाख तथा 1972-73 में 180 लाख रुपये की जरूरत होगी । योजना आयोग ने वर्ष 1972-73 के लिए कुल 180 लाख रुपये की आबंटन स्वीकृत किया था । योजना आयोग ने वष 1973-74 के लिए 80 लाख रुपये का अग्रेतर आबंटन स्वीकृत किया है ।

उड़ीसा मे पुरातत्वीय वस्तुओं की चोरी की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

2416. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पुरातत्वीय वस्तुओं की चोरी के मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ख) इन चोरियों में किन लोगों का हाथ पाया गया?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) उड़ीसा में पुरातत्वीय वस्तुओं की चोरी के मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा कोई जांच नहो की गई है ।

तारापुर परमाणु बिजलीघर से गुजरात को बिजली की सप्लाई

2417. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या तारापुर परमाणु बिजलीघर से गुजरात को बिजली की सप्लाई बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने यह कहा है कि तारापुर परमाणु बिजली घर तब तक गुजरात को बिजली सप्लाई नहीं करेगा जब तक कि गुजरात को बिजली सप्लाई करने वाली लाइनों की रुकावटों के लिए जिम्मेदार कारणों का पता नहों चल जाता और राज्य की ट्रांसमिशन लाइनें पुरी तरह अवरोध रहित नहीं हो जाती ;

(ग) क्या स्थिति को ठीक करने के लिए उक्त मामले में केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । तथापि, गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड की ट्रांसमिशन लाइनों में जून 1973 में बार-बार खराबी होने तथा तारापुर परमाणु बिजलीघर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ने के कारण, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने गुजरात राज्य के विद्युत विभाग के मंत्री को पूर्व सूचना देने के बाद यह विचार व्यक्त किया था कि जब तक इन ट्रांसमिशन लाइनों की खराबी को दूर नही कर दिया जाता तब तक उनको बिजलीघर से जोड़े रखना बुद्धिमतापूर्ण कार्य नहीं है ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बड़ौदा में भारी पानी परियोजना की स्थापना

2418. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य के बड़ौड़ा में एक भारी पानी परियोजना बनाने का निर्णय किया है;

(ख) इस पर कुल कितना व्यय होगा ;

(ग) परियोजना कब स्थापित हो जायेगी;

(घ) क्या यह भारी पानी परियोजना प्रथम होगी और विश्व में सबसे बड़ी "अमोनिया हाइड्रोजन एक्सचेंज" परियोजना होगी; और

(ड) इसके लिए कितनी विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी तथा यह परियोजना देश के लिए किस हद तक सहायक होगी ?

प्रधान मंत्री, परामाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ड) बडौदा के भारी पानी संयंत्र का निर्माणकार्य चल रहा है तथा आशा है कि यह संयंत्र 1979 के मध्य तक उत्पादन करने लगेगा। इस संयंत्र पर कुल मिलाकर 1968.23 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसमें 1018.34 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा शामिल होगी, जिसका उपयोग प्रमुख उपकरणों के डिजाइन और उनकी सप्लाई के लिए तथा उपकरणों को लगाने और उन्हें चालू करने के लिए आवश्यक निरीक्षण व्यय किया जायगा। यह संयंत्र अमोनिया-हाइड्रोजन विनिमय प्रणाली पर निर्धारित होगा तथा पुरा हो जाने पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अपनी किस्म का संयंत्र होगा। इस सयंत्र में तयार होने वाला भारी पानी परमाणु बिजलीघरों में काम में लाया जायेगा तथा उस बहुमुल्य विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकेगी जो हमें अन्यथा भारी पानी का आयात विदेशी से करने पर खर्च करनी पड़ती है ।

जे० के० समुह द्वारा उड़ीसा में स्थापित उद्योग

2419. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जे० के० समूह द्वारा उड़ीसा में अब तक स्थापित उदयोगों के नाम क्या है और वे किस प्रकार के हैं; और

(ख) क्या उन्होंने उड़ीसा में किसी नये उद्योग को स्थापित करने के लिये अनुमति मांगी है?

औद्योगिक विकास एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) तथा (ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय में उपलब्ध सूचना के अनुसारे जे० के० सिहानिया समूह की एक कम्पनी के द्वारा 33,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला कागजीगत्ते बनाने का केवल एक कारखाना उड़ीसा में स्थापित किया है। इस समूह को कम्पनियों को जारी किए गए लाइसेंसों/आशय-पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों के निलंबित आवेदनों के दो विवरण संलग्न हैं। [**ग्रंथालय मे रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5352/73**]

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम) देहराडुन में वैज्ञानिकों की कमी

2420. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देहरादून स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में वैज्ञानिकों की कमी एक समस्या है. ;

(ख) क्या गत कुछ महीनों में लगभग बीस वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान को छोड़ दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्) :(क) भारतीय पैट्रोलियम संस्थान (आई० आई० पी०) में वैज्ञानिक कार्मिकों की कोई कमी की समस्या अनुभव नहीं की जा रही है ।

(ख) और (ग) गत 16 महीनों की अवधि में नौ वैज्ञानिकों ने अधिक अच्छे वेतन पाने के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में जाने के हेतु संस्थान को छोड़ दिया है ।

Breaking out of fire in drums containing phosphorus on Delhi-Uttar Pradesh Border

2421. Shri Shiv Kumar Shastri: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether some drums containing phosphorous recently caught fire on the Delhi-Uttar Pradesh border;

(b) if so, the reasons for not taking due precaution in respect of such a chemical and whether Government have taken any action in this regard; and

(c) whether some poisonous gas was produced due to this fire resulting in great inconvenience to the people?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) to (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली क्षेत्र में क्रास बार एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ाया जाना

2422. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या टेलीफोन विभाग ने दिल्ली क्षेत्र में सात क्रास बार एक्सचेंजों का दर्जा बढाने के लिए कोई द्रुत कार्यक्रम आरंभ किया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : दिल्ली क्षेत्र में ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज सहित छः क्रास बार टेलीफोन एक्सचेंज है । करोलबाग, जोरबाग, और जनपथ क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंजों का दर्जा बढाने के लिए एक द्रुत कार्यक्रम चलाया गया है । ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज में सुधार का कार्य भी आरंभ कर दिया गया है ।

बेरोजगारी संबंधी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिये अन्तर्मंत्रालय कार्यकारी दल का गठन

2423. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री सी जनार्दनन :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बेरोजगारी सम्बन्धी समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशो पर विचार करने के लिये एक अन्तर्मंत्रालय कार्यकारी दल गठित किया है; और

(ख) उपरोक्त दल अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग दो महीने में ।

विन्बर्ग एलन स्कूल मसूरी में प्रबंधकों द्वारा लोगों को जबरन ईसाई धर्म में लाया जाना

2424. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विन्बर्ग एलन स्कूल, मसूरी के प्रबंधक स्कूल में हिन्दु, सिक्ख और बुध्द धर्म के अल्पव्यस्कों को गिरीजाघर में प्रार्थना करने के लिये बच्चों को मजबूर करते है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन में से अनेक अल्प व्यस्क बच्चों को हाल ही में उनके माता पिता की मर्जी के खिलाफ ईसाई बनाया गया था; और

(ग) क्या विन्बर्ग एलन स्कूल के प्रबंधक प्रतिवर्ष कर अपवंचन करते रहे है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहीसन) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी नहीं, श्रीमन् ।

एक ईसाई धर्म प्रचारक की गतिविधियां

2425. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सी० एम० मैकमिलन, एक पंजीकृत ईसाई धर्म प्रचारक मसूरी में 'विन-बर्ग एलन स्कूल' नामक एक सुप्रसिद्ध पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल है,

(ख) क्या श्री मैकमिलन अपने विदेशों के दौरे के दौरान हमारी राष्ट्रीय सरकार और भारतीय जनता के विरुद्ध शरारतपूर्ण प्रचार करते रहे है;

(ग) क्या श्री मैकमिलन ने पहले आस्ट्रेलिया में एक प्रेस वक्तव्य देते समय भारतीय ईसाईयों को 'पोजीशन्स आफ लीडरशीप' (नेता पद) ग्रहण करने के अयोग्य बता कर उनका तिरस्कार किया था; और

(घ) यदि हां, तो उसकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) विनबर्ग एलन स्कूल, मसूरी के प्रधानाध्यापक श्री सी० एम० मैकमिलन है। जब वे 1968 में विदेश में थे तो उनके द्वारा दिए गये कथित वक्तव्यों के संबंध में एक गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई थी। वह पत्रिका जिसमें उन वक्तव्यों के छपने की बात कही गई है, अपेक्षाकृत कम बिकने वाली धार्मिक पत्रिका पाई गई। आरोपों की सत्यता की जांच करना संभव नहीं पाया गया था। किन्तु इस के बाद आस्ट्रेलिया में किसी महत्वपूर्ण पत्रिका अथवा समाचार पत्र के माध्यम से श्री मैकमिलन के विचारों का कोई वक्तव्य ध्यान में नहीं आया है ।

टेलीफोन उपकरणों का आयात

2426. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की बढती हुई मांग को पूरा करने के लिए टेलीफोन उपकरणों का आयात करने का उनके मंत्रालय का विचार है;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिन से टेलीफोन उपकरण आयात करने का विचार है और कितने उपकरण आयात किये जायेंगे, और

(ग) आयातित उपकरणों से पश्चिम बंगाल के पिछडे क्षेत्रों को किस हद तक लाभ होगा ?

4—20 LSS/73

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) विश्व के विभिन्न देशों से टेंडर मंगाने के बाद टेलीफोन उपस्कर आयात किए जाएंगे । कुल करीब 60,000 लाइनों की क्षमता के उपस्कर मंगाए जाएंगे।

(ग) ऐसे एक्सचेंज उपस्कर आयात करने का प्रस्ताव है, जो उन इलाकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य होंगे, जहां टेलीफोन कलेक्शनों की मांग बहुत ज्यादा होगी । अत: ये आयातित एक्सचेंज पिछडे इलाकों की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नहीं होंगे ।

Detection of unauthorised Telephone Calls at Pali (Rajasthan)

2427. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of cases detected in 1971 and 1972 in which trunk calls were made by private parties at Pali (Rajasthan) in collusion with Telephone Exchange Operators without requiring to pay for the calls; and

(b) the number of officials whose services have been terminated on this account and the number of officials against whom inquiries are still going on indicating the date from which these inquiries are going on?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No such cases were detected.

(b) Does not arise.

विविध भारतीय सेवा में नये कार्यक्रम शामिल करने तथा उसकी सेवा में सुधार करने सम्बंधी प्रस्ताव का फिल्म तथा शास्त्रीय संगीत पर प्रभाव

2428. श्री बीरेंद्र सिंह राव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विविध भारती सेवा में नये कार्यक्रम शामिल करने तथा उसकी सेवा में सुधार करने से फिल्म संगीत तथा शास्त्रीय संगीत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) इस बारे में वाणिज्यिक तथा गैर-वाणिज्यिक केन्द्रों को क्या कार्य सौंपने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) फिल्म संगीत की अवधि कम कर दी गई है और लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत की अवधि बढ़ा दी गई है ।

(ख) वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक दोनों प्रकार के विविध भारती के केन्द्रों को इस सम्बन्ध में अधिक कार्यक्रम उपलब्ध करने के लिए कह दिया गया है ।

सूरत, गुजरात में सीमेंट का नष्ट हो जाना

2429. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या जून, 1973 में अधिकारियों द्वारा नई वितरण व्यवस्था लागू किये जाने के परिणामस्वरूप सूरत में सीमेन्ट का भंडार जमा हो गया है;

(ख) क्या वर्षा के कारण बहुत सा सीमेन्ट नष्ट हो गया था ;

(ग) यदि हां, तो एक ही जिले में सीमेन्ट की कमी और अतिरिक्त भण्डार के क्या कारण थे और इस प्रकार के कुपबन्द के लिये कौन जिम्मेदार है जिसके कारण गुजरात राज्य को भारी हानि हुई है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले की जाँच की है और इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूध्द कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं । केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) जी, नहीं । केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी में वृद्धि

2430. श्री देवेंद्र सिंह गरचा :

श्री मनोरंजन हाजरा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है और अब 72,70,000 है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका कारण यह है कि श्रमिकों की और पढ़े-लिखे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि के मुकाबले में रोज़गार के अवसर बहुत कम पैदा हो रहे है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) चौथी योजना के प्रारम्भ में देश में बेरोज़गार व्यक्तियों का अनुमान 34.20 लाख लगाया गया था । 31 दिसम्बर, 1972 को रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत रोज़गार तलाश करने वालों की संख्या 68,95,089थी । किन्तु चालू राजिस्टरों में दर्ज आंकड़ों की परीक्षा उनकी स्वीकृत परिसीमाओं के संदर्भ में करनी होगी । जैसा कि बेरोज़गारी से संबंधित समिति ने भी अपनी सिफारिशों में कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत कुछ व्यक्ति बेरोज़गार हों । दूसरी ओर, ऐसे भी बहुत से व्यक्ति है जो बेरोज़गार है किन्तु उन्होंने अपने नाम रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत नहीं कराए है । कई जगह पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या भी पर्याप्त है ।

(ख) किसी भी देश में रोज़गार के अवसरों पर वृद्धि आर्थिक विकास और विकास दर की क्रिया से सम्बद्ध होती है । गत 15 वर्षों में विकास की दर अपर्याप्त रही है । जैसा कि दृष्टिकोण पत्र में बताया गया था, आयोजन के प्रथम दशक अर्थात् 1951-60 में विकास की दर केवल 3.8 प्रतिशत रही और दूसरे दशक में केवल 3.7 प्रतिशत ही रही । कृषि क्षेत्र जो चौथी योजना के प्रथम दो वर्षों में संतोषजनक रहा था, उसको तीसरे वर्ष में आघात पहुंचा । जैसा कि दृष्टिकोण प्रपत्र में बताया गया था प्रतिकूल जलवायु के कारण 1971-72 में उत्पादन में और कमी आने की संभावना है । औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर योजना में परिकल्पित की गई 8 से 10 प्रतिशत की दर से काफी धीमी रही है । बेरोज़गारी से सम्बंधित समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा है कि 1966 में स्थिति में तेजी से गिरावट आई । रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि स्थिति 1967 में भी विशेष आशाप्रद नहीं थी । 1968 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में कुछ सुधार नज़र आया और गत वष की अपेक्षा 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह प्रवृत्ति 1969 में भी कायम रही । इस वर्ष वृद्धि 7.1 प्रतिशत हुई थी । किन्तू 1970 में विकास की दर घटकर केवल 4.8 और 1971 में 3 प्रतिशत ही रह गई । 1972 के दौरान स्थिति में हलका का सुधार हुआ, किन्तु फिर भी यह 8 प्रतिशत की वांछित दर से काफी नीचे ही रही । सरकार को स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान है, और समस्या का सामना करने के लए दृष्टिकोण पत्र में स्पष्ट को गई, विकास तथा रोज़गार निर्माण की नीति को अपनाया जाएग ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के सामा न योजना कार्यक्रमों के अतिरिक्त जिनके द्वारा अधिकांश बेरोज़गार व्यक्तियों को रोज़गार उपलब्ध हुआ, भारत सरकार ने 1971-72 से कई विशेष रोजगार कार्यक्रम आरम्भ किए थे । उनका विवरण नीचे दिया गया है :–

(1) 1971-72 में शुरू किया गया शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों से संबंधित कार्यक्रम और 1972-73 में केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किया गया उच्च योग्यता प्राप्त इंजीनियरों, प्रौद्योगिकविदों तथा वैज्ञानिकों से संबंधित कार्यक्रम : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को 9.81 करोड़ रुपये दिए गए जिससे अधिकांशत: शिक्षित व्यक्तियों के लिए लगभग 45,000 रोज़गार के अवसर सुलभ हुए। शिक्षित बेरोजगारो तथा उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियरों,शिल्प वैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए 1972-73 में 63 करोड़ रुपये की केन्द्रीय बजट व्यवस्था की गई। इसमें 43 करोड़ रुपये शिक्षित बेरोज़गारों तथा 20 करोड़ रुपये इंजीनियरों, शिल्प वैज्ञानिकों तथा वैज्ञानिकों के लिए थे। इसकी तुलना में राज्यों को वास्तविक रूप में 7.13 करोड रूपये अबांटित किए गए जिससे सम्बन्धित वर्ष के दौरान मुख्य रूप से शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार के लगभग 64,000 अवसर और सुलभ हुए। इन कायक्रमों के लिए 1973-74 में भी 1972-73 के बराबर ही व्यय व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) प्राथमिक शिक्षा का विस्तार तथा कोटि सुधार।

(2) लघु उद्योग स्थापित करने के लिए छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता।

(3) ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण।

(4) कृषि-सेवा केन्द्रों की स्थापना।

(5) उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का विस्तार।

(6) सड़क परियोजनाओं की जांच।

(7) ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए डिजाइन यूनिट।

(8) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की जांच।

(9) प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण, भूमि तथा मिट्टी का सर्वेक्षण, भूमिगत जल संसाधन, वन संसाधन तथा खनिज संसाधन।

2. राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में विशेष रोजगार कार्यक्रम

1972-73 में विभिन्न राज्य सरकारों को 26.50 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। यह राशि इस विश्वास पर आबंटित की गई कि विशेष रोजगार कार्यक्रम तैयार करने के लिए राज्य सरकारें भी इतनी ही राशि के अतिरिक्त संसाधन जुटायेंगी। संघ शासित क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए 0.50 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। यह अनुमान लगाया गया है कि 1972-73 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 70,000 शिक्षितों सहित लगभग 3.70 लाख व्यक्तियों को और रोजगार सुलभ हुआ। 1973-74 में इस कार्यक्रम के लिए इतना ही आबंटन किया गया है।

3. शिक्षित बेरोजगारों के लिये पांच लाख रोजगार अवसर सुलभ करने का कार्यक्रम —1973 74 :—

जैसा कि ऊपर बताया गया है बेरोजगारो की समस्या को हल करने के लिए किए गए उपायों के बावजूद यह महसूस किया गया कि बेरोजगारो की समस्या अधिकाधिक गम्भीर होती जा रही है, विशेषकर शिक्षित व्यक्तियों के मामले में, अत: शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर सुलभ करने के लिए एक विशेष रोजगार कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय किया गया। 1973-74 में भारत सरकार ने कुल 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था से पांच लाख रोजगार अवसर सुलभ करने के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों से कहा गया है कि वे आबंटित अधिकतम राशि के अन्तर्गत स्कीमें तयार करें और उनका कार्यान्वयन करें। इन स्कीमों का लक्ष्य एक निश्चित संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ करना हो। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव योजना आयोग द्वारा कार्यान्वयन के लिए स्वीकार किए जा चुके हैं।

4. ग्राम रोजगार के लिये त्वरित स्कीम :—

यह स्कीम 1971–72 में आरम्भ की गई। इसका उद्देश्य देश में प्रत्येक जिले में वर्ष में 10 महीने के कामकाज के मौसम में लगातार औसतन 1,000 व्यक्तियों को रोजगार देना था। 1971-72 में 31.22 करोड़ रुपये व्यय हुए जिससे 8 करोड़ श्रम दिनों का रोजगार उपलब्ध हुआ। 1972–73 में विभिन्न राज्यों द्वारा कुल 47.11 करोड़ रुपये व्यय किए गए जिससे 1303.52 लाख श्रम दिनो का रोजगार सर्जित हुआ। 1973–74 में इस स्कोम के लिए 50 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय रखा गया है।

5. छोटे कृषकों, सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों के लिये कार्यक्रम :—

यह स्कीम 1969–70 में चलाई गई थी। इस स्कोम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित क्रम रोजगार के अनुकुल छोटे कृषकों, सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिको के आधारभूत सुविधाओं के आधार का उपयुक्त सुदृढ़ीकरण करके कमजोर ग्रामीण वर्गों का आर्थिक विकास करना है। दिसम्बर 1972 तक लगभग 30 लाख लाभभोगियों का पता लगाया गया। इनमें से लगभग 13 लाख को सहकारी समितियों का सदस्य बनाया गया। 1972–73 के अन्त तक 17.32 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। 1973–74 के लिए इस कार्यक्रम के लिए 20.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

6. सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम :—

इस स्कीम का उद्देश्य कम संसाधन वाले कतिपय कमजोर क्षेत्रों का आर्थिक विकास करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य मध्यम/लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, वनरोपण तथा सड़कों का निर्माण जैसे उत्पादन तथा श्रम सघन कार्यक्रम तैयार करके कमी की परिस्थितियों की कठोरता को कम करना कार्यक्रम का उद्देश्य है। 1970-71 तथा 1971–72 के दौरान कुल 30.80 करोड़ रुपये व्यय किए गये जिसके परिणामस्वरुप लगभग 47 लाख श्रम दिनों के लिए रोजगार सुलभ किया गया। 1972-73 के दौरान राज्य सरकारों ने 38.51 करोड़ रुपये के व्यय की सूचना दी जिससे 400 लाख श्रम दिनों के लिए रोज़गार सुलभ किया गया। 1973-74 में इस कार्यक्रम के लिए 22.00 करोड़ रूपये के आवंटन की व्यवस्था की गई है।

जैसा कि दृष्टिकोण दस्तावेज में दर्शाया गया है, पांचवी योजना में रोज़गार परक स्कीमें इस प्रकार तैयार की जायेंगी कि उससे स्थायी उत्पादनशील परिसम्पत्तियां अधिक से अधिक मात्रा में सर्जित होंगी और उससे स्कीमों का रोज़गार परक तत्व भी बना रहेगा।

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिये गुजरात को सहायता

2431. श्री राम प्रकाश :

श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात राज्य सरकार को राज्य में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए 3.50 करोड़ रुपये की सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए अन्य राज्यों को कितनी सहायता दी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) गुजरात राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि 3.5 करोड़ रुपये की व्यय सीमा के अन्दर शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार सुलभ करने के लिए पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कीम तैयार करे। यह राशि उसे 2.23 करोड़ रुपये की राशि के अलावा है जो कि 1971–72 में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के स्कीमों को चालू रखने के लिए आबंटित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को विशेष रोजगार कार्यक्रमों, जो कि शिक्षित तथा अन्य दोनों प्रकार के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, 1.31 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के लिए जहां 3.5 करोड़ रुपये की अस्थायी अधिकतम राशि राज्य सरकार को आबंटित की गई है, वहां राज्य सरकार से अब तक 3.07 करोड़ रुपये की राशि की स्कीम प्राप्त हो चुकी हैं और उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(ख) विभिन्न राज्यों के लिए रखे गये आबंटन या अधिकतमनिर्धारित सीमा दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5353/73**]

पश्चिम बंगाल में सीमेंट की कमी

2432. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में इस वर्ष जनवरी से सीमेंट की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों की सीमेंट की औसत वार्षिक मांग कितनी है और उन्हें वास्तव में सीमेंट का कितना कोटा दिया गया है ; और

(ग) सीमेंट का समान वितरण सुनिश्चित करने और इस पदार्थ में चल रही बड़े पैमाने पर चोरबाजारी रोकने के लिये क्या कायवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) सम्पूर्ण देश में सीमेंट की कमी होने के फलस्वरुप प० बंगाल राज्य में भी सीमट की कुछ कमी है।

(ख) राज्य सरकार के अनुसार वार्षिक मांग 1 लाख मी० टन है। 1972 में उक्त राज्य को 10.08 लाख मी० टन की आपूर्ति की गई थी तथा 1973 के पूर्वार्ध में 4.82 लाख मि० टन सीमेंट की आपूर्ति की गई।

(ग) उपलब्ध सीमेंट का समान वितरण करने के लिये प्रत्येक राज्य को जुलाई 1973 से जून, 1974 की अवधि के लिए उनके पिछले पांच वर्षों की खपत के आधार पर कोटा निर्धारित किया गया है तथा उन्हें राज्य सरकार की सिफारिश के अनुसार आबन्टन किया जाता है। राज्य सरकारों से यह इस बात का सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं की आवश्यकता को पूर्णरुप में पूरा किया जाता है। प० बंगाल सरकार के लिए अतिरिक्त कोटा देने पर सहमति दे दी गई है। राज्य सरकार को सीमेंट की खुदरा बिक्री की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिये पश्चिम बंगाल की योजना

2433. श्री समर गुह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिय योजनाएं बनाई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान सरकार ने अब कितने लोगों को रोजगार दिया है और रोजगार परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से पश्चिम बंगाल सरकार 1971–72 से शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कुछ स्कीमों का कार्यान्वयन करते आ रही है। ये स्कीमें 1972–73 में जारी रहीं और चालू वर्ष में भी जारी रखी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त 1973–74 में पांच लाख रोजगार अवसरों का एक कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों ने 1.26 लाख शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सुलभ करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

(ख) उपलब्ध आधुनिकतम सूचना के अनुसार 1971-72 तथा 1972-73 में लगभग 1.22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। इन व्यक्तियों में लगभग 15,000 शिक्षित व्यक्ति हैं। यह अनुमान है कि 1973–74 में विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत लगभग 2.48 लाख रोजगार अवसर सुलभ हो जायेंगे।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस समय कार्यान्वयन की जा रही विभिन्न रोजगार स्कीमों की मोटे तौर पर रूपरेखा निम्नांकित है :—

(1) स्वनियोजन कार्यक्रम जिसके लिए सरकार उपान्त वनामूल पूंजी, प्रशिक्षण सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं के रूप में उद्यमियों को सहायता देगी।

(2) शिक्षा, पार्श्व–चिकित्सा सेवा, कृषि विस्तार, सहकार आदि क्षेत्रों में लोगों को तैयार करने की दृष्टि से छात्रवृत्ति के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम ताकि वे लोग आदि इस योग्य हो सके कि पांचवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता, कृषि विकास, सहकारी क्षेत्र के विस्तार आदि से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 1974-75 सुलभ होन वाले पदों पर लग सकें।

(3) इंजानियरों, डिप्लोमा धारियों तथा तकनीकी योग्यता वाले अन्य व्यक्तियों और समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र के नियोजकों तथा सहकारी समितियों को प्रोत्साहन।

रोजगार के अवसर बनाने के लिये राज्यों को धन का आबंटन

2434. श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1973-74 में रोजगार के अवसर बनाने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी धनराशि दी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : निम्नलिखित सारिणी में केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को 1973-74 के दौरान रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिये आवंटित की गई राशि दिखाई गई है :

(रुपये करोंड़ो में)

क्रम सं०	राज्य/संघीय क्षेत्र	ग्रामीण रोज़गार से संबंधित त्वरित स्कीम	राज्यों और संघीय क्षेत्रों में विशेष रोज़गार स्कीमें (केन्द्रीय सहायता)	1971-72 में शुरू की गई शिक्षित बेरोज़गारों से संबंधित स्कीमों को जारी रखना	अधिक तम सीमा जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों से पांच लाख रोज़गार कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर स्कीमें बनाने का अनुरोध किया गया है	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
	राज्य :					
1	आन्ध्र प्रदेश .	3.14	2.13	3.01	6.00	14.28
2	असम .	1.15	0.72	2.35	1.50	5.72
3	बिहार .	4.53	2.75	6.88	8.50	22.66
4	गुजरात .	2.33	1.31	2.28	3.50	9.42
5	हरियाणा .	0.87	0.49	1.64	1.75	4.75
6	हिमाचल प्रदेश	1.20	0.17	1.62	0.60	3.59
7	जम्मू और कश्मीर	1.15	0.23	1.56	0.75	3.69
8	केरल .	1.54	1.04	2.51	7.00	12.09
9	मध्य प्रदेश .	5.33	2.04	5.73	5.30	18.40
10	महाराष्ट्र .	8.20	2.47	2.86	8.00	16.53
11	मणिपुर	0.27	0.05	0.10	0.40	0.82
12	मेघालय .	0.25	0.05	0.24	0.20	0.74
13	मैसूर .	2.33	1.43	2.55	5.00	11.31
14	नागालैण्ड .	0.29	0.03	0.28	0.12	0.72
15	उड़ीसा .	1.78	1.08	3.04	2.80	8.70
16	पंजाब .	1.37	0.66	1.47	2.20	5.70
17	राजस्थान .	3.20	1.26	4.36	3.25	12.07
18	तमिलनाडु .	2.61	2.01	2.88	6.50	14.00
19	त्रिपुरा .	0.25	0.08	0.14	0.40	0.87
20	उत्तर प्रदेश .	6.74	4.32	8.35	11.00	30.41
21	पश्चिम बंगाल	2.94	2.18	5.65	15.00	25.77

1	2	3	4	5	6	7
	संघीय क्षेत्र :					
22	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	0.04	0.01	0.04	0.03	0.12
23	अरुणाचल प्रदेश	0.29	0.03	0.22	0.06	0.60
24	चण्डीगड .	0.07	0.02	0.06	0.25	0.40
25	दादरा और नगर हवेली	0.07	0.01	0.01	0.01	0.10
26	दिल्ली .	0.10	0.30	0.84	2.50	3.74
27	गोवा, दमण और दिवू	0.13	0.06	0.26	0.20	0.65
28	लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह	0.04	0.01	0.01	0.01	0.07
29	मिजोराम .	0.10	0.02	0.02	0.06	0.20
30	पांडिचेरी .	0.15	0.04	0.20	0.14	0.53
	जोड़ .	47.46	27.00	61.16	93.03	228.65

टिप्पणी :— राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वे विशेष रोजगार कार्यक्रम (उपर्युक्त कालम 4) के लिए समान मात्रा में अंशदान करें।

सरकारी और गैर-सरकारी संयंत्रों में उत्पादन और अधिष्ठापित क्षमता

2435. श्री ज्योतिर्मय बसू : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार, गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के मुख्य संयंत्रों में अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी और वास्तव में कितना उत्पादन हुआ हैं ; और

(ख) क्या वर्तमान अप्रयुक्त क्षमताओं का एक मुख्य कारण इन संयंत्रों में कुप्रबन्ध हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) यद्यपि उद्योग-वार प्रतिष्ठापित क्षमता तत्काल उपलब्ध नहीं है, फिर भी, बुने चुने उद्योगों में वर्ष 1970-71 व 72 के दौरान हुए उत्पादन का एक विवरण संलग्न किया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5354/73**] ।

(ख) अप्रयुक्त क्षमता/उत्पादन में गिरावट के कारणों में से कुछ कारण ये हैं :—

1. बिजली की कटौतियां ;
2. अशांतिपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध ;
3 माँग की कमी ;
4 कोयला और वैगनों का अभाव ; और
5. कच्चे माल की कमी।

उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये आबंटन

3436. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने उत्तर प्रदेश में शिक्षित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण एवं स्वयं-रोजगार अवसरों की व्यवस्था करने के लिए कुछ राशि स्वीकृत की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकृत की गई है और इस योजना से कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा ; और

(ग) इस कार्यक्रम की 'क्रेश' कार्यक्रम के रूप में क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) केवल शिक्षित बेरोजगारों की स्कीमों के लिए चालू वर्ष में राज्य सरकार को निम्नांकित राशियां आवंटित की गई हैं :—

(1) 1971-72 में आरम्भ की गई स्कीमों को जारी रखने के लिए	8.35 करोड़ रुपये
(2) पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार जिस अधिकतम सीमा के अन्दर स्कीमों को कार्यान्वित कर सकती है।	11.00 करोड़ रुपये

इसके अलावा, विशेष रोजगार कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत शिक्षित तथा अन्य दोनों प्रकार के लोग आ जाते है, के लिए राज्य सरकार को 4.32 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। 50 से 60 हजार शिक्षित लोगों को लाभप्रद रोजगार सुलभ करने के उद्देश्य से जहां 11.00 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा रखी गई थी वहां अब तक लगभग 57,000 लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से राज्य सरकार से 6.22 करोड पये की राशि की स्कीमें प्राप्त हो चुकी हैं और उन्हें स्वीकार कर लिया गया है।

(ग) रोजगार स्कीमों के कार्यान्वियन का समन्वय तथा प्रबोधन के लिए राज्य आयोजन विभाग में एक विशेष एकांश की स्थापना की गई है। राज्य सरकार को यह भी सलाह दी गई कि स्कीमों के कार्यान्वयन की निरन्तर समीक्षा तथा प्रबोधन करने के लिए उसे जिला समन्वय समितियों की स्थापना करनी चाहिए। इसके अलावा, तिमाही मुक्त की जाने वाली केन्द्रीय सहायता भी, सभी प्रकार से स्कीमों के संतोषप्रद कार्यान्वयन पर निर्भर करती है।

ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना

2437. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की जिलावार विकेन्द्रित योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों से सम्बन्धित रोजगार स्कीमों को इस प्रकार से तैयार किया जाए कि उनका लाभ राज्य के सभी क्षेत्रों ग्रामीण तथा शहरी, का हो। जहां तक सम्भव हो ऐसी स्कीमें जिलावार तैयार की जाय इसके लिए सभी राज्यों को स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त भेज दिए गए हैं। उपर्युक्त आधार पर राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई स्कीमों को तथा निष्पादनाधीन स्कीमों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है :—

(1) स्वरोजगार कार्यक्रम जिनके लिए सरकार उद्यमियों को उपांत धन/मूल पुंजी, प्रशिक्षण की सुविधा और आधारभूत सामग्री की सुविधा के रूप में सहायता प्रदान कर ी है।

(2) शिक्षा, पार्श्वचिकित्सा सेवा, कृषि विस्तार, सहकारिता, आदि के क्षेत्रों में नौजवानों को तैयार करने के लिए वजीफा देकर प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम, ताकि व पांचवी योजना के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे न्यनतम आवश्यकताएं, कृषि विकास, सहकारिता क्षेत्र का विस्तार आदि, के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप 1974-75 में उपलब्ध होने वाले नियमित रोजगारों को अपनाने के लिए अपने आपको तैयार कर सक।

(3) निजी क्षेत्र और सलाहकारिता क्षेत्र के मालिकों को प्रोत्साहन देना कि वे इंजीनियरों, डिप्लोमाधारियों और अन्य तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों स सम्बन्धित व्यक्तियों को अपने यहां रोजगार दें।

सरकार द्वारा नियंत्रण में ली गई कपड़ा मिलों के लिये होल्डिंग कंपनी का गठन

2438. **श्री वसंत साठे :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :

या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में की गई कपड़ा मिलों के दक्ष प्रबन्ध के लिये एक होल्डिंग कम्पनी बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई कपड़ा मिलों के प्रबन्ध के भावी रूप (पेटर्न) का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये चालू वर्ष के परिव्यय में कमी

2439. **श्री वसंत साठे** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर पिछले तथा सूखाग्रस्त क्षत्रों/गांव के कमजोर वर्गों की स्थिति में सुधार करने के लिए बताई गई केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए चालू वर्ष के लिए निर्धारित परिव्यय में अत्याधिक कटौती की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजनावार कितनी-कितनी कटौती की गई है तथा इसका औचित्य क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Disparity in Incomes of Punjab and Bihar

2440. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri Jagannath Mishra :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether there is a great disparity in the incomes of Punjab and Bihar;

(b) if so, the percentage by which the income of Bihar is less than that of Punjab; and

(c) the reasons therefor and the efforts being made by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) and (b) On the basis of data compiled by the States Statistical Bureaus, the per capita income for Bihar was Rs. 402 in 1968-69 and Rs. 945 for Punjab in 1969-70 at current prices. However, the estimates of per capita income furnished by the States are not strictly comparable because of the use of different concepts, methodology, source, material and base year.

(c) The reasons for the disparities in incomes are due to multiplicity of factors such as socio-cultural characteristics of population, historical background, development of infrastructure, resource endowment etc. The programmes and schemes for removal of backwardness of Bihar will be incorporated in the Fifith Five Year Plan which is presently under formulation. The Approach to the reduction of regional disparities has been spelt out in the Approach to the Fifth Five Year Plan which has already been laid on the Table of the House.

1973-74 में घाटे को बजट को सीमित रखने हेतु चालू वर्ष के योजना कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन

2441. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973-74 में बजट के घाटे को सीमित रखने के लिए चालू वर्ष के योजना कार्यक्रमों का विस्तृत पुनर्विलोकन इस समय योजना आयोग द्वारा किया जा रहा है ;

(ख) क्या पांचवो पंच वर्षीय योजना की स्कीमों में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु बजट में जो 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी उसके सेक्टोरल आवंटन को अन्तिम रूप देने में योजना आयोग में विलम्ब हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेशम की सुधरी हुई किस्म के उत्पादन संबंधी मैसूर तकनीकी को रेशम का उत्पादन करने वाले अन्य क्षेत्रों में लागू करना

2442. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय मैसूर कम कीमत पर रेशम की सुधरी हुई किस्म का उत्पादन कर रहा हैं ;

(ख) क्या कम लागत तथा सुधरी हुई किस्म से आकर्षित होकर जापान जैसे देश मैसूर का रेशम खरीद रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या देश में रेशम का उत्पादन करने वाले अन्य राज्यों अथवा क्षेत्रों में मैसूर तकनीक को लागू करने की दृष्टि से सरकार ने मैसूर तकनीक की जांच की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है, सभा पटल पर रख दी जायगी ।

सीमेंट का आयात

2443. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री सीमेन्ट के उत्पादन के संबंध में 25 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 528 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेन्ट का वर्तमान उत्पादन उसकी मांगों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं ;

(ख) क्या सरकार ने सुगम मुढ़ा क्षेत्रों से सीमेन्ट के आयात के औचित्य पर विचार किया है ताकि छोटे उपभोक्ताओं की मांगों की पुर्ति हो सके जिनका कि इस समय चोर बाजारी करने वालों द्वारा शोषण किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना सीमेन्ट आयात किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) सीमेंट की वर्तमान कमी मुख्यत: बिजली कटौती के ही कारण है चूंकि अब बिजली की कमी समाप्त होती जा रही है अत: उत्पादन के बढ़ जाने की आशा है तथा सीमेंट के आयात की आवश्यक नहीं समझी जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एक्सचेंज परमिट घोटाले का पता लगाना

2444. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जुलाई, 1973 में किसी एक्सचेंज परमिट घोटाले का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना धन अंतर्गत है और सरकार ने ऐसे घोटालों को दबाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जुलाई, 1973 के दौरान किसी भी एक्सचेंज परमिट घोटाले का पता नहीं लगाया गया है। फिर भी, ऐसे कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं, जहां मिथ्या परमिटों के आधार पर विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले की छानबीन की जा रही है और इस स्थिति में इस मामले के विषय में अन्य ब्यौरे देना लोक हित में उचित नहीं है। इस बीच में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को एक्सचेंज परमिट जारी करने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाया हैं।

त्रिपुरा को सीमेंट की सप्लाई

2445. श्री दशरथ देव : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा सरकार ने वर्ष 1973-74 के लिये केन्द्र से मासिक आवश्यकताओं के लिये कुल कितने सीमेन्ट की मांग की हैं ;

(ख) अभी तक त्रिपुरा को कुल कितना सीमेन्ट दिया गया है ; और

(ग) कमी को पूरा करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही हैं, तो वह क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जुलाई, 1973 से जून, 1974 की अवधि के लिए 5400 मी० टन प्रति मास ।

(ख) 1968 से त्रिपुरा राज्य को दिये गये सीमेंट का परिमाण निम्नप्रकार है :--

वर्ष	मी० टन
1968	12,000
1969	12,000
1970	16,000
1971	6,000
1972 . . .	17,000
1973 (जनवरी से जून)	9,386

(ग) उपलब्ध सीमेंट को समान रूप से बांटने के लिए, राज्यों की पिछले पांच वर्षों की खपत के आधार पर जुलाई 1973 से जुन 1974 की अवधि के लिए प्रत्यक राज्य को कोटा निर्धारित किया गया है। पहले त्रिपुरा राज्य के लिए 13,000 मी० टन का कोटा निर्धारित किया गया था परन्तु मई 1973 में बाढ़ों के परिणामस्वरूप निर्माण कार्यों की आवश्यकता को विचार में रखते हुए जुलाई 1973 से जून 1974 की अवधि के लिए उनके कोटे को बढ़ाकर 25,000 मी० टन कर दिया गया है।

अनुसूचित जातियों को वास भूमि का अधिकार

2446. **श्री मधु लिमये** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 1971-73 के बीच अनुसूचित जातियों के कितने लोगों को अपनी वास भूमि (बसगीत जमीन) का अधिकार दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय के समाचार मिले हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभुत्वशाली लोगों ने हरिजनों की बास भूमि को हड़पने के प्रयास किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस भूमि को मुक्त कराने तथा उसे वापस हरिजनों को दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्रित की जा रही है और इस संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

अनुसूचित जातियों एवं अनसूचित जनजातियों के लिये छात्रवृत्तियों की राशि में वृद्धि

2447. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के आयुक्त ने देश में बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जन जातियों के छात्रों के लिय छात्रवृत्तियों की राशियों में वृद्धि करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) साधनों तथा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए मामले में अभी निर्णय किया जाना है।

राज्यों में वचनबद्ध श्रम पद्धति

2448. **श्रीमती विमा घोष :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कई राज्यों में प्रचलित वचनबद्ध श्रम पद्धति को और दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) जी हां श्रीमान्। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त ने 1970-71 वर्ष की अपनी 20 वीं रिपोर्ट में लिखा है कि "वचनबद्ध श्रम पद्धति" जो भिन्नभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न नामों से ज्ञात है अभी भी अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्यमान है। इस पद्धति की मुख्य रूप रेखा पर उपरोक्त रिपोर्ट में जो 11 मई, 1973 को सभा पटल पर रखी गई थी विस्तार से विचार किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछडे लोगों में सामान्य जाग्रति के कारण दासता के काम की प्रथा शनै शनै समाप्त हो रही है। इस प्रश्न के प्रचलित र ने के प्राथमिक कारण लोगों का आर्थिक पिछडापन है जो उन्हें साहुकारों पर आश्रित रहने के लिए बाध्य करता है और अज्ञानता है जो इस आश्रितता को बनाये हुए है।

यह मामला सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के ध्यान में इस वर्ष के प्रारंभ में लाया गया था और इस पद्धति को समाप्त करने के लिए शीघ्र कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था ।

पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून मे वैज्ञानिकों की कमी

2449. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या पैट्रोलियम संस्थान (इन्स्टट्यिूट आफ पेट्रोलियम) देहरादून में वैज्ञानिकों की कमी होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम्) : (क) भारतीय पैट्रोलियम संस्थान (आई० आई० पी०) वैज्ञानिक कार्मिकों की कमी को समस्या का कोई अनुभव नही कर रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में सरकारी सेवा में प्रवेश के लिये आयु सीमा

2450. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उडीसा सरकार ने हाल ही में राज्य सेवाओं में प्रवेश के लिए आयु सीम को 25 वर्ष से 28 वर्ष बढाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां तो केन्द्रीय सरकार की उस पर प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे यथा शीघ्र सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

Proposal to ban Institutions Indulged in Film Training and Training in Art of Acting Schools

2451. Shri Dhan Shah Pradhan: Will the Minister of **Information & Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government are aware about the functioning of many institutions in Bombay and other big cities in the name of Film Training and Training in Art of Acting Schools where boys and girls are exploited;

(b) whether instances of young boys and girls exploited for immoral purposes have come to the notice of Government; and

(c) if so, the steps taken by Government to ban such institutions by Law?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) & (b) While it is a fact that some private institutions have been set up for film training, no instance of young girls and boys being exploited by such institutions has come to our notice.

(c) Does not arise.

Communal riots in Ahmedabad

2452. Shri Dhan Shah Pradhan:
Shri B. N. Reddy:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether communal riots had broken out in Ahmedabad during July, 1973;

(b) the extend of loss of life and property suffered as a result of communal riots;

(c) whether Government have made an enquiry in this regard; and

(d) if so, the findings thereof and the steps taken by Government to check such incidents in future?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) to (d) According to information received from the Government of Gujarat, the bandh called in Ahmedabad on 14th July, 1973, was unsuccessful and there was some relaxation in the security arrangements at night. Trouble arose late at night when some anti-social elements indulged in looting and arson. Some stray incidents of violence occurred on 15th and 16th July also. Prompt action was taken by the local authorities, including resort to firing and imposition of curfew, for dealing with the situation. The then Chief Minister also called a meeting of the City Peace Committee on the morning of 15th July. While one person died as a result of injuries received during the disturbances, two persons died as a result of police firing. Details regarding loss of property are being ascertained.

उड़ीसा में औद्योगिक समितियों का सर्वेक्षण

2454. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों सहित उड़ीसा में आर्थिक रूप में सक्षम, अधिक सक्षम और सक्षम औद्योगिक समितियों का सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) यदि नहीं, तो उड़ीसा में यह सर्वेक्षण न किए जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Setting up of P.C.Os. in Villages of Burhanpur Tehsil

2455. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number and names of the villages in Burhanpur Tehsil of East Nimar District (Madhya Pradesh), which had submitted memoranda for setting up Public Call Offices; and

(b) the reaction of Government thereto and the time by which their demands would be met?

Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) Five villages namely Bahadurpur, Khaknar, Nimbala, Loni and Haiderpur in Burhanpur Tehsil had submitted memoranda for setting up Public Call offices.

(b) (i) Bahadurpur—PCO opened in February, 1973.

(ii) Loni—Proposal for PCO has been sanctioned and PCO is likely to be opened by December, 1973.

(iii) Khaknar—Proposals under examination.

(iv) Nimbala—Proposals under examination.

(v) Haidarpur—Proposal for PCO has been rejected being unremunerative.

Lack of Communications in Chhatisgarh and Chambal area

2456. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of Madhya Pradesh has admitted that the lack of communications is responsible for the backwardness and below subsistence level of existence of the people of Chhatisgarh and Chambal area;

(b) if so, whether the Central Government have recommended certain special schemes to the State Government in this connection; and

(c) whether some funds have also been sanctioned therefor; and if so, the amount thereof?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) Planning Commission is not aware if and when such an observation was made by the Chief Minister of Madhya Pradesh.

(b) and (c) The Government of India constituted four Working Groups of experts with a view to formulating proposals for the comprehensive development of Chambal Valley region covered by the three States of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan. The reports of the Working Groups which have been received are under consideration in consultation with the State Governments. Pending final decision, a sum of Rs. 72.50 lakhs has been sanctioned to the Governments of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan as recommended by the Working Group on Communications. The recommendations of the Working Groups do not cover the Chhatisgarh region of Madhya Pradesh.

Stabilisation of rising prices of essential consumer goods.

2458. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether any scheme has recently been sent by his Ministry to the various Ministries in order to stabilise the rising prices of essential consumer goods and to make the raw material available on easy and cheap terms to the manufactures with a view to reduce the cost price and to increase the production; and

(b) if so, the outlines thereof?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) and (b) The Planning Commission has set up a Committee on Essential Commodities and Articles of Mass Consumption under the Chairmanship of the Minister of State for Planning.

The terms of reference of the Committee cover long term and short term policies and measures for making available essential commodities and articles for the common man at reasonable prices. The report of the Committee is expected shortly.

Correspondents in Press Teams accompanied the President, Prime Minister and Vice-President on Foreign Tours

2459. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of the correspondents in the Press teams, which accompanied the President, Vice-President and the Prime Minister on their foreign tours during the last three years indicating the names of the institutions with which they are associated;

(b) the criteria adopted for selecting such press teams;

(c) whether any correspondent of the News Agencies publishing news in Indian languages was included; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT-5355/73.*]

(b) Newspapers and news agencies sometimes make arrangements at their own cost to cover the tours of the President and the Prime Minister abroad. The selection of journalists by Government becomes necessary only when some seats are available in the dignitary's aircraft for the Press free of charge. In such cases, selection is made keeping in view the need to secure maximum coverage, for the visit in the Indian Press in the various regions, and the standing of the journalist in the profession. The selection is not restricted to accredited journalists only, and persons from the editorial staff, who perform the normal duties of an editor and not only managerial functions, are also included.

(c) Yes, Sir.

(d) Does not arise.

फिल्मों का सेंसर

2460. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री पी० ए० सामीनाथन :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड को फिल्मों का सख्ती से सेन्सर करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) सभी फिल्में चल चित्र अधिनियम, 1952 तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों के उपबन्धो के अनुसार फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा सेन्सर की जानी होती है । अपने संवैधानिक अधिकारों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने 1960 में ऐसे निर्देश जारी किये थे जिनमें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्में प्रमाणीकृत करने के बोर्ड के लिए मार्ग निर्देशक सिद्धान्त दिए गए थे। फिल्मों के सेन्सर के ढोल के सम्बन्ध में शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने बोर्ड को सलाह दी है कि वह इन सिद्धान्तों को सख्ती से लागू करे ।

(ग) 1970 से जिन भारतीय तथा विदेशी फिल्मों को प्रमाणपत्र देने से इनकार किया गया है, इनकी संख्या निम्नलिखित है :–

	भारतीय	विदेशी
1970	—	16
1971	1	2
1972	6	8
1973 (जुलाई 1973 तक) .	8	5

देश में पुलिस द्वारा हरिजनों को यातनाएं देना

2461. श्री रामावतार शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि कई स्थानों पर पुलिस द्वारा हरिजनों को यातनाएं देने के आरोप लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों में पुलिस ने यातनाएं दी हैं; और

(ग) कानून और व्यवस्था के रक्षकों द्वारा दी गई यातनाओं के विरुद्ध हरिजनों को विश्वास में लेने और सुरक्षा देने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और तामिलनाडु में हाल ही में हरिजनों पर पुलिस के तथाकथित अत्याचार के कुछ मामले ध्यान में आये हैं। ऐसे विशिष्ट आरोपों से निपटने के लिए राज्य सरकारें कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करती हैं।

पांचवी योजनावधि के दौरान परमाणु विद्युत् कार्यक्रम के लिये जन शक्ति की कमी

2462. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के दौरान जब तक राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना और मद्रास परमाणु विद्युत् परियोजना निर्माणाधीन रहेगी और इनके चालू होने तक व्यक्तियों को इस परियोजना स्थलों से अन्य परियोजनाओं को भेजना सम्भव नहीं होगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार जन शक्ति के इस अभाव को कैसे हल करना चाहती है जिससे कि परमाणु विद्युत कार्यक्रम पर दुष्प्रभाव न पडे ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) परमाणु विद्युत् कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकताओं को पुरा करने के उद्देश्य से भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, राजस्थान परमाणु बिजलीघर तथा तारापुर परमाणु बिजलीघर के प्रशिक्षण केन्द्रों में चुने हुए इंजीनियरों एवं तकनीशियनों को प्रति वर्ष प्रशिक्षण देने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की एक लगातार चलने वाली योजना है । इसके अलावा, जब कभी आवश्यकता पडती है तब बाहर से भी इंजानियर एवं तकनीशियन भरती किये जाते है तथा उन्हें काम करते हुए प्रशिक्षण दिया जाता है । राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना के सन 1976 तक पुरा होने की आशा है । इसके बाद राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना के अतिरिक्त तकनीकी एवं वैज्ञानिक कर्मचारियों को नरौरा परमाणु विद्युत् परियोजना अथवा पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरु की जाने वाली किसी अन्य परमाणु विद्युत् परियोजना में नियुक्त किया जा सकेगा । मद्रास परमाणु विद्युत् परियोजना के अनुभवी कर्मचारियों को भी स्थानान्तरित किया जा सकेगा । सभी परियोजनाओं को अनुभवी कार्मिक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह विभाग आवश्यकता पडने पर महत्वपूर्ण कामों पर लगे कर्मचारियों को एक परियोजना से दूसरी परियोजना में स्थानांतरित करने की नीति पर चलता है । उस समय, इस विभाग का विद्युत् परियोजना इंजीनियरी प्रभाग, जिसका उत्तरदायित्व नरौरा बिजलीघर सहित परमाणु बिजली घरों की स्थापना करने का है, अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं तथा अपेक्षित सहायता हमेशा प्रदान कर सकेगा । उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान परमाणु विद्युत् कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित जन शक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

परमाणु इंधन ग्रेड के यूरेनियम का उत्पादन

2463. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु इंधन ग्रेड के यूरेनियम का उत्पादन बढाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इस दशक के अन्त तक यूरेनियम के उत्पादन में कितनी कमी होने की संभावना है; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) यूरेनियम के सांद्रणों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से, जादूगुडा के समीप नरवापहाड में स्थित यूरेनियम के भंडारों का व्यापक स्तर पर पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खनन करने का प्रस्ताव है । इसके अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग ने भाटिन में प्राप्त होने वाले कम ग्रेड के धातुक से तथा सूरदा में स्थित हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के संयंत्र से प्राप्त होने वाली ताम्बे की पिछोडन से यूरेनियम प्राप्त करने की योजनायें भी तैयार की है ।

(ख) वर्तमान संकतों के आधार पर, इस दशाब्द क अन्त तक यूरनियम के उत्पादन में कोई कमी होने की संभावना नहीं है तथापि न्यूक्लीय ईंधन सम्बन्धी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में यूरेनियम की उपलब्धता में वद्धि करने के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा संगठित एक अध्ययन दल इस विषय में स्थिती का पुनरीक्षण कर रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रिऐक्टरों का डिजाइन बनाना

2464. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले 500 एम० वी० के बडे रिऐक्टरों की समस्याएं अभी से सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या ऐसे रिएक्टरों के डिजाइन तैयार करने का कार्य शुरू हो गया है, और

(ग) इस बारे में सामान्य रूप से क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) अपेक्षाकृत बडे आकार के रिऐक्टरों से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है किन्तु उन पर अभी तक सक्रियतापूर्वक काम शुरू नही किया गया है । 235 मैगावाट क्षमता की रिऐक्टरों प्रणाली का डिजाइन फिर से बनाने का काम चल रहा है । यह डिजाइन इस प्रकार का होगा कि उसके आधार और सिद्धान्तों की सहायता से भविष्य में 500 मैगावाट क्षमता के रिऐक्टरों का डिजाइन बनाने में सहायता मिलेगी ।

देश की क्षमताओं के अनुरुप आणविक रिऐक्टरों का डिजाइन पुनः तैयार करना

2465. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 220/235 एम० डब्ल्यू० के आणविक रिऐक्टरों का देश की क्षमताओं और स्थितियों के अनुसार डिजाइन पुनः तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ?

(ख) प्रारंभिक परिकल्पित डिजाइन तैयार किये जा रहे है । निर्माण स्थलों की जांच करने से सम्बन्धित आंकडों का विश्लेषण किया जा रहा है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को धन का आबंटन

2466. श्री प्रभुदास पटेल :

श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा धन के आबंटन में 40 प्रतिशत की कटौती किये जाने के परिणाम स्वरुप खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को भारी संकट का सामना करना पडता रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस कटौती को समाप्त न किये जाने की स्थिति में आयोग को बन्द होने का खतरा पैदा हो सकता है; और

(घ) क्या आयोग को ऋण देने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहा गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) जी हां, विगत वर्ष के बराबर उत्पादन का सुनिश्चय करने के लिए सरकार आयोग को अधिक धन राशि देने के साधनों और उपायों पर विचार कर रही है ।

श्रीनगर में टेलीवीजन के प्रसारण में पाकिस्तान द्वारा अवरोध उत्पन्न करना

2467. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पाकिस्तान ने अपने भारत विरोधी प्रचार के अन्तर्गत श्रीनगर टेलीवीजन के आकाशवाणी को दिये गये चैनल 4, बैन्ड 1 का अतिक्रमण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) पाकिस्तान विगत कुछ समय से काश्मीर घाटी के लिए बैन्ड 1, चैनल 4 पर टेलीवीजन कार्यक्रम टेलीकास्ट कर रहा है । ये बैण्ड और चैनल वही हैं जिन पर श्रीनगर टेलीवीजन केन्द्र काम कर रहा है और जो हमारे टेलीविजन पारेषण में कुछ हस्तक्षेप करते है । फिर भी हमारा पारेषण पाकिस्तान के ट्रान्समिटरों पर हावी है, क्योंकि यह अपने कार्यक्षेत्र में अधिक शक्तिशाली सिगनल रखता है ।

(ख) 13 जुलाई से श्रीनगर टेलीविजन केन्द्र से प्रेषण का समय प्रतिदिन दो घन्टे से बढा कर चार घन्टे कर दिया गया है और रविवार अपराण्ह में भी 11 बजे प्रातः से 1 बजे अपरान्ह तक दो घन्टे के अतिरिक्त प्रेषण की व्यवस्था की गई है । यह व्यवस्था न केवल चैनल 4 को व्यस्त रखती है, अपितु दर्शकों की अधिक विविध प्रकार के उत्तम कार्यक्रम भी उपलब्ध करने का अवसर प्रदान करती है । अधिक विस्तृत और प्रभावी कवरेज हेत हमारे टेलीविजन ट्रान्समिटर की शक्ति में शीघ्र वृद्धि करने के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

चिकित्सा - व्यय प्रतिपूर्ति और समयोपरि भत्ते की पद्धति का दुरुपयोग

2468. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्ष में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति तथा समयोपरि भत्ते की पद्धति का अधिकाधिक दुरुपयोग होता रहा है और चालू वर्ष में भी अभी तक इस बारे में कोई सुधार नहीं हुआ है;

(ख) इन दो शीर्षों के अन्तर्गत गत दो वर्षों में तथा चालू वर्ष में अब तक कितना व्यय हुआ; और

(ग) इस दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख)

खर्च करोड रुपयों में

वर्ष	समयोपरि भत्ते पर	चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर
1971–72	10.29	5.58
1972–73 . . .	11.91	6.27
चालू वर्ष 1973 के अप्रैल और मई महीनों में	01.86	0.67

(ग) मौजूदा नियमों में ऐसे बहुत से उपायों की व्यवस्था की गई है जिनसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर नियंत्रण रखा जा सकता है । इन उपायों में विवक पर आधारित वे अधिकार भी शामिल है जिनसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति के उन दावों को अस्वीकार किया जा सकता है, जिनके असली होने के बारे में संदेह हो ।

आन्ध्र प्रदेश में कम शक्ति वाले रेडियो स्टेशन

2469. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश में तुलनात्मक बहुत ही कम शक्तिशाली रेडियो स्टेशन है जिससे आन्ध्र प्रदेश राज्य में तथा इससे बाहर करोडों तेलगू भाषीश्रोता स्पष्ट प्रसारण नहीं सुन पाते और

(ख) उक्त कमी और अन्याय को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) पांच मीडियम वेव ट्रान्समिटर आन्ध्र प्रदेश की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या के लिए अच्छी श्रवण स्थितियों सहित प्राइमरी सेवा प्रदान करते है । हैदराबाद स्थित शार्ट वव ट्रान्समिटर सारे राज्य के लिए सेकेन्डरी सेवा प्रदान करता है । चालू के योजना भाग के रूप में विशाखापतनम केन्द्र की शक्ति में वृद्धि होने से राज्य को लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या कवर हो जाने की संभावना है जो कुछ अन्य राज्यों से अधिक होगी। केन्द्र में स्थित उच्च शक्ति

का ट्रान्समिटर भी राज्य से बाहर रहने वाले तेलुगु भाषी लोगों के लिए सीमितसेवा अधिकतर समाचार तथा राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम उपलब्ध करता है । स्त्रोतों के अभाव के कारण हम सौ प्रतिशत कवरज की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं है ।

रुग्ण कपड़ा मिलों को आधुनिक बनाने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार द्वारा लेने के बारे में मैसूर सरकार का अनुरोध

2470. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह रुग्ण कपडा मिलों को राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार मे लेने के वित्तीय भार से उसे वंचित रखे और उनको आधुनिक बनाने की समस्त जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) मसूर सरकार के उद्योग मंत्री ने राज्य कपडा निगमों के अध्यक्ष क्षेत्रीय नियंत्रक राष्ट्रीय कपडा निगम, और उन कपडा मिलों के, जिनका प्रबन्ध सरकार के हाथ में है, प्राधिकृत नियंत्रकों अभिरक्षकों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की हाल ही में बंगलौर में हुई बैठक में कहा था कि केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह अपने प्रबन्ध में ली गई सूती कपडा मिलों के लिए कार्यकारी पूंजी और आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता देने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, फिर भी, राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग के अधीन समुद्री जैव केन्द्र की स्थापना

2471. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विज्ञान और ओद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा मद्रास में भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग के अधीन एक पूर्ण समुद्री जैव केन्द्र की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र के कार्यक्रमों की मुख्य रुपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और ओद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम्) : (क) जी हां ।

(ख) उपस्थित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन प्रमुख विषयों पर ध्यान दिया जा रहा है वे है, समुद्री जीवों के खण्ड तथा लार्वा का अध्ययन समुद्र के अपतटीय और उपतटीय क्षेत्रों के समुद्री प्राणि समूह का परिस्थितिकी सर्वेक्षण तथा वाणिज्यिक और चिकित्सा के महत्व की जातियों एवं जीवों तथा विषैले प्राणियों को बांधना और उनका वेधन करना । ये कार्यक्रम ऐसे संस्थानों के साथ विचार विमर्श के पश्चात् प्रारंभ किये गये है जो इसी प्रकार के कार्य में रत है ताकि कार्य की पुनरावृत्ति न हो।

भारत - इटली सहयोग

2472. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उन्होंने हाल ही में रोम में ई० एन० आई० मुख्यालय में इटली के सहयोग के बारे में विचार विमर्श किया था;

(ख) क्या इटली का एक उच्च स्तरीय दल सहयोग के क्षेत्रों में विचार विमर्श करने के लिए शीघ्र ही भारत का दौरा करेगा; और

(ग) भारत ने गत तीन वर्षों में इटली के सहयोग से कौन कौन सी परियोजनाओं की स्थापना की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) बुखारेस्ट से आने पर जब योजना मंत्री एअर इण्डिया के रोम से दिल्ली आने वाले वायुयान पर चढने के लिए रोम में रुके थे तब कम्पनियों के ई० एन० आई० ग्रुप के अधिकारी उन्हें मिले थे । यह केवल शिष्टाचार भेंट थी । योजना आयोग को अन्य कोई जानकारी नहीं है ।

भारत सरकार और एन० ए० एस० ए० टीम के बीच भारतीय उपग्रह कार्यक्रम पर बातचीत

2473. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या अंतरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एन० ए० एस० ए० का एक दल भारत राष्ट्रीय उपग्रह कार्यक्रम पर भारत सरकार से बातचीत करने के लिए राजधानी आया था;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला;

(ग) इस पर भारत सरकार कितना व्यय करेगी, और

(घ) यह कार्य कब प्रारंभ किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) तथा (ख) : 'एन० ए० एस० ए०' का एक दल हाल ही में 'उपग्रह शैक्षिक दर दर्शक परीक्षण' के सम्बन्ध में भारत आया था और उसके साथ परीक्षण की तयारियों की पुनरीक्षा सम्बन्धी बातचीत की गई, राष्ट्रीय उपग्रह कार्यक्रम के सम्बन्ध में नहीं ।

(ग) तथा (घ) 'भारत राष्ट्रीय उपग्रह कार्यक्रम' से सम्बन्धित मामलों पर इस समय सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

बिहार के गांवों में ऊंची जातियों के जमीदारों द्वारा अनुसूचित जातियों के लोगों पर हमला

2474. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 मई, 1973 को उच्च जातियों के जमीदारों द्वारा ग्राम परकौलिया थाना मोतीहारी सदर जिला पूर्व चम्पारन बिहार में अनुसूचित जातियों के लोगों के विरुद्ध व्यवस्थित रूप से लूट, आगजनी और हमला की कार्यवाही की;

(ख) यदि हां, तो उस मामले का विवरण क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या इसी महीने में एक हरिजन गांव पर उच्च जातियों के जमीदारों ने सशस्त्र पुलिस दल की सहायता से डी० एस० पी० के नेतृत्व में हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप लूट, आगजनी और कत्ल हुए; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) और (ख) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 4 मई 1973 को मोती हारी कस्बे के पास थाना मुफ्फासिल गांव पथकोलिया में शान्तिभंग होने को आशका से एक सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट तथा आवश्यक पुलिस अधिकारियों सहित एक पुलिस उप अधीक्षक शीघ्र गांव में पहुंचे और आगजनी तथा हमलें में अन्तर्गस्त चार सौ से पांच सौ व्यक्तियों की एक गैरकानूनी भीड को चकित कर दिया । बताया गया है कि गैरकानूनी भीड पथकोलिया गांव के मुसाहरों (हरिजनों) के नुकसान पहुंचान पर तुली हुई थी । यह पाया गया था कि 2 झोपडियां जला दी गई, 5 झोपडियों को क्षति पहुंचाई गई तथा कुछ अनाज लूट लिया गया । यह भी पता चला कि गैरकानूनी भीड में कुछ व्यक्तियों अग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया किन्तु कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। इस घटना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/436/379/380/246/324/109 तथा सशस्त्र अधिनियम की धारा 25 (क) 26/27 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया। उपलब्ध सूचना के अनुसार 62 दोषी व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है । न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है तथा अब मामला न्यायाधीन है ।

(ग) तथा (घ) सम्भवतः आदरणीय सदस्य 6 मई, 1973 की घटना जो गांव चोरो, थाना, साहार जिला भोजपुर में हुई का हवाला देते है । इस संबंध में 16 मई 1973 के ध्यानाकर्षण नोटिस के उत्तर में इस सदन में दिये गये वक्तव्य को और ध्यान आकर्षित किया जाता है । उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने इस घटना की न्यायिक जांच करने का निर्णय किया है ।

संगीत तथा नाटक विभाग के कर्मचारियों द्वारा भूख–हड़ताल

2475. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संगीत तथा नाटक विभाग के कर्मचारियों ने अप्रैल और मई, 1973 में समूचे देश में हडताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या है; और

(ग) कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी, सेवा की सुरक्षा और विकेंद्रीकरण की योजना समाप्त करने की मांगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) गीत और नाटक प्रभाग के कुछ कर्मचारियों ने अप्रैल, मई 1973 के दौरान दिल्ली, दरभंगा शिमला और श्रीनगर में भूख हडताल की थी।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) (1) गीत और नाटक प्रभाग के कर्मचारियों ने न्यूनतम निर्वाह वेतन के सम्बन्ध में कोई मांग नहीं की है ।

(2) स्टाफ आर्टिस्ट को 55 साल की आयु तक ठेकों की मांग पर विचार किया गया है और निर्णय किया गया है कि उनकी सेवा शर्तों एवं उनको सोपे गये कार्यों के स्वरूप को देखते हुए इनको एक बार में पांच वर्ष से अधिक का ठेका देना उचित नहीं है ।

(3) स्टाफ आर्टिस्टों की मण्डलियों के विकेन्द्रीकरण की योजना समाप्त करने की मांग को मानना सम्भव नहीं पाया गया है ।

विवरण

मुख्य मांगों का ब्योरा

क्रम-संख्या

I नियमित सरकारी कर्मचारी

(1) प्रकाश तथा ध्वनि योजना के लिए स्वीकृत पदों को, पदोन्नति द्वारा भरना।
(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के प्रति कथित अन्याय को दूर करना।
(3) संगठन में प्रतिनियुक्ति पर आये लोगों को वापस करना और पदों को पदोन्नति द्वारा भरना।
(4) कथित नियुक्तियों के मामलों को फिर से खोलना।
(5) एसोसिएशन को मान्यता देना।

II स्टाफ आर्टिस्ट

(6) गीत और नाटक प्रभाग का सुधार करना।
(7) स्टाफ आर्टिस्टों को 55 वर्ष की आयु तक ठेके देना।
(8) नय कार्यक्रमों के पुलिन्दे तैयार करना।
(9) एसोसिएशन को मान्यता देना।
(10) दिल्ली की मण्डलियों का विकेन्द्रीकरण न करना।

समाचार पत्रों को अखबारी कागज का वितरण

2476. **श्री ज्योतिर्मय बसू :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री 'समाचार पत्रों को अखबारी कागजों का वितरण' के बारे में 28 फरवरी 1973 के अतरांकित प्रश्न संख्या 1387 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज के वितरण सम्बन्धी कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त है, और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अखबारी कागज के वितरण के सम्बन्ध में छोटे अखबारों की स्थिति सुदृढ करने की दिशा मे सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए है; और

(ग) अब तक उठाये गये कदमों का क्या परिणाम है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां। अखबारी कागज के वितरण हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रत्येक लाइसेन्सिंग अवधि की अखबारी कागज आवण्टन सम्बन्धी नीति में दिये जाते है। लाइसन्सिंग अवधि 1973-74 के लिए अखबारी कागज आवण्टन सम्बन्धी नीति 19 जुलाई 1973 को घोषित की गई थी और उसकी एक प्रति 23 जुलाई 1973 को सदन की मेज पर रख दी गई थी। इस नीति की मुख्य बातें सलग्न विवरण 'क' में दी गई है।

(ख) तथा (ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम सलग्न विवरण 'ख' में दिये गये है। ये कदम छोटी श्रेणी के वर्तमान समाचार पत्रों के विकास और नए समाचारपत्रों को आरम्भ करने में सहायक हुए हैं। 31।3।1970 को अखबारी कागज का कोटा प्राप्त करने वाले छोटे दैनिक पत्रों की संख्या 220 थी जो 31।3।1972 को बढकर 268 हो गई। इसी अवधि के दौरान जिन छोटे नियत कालिक पत्रों को अखबारी कागज आवण्टित किया गया उनकी संख्या 1096 से बढ़कर 1199 हो गई।

विवरण–'क'

1973-74 के लिए अखबारी कागज आवन्टन सम्बन्धी नीति की मुख्य बातें

1. किसी समाचार पत्र को 1973-74 के लिए अखबारी कागज की हकदारी उसकी 1972-73 के लिए अधिकृत किए गए अखबारी कागज के इस्तेमाल से उस अवधि में उसकी वास्तविक खपत संख्या पर आधारित होगी । इस हकदारी में अखबारी कागज के उपलब्धता में कमी होने के कारण 30 प्रतिशत की कटौती की जा सकगी ।

2. अखबारी कागज की उपलब्धता में वृद्धि होने से अखबारी कागज की कटौती की प्रतिशतता में तदनुसार कमी की जायेगी उपलब्धता में और कमी होने से कटौती म वृद्धि की तदनुसार प्रतिशतता बढ जायेगी ।

3. 30 प्रतिशत की कटौती सभी समाचारपत्रों पर समान रूप से लागू होगी । 15000 प्रतियों तथा मानक आकार के 8 पृष्ठों (या इसके समकक्ष) तक की खपत संख्या वाले समाचार पत्र नये समाचार पत्रों के लिए की गई व्यवस्था के अन्तर्गत बटौती को बहाल करवा सकते हैं ।

4. **नये समाचार पत्र :**

नये समाचार पत्रों के लिए प्रारम्भिक कोटा पहले चार महीनों के लिए मानक आकार के आठ पृष्ठों की 3,000 प्रतियों तक सीमित है । उसके बाद वे मानक आकार के 8 पृष्ठ की 15000 प्रतियों तक के लिए कोटा क्लेम कर सकते है ।

5. **नये संस्करण :**

समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रों के लिए स्वीकृत अखबारी कागज का अधिकृत कोटा उसी समाचार पत्र/नियतकालिक पत्र के नये संस्करण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । इस प्रयोजन के लिए संस्करण की परिभाषा निम्न प्रकार है :–

> "एक ऐसा समाचार पत्र/नियतकालिक पत्र जिसकी प्रकाशन स्थान कुछ भी होते हुए नाम शीर्षक नहीं है, और जो उसी भाषा में है तथा उसकी आवधिकता वही है जो उसी स्वामित्व/प्रबन्ध के अन्तर्गत पहले से ही प्रकाशित हो रही समाचार पत्र/नियतकालिक पत्र की है तथा जो समय के अनुरूप और स्थानीय पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा तेजी से वितरण हेतु वह कुछ उसी अन्तर के साथ समाचार पत्र/नियतकालिक पत्र का पुनर्मुद्रण है ।

6. **बैंक गारण्टी :**

कदाचार को रोकने के लिए अखबारी कागज के लिए आवेदन करने वाले नए समाचार पत्रों से बैंक गारन्टी (आवंदित या प्रथम चार महीनों के लिए अनुज्ञय अखबारी कागज के 75 प्रतिशत मूल्य के बराबर) मांगने की पद्धति जारी रखी जा रही है ।

7. **ग्लेज्ड/रोटोग्रेवेर अखबारी कागज :**

ऐसे सभी नियतकालिक पत्रों, जो ग्लैज्ड/रोटोग्रेवेर अखबारी कागज के लिए आवेदन करते है की उनकी हकदारी का 40 प्रतिशत इस प्रकार का अखबारी कागज अलाट किया जा रहा है । यह इसलिए है कि वितरण के लिए उपलब्ध मात्रा केवल 40 प्रतिशत आवश्यकता को पूरा कर सकती है । उनकी हकदारी का शेष भाग 30 प्रतिशत की कटौती के उपरान्त मानक अखबारी कागज में दिया जायेगा ।

विवरण 'ख'

छोटे समाचार पत्रों के लाभ के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदम

(क) अखबारी कागज :

(1) जिन जिन समाचार पत्रों का वार्षिक कोटा 400 टन तक है उनको अखबारी कागज का पूरा कोटा आयातित अखबारी कागज में दिया जाता है।

(2) उन समाचार पत्रों जिनका कोटा 25 टन से कम है, को रोलों को शीटों में बदलने के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त कोटा दिया जाता है ।

(3) नये दैनिकों/साप्ताहिकों द्वि-दैनिकों/अर्ध-साप्ताहिकों/पाक्षिकों तथा मासिकों को प्रथम चार महीनों के लिए मानक आकार के 9 पृष्ठों की 3000 प्रतियों तक प्रकाशित करने के लिए कोटा मिलेगा। शेष वर्ष के लिए उनका कोटा, प्रथम चार महीनों के दौरान उनकी खपत संख्या के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। जो दैनिकों/साप्ताहिकों/द्वि-दैनिकों/अर्ध साप्ताहिकों के मामले में मानक आकार के आठ पृष्ठों पर तक की अधिकतम 15000 प्रतियों के तक तथा पाक्षिकों और मासिकों के मामले में मानक आकार के 16 पृष्ठों की 15000 प्रतियों तक होगा।

(4) साप्ताहिकों/द्वि-दैनिकों/अर्ध साप्ताहिकों/पाक्षिकों/मासिकों के अलावा नए नियत कालिक पत्रों के प्रथम तीन महीनों के लिए अखबारी कागज का कोटा आवंटित नहीं किया जाता। तीन माह के नियमित प्रकाशन के उपरान्त इन पत्रों को लाइसेन्सिंग वर्ष की शेष अवधि के लिए अखबारी कागज वास्तविक खपत संख्या की औसत तथा प्रथम तीन महीनों के दौरान वास्तविक रूप से मुद्रित पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पृष्ठों की औसत संख्या के आधार पर मानक आकार के 16 पृष्ठों की अधिक से अधिक 15000 प्रतियों तक के लिए दिया जाता है ।

(5) 2,000 प्रतियों तक खपत संख्या वाले समाचार पत्रों को अपने दावे के समर्थन में चार्टर्ड लेखाकार का प्रमाणपत्र नहीं देना पडता ।

(6) उन समाचार पत्रों, जिनका कोटा 40 टन तक होता है, को आयात लाइसेन्स आवेदन फीस देने तथा आयकर जांच संख्या प्रस्तुत करने से छट है ।

(ख) अखबारी कागज का वितरण :

(7) लाइसेन्सिंग अवधि 1970–71 से छोटे समाचार पत्रों (मानक आकार के 8 पृष्ठों की 15000 तक खपत संख्या वाले) की अखबारी कागज की आवश्यकताओं को अखबारी कागज आवण्टन सम्बन्धी नीतियों में एक विशिष्ट पबन्ध शामिल करके पर्ण रूप से पूरा किया जा रहा है ।

(ग) मुद्रण यंत्र :

(8) विदेशी मुद्रा की कुल उपलब्धि का 50 प्रतिशत छोटे समाचार पत्रों के लिए मुद्रण यन्त्रों तथा सम्बन्धित उपकरणों के आयात के लिए आरक्षित किया जाता है ।

(9) छोटे समाचार पत्रों को मुद्रण यन्त्रों तथा सम्बन्धित उपकरणों के लिए मझोल तथा बडे दर्जे के समाचार पत्रों की अपक्षा प्राथमिकता दी जाती है ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पर व्यय

2477 **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पर वर्ष 1970-71 से 1972–73 तक वर्षवार कुल कितना व्यय हुआ; और

(ख) व्यय में वृद्धि अथवा कमी के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क)

वर्ष	व्यय
1790–71 . .	27,15,09,000 रुपये
1971–72	32,97,83,000 रुपये
1972–73	37,37,85,298 रुपये

(ख) व्यय में वृद्धि होने के कारण इस अवधि के दौरान 8 अतिरिक्त बटालियनों का बढाना, विभिन्न पदों में रिक्तियों का भरना और केन्द्रीय कर्मचारियों को इस अवधि में तीन बार अन्तरिम सहायता स्वीकृत करना है ।

Closing of Telephone Exchange in Delhi due to low voltage of Electricity

2478. Shri Shiv Kumar Shastri: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether a Telephone Exchange of the city had to be closed for some time due to decrease in the electricity voltage in Delhi; and

(b) if so, whether some measures have been taken to avoid its recurrence in future?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) Yes, Sir. The closure was for about 90 minutes.

(b) Alternate sources of power supply have been provided in all the important exchanges in Delhi except two. In Karolbagh exchange, the one which was closed for 90 minutes, the engine generator will start functioning by the end of next month and in the second, by the end of the year.

मद्रास से आकाशवाणी को अधिकतम विज्ञापन

2479. श्री सी० टी० दण्डपाणि : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास से आकाशवाणी को अधिकतम विज्ञापन मिल रहे है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के आंकडे क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : बुक किए गए विज्ञापनों की अवधि कुल उपलब्ध समय से 1971–72 में 15 प्रतिशत और 1972–73 में 9 प्रतिशत कम थी । प्राप्त राजस्व क्रमशः 44,46,330.00 रुपये और 48,93,926.00 रुपये था ।

आन्ध्र प्रदेश के विभाजन के अभियान के कारण हुई जान और माल की हानि

2480. श्री शंकरराव सावन्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के अभियान के परिणामस्वरूप गैर सरकारी और सरकारी सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई;

(ख) उक्त अभियान के दौरान कुल कितने सरकारी कर्मचारी और नागरिक मारे गये तथा जख्मी हुए;

(ग) पुलिस ने इस अभियान में भाग लेने के लिये कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये और इन मामलों में कितने व्यक्ति शामिल थे; और

(घ) इन मामलों में कितने व्यक्ति छोड दिये गये तथा कितने व्यक्ति दोषी पाये गये ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना मालूम की जा रही है ।

विदेशी सहयोग को पूर्णतया बंद कर देने का प्रस्ताव

2481. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन नये विदेशी सहयोग को पूर्णतया बन्द करने संबंधी ऐसी प्रस्ताओं पर विचार कर लिया है जिनमें प्रौद्योगिक को आयात की सुविधा पाने के उद्देश से 'इक्वीटी' भागीदारी की बात अन्तर्गत है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति द्वारा गठित एक समिति ने विदेशी सहयोग सम्बन्धी नीतियों और प्रणालियों के विद्यमान मार्ग दर्शी सिद्धान्तों की जांच की है । प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है । किन्तु रिपोर्ट में विदेशी इक्विटी सहभागिता को "पूर्णतया बन्द" कर देने के सम्बन्ध में सिफारिश नहीं की गई है ।

मिजो नेशनल फ्रंट नेताओं से शांति वार्ता करने संबंधी सुझाव

2482. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मिजो नेशनल फ्रंट नेताओं से शांति वार्ता करने संबंधी सुझाव मिले है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश के वारंगल जिले के गांवों में नक्सलवादियों द्वारा धन एकत्र करना

2483. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वारंगल जिले के कुछ गांवों से नक्सलवादियों द्वारा धन एकत्र करने के समाचार मिले है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) तथ्य मालूम किये जा रहे है ।

उड़ीसा के लिये निकल का कारखाना

2484. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना मंत्रालय ने उडीसा के लिये निकल के कारखाने के लिए अभी तक स्वीकृति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) इसे सम्भावत: कब स्वीकृति दी जायेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) सुकिण्ड कच्ची निकल भण्डार के विकास पर आधारित निकल परियोजना की स्थापना की स्कीम को चौथी योजना में सम्मिलित किया गया है । जिन परामर्शदाताओं को संभाव्यता अध्ययन तैयार करने के लिए कहा गया था उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । आज कल प्रक्रिया संयंत्र (प्रोसेस प्लान्ट) के लिए अभिकल्प पैरा मीटर (डिजाइन पैरामीटर) बनाने के लिए मार्गदर्शी संयंत्र अनुमाप (पाइलट प्लान्ट स्केल) परीक्षण किये जा रहे है । आधारभूत सुविधाओं तथा खान आयोजना (माइन प्लानिंग) के अध्ययन पर भी कार्रवाई की जा रही है ।

पांचवीं योजनावधि के दौरान दूर-संचार सेवा का विकास

2485. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांचवी योजनावधि के दौरान दूर-संचार सेवा के विकास पर 1200 करोड़ रुपया खर्च करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सरकार ने दूर-संचार को पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया है । डाक तार विभाग ने पांचवी पंच-वर्षीय योजना के दौरान देश की दूर संचार सेवाओं के आधुनिकीकरण और उनके विकास के लिए एक बृहद कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय करीब 1200 करोड़ रुपये है । इस योजना का मसौदा योजना आयोग के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है । उनकी स्वीकृति की प्रतिक्षा की जा रही है ।

(ख) दूर संचार के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में उल्लिखित प्रस्तावों की एक मोटी रूपरेखा सभा पटल पर रखी जाती है ।

विवरण

देश में संचार प्रणाली में आगे और सुधार लाने के लिए जो विभिन्न कदम उठाने का प्रस्ताव है, उन्हें दूर संचार की पंचवर्षीय योजना के मसौदे में (जारी 2 दिसम्बर, 1972) शामिल कर लिया गया है । पंचवर्षीय योजना का यह मसौदा योजना आयोग के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है । इस योजना के मुख्य पहलु नीचे बताए गए है । हर एक स्कीम पर जो वित्तीय परिव्यय का प्रस्ताव है, उसका उल्लख नीचे दिया गया है :

दूरसंचार सेवाएं

1. स्थानीय टेलीफोन प्रणाली आंकड़े करोड़ रुपये में

टलीफोन में वृद्धि के लिए प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर बरकरार रखी जाएगी ताकि विभाग वर्ष 1982-83 तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी आवेदकों को टेलीफोन दे सके। मैनुअल एक्सचेंजों को उत्तरोत्तर कम कर दिया जाएगा और 31-3-1986 तक मैनुअल एक्सचेंज पुर्णतया समाप्त कर दिए जाएंगे। जो आटो एक्सचेंज 31-3-1981 तक अपने कार्य चालन के 30 साल पूरे कर लेंगे, उनकी जगह नए एक्सचेंज लगा दिए जाएंगे। 495.00

कुल 7 लाख 79 हजार नई सीधी एक्स्चेंज लाइनें लगाई जाएंगी। इस प्रकार पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त में सीधी एक्सचेंज लाइनों की कुल संख्या 20 लाख 85 हजार हो जाएगी।

2. लम्बी दूरी की प्रणाली

2.1. लम्बी दूरी की स्विचिंग प्रणाली

"राष्ट्रीय स्विचिंग योजना" और "राष्ट्रीय पारेषण योजना" स्विचिंग के हियर आर्टीकल अनुशासन में तैयार की गई है ताकि किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान को की जाने वाली काल 9 से ज्यादा लिंकों से हो कर न गुजरे। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 28 नए ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज खोले जाएंगे। इन एक्सचेंजों के खुल जाने पर लगभग 342 स्थानों के लिए "राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग" सेवा चालू की जा सकेगी। इसमें लगभग सभी राजस्व जिला मुख्यालय आ जाएंगे। 401.00

2.2. लम्बी दूरी का पारेषण नेटवर्क

मुख्य पारेषण नेटवर्क, ब्राड बैंड माइक्रोवेव और कोएक्सियल प्रणालियों द्वारा तैयार किया जाएगा। जहां लाइन आफ साइट रेडियो रिले प्रणालियां उपयुक्त नहीं ठहरती वहां कुछ ट्रापोस्कैटर लिंकों की व्यवस्था की जाएगी।

3. देहाती, पिछड़े और पहाड़ी इलाकों में दूर संचार विकास और तार सेवा

देहाती, पिछड़े और पहाड़ी इलाकों में दूर संचार सेवाओं का विस्तार करन और उन्हें आधुनिक बनाने के लिए 7,000 संयुक्त डाक-तारघर और 5,000 सार्वजनिक टेलाफोन घर खोले जाएंगे।

जिन अति दुर्गम इलाकों में सामान्यतः नहीं पहुंचा जा सकता वहां 1,000 सिंगल चैनल वी० एच० एफ० प्रणालियां और एक सौ 6+1 वी० एच० एफ० प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। समुद्र तट और समुद्र तट से दूर के द्वीपों के बीच जैसे अंडमान, निकोबार, लक्कादिव अमीनदीवी, मिनिकाय आदि में आधुनिक संचार व्यवस्था रडियो दूर संचार सम्पर्कों के जरिये स्थापित की जाएगी। 66.00

टेलेक्स और जेटेक्स सेवा

तार सेवा को आधुनिक बनाने के लिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 10,000 लाइनों की अतिरिक्त क्षमता वाले 32 नये टेलेक्स एक्सचेंज खोले जाएंगे। चार महानगरों में अर्थात् बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली में 'जेटक्स सेवा' चालू की जाएगी।

4. भूमि, भवन और सहायक संगठन

4.1. पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 60,000 अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार स्टाफ क्वार्टरों के बारे में 'संतोष तत्व' 5 से 15 तक बढ़ जाएगा।

4.2. विभाग की 'अनुसंधान और विकास' शाखा को और मजबूत बना दिया जाएगा। इसके लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 करोड़ 20 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। } 246.00

4.3. 16 अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएंगे। इन से विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और सशक्त बन जाएगा। इन केन्द्रों के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में 6 करोड़ 50 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

जोड़ 1208.00 करोड़ रु०

जांच आयोग अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त जांच-आयोग

2486. **श्री वीरेंद्र सिंह राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जांच आयोग अधिनियम के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में नियुक्त किये गये जांच आयोगों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) कितने मामलों में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा चुके हैं और वे मामलें कौन-कौन से हैं जिनके सम्बन्ध में अनुकरणीय कार्यवाही पूरी की जा चुकी है; और

(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जिनमें सरकार ने आयोगों के निष्कर्षों को स्वीकार नहीं किया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जांच आयोग अधिनयम का संशोधन

2487. **श्री वीरेंद्र सिंह राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न जांच आयोगों पर कितनी राशि व्यय की गयी ;

(ख) क्या आयोगों के प्रतिवेदनों को सरकार द्वारा अनिवार्य रुप से मानने के लिये जांच आयोग अधिनियम में कोई संशोधन करने का सरकार का विचार है; और

(ग) क्या इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों से सरकार ने कोई सुझाव प्राप्त किये हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

राज्यों में गैर-योजना व्यय

2488. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार ने कितना-कितना **गैर-योजना खर्च** किया; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों द्वारा गैर-योजना एवं अनुत्पादन व्यय पर कोई नियंत्रण रखती है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5356/73**]

(ख) केन्द्रीय सरकार राज्यों के गैर-योजना खर्च की प्रवृत्तियों की निरन्तर समीक्षा करती रहती है । राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर उनसे विचार-विमर्श किया जाता है और इन विचार-विमर्शों के दौरान तथा पत्राचार के द्वारा भी गैर-योजना अनुत्पादक खर्च को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है । राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से जो ओवर ड्राफ्ट लिए जाते हैं उन्हें, केवल अस्थायी अवधियों को छोड़कर, बन्द कर दिया गया है । इसके परिणामस्वरूप, गैर-योजना अनुत्पादक खर्च को कम करने सहित राज्यों ने अनेक उपाय अपनाएं हैं ताकि वे अपनी प्राप्तियां और खर्च संतूलित कर सकें ।

पांचवीं योजनावधि के दौरान गांवों में नये डाकघर खोलना

2489. **डा० हरि प्रसाद शर्मा ।**

श्री एम० एस० संजीवनी राव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक ग्रामवासी की सुविधा के लिये नजदीक ही डाकघर की व्यवस्था करने की दृष्टि से पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गांवों में नये डाकघर खोलने का कोई कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा;

(ख) राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल में और सामान्य रुप से देश में कितने गांव डाकघरों के बिना हैं; और

(ग) पांचवीं योजना में गांवों में नये डाकघर खोलने के कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 31,000 नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव है । इन डाकघरों के खुल जाने से उन गांवों के लोगों को जहां डाकघर खुलेंगे तथा उनके आस-पास के गांवों को डाक-सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी ।

(ख) सूचना नीचे दी गई है :

राज्य	ऐसे की गांवों संख्या जहां 1-4-1973 को डाकघर नहीं थे
राजस्थान	29,246
बिहार	55,844
पश्चिम बंगाल	35,582
संपूर्ण भारत	5,39,414

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उन सभी गांवों में जो ग्राम पंचायत के मुख्यालय हैं और अपने निकटतम डाकघर से 2 मील (3.2 किलोमीटर) से ज्यादा दूर है डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। ऐसे गांवों की संख्या 28,986 है। इनमें से 5073 गांव पहाड़ी और अत्यधिक पिछड़े इलाकों में है। इनके अलावा 2,000 और गांवों में भी डाकघरों की व्यवस्था की जाएगी।

गोमिया (रांची) में विस्फोटक कारखाने में हुई दुर्घटना के बारे में जांच

2490. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोमिया (रांची) में विस्फोटक कारखाने में हुई गम्भीर दुर्घटना के बारे में इस बीच जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। जांच करने वाले मजिस्ट्रेट ने अभी जांच पूरी नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में हरिजनों के साथ अत्याचार

2491. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के विभिन्न स्थानों पर हरिजनों के साथ अत्याचार किये जा रहे हैं;

(ख) क्या यह मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश और पंजाब में अनुसूचित जातियों के सदस्यों को तथाकथित तंग करने तथा उनके साथ दुर्व्यवहार करने के कुछ मामले ध्यान में आये हैं। किन्तु यह कहना उचित नहीं है कि इन दो राज्यों में अनेक स्थानों पर हरिजनों को तंग किया जा रहा है।

समय समय पर केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जातियों के सदस्यों के हितों की सुरक्षा के लिये उपयुक्त उपाय और उनके विरुद्ध अपराधों तथा उनके द्वारा की गई शिकायतों की शीघ्र तथा कारगर जांच-पड़ताल सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देती रही है। सम्बन्धित प्राधिकारियों की ओर से स्पष्टत: दृढ़ रुख तथा कार्यवाही की महत्ता पर 1972 में बुलाये गये राज्य अधिकारियों के क्षेत्रीय सम्मेलन में जोर दिया गया था। गृह मंत्री ने हाल में हुई क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में समस्या के इन पहलूओं की ओर मुख्य मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया है। राज्य सरकारों को भी यह सुझाव दिया गया है कि अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों

की सिकायतों की शीघ्र जांचपड़ताल के लिये राज्य तथा जिला स्तर पर विशेष प्रबन्ध किये जाने चाहिये। उत्तर प्रदेश सरकारने अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों की सभी शिकायतों की शीघ्र जांच करने तथा कानून के अनुसार कार्यवाही आरम्भ करने के लिए पुलिस उप महा निरीक्षक के अधीन राज्य के मुख्यालयों में एक कृतिक बल स्थापति किया है।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सहायकों का एक ही ग्रेड में स्थिर रहना

2492. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 22 वर्षों से अधिक समय से केन्द्रीय सरकार कार्यालयों में एक ही ग्रेड में कार्य कर रहे सहायकों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या वरिष्ठतम सहायकों ने अपनी लम्बी सेवा के आधार पर गत पांच वर्षों के दौरान उत्तम/अति-उत्तम रिपोर्टें प्राप्त की हैं और उन्हें अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने के लिये स्वीकार नहीं किया गया है जबकि अनेक कनिष्ठ सहायकों को उनके स्थान पर नियुक्त कर दिया गया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सचिवालय के अन्य ग्रेड़ों के अधिकारी लगातार 22 से 29 वर्ष तक एक ही ग्रेड में स्थिर रहते हैं; और

(घ) वर्तमान नियमों/प्रक्रियायों में संशोधन करके सहायकों के ग्रेड की स्थिरता को दूर करने के लिये सरकार ने क्या विशेष कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ईन सहायकों की संख्या 402 है जिन्हें 1–7–73 को उक्त ग्रेड में सेवा करन हुए 22 वर्ष से अधिक हो गए हैं।

(ख) ऐसे सहायक जो उक्त ग्रेड में लम्बी सेवा के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों के अन्तर्गत तैयार की गई वरिष्ठता सूची में नीचे रह गये हैं, उनके लिए अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति के लिए अलग कोटा निश्चित किया गया है। इस कोटा में पदोन्नति योग्यता के आधार पर की जाती है, किन्तु सामान्यत: उन सहायकों को छोड़ा नहीं जाता है जिनकी रिपोर्ट अति-उत्तम होती हैं।

(ग) अन्य ग्रेडों के बारे में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

(घ) सहायकों के ग्रेड में व्याप्त स्थिरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम लिए गए हैं :–

(i) अनुभाग अधिकारी के अगले ऊंचे ग्रेड में सीधी भर्ती के लिए पदों का कोटा 33–1/3 प्रतिशत से घटाकर 16–2/3 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ii) उन सहायकों को पदोन्नति के लिए अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में चयन सूची के पदों का 28 प्रतिशत एक अलग कोटा निश्चित किया गया है, जिन्होंने सहायक के ग्रेड में 22 वर्ष या इससे अधिक लगातार सेवा पूरी कर ली है। अभी तक 236 सहायकों को जिन्होंने सहायक ग्रेड में 22 वर्ष से अधिक लगातार सेवा पूरी कर ली है, अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नति दे दी गई है। वर्ष 1973 के दौरान इस श्रेणी के 125 और अधिकारियों को पदोन्नत किया जाएगा।

(iii) ऐसे सहायक जो दो वर्ष या उससे अधिक समय से अपने वेतनमान की अधिकतम सीमा में स्थिर पड़े हैं, उनके द्वारा ली गई अन्तिम वेतन वृद्धि की दर के बराबर उन्हें वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जाता है।

(iv) सचिवालय सेवाओं में शामिल होने वाले मंत्रालयों / विभागों द्वारा सचिवालय सेवा से सम्बन्धित व्यक्तियों के बारे में संवर्ग बाह्य पदों के लिए विचार किया जाता है, जिनके कार्य अनसचिवीय हैं।

हैदराबाद में दक्षिणी जोनल परिषद की बैठक

2494. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दक्षिणी जोनल परिषद् की बैठक हैदराबाद में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में किस विषय पर चर्चा हुई तथा क्या निर्णय लिये गये ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) बैठक में विचार किए गय विषयों की एक सूची संलग्न है। परिषद की सिफारिशों से समाहित बैठक की कार्यवाही की प्रतियों को परिषद के सदस्यों के साथ सलाह करके अन्तिम रूप देते ही पुस्तकालय में रख दिया जायेगा।

विवरण

दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की 30 जून, 1973 को हैदराबाद में हुई तेरहवीं बैठक में विचार किए गए विषयों की सूची

1. केरल राज्य में चन्दन के अन्तर्गत विशेष व्यवस्था।
2. चन्दन को आबकारी शुल्क के अन्तर्गत लाना।
3. शीशम का राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात तथा लट्टों के रूप में शीशम के निर्यात पर प्रतिबन्ध।
4. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल बन्दरगाहों से चन्दन के निर्यात के लिए उत्पादन के मूल के प्रमाण पत्र के लिए आग्रह करना।
5. उत्तरवर्ती राज्यों में भूतपूर्व हैदराबाद सरकार की देयादेय सम्पत्ति का विभाजन--मेसर्स तन्दूरव नवान्दगी स्टोन क्वारीज (पी०) लिमिटेड द्वारा देय धन राशि को आन्ध्रप्रदेश तथा मैसूर में बांटना।
6. विभिन्न राज्यों में शाखा की तस्करी से उत्पन्न आबकारी शुल्क, बिक्री कर तथा अन्य करों में कमी की समस्या।
7. (i) पश्चिमी घाट के क्षेत्र में विकास कार्यक्रम।
   (ii) दक्षिणी क्षेत्र में ट्रान्समिशन लाइनें तथा क्षेत्रीय लोड डिसपैचिंग स्टेशन।
8. केरल में पैट्रोल जन्य, पदार्थों के मूल्य में वृद्धि।
9. इदोकी तथा मैसूर के बीच 220 किलोवाट की अन्तर्राज्यीय विद्युत ट्रान्समिशन लाइन का निर्माण।
10. पाण्डिचेरी के लिए विद्युत संयत्र।
11. केन्द्र द्वारा चलाई गई योजना-विकास केन्द्रों में शीघ्रगामी अनुसंधान परियोजना।
12. उत्तम प्रकार के बीजों की पैदावार तथा सम्भरण सुनिश्चित करना।

13. कम अवधि में पैदा होने वाले खाद्यान्न के रुप में आलुओं को विकास करना।

14. किसानों को खाद का वितरण–बिक्री–कर से छूट देना।

15. वन्य जोवन अधिनियम, 1972 का कार्यान्वियन।

16. रासायनिक संयंत्रों के लिए बिजली की लगातार सम्भरण की समस्याएं।

17. विद्युत् ।

18. अन्तर्राज्योय पिछड़े क्षत्रों के प्रगामी विकास के लिए संगठनात्मक आवश्यकतायें।

19. प्रायमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

20. ग्रामोण जल–प्रदाय योजना।

21. मूर्ति कला तथा सांस्कृतिक निधियों को चोरी तथा तस्करी को रोकना।

22. राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु तथा मैसूर) के पुनर्गठन द्वारा प्रभावित सेवाओं का एकीकरण।

23. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अन्तर्ग्रस्त अपराधों की घटनाओं की समीक्षा।

24. दक्षिणी क्षेत्र में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में भाषाई अल्प संख्यकों के लिए संरक्षण की योजना के कार्यान्वियन की प्रगति की समीक्षा।

25. शैक्षणिक व तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश के लिए रिहायसी प्रतिबन्ध समाप्त करना।

26. दक्षिण क्षेत्रोय परिषद के पूर्व निर्णयों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा।

27. दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों में जनशक्ति की समस्यामें।

28. राज्य अधिकारियों के प्रशासनिक प्रशिक्षण का विकास प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थायें स्थापित करने की आवश्यकता।

जींद (हरियाणा) में नमक की कीमत

2495. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या जिला जींद (हरियाणा) के खेड़ा गाँव में नमक की कीमत एक रुपया 50 पैसे प्रति किलोग्राम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में जनशक्ति तथा रोजगार एककों पर व्यय

2496. श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री एन० शिवप्पा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों को इस बात का ध्यान रखने का सुझाव दिया है कि पांचवीं योजना के सैक्टर सम्बन्धी कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने से पहले राज्य योजना विभागों में जन-शक्ति तथा रोजगार एकक बन जाने चाहियें; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इने युवकों पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) जनशक्ति और रोजगार एककों की स्थापना के सम्बन्ध में राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। इस बारे में उनकी वित्तीय आवश्यकताओं का विश्लेषण, राज्यों के आकार, जनशक्ति व रोजगार समस्याओं के अध्ययन के लिए इस समय काम कर रहे कर्मचारी, आर्थिक और सांख्यिकी ब्यूरों जसे अन्य राज्य संगठन जो सहायता प्रदान कर सकते हैं; को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

Disparity in Income

2497. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether economic disparity is increasing or decreasing in the country; and

(b) the measures taken by Government to reduce disparity?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) Data on distribution of income by size groups are not available. However, on the basis of data available on consumer expenditure, it seems that there has been no increase in disparity in per capita consumption during the period 1957-58 to 1968-69.

(b) In order to reduce economic disparity among various classes, development of agriculture, village, and cottage and small industries and activities like animal husbandry, dairying, fisheries etc. to benefit the poorer sections have been given priority attention. Programmes for small farmers, marginal farmers, landless labourers, dry farming and drought prone areas have been intensified. Special programmes for the benefit of backward classes and regions have been introduced. Steps have been taken to expedite implementation of land reform measures. Besides dispersal and development of industries in backward areas, measures through Monopolies and Restrictive Trade Practices Act and industrial licensing policy, etc. have been taken to check concentration in incomes and wealth. The public sector has been playing an increasingly important role in industrial investment. Fiscal and taxation policies have been directed to restrict the accrual of large and unearned incomes. Recently, special schemes for creation of employment opportunities for the rural and the educated unemployed have been adopted.

Basis for opening and closing of Post Offices in villages

2498. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Communications** be pleased to state the basis on which new Post Offices are opened in villages in the country and the basis on which an existing Post Office is closed down?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): The conditions at present applied for opening New Post Offices in the country are set out in Annexure-A.

2. Post Offices opened are retained on permanent basis or closed down in the following circumstances:

(i) **Retention.**—Post Offices which are found to be working on annual loss not exceeding Rs. 240, within an experimental period of 10 years, are made permanent after two annual reviews.

(ii) Post Offices which are found working on loss upto Rs. 360 per annum after the expiry of experimental period of 10 years, are made permanent if the nearest post office is at a distance of 3 to 5 miles from the experimental post office.

(iii) Post Offices which are found working on loss upto Rs. 500 per annum after the expiry of a period of 10 years, are made permanent if the nearest post office is at a distance of 5 miles or more from the experimental post office.

(iv) Post Offices that continue to work on loss exceeding the limits prescribed for permanency, are permitted to function provided the excess loss over and above the permissible limit is credited every year in advance, as non-returnable contribution by interested parties.

Closure :

(i) Post Offices which do not earn sufficient income in the course of ten years, to justify its retention on permanent basis and if the excess loss over and above the limits prescribed for permanency is not credited by any interested parties after ten years of experimental period are normally closed down.

(ii) Post offices opened under Non-Returnable Contribution basis are to be closed down if the amount required as N.R.C. for the next year is not credited by the party before the expiry of the period covered by the sanction.

Statement

General Conditions for opening of new post offices in villages

Category	*Conditions*
I.	Post Offices are opened in villages where the P.O. is expected to be remunerative or self supporting.
II.	Post Offices are opened in villages where a post office is desired by any interested party or undertakings and Non-Returnable-Contribution is credited by the party to cover the entire loss not exceeding cost of the post office every year.
III.	Post Offices are opened in villages having population of 2000 or more if the nearest post office is not less than three miles from the village and the annual loss does not exceed Rs. 750 per post office.
IV.	Post Offices are opened for a compact group of villages with a population of 2000 or more within a radius of 2 miles, if the nearest post office is not less than three miles and the annual loss does not exceed Rs. 750 per post office.
V.	Post Offices are opened for a compact group of villages with a population of less than 2000 within a radius of 2 miles, at the discretion of the Heads of Circles, if the nearest post offices is not less than 3 miles distance and the annual loss does not exceed Rs. 500 per P.O.
VI.	Post Offices are opened at villages which are Hqrs. of Thanas, Tehsils etc. if the loss does not exceed Rs. 750 per post office per annum.
VII.	Post Offices are opened in villages having schools and are Hqrs. of N.E.S. Blocks, Gram Panchayats, if the annual loss does not exceed Rs. 750 where the population to be served is 2000 or more and upto Rs. 500 loss if the population to be served is less than 2000. The nearest post office should be not less than 2 miles from the village.

VIII. Post Offices are opened in villages which are lying in "Hilly and Very Backward Areas" declared by the Department, upto a loss of Rs. 1,000 per post office per annum under the powers of Heads of Circles and upto a loss of Rs. 2500 per post office per annum, in special cases, under the powers of Director-General, irrespective of the population to be served by the P.O.

General :

Opening of post offices in the above categories is subject to the condition that :—

(i) As a result of opening a new post office, the present parent office should not work at a loss beyond Rs. 500 per annum.

(ii) The new post office in normal area should earn at least 25% of the cost as income at the time of opening;

(iii) The New Post Office in a hilly area should earn at least 10% of the cost as income;

(iv) The New Post Office in a Very Backward Area (other than Hill area should earn Aat least 15% of cost as income.

NOTE.—The distance condition from the nearest post office may be relaxed at the discretion of the Director-General, if a natural barrier like unbridged river or hill or forest intervenes between the new post office proposed and the nearest existing post office.

Urban Areas :

Post Offices are opened in urban areas if the post office is remunerative or self supporting and for Sub Offices the office should also have at least 5 hours workload per day.

Supply of Cement to Rajasthan

2499. Shri M. C. Daga :
Dr. H. P. Sharma :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the quantity of cement demanded so far by the Rajasthan Government since January, 1973 month-wise and that supplied by the Central Government as also the details of the Works for which it was supplied;

(b) whether the cement products could not be produced at places like Phalna for want of cement in Rajasthan and if so, the extent to which the short supply of cement was made to the industrialists; and

(c) the criteria adopted for the supply of cement to a State and that adopted for its supply to Rajasthan?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) No specific total demand was received from the Government of Rajasthan during the period January to June, 1973 for cement. However, the supplies made to the State Government during this period are as under :—

January, 1973	40,471 tonnes
February, 1973	40,423 tonnes
March, 1973	50,899 tonnes
April, 1973	33,308 tonnes
May, 1973	37,661 tonnes
June, 1973	24,006 tonnes
(Provisional) Total :	2,26,768 tonnes

The above despatches were made to all the consumers in the Central and State Government Departments, public sector undertakings and semi-Government bodies, major and minor industries, bulk consumers other than rate contract category and free sale category.

(b) The State Government has been addressed in the matter and the information will be furnished to the House on receipt from them.

(c) The criteria adopted for supply of cement to the State of Rajasthan are the same as those adopted for supply of cement to other States. To distribute equitably the available cement, a quota has been fixed for each State on the basis of its average consumption during the last five years.

Prosecution of Persons Selling Cement in Black Market

2500. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number of persons challanged so far for selling cement on prices higher than the Government rate since the 1st January, 1973 and the number out of them punished indicating the punishment given to them; and

(b) whether Government have made any arrangement to make cement available to the farmers on fair price and if so, the outline thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) and (b) Information is being collected from the State Governments/Union Territories and will be placed on the Table of the House separately.

पश्चिम बंगाल में व्यापक क्षेत्र विकास परियोजना

2501. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में व्यापक क्षेत्र विकास परियोजना को संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं। विदित हुआ है कि राज्य सरकार ने पहले ही 17 परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली हैं और कतिपय परियोजनाओं में काम शुरू कर दिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी प्रबन्ध वाले टैक्सटाइल मिल्स एसोसियेशन का कार्यकरण

2502. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल देश की 103 रुग्ण मिलों के हितों की देखभाल करने हेतु, सरकारी प्रबन्ध वाला टैक्सटाइल मिल्स एसोसियेशन नामक एक नया निकाय बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निकाय के मुख्य लक्ष्य क्या हैं; और

(ग) उक्त निकाय के प्रतिनिधियों के नाम क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हाँ ।

(ख) इस एसोसिएशन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(i) अपनी सामान्य समस्याओं पर चर्चा के लिए एक मंच की व्यवस्था करना;

(ii) विचारों के आदान-प्रदान की सुविधायें देना तथा सामान्य रुचि की जानकारी को फैलाना; तथा

(iii) रुग्ण मिलों की समस्याओं के विशेष सन्दर्भ में सूती वस्त्र उद्योग के कार्य-करण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मामलों में नीति-निर्धारण सम्बन्धित सरकार व अन्य प्राधिकरणों के समक्ष सरकारी प्रबन्ध वाली मिलों के दृष्टिकोण के प्रतिनिधित्व के लिए मार्ग बनाना ।

(ग) एसोसिएशन का गठन निम्नलिखित प्रकार है :—

1. श्री के० पी० त्रिपाठी . .	अध्यक्ष
2. श्री डी० जे० मदान . .	चेयरमैन
3. श्री के० के० धर . . .	वाइस-चेयरमैन
4. श्री जी० एस० स्याल	वाइस चेयरमैन
5. श्री एम० जी० मीरचन्दानी . .	सदस्य
6. श्री वी० के० मोदी . .	महासचिव
7. श्री आर० आर० ताम्हणे . .	खजांची

8. इसके क्षेत्रीय सचिव निम्नलिखित होंगे :—

(i) श्री देसीकन निदेशक (तकनीकी)	तमिलनाडु टैक्सटाइल कारपोरेशन (दक्षिणी क्षेत्र)
(ii) डा० यू० भट्टाचार्य . .	पूर्वी क्षेत्र के मंत्री
(iii) श्री वी० पी० सिपल . .	उत्तरी क्षेत्र के मंत्री

उपर्युक्त पदाधिकारी कार्यसमिति के पदेन सदस्य होंगे ।

औद्योगिक संयंत्र स्थापित करने हेतु लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र

2503. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 से 31 मार्च, 1973 तक नये औद्योगिक संयंत्र योजनाऐं अथवा परियोजनायें स्थापित करने के लिये उनके मंत्रालय को कितने नये आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं; और

(ख) किन किन मदों के लिये लाइसेंस स्वीकार किये गये तथा उद्यमकर्त्ताओं के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) 1-1-72 से 31-3-72 की अवधि में नये उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंस हेतु 2096 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे ।

(ख) जारी किये गये सभी लाइसेंसों और आशय पत्रों के उद्योग सहित विवरण नियमित रूप से दी वीकली बुलेटीन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसज, दी वीकली इण्डियन ट्रेड जनरल तथा मासिक पत्रिका "जनरल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" में प्रकाशित किए जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

दिल्ली में एक टेलीफोन आपरेटर को छुरा मारना

2504. मौलाना इसहाक सम्भली : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि दिल्ली में दिन प्रतिदिन नागरिक जीवन असुरक्षित होता जा रहा है;

(ख) क्या दिल्ली में 14 जुलै 1973 को एक युवा टेलिफोन आपरेटर को छुरा मार दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। यह सही नहीं है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अपराधी को पहचानने और पकड़ने के सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं।

'टूथ पेस्ट' का निर्माण लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित करना

2505. श्री मधु लिमये : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "टूथ पेस्ट" का निर्माण सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा है;

(ख) क्या कोलगेट, सिबा आदि विदेशी कम्पनियां अपनी मंजूर शुदा क्षमता से कहीं अधिक उत्पादन कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो साबुन, क्रीम, पाउडर, टूथ पेस्ट, टूथ ब्रुश आदि जैसे सौन्दर्य प्रसाधन और प्रसाधन सामग्रियों के उत्पादन में संलग्न इन कम्पनियों और अन्य विदेशी कम्पनियों के उत्पादन संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या सरकार इन विदेशी कम्पनियों को अपनी पुरानी पंजीकृत क्षमता के बराबर उत्पादन करने के लिए आदेश देगी, ताकि लघु उद्योग क्षेत्र विकास कर सकें; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय में दर्ज तीन विदेशी कम्पनियोंने कुछ वस्तुओं की अपनी लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन किया है।

(ग) तकनीकी विकास के महानिदेशालय में दर्ज विदेशी कम्पनियों द्वारा 1972 में निर्माण की गई तथा उत्पादित वस्तुएँ बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) तथा (ङ) विदेशी कम्पनियों संबंधी सम्पूर्ण मामले पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1972 में निर्मित तथा उत्पादित वस्तुएं

(आंकड़े मी० टनों में)

क्रम सं०	विदेशी कंपनी का नाम	साबुन	टुथ पेस्ट	टुथ पाउडर	फेस क्रीम तथा स्नो	फेस टेलकम पाउडर	टुथ ब्रुश
1.	मे० हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई।	1,31,405	1,184	..	78	678	जानकारी उपलब्ध नहीं है
2.	मे० कोलगेट-एपामोलिव (इंडिया) प्रा० लि०, बम्बई।	..	3,585	743	90	604	,,
3.	मे० बीचम (इंडिया) प्रा० लि०, बम्बई।	..	68	..	..	..	,,
4.	मे० वारक्ष वेलकम एण्ड कम्पनी (इंडिया) प्रा० लि०, बम्बई।	..	.		61	69	,,
5.	मे० ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इंडिया) लि०, बम्बई।	..	.	..	..	84	,,
6.	मे० रेकिट एण्ड कोलमैन आफ इंडिया लि०, कलकत्ता।	..	..	..	..	67	,,
7.	मे० सीबा आफ इंडिया लि०, बम्बई।	..	1,064	..	51	368	,,
8.	मे० जानसन एण्ड जानसन लि०, बम्बई।	..	..	..	1	235	,,

समानान्तर बम्बई योजना

2506. **श्री मधु लिमये** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमी के सम्बन्ध में कांग्रेसी योजना के बारे में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के भाषण की यू० एन० आई० रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को समानान्तर बम्बईसहित महाराष्ट्र सरकार की अन्य उन योजनाओं की जानकारी है जिनसे बम्बई से लगी हुई विशाल भूमि से 2000 ० के संसाधन समाप्त हो जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, कृषि तथा औद्योगिक विकास के पूंजीगत संसाधन भी समाप्त हो जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के भाषण की किस यू० एन० आई० रिपोर्ट का माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार की कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के थानों में निर्दोष लोगों को यातना देना और पीटना

2507. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के थानों में निर्दोष लोगों को बर्बरता पूर्ण यातना देने और पीट जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष सरकार के नोटिस में कितने मामलों को लाया गया है; और

(ग) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) ऐसी दो शिकायतें ध्यान में आई है।

(ग) पहली शिकायत का सम्बन्ध एक उपनिरीक्षक द्वारा शाहदरा पुलिस की हिरासत में एक अभियुक्त को पीटने से है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता का धारा 308 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया और दो उप निरीक्षकों को मुअत्तल कर दिया गया।

हौज़ खास पुलिस से सम्बन्धित दूसरी शिकायत में, जो समाचार का विषय था, दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा द्वारा की गई जांच में आरोप सिद्ध नहीं हुए।

राज्यों में टेलीविजन सेटों का निर्माण के लिये भारतीय इलैक्ट्रानिक्स निगम द्वारा राज्य सरकारों के साथ बातचीत

2508. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इलैक्ट्रोनिक्स निगम टेलीविजन सैटों के विपणन और निर्माण के लिये राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई हैं; और

(ग) किन-किन राज्यों के साथ बातचीत हुई थी?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों या उनके प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने-वाले औद्योगिक युनिटों को टेलीविजनों का निर्माण करने के लिए तकनीकी जानकारी दी जायेगी और उनके द्वारा तैयार किये गये टेलीविजन कारपोरेशन के अपने नाम से बाजार में भेजे जायेंगे। जानकारी के अंतरण के लिए दोनों पक्षों को स्वीकार्य व्यवस्था करने के बारे में बातचीत चल रही हैं।

(ग) केरल राज्य सरकार के एक उद्योग केरल इलैक्ट्रानिकी विकास निगम के साथ बातचीत की जा रही है। इसके अलावा, कारपोरेशन तामिलनाडु, राजस्थान तथा उडीसा राज्य सरकारों के साथ भी बातचीत करेगी, जिन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी रुचि प्रकट की है।

गाजियाबाद (उ०प्र०) के एस०डी०एम० द्वारा सीमेंट परमिटों का जारी किया जाना

2509. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लाट के आकार और निर्माण कार्य की स्थिति को ध्यान में रखे बिना ही प्राइवेट मकानों के निर्माण के लिए गाजियाबाद के एस० डी० एम० का कार्यालय 10 बोरी सीमेंट के परमिट प्रति सप्ताह जारी कर रहा है;

(ख) क्या एक या दो परमिट जिन व्यक्तियों ने ले लिये हैं उन मामलों में अतिरिक्त परमिटों का जारी किया जाना भी बन्द कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यवाही से भवनों को भारी नुकसान होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) राज्य सरकार को इस मामले में लिखा गया है तथा प्राप्त होने पर जानकारी सदन में प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में सीमेंट की कमी

2510. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गाजियाबाद में सीमेंट की अत्यधिक कमी है और मई, 1973 में वहां पर सीमेंट के वितरण पर नियंत्रण लगाने से घरों का निर्माण-कार्य रुका हुआ है;

(ख) क्या सीमेंट की अनुपलब्धता के कारण सरकारी कर्मचारी प्रभावित हुए है क्योंकि निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिये कर्मचारी अपनी छुट्टी को बढ़ाने की स्थिति में नहीं होते हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिये कौन से उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) गाजियाबाद में सीमेंट की कमी, सम्पूर्ण देश में हो रही सीमेंट की कमी का ही एक अंग है, इसका कारण बिजली की अत्यधिक कटौती, कुछ कारखानों में हड़ताल, कोयले और पानी आदि की कमी है। इसलिये यह असंभव नहीं है कि कुछ हद तक गाजियाबाद में सरकारी कर्मचारियों यथा अन्य के द्वारा आरंभ किये गये निजी निर्माण कार्य पर इसका प्रभाव पड़ा है। मेरठ जिले को जिसको एक तहसील गाजियाबाद है किया गया सीमेंट संभरण निम्नप्रकार है :—

1971	.	88135 मी० टन
1972	.	91895 मी० टन
1973 (जनवरी से मई)	.	33151 मी० टन

विकास तथा औद्योगिक परियोजनाओं और गृह निर्माण कार्य में द्वितीय को कम प्राथमिकता दी जाती है ।

(ग) राज्य में सीमेंट के समान वितरण का सुनिश्चय करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 मई, 1973 को सीमेंट की खुदरा बिक्री को विनियमित करने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत उ० प्र० सीमेंट नियंत्रण आदेश जारी किया है। गाजियाबाद को सीमेंट शीघ्र संभरण करने के लिये सीमेंट कारखानों को भी निदेश दे दिये गये हैं । जैसे जैसे बिजली में कटौती कम होती जायेगी, देश में सीमेंट की उपलब्धि में सुधार होता जायेगा ।

राज्यों द्वारा शिक्षित बेरोजगारों पर किया गया व्यय

2512. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगारी को राहत पहुंचाने के प्रयोजन हेतु राज्यों द्वारा नियुक्त की गई 50 करोड़ रुपये की राशि के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगारी को रोजगार के अवसर सुलभ करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को जो धनराशि आवंटित की गई है, सम्भवत: माननीय सदस्य उसका उल्लेख कर रहे हैं। इसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयें)

स्कीम का नाम	संक्षिप्त विवरण	आवंटित धनराशि	1972—73 में अनुमानित व्यय	अनुमानित सुलभ किया गया रोजगार
1	2	3	4	5
1. प्राथमिक शिक्षा का विस्तार तथा कोटि में सुधार।	और अध्यापकों की नियुक्ति और स्कूल खोलना आदि।	30.00	29.94	51,388
2. कृषि सेवा केन्द्र . .	किसानों को कृषि निवेश तथा मशीनरी देने के लिए कृषि सेवा तथा व्यापार केन्द्र।	0.42	0.41	792
3. उपभोक्ता सहकारी भण्डार .	विकास क्षमता वाले उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को सुदृढ करना।	0.50	0.58	694
4. ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण .	सिंचाई और बिजली, पीने के पानी और सड़क सुविधायें आदि के प्रावधान वाली स्कीमें तैयार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना।	2.79	1.43	3,461
5. छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता।	लघु उद्योगों की स्थापना के लिए छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता।	13.00	10.00	5,000
6. सिंचाई, बाढ नियंत्रण और बिजली परियोजनाओं की जांच	इस स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में सिंचाई, बिजली और बाढ नियंत्रण परियोजनाओं की जांच की जाती है।	6.06	6.06	2,530

1	2	3	4	5
7. सड़क परियोजनाओं की जांच	पांचवीं योजना कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की जिन सड़क परियोजनाओं पर विचार किया जाना है उनके बारे में जांच और परियोजना रिपोर्टें तैयार की जानी हैं ।	0.90	0.68	3,332
8. ग्रामीण जलपूर्ति के लिए अभिकल्प एकक ।	इस स्कीम के अन्तर्गत, स्थायी रुप से असुविधा वाले क्षेत्रों में ग्रामीण जलपूर्ति स्कीमों के लिए विस्तृत योजनायें तथा अनुमान तैयार करने के बारे में आयोजन और अभिकल्प एकांक्षों की स्थापना के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।	0.44	0.32	611
9. राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम ।	इस स्कीम के अन्तर्गत राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों प्रकार के लोगों के लिए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक रोजगार स्कीमें तैयार तथा कार्यान्वित की हैं ।	27.00	26.18	3,70,000

उत्तर बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस जारी करना

2513. **श्री हरिकिशोर सिंह** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान उत्तरी बिहार में उद्योगों की स्थापना करने के लिए कितने लाइसेंस जारी किये गये ; और

(ख) लाइसेंस धारियों द्वारा उद्योगों की स्थापना करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) 1-1-1973 से 30-6-1973 तक की अवधि में उत्तरी बिहार में किसी भी नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने के लिए कोई लाइसेंस अथवा आशय पत्र जारी नहीं किया गया ।

टेलीफोन बिलों की बकाया राशि की वसूली

2514. श्री एन० शिवप्पा :

श्री पो० गंगादेव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के बड़े टेलीफोन जिलों के टेलीफोन बिलों की बकाया राशि क्या है;

(ख) किन जिलों में सबसे अधिक राशि बकाया है; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :

	1-4-1973 को (लाख)
(क) बम्बई फोन्स	83.39
कलकत्ता फोन्स	50 28
दिल्ली फोन्स	111 64
(31-12-72 तक जारी किए गए बिलों के संबंध में)	

(ख) दिल्ली टेलीफोन जिला ।

(ग) टेलीफोन—राजस्व की बकाया रकम की वसूली को हमेशा एक अत्यत महत्वपूर्ण मामले के रूप में लिया जाता है राजस्व-वसूली का संभव तरीका यह है कि निर्धारित तारीख को बिल की अदायगी न करने पर उपभोक्ता का टेलीफोन काट दिया जाय । तथापि, टेलीफोन पर उपभोक्ता को याद दिलाने के बाद ही यह कदम उठाया जाता है । टेलीफोन काटने के बाद व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके या पत्र व्यवहार कर वसूली की जाती है । यदि ये उपाय प्रभावहीन साबित होते है तो अन्ततः वसूली की संभावनाएं सुनिश्चित करने की बाद प्राइवेट उपभोक्ताओं के मामले में कानूनी कार्यवाही की जाती है । जिन उपभोक्ताओं पर टेलीफोन बिलों की रकम बकायां होती है उनसे इस रकम की वसूली के लिए डाकतार विभाग योजना बद्ध तरीके से प्रयास करता है । पूरानी बकाया रकमों की वसूली के लिए विभाग ने पिछले साल से एक विशेष अभियान चलाया है ।

टेलीफोन के बकाए की जो रकमें ऊपर दिखाई गई हैं, उनमें सरकारी विभागों के ऊपर बकाया रकम और उन बकाया बिलों की राशि भी शामिल है, जिनपर अदालती कार्यवाही हो रही है । ऐसे मामलों की अलग से जांच की जा रही है ।

दिल्ली में क्रासबार एक्सचेंजों का कार्यकरण

2515. श्री एन० शिवप्पा :

श्री पी० गंगादेव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के क्रासबार एक्सचेंज सुचार रुप से कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई सुधार किये गये हैं और यदि हां तो क्या?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) दिल्ली के क्रासबार एक्सचेंज उपस्करों में सर्किटों में कुछ कमियां और निर्माण संबंधी कुछ खराबियां ध्यान में आई हैं और इसलिए ये एक्सचेंज अच्छे स्तर की सेवा नहीं दे रहे हैं।

(ख) सर्किटों की अच्छी तरह जांच-पड़ताल के बाद इनमें जो खराबियां पाई गई हैं उन्हें दूर करने का फैसला किया गया है। दिल्ली के करोलबाग, जोरबाग और जनपथ एक्सचेंजों में खराबियां दूर करने का काम चल रहा है।

अत्यन्त महत्वपूर्ण एककों के कार्य के पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन के लिये एक उच्चस्तरीय निकाय

2516. श्री एम० कल्याणसुन्दरम :
श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

क्या **योजना** मंत्री योजना आयोग को सुदृढ करने के लिए उसमें विशेषज्ञों और व्यवसायियों को शामिल करने के बारे में 9 मई, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 1031 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अत्यन्त महत्वपूर्ण एककों के कार्यपर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन के लिए पूर्णक्रम से प्रधान मंत्री के अधिकार क्षेत्र में एक उच्चस्तरीय निकाय स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो निकाय के सदस्य कौन होंगे तथा इसके कृत्य क्या होंगे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) प्रबोधन तथा मूल्यांकन एकक में एक सलाहकार तथा तीन अन्य परामर्शदाता होंगे। एकक इस्पात, विद्युत, तेल, उवरक तथा सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अर्थ-व्यवस्था की प्रगति का प्रबोधन करेगा एकक, प्रधान मंत्री को तिमाही रिपोर्ट भेजेगा जिसमें इन क्षेत्रों की वास्तविक उपलब्धियों के साथ-साथ नई परियोजनाओं को बनाने को प्रगति भी बताई जायेगी। एकक, महत्वपूर्ण क्षेत्रों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित आंकड़ों का भी बारीकी से विश्लेषण करेगा तथा उपयुक्त उपायों का सुझाव देगा।

एन० एस० आई० सी० के बारे में सिन्हा समिति का प्रतिवेदन

2517. श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री डी० पी० जदजा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० एस० आई० सी० के बारे में सिन्हा समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट में प्रमुखरूप से निम्नलिखित विषय लिये गये है

(1) किराया खरीद

(2) अभिकरणों को पढ्दारी तथा परामर्शदात्री सेवा

(3) विपणन तथा सरकारी खरीद ;

(4) आद्यरूप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र; तथा

(5) औद्योगिक बस्ती, ननी, इलाहाबाद ।

तमिलनाडु के मुख्य मंत्री द्वारा बनाये गये कथित नारे

2518. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

श्री बी० मायावन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने दो नये नारे—"इण्डिया फार इण्डियन्स (भारत भारत-वासियों के लिए)" और "तमिलनाडु फार तमिलियन्स (तमिलनाडु तमिलवासियों के लिए)" बनाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रेस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) तमिलनाडु सरकार से सम्बद्ध तथ्य भेजने के लिये अनुरोध किया गया है ।

विदेशी टायर निर्माता कम्पनियों की उत्पादन क्षमता

2519. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में टायर बनाने वाली विदेशी कम्पनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है और उन का वास्तविक उत्पादन कितना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : भारत में विदेशी प्रबंध वाली कम्पनियों की मोटर गाड़ियों के टायर बनाने की लाइसेंस प्राप्त/स्वीकृत क्षमता 36,45,000 टायर है। वर्ष 1972 तथा 1973 (जनवरी से मई) में इन कम्पनियों में कुल उत्पादन इस प्रकार हुआ है:—

वर्ष	टायरों की उत्पादन संख्या
1972 . . .	40,38,100
1973 (जनवरी से मई) .	15,21,552

बंगाली फिल्मों का निर्माण करने के लिये संयुक्त भारत बंगलादेश परियोजनायें

2520. श्री समर गुह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाली फिल्मों का निर्माण करने के लिए संयुक्त भारत बंगलादेश परियोजनाएं प्रारम्भ करने के लिए बंगलादेश सरकार ने विशेष रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है;

(ग) क्या भारत-बंगलादेश संयुक्त फिल्म निर्माण उद्यमों के लिए इस प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार करने के लिए पिछले छः महीने से कोई रचनात्मक कदम उठाने में भारत सरकार विफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (घ) सरकार को बंगला फिल्मों के निर्माण हेतु संयुक्त भारत-बंगलादेश परियोजनाओं के लिए बंगलादेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के लिये केरल में क्वार्टरों का निर्माण

2521. **श्री ए० के० गोपालन :**
श्री वयालार रवि :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) केरल राज्य में 35 स्थानों पर 1 करोड़ 33 लाख रुपयों की लागत से 480 क्वार्टर यूनिटों के निर्माण का प्रस्ताव है । किन्तु इनका निर्माण कार्य सामग्री और वित्तीय साधनों के उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा ।

योजना आयोग की स्वीकृति के लिये पड़ी परियोजनाएं

2522. **श्री वयालार रवि** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल की सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा योजना आयोग की स्वीकृति के लिए भेजी गईं परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) इन परियोजनाओं पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या राज्य के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृत करने का है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) केरल सरकार या केरल से सरकारी क्षेत्र अभिकरणों की योजना आयोग के पास स्वीकृति के लिए कोई भी परियोजना बकाया नहीं पडी है ।

दिल्ली में लाइसेंसशुदा स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पोस्टर लगाने पर रोक लगाने संबंधी प्रस्ताव

2523. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लाइसेंसशुदा स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पोस्टर लगाने पर रोक लगाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ह ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम के आयुक्त द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना की एक प्रति, जिसमें उसने उल्लिखित भवनों, स्मारकों, इत्यादि पर बिल, नोटिस या अन्य कागज चिपकाने की रोक लगाई गई है की एक प्रति संलग्न है । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 397 तथा 398 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखि यं संख्या एल० टी० 5357/73]**

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा बनाये गये वर्तमान उपनियमों के अन्तर्गत पोस्टर/बिल नगर पालिका द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के विभिन्न भागों में लगाये गये म्युनिसिपल नोटिस बोर्डों पर ही नगरपालिका की पुर्वानुमति से निश्चित दरों के भुगतान पर चिपकाये जा सकते है। अन्य स्थानों पर पोस्टरों को चिपकाने की इजाजत नहीं है तथा ऐसा करने पर पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 की धारा 188 (एन) तथा 199 (I) अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले (उ०प्र०) का विकास

2524. **प्रो० एल० एल० सक्सेना** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से गोरखपुर जिले का औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक पिछडापन देखते हुए, इस क्षेत्र का औद्योगीकरण करने और इस देश के शेष भाग के साथ लाने क लिए कोई निश्चित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या इस क्षेत्र का द्रुत गति से औद्योगिकीकरण करने के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र का व्यापक सर्वेक्षण करने का विचार है और यदि हां, तो कब तक ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) देश के पिछडे क्षेत्रों का तेजी से औद्योगिकरण करने का सुनिश्चिय करने के विचार से केन्द्रीय सरकार इन क्षेत्रों में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये कुछ सहायता तथा प्रोत्साहन योजनायें शुरू कर रही है । पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15 में से 11 जिलों को समग्र राज्य के उन 36 जिलों में सम्मिलित कर लिया गया है जिनको उनमें उद्योग स्थापित करने के लिये वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर वित्त प्राप्त करने के लिये चुना गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिलों में से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 3 जिले केन्द्रीय सहायता के पात्र हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की भी स्थापना की है जिसे "अपूर्वाचल निगम" कहते है।

भारत के औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गठित एक संयुक्त संस्थानात्मक अध्ययन दल ने समूच उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वेक्षण के भाग के रुप में 1971 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों की औद्योगिक क्षमता का सर्वेक्षण किया । लघु उद्योग विकास संस्थान, कानपुर में भी लघु उद्योग स्थापित करने के लिये विद्यमान विभव का सुनिश्चिय करने के विचार से गोरखपुर जिले सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का सर्वेक्षण किया है ।

मांगों की जांच करने के लिये कागज उद्योग का अध्ययन

2525. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री वैकारिया :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज की मांग की जांच करने के लिए उनके मंत्रालय ने कागज उद्योग का अध्ययन कर लिया है और कमी को दूर करने के लिए किन उपायों की जरूरत होगी; और

(ख) यदि हां, तो किये गये अध्ययन का क्या परिणाम निकला ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कागज तथा गत्ते की क्षमता और उत्पादन के लक्ष्यों का अनुमान क्रमश: 15 लाख मी० टन एवं 13.3 लाख मीट्रिक टन लगाया गया है । इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगभग 5 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करनी पडेगी। इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली के तार कर्मचारियों द्वारा 'धीरे काम करो' आन्दोलन

2526. **श्री बक्शी नायक : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के केन्द्रीय तारघर के तार कर्मचारियों ने कुछ समय पहले 'धीरे काम करो' आन्दोलन किया था;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान डाक अधिकारियों ने तार साधारण डाक से भेजे थे;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी और डाक अधिकारी तारों को स्वीकार करते रहे; और

(घ) क्या इस प्रकार की अनेक शिकायतें की गई है कि उन्होंने बिना किसी प्रयोजन के अपना धन बरबाद किया और यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) और (ख) जी हां, अप्रैल, 1973 में ऐसा आन्दोलन चलाया गया था । इस अवधि के दौरान तारों पर सिर्फ गम्भीर बीमारी दुर्घटनाओं, व्यक्तियों के पहुंचने और प्रस्थान करने की सूचनाओं के तारों का पारेषण किया गया था । बकाया दूसरे तार अन्य उपलब्ध तेज साधनों से उनके गन्तव्य स्थानों को भेजे गए थे ।

(ग) इस बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें तार भेजने वालों को तारों के पारेषण में विलंब होने के बारे में सूचित कर दिया गया था। सभी डाक अधिकारियों को भी सूचित किया गया था कि वे तार भेजने वालों को तदनुसार बता दें ।

(घ) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

उड़ीसा में रूसी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं की संभाव्यता की जांच

2527. **श्री बक्शी नायक :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उडीसा में रूसी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संभाव्यता की जांच करने के लिए भारत सरकार ने रूसी दूतावास से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है और इस बारे में रूसी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में कमी

2528. **श्री बक्शी नायक :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले की कमी के कारण अधिकांश कारखानों में उनके औद्योगिक उत्पादन में काफी कमी आई;

(ख) क्या इसके परिणाम स्वरूप जितने जन घण्टों की हानि हुई, उसके बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) क्या औद्योगिक गतिविधियों में कमी आ जाने के कारण अनेक करारों को पूरा न कर सकने की वजह से विदेशी मुद्रा की आय में काफी कमी हो गई थी; और

(घ) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) कोयले की सप्लाई में कमी के कारण ईस्पात गढ़ाई, उष्म सहवस्तुओं, उर्वरक तथा सीमेंट जैसे उद्योगों के उत्पादन पर कुछ सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पडा है इसकी वजह से जन घंटो की हानि तथा निर्यात से होने वाली आय में कमी के बारे में ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) रेलों तथा परिवहन के अन्य साधनों से कोयले के लाने-लेजाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए ईस्पात व खान मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।

दिल्ली से गढ़वाल भेजे गये तार और तार मनीआर्डर की विलम्ब से डिलीवरी

2529. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 में अब तक दिल्ली स्थित डाकखानों से कितने तार और तार मनीआर्डर भेजे गये;

(ख) प्रत्येक टेलीग्राम और तार मनीआर्डर की डिलीवरी में कितने दिन लगे;

(ग) क्या उक्त डाक की डिलीवरी सामान्य डाक की डिलीवरी की तुलना में धीमी गति से हुई; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जून और जुलाई, 1973 के दौरान 13 तार और तार मनीआर्डर वितरित किए गए थे। इससे पहले की अवधि के तारों का रिकार्ड नष्ट कर दिया गया है ।

(ख) से (घ) : प्रत्येक मामले से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है ।

पालामऊ (बिहार) के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना

2530. कुमारी कमला कुमारी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालामाऊ जिला (बिहार) के कितने व्यक्तियों ने स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में पेंशन के लिये आवेदन पत्र दिये;

(ख) पालामऊ के कितने व्यक्तियों को पेंशन दी गई है; और

(ग) क्या बिहार के पालामऊ जिले के कुछ और व्यक्तियों को पेंशन दी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) बिहार के पालामऊ जिले के स्वतंत्रता सेनानियों से 241 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) 140 मामलों को पेंशन की स्वीकृति के लिए अनुमोदन कर दिया गया है ।

(ग) 55 मामलों में भेजी गई सूचना पूर्ण नहीं पाई गई । राज्य सरकार/व्यक्तियों से अपेक्षित सूचना तथा दस्तावेज भेजने का अनुरोध किया गया है । सूचना तथा दस्तावेज इत्यादि प्राप्त होने के बाद, जो पात्र पाये जायेंगे, उनको भी पेंशन स्वीकृत कर दी जायगी ।

संघ लोक सेवा आयोग की स्वीकृति के बिना मंत्रालयों तथा सरकारी उपक्रमों में की गई अस्थायी नियुक्तियां

2531. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के स्पष्ट निदेश के बावजूद मंत्रालय तथा सरकारी उपक्रम अपने द्वारा की गई अस्थायी नियुक्तियों के मामलों को छः महीनों के अन्तर्गत जैसा कि निदेश में निर्धारित है, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ नहीं भेजते;

(ख) जहां तक इन संगठनों द्वारा अब तक की गई नियुक्तियों का सम्बन्ध है क्या इस प्रथा का तात्पर्य संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार को सीमित करने का है ;

(ग) क्या मंत्रालयों तथा सरकारी उपक्रमों द्वारा गत तीन वर्षों में इस प्रकार बनाये गये एक हजार से अधिक पदों को जारी रखने के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी स्वीकृति नहीं दी है, और

(घ) यदि हां, तो क्या इन पदों को रिक्त घोषित किया गया है और यदि हां, तो इन पदों को भरने के लिए क्या प्रतिक्रिया अपनाई जायगी ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) संघ लोक सेवा अयोग भारत सरकार के अधीन केवल सिविल पदों और अन्य निकायों की भरती से सम्बन्धित है जिन्हें विशिष्ट रूप से उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया गाा है, न कि सरकारी उपक्रमों में होने वाली सामान्य भर्ती से ।

समय समय पर यथा संशोधित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमन 1958, इस प्रकार से है :

"किसी पद पर अस्थायी अथवा स्थानापन्न नियुक्ति के लिए चयन के सम्बन्ध में आयोग से परामर्श करना आवश्यक नही होगा, यदि :

(क) नियुक्त व्यक्ति को एक वर्ष तक इस पद को सम्भालने की सम्भावना न हो, तथा

(ख) लोक हित में तुरन्त नियुक्ति करनी आवश्यक हो और आयोग से पत्र व्यवहार करने में अनावश्यक देरी हो जाए।

यह व्यवस्था है कि —

(i) ज्योंही ऐसी नियुक्ति की जाए, उसे आयोग को सूचित करना होगा;

(ii) यदि नियुक्ति छः महीने से ऊपर जारी रहती है तो उस अवधि के बारे में जब तक नियुक्त व्यक्ति के पद को संभालने की संभावना हो, उस अवधि के बारे में नया अनुमान बनाना होगा तथा आयोग को सूचित करना होगा; और

(iii) यदि ऐसे अनुमान में यह उल्लेख हो कि नियुक्त व्यक्ति द्वारा नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि तक पद को संभालने की संभावना है तो आयोग से पद को भरने के सम्बन्ध में तुरन्त परामरर्श किया जाएगा।"

यह कहना सही न होगा कि मंत्रालय उपरोक्त विनियमों की अपेक्षा के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग को बिलकुल ही सूचना नहीं देते। फिर भी, ऐसे मामले जहां अस्थायी नियुक्ति की तारीख से सूचना के भेजने में एक वर्ष से अधिक देरी हो जाती है "अस्थायी नियुक्तियों से संबंधित देरी के मामले" परिशिष्ट के अन्तर्गत आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किए जाते है। इस सम्बन्ध में आयोग की 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक की बाइसवीं वार्षिक रिपोर्ट के पैरा 34 तथा 41 की ओर भी ध्यान आकृष्ठ किया जाता है, जिसकी एक प्रतिलिपि 1 मार्च, 1973 को सदन के पटल पर खी गई थी। संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार को सीमित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ऐसी नियुक्तियों में अनियमितताएं हो सकती हैं। इसके साथ ही, इन नियुक्तियों की तब तक पुष्टि नहीं होती जब तक कि संघ लोक सेवा आयोग उन पर अपनी स्वीकृति नहीं दे देता। ऐसी अनियमित रूप से की गई नियुक्तियों के मामले सम्बन्धित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में लाये गये हैं ताकि वे उन परिस्थितियों की जांच कर सकें, जिनके अधीन ऐसी नियुक्तियां की गई थीं उसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित कर सकें, और जहां भी आवश्यक हो ऐसी अनियमितताओं को दूर करने के लिए कार्यवाही कर सकें। इसके अतिरिक्त समय समय पर सभी मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी गई है कि वे संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्ष के सम्बन्ध में नियमों कें उपबन्धों का सख्ती से अनुपालन करें।

(ग) कुछ ऐसे मामलें हैं, जिनमें आयोग बिना उनके परामर्श से कतिपय पदों में की गई नियुक्तियों को जारी रखने पर सहमत होने से उपर्युक्त समय पर इन्कार कर देता है। फिर भी, नियुक्तियों की संख्या के बारे में निश्चित आंकडे उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार के कुछ मामले आयोग की वार्षिक रिपोर्टों में 'सूचना देने में देरी तथा अनियमित नियुक्तियों' से सम्बन्धित पैराग्राफों में शामिल किए जाते हैं।

(घ) कोई भी नियुक्ति जोकि उपर्युक्त विनियम के परन्तुक (iii) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित न की गई हो उसे तदर्थ माना जाएगा। एस तदर्थ नियुक्त किए गए व्यक्तियों के स्थान पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आवश्यक रुप से नियमित रूप में नियुक्त किए व्यक्तियों को लाना होगा।

पुलिस के कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों का आवंटन

2532. श्री शशि भूषण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण दिल्ली में अधिकारियों सहित पुलिस कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) दक्षिण दिल्ली की पुलिस में कितने अधिकारियों और अन्य पुलिस कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर अलाट किए गए हैं;

(ग) दक्षिण दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों के लिए और अधिक क्वार्टर बनाने की क्या योजना है और क्या इस उद्देश्य के लिए भूमि प्राप्त कर ली गई है; और

(घ) क्या दक्षिण दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों के लिए सहकारी गृह निर्माण समिति बनी हुई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने उसको क्या सहुलियतें दी हैं और यदि नहीं, तो क्या ऐसी समिति बनाई जायेगी ताकि पुलिस कर्मचारियों को अपने कार्य स्थल के निकट स्वयं अपने क्वार्टरों का निर्माण करने में मदद मिल सके ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1,804 ।

(ख) 635 ।

(ग) कुल मिलाकर टाइप VI के 2, टाइप V के 4, टाइप IV के 16 टाइप III 72, टाइप II के 232 और टाइप I के 337 क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव है । भूमि प्राप्त कर ली गई है । हौज खास और महरौली में भी भूमि प्राप्त कर ली गई है जो दिल्ली पुलिस लाइन और दक्षिण व नई दिल्ली जिलों के लिए निश्चित की गई है। इन दो परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर निम्नलिखित अतिरिक्त आवास की व्यवस्था हो जायेगी :–

टाइप VI के 2, टाइप V के 4, टाइप IV के 16, टाइप III के 72, टाइप II के के 224 और टाइप I के 280 क्वार्टर ।

(घ) दक्षिण दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों की कोई सहकारी मकान निर्माण समिति नहीं है । सरकार ने प्लाट आधार पर किसी मकान निर्माण सहकारी समिति को भूमि आवंटित न करने का निश्चय किया है । मकान सहकारी मकान निर्माण समितियों के समूह को भूमि आवंटित की जा सकती है किन्तु ऐसी किसी समिति में दिल्ली पुलिस की कोई रूचि नहीं है ।

उत्तर प्रदेश के लिये पांचवीं योजना

2533. श्री राजदेव सिंह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश ने योजना आयोग को 3500 करोड रुपए की अपनी पांचवीं योजना भेज दी है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने पांचवीं योजना अवधि में देश के लिए विकास की दर 5.5 प्रतिशत में निर्धारित और स्वीकृत की है;

(ग) यदि हां, तो क्या आर्थिक रूप से पिछडे राज्यों की चौथी योजना से मात्र दुगनी राशि का आबंटन करके इस विकास दर को बनाये रखने को कहा गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या योजना आयोग ने एक पत्र द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि उसकी पांचवीं योजना 2100 करोड रुपए के आवंटन से अधिक नहीं होनी चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि उत्तर प्रदेश 6.5 या 7 प्रतिशत विकास दर से अधिक की योजना न बनाये और पिछड़ा बना रहे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग), (घ) तथा (ङ) विकास दरों की संभाव्यता बहुत सी बातों पर निर्भर करती है जिनमें कि राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में किया जाने वाला निवेश शामिल है। योजना आयोग ने राज्य सरकारों से अपने प्रस्ताव परीक्षात्मक सीमाओं में भेजने को कहा है। तथापि राज्यों की पांचवीं योजनाओं के आकार तथा विकास दर के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से फैसला अभी किया जाना है ।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना

2534. श्री राजदेव सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक नीति जारी है;

(ख) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पिछड़े क्षेत्र के लिये सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित करने के बारे में विचार किया जा रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसकी क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया, हैदराबाद में आधुनिक इलैक्ट्रानिक उपकरणों का उत्पादन

2535. श्री राजदेव सिंह : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया को, जो एक सरकारी उपक्रम है, गत वर्ष एक करोड़ रुपये का लाभ हुआ था;

(ख) क्या इस ने अपना उत्पादन दुगना कर दिया है;

(ग) क्या उक्त निगम ने विभिन्न आधुनिक उपकरणों का जिनमें राजस्थान परमाणु बिजली संयंत्र की पूरी नियंत्रण प्रणाली भी शामिल है, उत्पादन किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उसकी आधुनिक इलैक्ट्रानिक उपकरण की उत्पादन क्षमता का विस्तार किया जायेगा जिसमें देश की कुल आवश्यकता को पूरा किया जा सके ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1971–72 के उत्पादन की तुलना में वर्ष 1972–73 में 80% अधिक उत्पादन होगा ।

(ग) कम्पनी ने राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के पहले यूनिट के लिए इंधन का हस्तन करने वाला नियंत्रण पूरा कंट्रोल पैनल तथा उपकरणों का निर्माण करने के अलावा विभिन्न परिष्कृत इलक्ट्रानिक उपकरणों तथा प्रणालियों का उत्पादन भी सफलतापूर्वक किया है ।

(घ) कम्पनी द्वारा एक विस्तार कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य वर्ष 1975–76 के अन्त तक 22 करोड़ रुपये के मूल्य के माल का उत्पादन करने की क्षमता प्राप्त करना है । इससे उन इलैक्ट्रानिकी उपकरणों के मामले में जो इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के उत्पादन-क्षेत्र के अन्तर्गत आते है, देश की आवश्यकतायें बहुत सीमा तक पूरी की जा सकती है ।

दिल्ली में गलत व्यक्तियों को पेंशन और ताम्रपत्रों का दिया जाना

2536. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ताम्रपत्रों और स्वाधीनता सेनानियों की मासिक पेंशन को प्राप्त करने वाले कुछ व्यक्ति उसके हकदार नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और ऐसे मामलों में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) यद्यपि कुछ शिकायतें हुई है तथापि अभी तक कोई मामला "झूठा" नहीं पाया गया है। जांच करने पर कुछ शिकायत निराधार पाई गईं । अन्य शिकायतों की अभी जांच की जा रही है और दिल्ली प्रशासन से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

पांचवीं योजना में अहमदाबाद में टेलीविजन केन्द्र

2537. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अहमदाबाद में टेलीविजन केन्द्र स्थापित किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) जब कि ऐसा करना चालू वित्तीय वर्ष में संभव नहीं हो, ऐसी संभावना है कि उपग्रहीय इन्स्ट्रक्शनल टेलीवीजन प्रयोग के सन्दर्भ में आई० एस० आर० ओ० के सहयोग से 1974–75 के दौरान एक पायलट प्रयोगात्मक टेलीविजन केन्द्र की स्थापना हो जाये। पांचवीं योजना के दौरान अहमदाबाद में एक पूर्ण रुपेण टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव योजना आयोग के परामर्श से विचाराधीन है । पायलट केन्द्र नियमित टेलीविजन केन्द्र के स्थापित होने तक चालू रहेगा।

देय राशि से अधिक राशि वाले टेलीफोन काल बिलों के संबंध में टेलीफोन उपभोक्ताओं की शिकायतें

2538. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के मुख्य शहरों के टेलीफोन उपभोक्ताओं से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है कि उनके टेलीफोन काल बिलों में देयराशि से बहुत अधिक राशि दिखाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह गलती सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की दोषपूर्ण सेवा के परिणाम स्वरूप होती है; और

(ग) उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :(क) जी हां। कुछ उपभोक्ताओं की शिकायतें प्राप्त हुई है ।

(ख) शिकायतों के जितने भी मामले आते है, उनमें से ज्यादातर मामलों में उपभोक्ताओं को ऐसा अनुभव होता है कि उनके बिल ज्यादा रकमों के बनाए गए हैं । उन्हें ऐसा अहसास इसलिए होता है क्योंकि वे अपने टेलीफोनों से कितने उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की कालें करते है, इसका उन्हें अन्दाजा नहीं रहता । कुछ मामलों में सर्किट की या उपस्कर की खराबी से ज्यादा कालें मीटर हो जाती है ।

(ग) जो शिकायतें छान बीन के बाद सही साबित होती हैं उन पर रियायत देने की पद्धति पहले से ही मौजूद है । दिल्ली टेलीफोन जिले की टेलीफोन बिल बनाने की प्रणाली की जांच करने के लिए एक समिति भी बनाई गई है । आशा है कि यह समिति अपनी सिफारिशें जल्दी ही पेश कर देगी। समिति की रिपोर्ट आने पर उसकी जांच की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो आगे कार्यवाही की जाएगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में 'ड्राफ्ट पोलिसी' विवरण की वैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों द्वारा आलोचना

2539. श्री भान सिंह भोरा : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में 'ड्राफ्ट पोलिसी' विवरण की कटू आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो जो आलोचना की गई है उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति की विभिन्न क्षेत्रीय और अन्य विचार-गोष्ठियों में कई वैज्ञानिकों, प्रोद्योगिकीविदों और अन्य व्यक्तियों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के उपागम पर जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने निकाला है, विचार विमर्श किया है । वे सभी सर्व-सम्मत रुप से इस प्रपत्र के उपक्रम में चर्चित मूल आमुख तथा दर्शन से सहमत हुए है । परन्तु पारस्परिक प्रथमिकताओं पर पर्याप्त बल न देने के लिए इसकी कुछ आलोचना हुई है। इसके अतिरिक्त कार्यान्वयन संबंधी पहलूओं पर कुछ चिन्ता व्यक्त की गयी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने पांचवी योजना में सम्मिलित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कार्यक्रमों के निर्माण में वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त किये गये इन विचारों पर ध्यान दिया है । सरकार यथावधि इन पर विचार करेगी।

राष्ट्रीय आय के बार में श्वेत पत्र

2540. श्री भान सिंह भोरा :

श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आय के बारे में एक वर्ष पहले तैयार किया गया श्वेत पत्र अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो श्वेतपत्र को प्रकाशित करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां। राष्ट्रीय आय संबंधी श्वत-पत्र का 1972 का अंक अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है ।

(ख) उक्त विलंब उसमें किए गए संशोधनों के कारण हुआ है । राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले ताजे आंकडों और परिणामों के संबंध में संबद्ध अभिकरणों द्वारा की गई जांच का समावेश करने के लिए संशोधन करना आवश्यक हो गया था। वे संशोधन अनुभाव राष्ट्रीय आय संबंधी श्वेत-पत्र के 1973 के अंक में शीघ्र प्रकाशित किए जायेंगे।

चौथी योजना के दौरान प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों में कमी

2541. श्री भान सिंह भौंरा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973–74 के लिए सभी वार्षिक योजना लक्ष्यों को प्राप्त कर लेने के बावजूद चौथी योजना के अधिकांश लक्ष्यों की पूर्ति में भारी कमी रही;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) किन-किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से कमी रहने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) जैसा कि संलग्न विवरण में बताया गया है अनेक कारणों से विभिन्न क्षेत्रों में कमियां आने की संभावना है। कमियों के कारण तथा उनके निराकरण के उपाय चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज में विस्तृत रूप में बताया गया है ।

विवरण

चौथी पंचवर्षीय योजना—लक्ष्य तथा उपलब्धियां

विकास का शीर्षक	एकक	चौथी योजना का लक्ष्य	संभावित उपलब्धि	कमी (प्रतिशतता में)
1	2	3	4	5
1. कृषि				
(क) खाद्यान्न	दस लाख मी० टन	129	115	10.8
(ख) व्यापारिक फसले				
(1) तिलहन	,,	10.5	9.4	10.5
(2) गन्ना	,,	150.0	135.0	10.0
(3) कपास	180 किलोग्राम की दस लाख गांठे	8.0	6.5	18.7
(4) जूट तथा मेस्ता	,,	8.5	6.7	18.8
(ग) सिंचाई (बडी तथा लघु)	दस लाख हैक्टेयर	23.3	21.4	8.2
2. बिजली	दस लाख कि० वा० में स्थापित क्षमता	23	19	17.3

विकास का शीर्षक	एकक	चौथी योजना का लक्ष्य	संभावित उपलब्धि	कमी (प्रतिशतता में)
1	2	3	4	5
3. औद्योगिक उत्पादन				
(1) इस्पात इनगोट्स	दस लाख मी० टन	10.0	7.54	24.6
(2) तैयार इस्पात	,,	8.1	5.42	33.1
(3) कोयला	,,	93.5	80.0	14.4
(4) सीमेंट	,,	18	15	16.7
(5) कच्चा लोहा	,,	51.4	38.0	26.1
(6) परिष्कृत उत्पादन	,,	26	22	15.4
(7) **उर्वरक**				
(1) नाइट्रोजनयुक्त (एन)	हजार टन	1500	1200	52.0
(2) फासफटिक ($पो_2ओ_5$)	,,	900	400	55.6
(8) अलमूनियम	,,	200	195	11.4
(9) तलंबा	,,	31	18	41.9
(10) चीनी	,,	4700	4000	14.9
(11) सूती कपडा	दस लाख मीटर	5100	4200	17.6

नेपा मिल्स का जीर्णोद्धार (रिनोवेशन)

2542. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स (नेपा) के कागज के पुराने संयंत्र का जार्णोद्धार जो 1968 में पूरा होना था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो जार्णोद्धार कार्य को पूरा करने में इस विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) पुराने संयंत्र का जार्णोद्धार शीघ्र करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणबकुमार मुखर्जी): (क) से (ग) कागज बनाने की द्वितीय मशीन अधिष्ठापित हो जाने से कागज निर्माण की क्षमता लुगदी बनाने की क्षमता से कहीं अधिक हो गई है । अतएव पुरानी कागज मशीनों का जीर्णोद्धार 1974 की अन्तिम छमाही में करने का प्रस्ताव है ताकि लुगदी संयंत्र की पूर्णता तक यह कार्य पूरा हो सके।

देश में नक्सलवादियों की गतिविधियां

2543. **श्री रोनेन सेन :**

श्री वनमाली पटनायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राज्यों में नक्सलवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां यह बह पुनः प्रगट हुआ है; और

(ग) उनमें से कितने व्यक्ति अभी भी जेलों में हैं और वे किन-किन राज्यों की जेल में हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल में फिर कुछ नक्सलवादियों की गतिविधियां ध्यान में आई हैं। बिहार, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब की स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है । शेष राज्यों में नक्सलवादियों की गतिविधियां सामान्यत: संगठनात्मक तथा प्रचारात्मक गतिविधियां तक सीमित रही हैं ।

(ग) गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मैसूर और नागालेण्ड राज्यों तथा अण्डमान व निकोबार, गोवा, दमन व दीव, लक्कादीव, मिनिकाय व अमिनदीवी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और पण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां कोई भी नक्सलवादी जल में नहीं है । शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना प्रत्याशित है ।

देश में टेलेक्स एक्सचेंज

2544. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने टैलेक्स एक्सचेंज काम कर रहे हैं और उनमें अधिष्ठापित लाइनों की कुल क्षमता कितनी है; और

(ख) वर्ष 1973-74 के दौरान कुल कितने टेलेक्स तन्त्र का विस्तार किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस समय देश में 44 टेलेक्स एक्सचेंज काम कर रहे है । इनकी कुल लाइनों की क्षमता 11230 लाइनें है ।

(ख) आशा है कि वर्ष 1973–74 के दौरान भावनगर, देहरादून, दुर्गापूर, कोटा और कोल्हापुर में नए टेलेक्स एक्सचेंज चालू हो जाएंगे ।

दूरी वाले स्थानों के लिये बुक की गई ट्रंक-कालों में विलम्ब

2545. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि लम्बी दूरी के स्थानों के लिये बूक कराई गई ट्रंककालों में बहुत विलम्ब होता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इस दिशा में क्या कदम उठाने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) (i) अपर्याप्त ट्रंक सर्किटों और (ii) दैवी प्रकोपों अथवा तांबे के तारों की चोरियों या कभी कभी सडक रेल पुल, सिविल ऐजेंसियों जैसे अन्य संगठनों के काम करने के कारण सर्किटों में अक्सर खराबियां आ जाती है । इस लिए कुछ मार्गों पर लम्बी दुरी की ट्रंक कालें मिलने में कभी कभी देरी हो जाती है ।

आवश्यकताओं और साधनों के आधार पर सरकार ने माइक्रोवेव कोएक्सिअल और कैरियर जैसी उच्चस्तरिय प्रणालियों स्थापित करने की योजनाएं बनाई है ताकि ट्रंक सर्किटों की संख्या बढ़ाई जा सके । इन योजनाओं का विभिन्न चरणो में कार्यान्वयन हो रहा है । जिन ट्रंक मार्गो पर तांबे के तारों की चोरियां होती हैं, उन सभी मार्गों के सेक्शनों में तांबे के तार की जगह उत्तरोत्तर, अल्युमिनियम के तार लगाए जा रहे हैं ।

देश में नये केन्द्रों के लिये टेलेक्स सेवा का विस्तार

2546. श्री सुखदव प्रसाद वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में नये केन्द्रों के लिए टेलेक्स सेवा का विस्तार करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो किन किन स्थानों पर और इस कार्य के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) जिन नए स्थानों में टेलेक्स की सुविधाएं प्रदान करने के लिए अब तक मंजूरी दी जा चुकी है, उनकी एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है । ये टेलेक्स स्टेशन वर्ष 1973–74 और पांचवीं योजना की अवधि के दौरान उत्तरोत्तर खोल दिए जाएंगे।

विवरण

वर्ष 1973-74 और पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान उत्तरोत्तर खोले जाने वाले टेलेक्स एक्सचेंजों की सुची।

1. आगरा
2. अकोला
3. अलेप्पी
4. अमलनेर
5. अमरावती
9 आसनसोल
7. औरंगाबाद
8 भटिंडा
9. भावनगर
10. देहरादून
11. डिब्रूगढ़
12. दुर्गापूर
13. गुन्टर
14. हुबली
15. जबलपुर
16. जामनगर
17. जोधपुर
18. कोल्हापुर
19. कोटा
20. नासिक
21. पंजिम
22. रायपुर
23. राउरकेला
24. सांगली
25. वाराणसी

Kidnapping of B.S.F. Soldiers by Pakistan from Western Indo-Pak Border

2547. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Pakistan Soldiers have kidnapped some Jawans of the Border Security Force from Western Indo-Pak border ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Award of Tamra Patras to Freedom Fighters by Delhi Administration

2548. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of freedom fighters who have so far been awarded "Tamra Patras" by Delhi Administration?

The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shankar Diskshit): 1220 Tamrapatras have so far been presented to freedom fighters in functions organised by Delhi Administration

मुर्गाबियों और जल पक्षियों के प्रियस्थनों की संरक्षण योजना आरम्भ करने के लिए भारत की गीली भूमियों का मानचित्र

2549. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण संबंधी आयोजन और समन्वय संबंधी राष्ट्रीय समिति ने मुर्गाबियों और जल पक्षियों के प्रिय स्थानों की संरक्षण योजना आरंभ करने के लिए भारत की गीली भूमियों का मानचित्र तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) और (ख) अब तक कोई ऐसा मानचित्र तैयार नहीं किया गया है । देश की महत्वपूर्ण गीली भूमियों का एक सर्वेक्षण किया गया है तथा उपलब्ध आधार सामग्री पर कार्यवाही की जा रही है ।

आई० ए० एस० और अन्य केन्द्रीय सेवा परिक्षाओं के पाठ्यक्रम बदलने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति

2550. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **प्रधान** मंत्री संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने के बारे में 9 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9763 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने आई० ए० एस० और अन्य केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं के पाठ्यक्रम बदलने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति की नियुक्ति की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा कार्मिक प्रशासन सम्बधी अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिश संख्या 13 के अनुसरण में, अखिल भारतीय और श्रेणी 1 केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा के पाठ्यक्रम के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार करने के लिए अन्य बातों के साथ एक समिति का गठन किया जा रहा है । समिति की संविरचना तथा विचारार्थ विषय तैयार किए जा रहे है ।

अमृतसर में टेलीविजन स्टेशन

2551. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर में टेलीविजन स्टेशन कब से चालू हो जाएगा; और

(ख) इसकी स्थापना में विलम्ब क्यों हो रहा है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) अमृतसर टेलीविजन प्रेषण केन्द्र के शीघ्र ही चाल होने की उम्मीद है ।

(ख) यह कुछ आवश्यक स्टूडियो उपकरणों के न होने के कारण हुआ ।

सूखाग्रोड़ित क्षेत्रों की समस्यायें सुलझाने के लिये विशेष योजनाएं

2552 श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना की अवधि के दौरान योजना आयोग ने देश में निरन्तर रूप से सूखा पीडित क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिये कोई विशेष योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना के लिये कुल कितने व्यय का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा गठित किए गए एकीकृत ग्राम विकास से सम्बन्धित अभियान दल की सिफारिशों के आधार पर आयोग देश के स्थायीरूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों के समेकित विकास की एक व्यापक स्कीम को पांचवी योजना में शामिल करने पर विचार कर रहा है। कुछ ऐसे प्रमुख तत्व जो कि इस प्रकार के एकीकृत विकास के लिए नीति बन सकते है, निम्नांकित है :–

(1) सिंचाई संसाधनों का विकास तथा प्रबन्ध;

(2) मिट्टी तथा नमी संरक्षण और वनरोपण;

(3) फसल उगाने की पद्धति का पुर्ननिधारण तथा चारागाहों का विकास;

(4) कृषि पद्धतियों में परिवर्तन;

(5) पशुधन का विकास;

(6) पेय जल की आपूर्ति की व्यवस्था;

(7) ग्रामीण संचार व्यवस्था का विकास;

(8) छोटे, सीमान्त कृषकों और खेतिहर मजदूरों की उन्नति।

यह विचार किया गया है कि प्रत्येक सूखाग्रस्त क्षेत्र में विकास कार्यक्रम एक क्षेत्रीय संगठन के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। यह संगठन उपलब्ध सुविधाओं तथा जिले में कार्यरत विभिन्न विकास विभागों की जन शक्ति को प्रभावशाली रूप से उपयोग में लाएगा। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय योजना में लगभग 200 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमान लगाया गया है, तथा राज्य योजना से भी समान मात्रा में अंशदान किया जाएगा।

"पुलिस टोरचर आफ इन्नोसेंट" शीर्षक से छपा समाचार

2553. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जुलाई, 1973 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "पुलिस टोरचर आफ इन्नोसेंट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमन।

(ख) श्री पवन कुमार के नियोजक द्वारा उसके विरुद्ध अपराध न्यास भंग की रिपोर्ट हौंज खास थाने में की गई थी। एक मामला दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा जांच पडताल की जा रही है। श्री पवन कुमार जांच पडताल में सम्मिलित हुआ है किन्तु उसे इस मामले में न तो गिरफ्तार किया गया और न ही नजरबन्द किया गया था। पुलिस के तंग करने के आरोप की जांच की गई थी और आरोप सिद्ध नहीं हुआ।

लघु उद्योग विकास निगम द्वारा छोटे उद्यमियों का निरुत्साहित किया जाना

2554. **श्री पी० गंगादेव :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विकास निगम तथा राज्यों में इसकी सहयोगी संस्थाओं में विभागीय कार्यवाही की अनिश्चतता से भारत के लघु उद्यमी निरुत्साहित हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या परेशान करने वाली ऐसी प्रक्रिया में तुरन्त संशोधन किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जायेंगें ?

ओद्योगिक विकास मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पांचवीं योजना के लिये वित्तीय संसाधन

2555. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री एम० एस० पुरती :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के लिए वित्तीय संसाधनों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बनाए गए नए कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांचवीं योजना अवधि के लिए वित्तीय संसाधनों का विश्लेषण करने के बारे में गठित कार्यकारी दल की रिपोर्ट की अभी इंतजारी की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में ब्रिटिश शासन को बनाये रखने में योगदान देने वालों के आश्रितों को वंशानुगत अनुदान

2556. **श्री झारखंडे राय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन लोगों के आश्रितों को जिन्होनें भारत में ब्रिटिश शासन बनाये रखने में स्वेच्छा से अथवा अन्यथा योगदान दिया था, वंशानुगत अनुदान अभी भी दिये जा रहे है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) ब्रिटिश सरकार ने भूतपूर्व शासकों के परिवारों को क्षेत्रों के विलय अथवा क्षेत्रीय अधिकारों के समर्पण करने पर मुआवजे के रूप में उनके वंशजों और आश्रितों की वंशानुगत पेंशन स्वीकृत की थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत की गई ऐसी राजनैतिक पेंशनों की स्वतंत्रता के समय की स्थिति का, एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5358/73]** इनके भुगतान को जारी रखने का प्रश्न विचाराधीन है।

फैजाबाद में सुन्नी मुसलमानों के जुलस पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की जांच

2557. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में 16 अप्रैल, 1973 को सुन्नी मुसलमानों ने एक जुलूस निकाला था जिस पर पुलिस ने लाठी चार्च किया था;

(ख) क्या फैजाबाद के आयुक्त ने इसकी जांच की थी और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है;

(ग) क्या तत्कालीन मुख्य मंत्री ने राज्य विधान सभा में आश्वासन दिया था कि सुन्नी मुसलमानों के विरुद्ध मामले वापिस ले लियें जाएंगे, और

(घ) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है और उन मामलों को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए जा रहेहै ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधादेशों का उल्लंघन करते हुए 16 अप्रैल 1973 को फैजाबाद में एक ऐसा जुलूस

निकाला गया था । जिस समय जिला प्राधिकारी जुलूस वालों से तितर बितर हो जाने के लिए आग्रह कर रहे थे तब जुलूस वालों में से कुछ हिंसा पर उतारू हो गये तथा पथराव शुरू कर दिया, जिस पर जुलूस को अवैध जमाव घोषित किया गया । क्योंकि दिये गये ऐसे आदेश के बावजूद जूलूस वाले तितर बितर नहीं हुए अतः पुलिस को हल्का लाठी चार्ज करना पडा और अवैध जमाव को तितर बितर किया। इस सम्बन्ध में चार मामले दर्ज किये गये थे तथा विचारण के लिये लम्बित है ।

ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीक मुख्य मंत्री ने राज्य विधान सभा में कोई अश्वासन दिया था कि ये मामले वापिस ले लिये जायेंगे।

फैजाबाद डिवीजन के आयुक्त को इस घटना की जांच करने को कहा गया है । जांच अभी जारी है ।

फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में सीमेंट की कमी

2558. श्री आर० के० सिन्हा : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में सिमेंट की भारी कमी के बारे में पता है; और

(ख) वितरण व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जायेंगे ताकी सभी जरुरतमन्द व्यक्तियों को सीमेंट उपलब्ध हो सके ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) समग्र देश में सीमेंट की कमी के परिणामस्वरुप, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में सीमेंट की कुछ कमी है परन्तु इस कमी को भारी कमी नहीं कहा जा सकता है। फैजाबाद को दिये गए सीमेंट का परिमाण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	मी० टन
1971	19880
1972	19154
1973	6691
(जनवरी से मई तक)	

(ख) उपलब्ध सीमेंट का समान वितरण करने के लिए , राज्यों की पिछले पांच वर्षों की खपत के आधार पर जुलाई 1973, से जून 1974 तक की अवधि के लिए प्रत्येक राज्य को कोटा निर्धारित किया गया है और राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुसार उसका आवंटन किया जाता है । उत्तर प्रदेश के लिए अतिरिक्त कोटे देने पर भी सहमति दे दी गई है । राज्य में सीमेंट के समान वितरण का सुनिश्चय करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमेंट की खुदरा बिक्री को विनियमित करने के लिए 9 मई, 1973 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत सीमेंट नियंत्रण आदेश जारी किया है । फैजाबाद के लिए शीघ्रता से सीमेंट देने के बारे में संबंधित कारखानों को भी अनुदेश जारी किये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष की गिरफ्तारी

2559. श्री आर० के० सिन्हा : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष श्री पी० एन० सुकुल को उत्तर प्रदेश में पी० ए० सी० के विद्रोह के दौरान गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) उनके विरुद्ध विशिष्ट आरोप क्या हैं और उनके मामले में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष श्री पी० एन० सुकुल को 26-5-73 को गिरफ्तार किया गया था ।

(ख) उन्हें पुलिस (असंतोष के लिए उत्तेजना) अधिनियम, 1922 की धारा 3 और भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 43(5) के अधीन अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था और अभी जेल में हैं । मामला न्यायाधीन है और यह कहना संभव नहीं है कि न्यायालय द्वारा कब निर्णय किया जायगा ।

गैर अनुसचिवीय तथा तकनीकी पदालियों में अनुसचिवीय पद बनाना

2560. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर अनुसचिवीय तथा तकनीकी पदालियों में अनुसचिवीय पद बनाए जा रहे हैं ;

(ख) भविष्य में पदों के सृजन के लिए, सिद्धान्तों की जांच करने तथा उन्हें निश्चित करने और सामान्य केन्द्रीय सेवाओं में पदों को विभिन्न पदालियों के अन्तर्गत लाने के लिए एक समिति बनाई गई है ;

(ग) क्या इस समिति की रिपोर्ट आने तक अनुसचिवीय कार्य के लिए बनाए गए पदों पर गैर अनुसचिवीय सेवा के अधिकारियों को लगाया जा रहा है; और

(घ) इस असंगति को दूर करने के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) डाक तौर महानिदेशालय में काम की जरुरत के मुताबिक पद बनाये जाते हैं । उन कामों के लिए जो मूल रूप में सचिवालयी हैं, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधीन पद बनाये जाते हैं। ऐसे पद जहां यथा स्थान कार्य का अनुभव जरुरी हो अन्य संवर्गों अर्थात डाक, तार और लेखा संवर्गों के अधीन मंजूर किये जाते हैं । उन अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए , जिनमें कहा गया है कि आमतौर से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध पदों को अन्य सेवाओं के अधीन कर दिया गया एक विभागीय समिति का गठन किया गया है । समिति की रिपोर्ट की प्रतिक्षा है ।

(ग) जी नहीं । चूंकि सचिवालयीन कार्य से सम्बन्धित पदों को केवल केंद्रीय सचिवालय सेवा में बनाया जाता है, इसलिए उन्हें गैर सचिवालयीन सेवा के कर्मचारियों से नहीं भरा जाता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

'पिन कोड' प्रणाली को लोकप्रिय बनाना

2561. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रचार के अभाव के कारण पत्रों पर पते लिखने की नई "पिन कोड" प्रणाली नगरीय क्षेत्रों में अभी तक लोकप्रिय नहीं हुई है ;

(ख) क्या भेजने वाले/पाने वाले कार्यालयों के अज्ञान के कारण "पिन कोड " नम्बरों वाले पत्र गलत पतों पर डाल दिए जाते हैं ; और

(ग) "पिन कोड" प्रणाली के लोकप्रिय बनाने के लिए सरकारने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं । ऐसे मामलों में प्रगति धीमी रहती ही है ।

(ख) जी नहीं । डाक वस्तुओं के ऊपर जो सामान्य पता लिखा रहता है, उसी के अनुसार डाक वस्तुओं को डिलीवरी की जाती है । इसलिए जिन पत्रों पर पिन कोड नम्बर लिखा रहता है, वितरण कर्मचारियों की अनभिज्ञता के कारण उनकी गलत डिलीवरी करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पिन कोड प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) अगस्त, 1972 से नवम्बर 1972 तक तीन महीने की अवधि में विभिन्न सिनेमाघरों में सिनेमा स्लाइड दिखाए गए थे ।

(2) आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम में सूचना प्रसारित की गई थी जिसमें जनता से पिन कोड का प्रयोग करने की प्रार्थना की गई थी ।

(3) समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर पिन कोड के प्रयोग पर बल दिया गया है ।

(4) भारत सरकार के सभी मंत्रालयवि/भागों के सचिवों और राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों से प्रार्थना की गई है कि वे अपने कार्यालयों के कर्मचारियों तथा अपने मातहत कार्यालयों के कर्मचारियों को ये हिदायतें दें कि वे अपने सभी पत्राचार में पिन कोड का प्रयोग करें। डाकतार विभाग के सभी कार्यालयों को भी अपने पत्राचार में पिन कोड का प्रयोग करने की ताकीद की गई है ।

(5) आकाशवाणी के सभी स्टेशन डाइरेक्टरों से निवेदन किया गया है कि वे जब अपने पतों को घोषणा करें तो साथ में उनके पिन कोड नम्बर भी बताएं।

(6) सर्किल पिन डाइरेक्टरियां छपाई गई हैं और बिक्री के लिए रख दी गई हैं ।

(7) अखिल भारतीय पिन चार्टों की तीन लाख प्रतियां छपाई गई हैं और बिक्री के लिए सर्किलों को दे दी गई हैं । इन चार्टों में 600 महत्वपूर्ण नगरों के पोस्टल इंडेक्स नम्बर दिए गए हैं। एक बहुत बड़ी प्रतिशत में ये चार्ट बिक भी चुके हैं ।

(8) एशिया 72 और राष्ट्रीय उद्योग मेले में भारत के पिन कोड का एक नक्शा भी दिखाया गया था।

(9) जोन के अनुसार एक अखिल भारतीय पिन कोड डाइरेक्टरी छपाई जा रही है जिसे बिक्री के लिए रख दिया जाएगा ।

(10) सर्किल अध्यक्षों से कहा गया है कि वे अपने यहां की क्षेत्रीय भाषाओं में पिन चार्ट छपवांएं और उन्हें बिक्री के लिए रख दें ।

(11) ज्यादा डाक भेजने वालों से कहा जा रहा है कि वे डाक भेजने की अपनी सूचियों में प्रत्येक पते के आगे पिन कोड नम्बर लिखें । इस संबंध में डाक कर्मचारी उनकी मदद कर रहे हैं ।

(12) समाचार पत्रों में विज्ञापन देने वालों को उनके पोस्टल इंडेक्स नम्बर सूचित किए जा रहे हैं और अनुरोध किया जा रहा है कि वे अपने पत्राचार में इन पिन कोड नम्बरों का प्रयोग करें ।

(13) पाने वालों को डाक वस्तुएं देने से पहले उन वस्तुओं पर पोस्टल इंडेक्स नम्बर की रबड़ मोहर छाप लगा दी जाती है ताकि उन्हें अपने वितरण क्षेत्र का पोस्टल इंडेक्स नम्बर मालूम हो जाए ।

(14) भविष्य में जब भी डाकघर में इस्तेमाल में आने वाली सीलें और मोहरे बनवाये जाएगी तो उन पर पोस्टल इंडेक्स नम्बर दे दिया जायगा ।

(15) पिन कोड प्रणाली पर एक डाक्यूमेण्टरी फिल्म तैयार कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

(16) अन्तर्देशीय पत्र, कार्डों और पोस्टकार्डों पर 3 वर्गों और 3 वृत्तों वाली एक पट्टी छपाई गई है ताकि उस पर पिन कोड नम्बर लिखा जा सके ।

विदेशों से चोरी छिपे टेलीविजन सेट लाये जाने के बारे में टेलीविजन सेट निर्माताओं के प्रतिनिधि मंडल से प्राप्त अभ्यावेदन

2562. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या टेलीविजन सेट निर्माताओं का एक प्रतिनिधि मंडल विदेशों से निरन्तर चोरी छिपे टेलीविजन सेट लाये जाने के बारे में उनसे मिला था और उनको अभ्यावेदन दिया था ; और

(ख) यदि हां , तो अभ्यावेदन के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) टेलीविजन सेट निर्माताओं का कोई औपचारिक प्रतिनिधि मंडल सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री से नहीं मिला ।

(ख) देश में टेलीविजन सेटों को चोरी छिपे लाया जाना रोकने के लिए सैंट्रल एक्साईज़ एंड कस्टम बोर्ड और पी०एंड टी०बोर्ड के मध्य एक समन्वित हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है । स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

ड्रिलों के लिये बिट्स का निर्माण

2563. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 100 से 200 मि० मि० डायामीटर की ड्रिलों के लिए क्रास और बटन बिट्स के निर्माण के लिए स्वदेशी क्षमता का विकास कर लिया गया है ?

(ख) क्या अभी तक आयातित की गई सभी ड्रिलों के लिए बिट्स की व्यवस्था करने की स्वदेशी क्षमता पर्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या देश में कुओं की खुदाई का कार्य कर रही विभिन्न समाज कल्याण अन्तराष्ट्रिय संगठनों के सभी प्रकार के बिट्स के देश में ही निर्माण के लिए स्त्रोतों की खोज की थी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां । पूना की एक फर्म 36 × 165 मिलीमीटर आकार की ड्रिल बिट्स बना रही है तथा उनकी उत्पादन दर प्रतिवर्ष 8000 बिट्स है ।

(ख) देश में अभी तक पानी के कुएं खोदने तथा खनन के लिए ग्रिल बिट्स की जरुरतें यह फर्म पूरी कर रही थी । फिर भी, सूखे की स्थितियों आदि के कारण इस समय बेधन (ड्रिलिंग) कार्य अचानक बढ़ गया है तथा इनकी सप्लाई की मांग भी अत्यधिक बढ़ गई है । कोयमबतूर की एक अन्य फर्म को प्रतिवर्ष 3500 ड्रिल बिट्स के निर्माण हेतु आशयपत्र दिया गया है ।

(ग) सरकार के पास ड्रिल बिट्स बनाने हेतु औद्योगिक लाइसेंस के लिए किसी भी समाज कल्याण आंतर्राष्ट्रीय संगठन से अभी तक कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । जब कभी भी ऐसा आवेदन पत्र प्राप्त होगा उस पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायगा ।

पांचवीं योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

2564. **श्री जगन्नाथ मिश्र** :

श्री राम प्रकाश :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजनावधि में पूरे किए जाने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों की रुपरेखा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितने नियतन का प्रस्ताव है; और

(ग) वैज्ञानिकों और तकनीकी जानकारी के लिए रोजगार के अवसर जुटाने के लिए योजनाओं की रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य गरीबी को दूर करने के उद्देश्य से तथा उद्योग में हमारे वर्तमान और भावी निवेश के प्रतिलाभ को अधिकाधिक उपलब्ध करने के प्रयोजन से हमारे कार्यक्रमों को सीधे कार्यान्वित करने के लिए प्रौद्योगिकी आत्म-निर्भरता का विकास करना है। इनमें अर्थ-व्यवस्था के सभी मुख्य क्षेत्र सम्मिलित हैं, यथा, प्राकृतिक संसोधन, कृषि, परिवार कल्याण तथा स्वास्थ, इंधन और ऊर्जा उद्योग तथा सूचना केन्द्र जैसी अन्य अवस्थाधनात्मक आवश्यकताएं इत्यादि ।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों पर अभी योजना आयोग तथा दूसरों से विचार विमर्श करना है अतएव इस स्थिति में इस कार्य के लिए प्रस्तावित नियतन की सूचना देना एक समय-पूर्व कार्य होगा।

(ग) सरकार ने 1971–72 के दौरान अन्य लोगों के अतिरिक्त, शिक्षित बेरोजगार लोगों, वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों को रोजगार देने के प्रयोजन से कुछ योजनाएं प्रारम्भ की थीं। 1973-74 में एक "पांच लाख रोजगार कायक्रम" भी प्रारम्भ किया गया था ताकि सभी अभियन्ताओं और श्रेष्ठतम योग्यताप्राप्त प्रौद्योगिकीविदों को वर्ष के अन्त तक रोजगार उपलब्ध हो सके।

देश में संचार व्यवस्था का विकास

2565. श्री अर्जुन सेठी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संचार व्यवस्था के विकास के लिये पांचवी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि रखने का प्रस्ताव है ;

(ख) विभिन्न राज्यों को, राज्यवार कितना धन नियत किया गया है; और

(ग) पांचवीं योजना में माइक्रो-वेव प्रणाली द्वारा उड़ीसा के कौन-कौन से शहरों को जोड़ने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : दूर संचार : (क) डाक-तार विभाग की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में जिसे योजना आयोग ने अभी मंजूर नहीं किया है, यह प्रस्ताव है कि देश में संचार प्रणाली के विकास पर करीब 1200 करोड़ रुपये खर्च किये जायें ।

डाक संचार :

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाक व्यवस्था के विकास के लिये विभाग की पंचवर्षीय योजना के मसौदे में 108 करोड़ रुपयों के कुल वित्तीय परिव्यय का प्रस्ताव किया गया था। तथापि, योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप कुछ मांगें और स्कीमें कम कर दी गयी हैं। इन स्कीमों के सम्बन्ध में योजना आयोग की अन्तिम मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) पूरी योजना संश्लिष्ट रूप में है। इसमें देहाती और शहरी इलाकों तथा विभिन्न राज्यों की आवश्यकताएं शामिल हैं, जो दूर संचार प्रणाली के एक राष्ट्रीय ढांचे से जुड़ती है। इसलिए धनराशि का बंटवारा सिर्फ राष्ट्रीय आधार पर किया गया है।

डाक संचार :

विकास-योजनाएं पूरे देश के लिये तैयार की जाती हैं और इनका राज्यवार बंटवारा नहीं किया जाता।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में भारत में करीब 14000 किलोमीटर लम्बे माइक्रोवेव मार्ग चालू करने का प्रस्ताव है। कौन-कौन से माइक्रोवेव मार्ग चालू किये जायेंगे, उनकी योजनाओं को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि भुवनेश्वर तथा कटक माइक्रोवेव के जरिये पहले से ही जुड़ हुए हैं और पांचवीं योजना अवधि के दौरान संबलपुर तथा राउरकेला भी माइक्रोवेव प्रणाली से जुड़ जायेंग।

देश में घाटे में चल रहे शाखा डाकघर

2566. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, कितने शाखा डाकघर घाटे में चल रहे हैं और उन्हें गैर-अदायगी योग्य अंशदान राशि दी जा रही है ;

(ख) क्या सरकार का विचार, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में गैर-अदायगी योग्य अंशदान राशि की मात्रा कम करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) यह सूचना नीचे दी गई है :

राज्य	चंदे के आधार पर काम कर रहे शाखा डाक-घरों की संख्या
आन्ध	81
असम	21
अरुणाचल	10
मणिपुर	101
मेघालय	8
मिजोरम	—
नागालैण्ड	40
त्रिपुरा	79
बिहार	425
दिल्ली	—
गुजरात	369
दादरा नगर हवेली	1
जम्मू व कश्मीर	187
केरल	32
लक्कादिव-मिनीकाव द्वीपसमूह	—
मध्य प्रदेश	1237
महाराष्ट्र	435
गोआ-दमन-दिव	1
मैसूर	222
उड़ीसा	359
पंजाब	333
हरियाणा	153
चंडीगढ़	—
हिमाचल प्रदेश	250
राजस्थान	65
तामिलनाडु	48
पांडिचेरी	—

राज्य	चंदे के आधार पर काम कर रहे शाखा डाकघरों की संख्या
उत्तर प्रदेश	186
पश्चिमी बंगाल	323
अंडमान, निकोबार द्वीप समूह	--
योग	4966

(ख) जी, नहीं। लोकहित में जो डाकघर खोले जाते है उनके लिये सरकार कुछ एक सीमा तक घाटा उठाती है और जब घाटा उस सीमा से ज्यादा होता है तो चंदा अदा करना होता है।

बहुत पिछड़े इलाकों में डाकघर प्रतिवर्ष 1000 रुपये घाटा उठाकर खोले जाते है। और बहुत खास मामलों में विभाग डाकघर खोलने में प्रतिवर्ष 2500 रुपये तक घाटा उठाता है। इसके विपरीत सामान्य इलाकों में जनसंख्या के आधार पर डाकघर खोलने के लिये घाटा 500 रुपये और 750 रुपये तक उठाया जाता है। अत: इस बारे में आगे और ढील देना आवश्यक नहीं समझा जाता।

(ग) ऊपर भाग (ख) में दिये गए उत्तर को मध्यनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

समाचारपत्र वित्त निगम की स्थापना

2567. **श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्र वित्त निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उक्त निगम की स्थापना कब तक हो जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। समाचारपत्र वित्त निगम स्थापित करने हेतु एक विधेयक लोक सभा में शीघ्र ही प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। इसके सम्बन्ध में ब्यौरा अभी विचाराधीन है।

दिल्ली में नई टेलीफोन डायरेक्टरी का जारी किया जाना

2568. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में नई टेलीफोन डायरेक्टरी जारी की गई थी;

(ख) क्या कुछ दिन बाद ही इस नई डायरेक्टरी की प्रतियों का वितरण हठात् बन्द कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या नई टेलीफोन डायरेक्टरी में अनेक गलत टेलीफोन नम्बर या वे टेलीफोन नम्बर भी हैं जो काफी पहले बदल गए थे; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) डाइरेक्टरियों का वितरण आरम्भ करने के बाद, परिवहन की अप्रत्याशित कठिनाइयों के कारण डाइरेक्टरियों की सप्लाई को बरकरार नहीं रखा जा सका, इसलिए डाइरेक्टरियों का आगे और वितरण बन्द करना पड़ा । टेलीफोन डाइरेक्टरी में इस प्रकार एक बहुत बड़ी संख्या में गलत इंदराज छपने के कोई खास मामले विभाग की जानकारी में नहीं आए हैं ।

(घ) कुछ गलतियां विभाग की जानकारी में लाई गई थीं । टेलीफोन डाइरेक्टरी के अगले संस्करण की पांडुलिपि में इन गलतियों को सुधार दिया गया है ।

देश में खोले गए काल आफिस तथा पब्लिक काल आफिस

2569. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में देश में सर्किलवार कुल कितने काल आफिस तथा पब्लिक काल आफिस खोले गए;

(ख) प्रत्येक सर्किल से इनमें से कितने अलाभप्रद पाये गये जिनके लिए डाक-तार विभाग ने भाड़ा तथा गारंटी की शर्तें मांगी थी जिन्हें सम्बद्ध पार्टियों ने स्वीकार कर लिया था; और

(ग) ऐसे काल-आफिस कितने हैं जिनके लिए भाड़ा तथा गारंटी की शर्तें रखी तो गई थीं परन्तु जो सम्बद्ध पार्टियों को स्वीकार्य नहीं थी?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) यह सूचना सभा-पटल पर रखी जाती है ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्यां एल० टी०-5359/73]

दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रों को श्रव्य और दृश्य प्रचार निदेशक द्वारा विज्ञापन के लिये जाने का आधार

2570. **श्री नारायण चन्द पाराशर:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, द्वि मासिक पत्रों को श्रव्य और दृश्य प्रचार निदेशक द्वारा विज्ञापनों के दिये जाने का आधार क्या है; और

(ख) क्या विकास शील बोलियों और भाषाओं के पत्र-पत्रिकाओं को भी ऐसे विज्ञापन दिये जाते हैं, भले ही उनकी कम प्रतियां वितरित होती हों, क्योंकि भाषाओं के विकास में उनका कार्य अग्रणी होता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों और भाषा की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों एवं समाज के वर्गों में उनकी उपयोगिता होती है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) सरकार के विभिन्न अभियानों के लिए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का चयन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाती हैं :—

(1) प्रभावी खपत (सामान्यतः 1000 से कम बिक्री वाले समाचारपत्रों का उपयोग नहीं किया जाता);

(2) प्रकाशन में नियमितता (लगातार 6 महीने का प्रकाशन आवश्यक है);

(3) पाठकों की श्रेणी;

(4) पत्रकारिता संबंधी नैतिकता के स्वीकृत स्तरों का पालन;

(5) अन्य बातें जैसे प्रभाव शक्ति, छपाई स्तर, उपलब्ध धन के अन्दर-अन्दर किन-किन भाषाओं और क्षेत्रों में विज्ञापन देने हैं; और

(6) विज्ञापन की दरें जो सरकार की प्रचार आवश्यकताओं के लिए उचित और स्वीकार्य समझी जाए ।

(ख) जी, हां ।

तारापुर परमाणु बिजलीघर से बिजली का बिक्री मूल्य

2571. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु बिजलीघर से बिजली का बिक्री मूल्य केन्द्रीय विद्युत बोर्ड और राज्य विद्युत बोर्ड के साथ विचार-विमर्श करने के बाद निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परमाणु ऊर्जा अधिनियम की धारा 22 (1) (ख) के अन्तर्गत अपेक्षित अधिसूचना जारी की गई है और यदि हां, तो यह अधिसूचना कब जारी की गई; और

(ग) इस अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया गया बिजली का बिक्री मूल्य क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) नवम्बर, 1969 में सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय के सचिव द्वारा आयोजित सम्बद्ध संगठनों की बैठक में लिये गए निर्णयों के आधार पर महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य विद्युत् बोर्डों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद तारापुर परमाणु बिजलीघर से पैदा होने वाली बिजली का बिक्री मूल्य 31 मार्च, 1973 तक के लिए निर्धारित किया गया था। जहां तक 1-4-1973 के बाद के बिक्री मूल्य का सम्बन्ध है, एक प्रस्ताव परमाणु ऊर्जा अधिनियम की धार 22(1) (ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण की सहमति के लिए पेश किया जा चुका है ।

(ग) क्योंकि केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण की सहमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थानों का चयन करने के लिये बनाई गई समिति का रिपोर्ट

2572. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 30 सितम्बर, 1970 को विशेषज्ञों की एक तकनीकी समिति उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन करने के लिए नियुक्त की थी, यदि हाँ, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ख) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उसने प्रत्येक क्षेत्र में कौन से उचित स्थान चुने हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरीक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) जी, हाँ । समिति के वर्तमान सदस्यों के नाम नीचे दिये जा रहे है:

1.	श्री वी० आर० वेंगुरलेकर, परामर्शदाता (सिविल) विद्युत् परियोजना इंजीनियरी प्रभाग	अध्यक्ष
2.	श्री जे० सी० शाह, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक परमाणु विद्युत प्राधिकरण	सदस्य
3.	श्री ए० के० गांगुली, निदेशक, रसायन वर्ग, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	सदस्य
4.	श्री के० के० दर, निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग . .	सदस्य
5.	श्री एस० एल० काटी, प्रमुख डिजाइन इंजीनियर, विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग	सदस्य
6.	श्री टाटा राव, सदस्य (थर्मल), केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग .	सदस्य
7.	श्री जी० वी० अनन्त रमैया, निदेशक, सुपर ग्रिड निदेशालय, केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग	सलाहकार
8.	डा० के० एस० पारिख, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान .	सलाहकार
9.	श्री के० टी० थामस, निदेशक, इंजीनियरी सेवा वर्ग, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	केवल उत्तरी विदयतु क्षेत्र के लिये सहयोजित सदस्य

(ख) समिति ने उत्तरी तथा पशिचमी क्षेत्रों के लिए अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।

(ग) उत्तरी क्षेत्र के बारे में समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने उत्तर प्रदेश के नरौरा नामक स्थान पर एक परमाणु बिजलीघर की स्थापना करने का निर्णय लिया है। जहां तक पशिचमी क्षेत्र का सवाल है, समिति की रिपोर्ट अभी तक सरकार के विचाराधीन है। अब समिति द्वारा दक्षिण क्षेत्र के विभिन्न स्थलों की जांच की जा रही है।

पांचवीं योजनावधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

2573. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों मे इन क्षेत्रों के अत्यन्त पिछड़पन को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक टेलीफोन लगाकर टलीफोन सुविधायें प्रदान करने के लिए डाक और तार विभाग ने एक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कम से कम सामुदायिक विकास खंडों के मुख्यालयों को वर्गीकृत स्टेशन घोषित करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) चूंकि विभाग को पांचवी पंचवर्षीय योजना अभी मंजूर नहीं हुई है, इसलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टलीफोन घर खोलने से संबधित ब्यौरे निकाले नहीं गए ह। जब यह ब्यौरे निकाले जाएंगे तब खण्ड विकास मुख्यालयों की आवश्यकता ों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

पांचवीं योजना के लिये विदेशी सहायता

2574. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए विदेशी सहायता की मात्रा के बारे में कोई अनुमान लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या अपेक्षित मात्रा में विदेशी सहायता उपलब्ध हो जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में ही आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) : जैसा कि "पांचवीं योजना, 1974–79 के प्रति दृष्टिकोण" नामक दस्तावेज में उल्लेख किया गया है, पांचवीं योजना के संसाधनों के अभ्यास के अनुसार पांच वर्ष की अवधि में 3000 करोड़ रुपये की कुल विदेशी सहायता मानली गयी है । सहायता की यह राशि उपलब्धता की दृष्टि से यथार्थ समझी गयी है। फिर भी संसाधनों संबंधी पुनर्गठित कार्यकारी दल, अन्य बातों के साथ-साथ पांचवां पंचवर्षीय योजना के लिए उपलब्ध होने वाली विदेशी सहायता की मात्रा का भी पुनरीक्षण करता रहा है। अगले लगभग दो सप्ताह में दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही स्थिति का पता चल पायेगा ।

सदर बाजार के दंगों के बारे में "रमण रूल्स आऊट जुड़ीशियल प्रोब" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2575. **श्री राम प्रकाश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जून, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में सदर बाजार के दंगों के बारे में "रमण रूल्स आउट जुड़ीशियल प्रोब" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सरकार ने उक्त समाचार देखा है । उप-राज्यपाल दिल्ली ने उन परिस्थितियों तथा कारणों की प्रशासनिक जांच करने का आदेश दिया था जिनके परिणामस्वरूप 12 और 13 जून, 1973 के मध्य की रात में दंगे हुए थे । उप-राज्यपाल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा विचाराधीन है।

देश में ट्रकों और बसों के टायर बनाने वाले कारखाने

2576. **श्री राजा कुलकर्णी** :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देशमें टायर बनाने वाले कारखाने कहां कहां पर हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी स्थापित क्षमता कितनी कितनी है और वे विभिन्न प्रकार के टायरों का कितना कितना निर्माण कर रहे हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मोटर गाड़ी टायर तथा ट्यूब बनाने वाले एककों के नाम उनके स्थापना स्थल, लाइसेंसी प्राप्त/स्वीकृत क्षमता तथा

उत्पादन निम्नलिखित हैं :—

एकक का नाम	स्थान	रायरों की लाइसेंसी कृत/ स्वीकृत क्षमता (संख्या)	1972 में उत्पादन (संख्या)	1973 (जनवरी-मई) तक
1	2	3	4	5
1 मे० डनलप इंडिया लिमिटेड	साहागंज कलकत्ता	8,68,900 + 2,72,100†	11,20,192	4,56,357
2 मे० डनलप इंडिया लिमिटेड	अम्बेत्तूर मद्रास	5,80,000	4,99,070	1,03,073*
3 मे० फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी	बम्बई	6,74,000	9,78,274	3,93,864
4 मे० सीट टायर्स इण्डिया लि०	बम्बई	6,50,000	8,28,782	3,13,752
5 मे० गुडइयर इण्डिया लिमिटेड	बल्लबगढ हरियाणा	6,00,000	6,11,782	2,54,506
6 मे० मद्रास रबड़ फैक्टरी लि०	मद्रास	6,10,000 + 3,90,000†	4,87,278,	1,10,119
7 मे० प्रीमियर टायर्स लिमिटेड	कोचीन	3,00,000	3,40,003	1,37,214
8 मे० इनचेक टायर्स लिमिटेड	कलकत्ता	3,00,000 + 2,00,000†	1,12,017	1,33,037

†पूर्ण प्रयोग योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त अतिरिक्त क्षमता।

*श्रमिक अशांति के कारण बन्द पड़े रहना इसलिए उत्पादन में हानि।

हिन्दू कालेज, दिल्ली के वार्डन पर हमला

2577. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :**

श्री राम सहाय पाण्डे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क)क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1973 को समाजविरोधी तत्वों द्वारा हिन्दू कालेज, दिल्ली के वार्डन, डा० आर० के० ग्रोवर को छुरा घोपने की घटना की ओर दिलाया गया है; और

(ख)यदि हां, तो अपराधियों का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख)मामले में जांच-पड़ताल पहले दिल्ली पुलिसद्वारा की गई थी। 20-7-1973 को मामले का जांच पड़ताल केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो को हस्तांतरित कर दी गई थी। अपराधियों को पहचानने और पकड़ने सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज लाइनों की क्षमता

2578. श्री त्रिदिब चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली नगरों की टेलिफोन एक्सचेंजों में लाइनों की क्षमता कितनी कितनी है और चौथी पंच-वर्षीय योजना के अन्त में यह क्षमता कितनी होगी,

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इन तीन नगरों की टेलीफोन व्यवस्था के लिए कितनी अतिरिक्त लाइनों की एक्सचेंज क्षमता नियत की गई है और पांचवीं योजना के अन्त में इन नगरों की लाइन एक्सचेंज क्षमता कुल कितनी होगी, और

(ग) बड़े नगरों को लाइन एक्सचेंज क्षमता और टेलीफोन यंत्र किस आधार पर नियत किये जाते हैं?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क)

	कलकत्ता	बम्बई	दिल्ली
(i) मार्च, 1973 तक कुल क्षमता	1,31,580	1,69,200	1,10,050
(ii) चौथी योजना के अन्त तक संभावित क्षमता . .	1,33,580	1,84,300	1,15,450

(ख) पांचवी योजना में जीतनी लाइनें अलाट की गई हैं और जितने चालू होने की सम्भावना है, उनके ब्योरे नीचे दिए गए हैं :—

	कलकत्ता	बम्बई	दिल्ली
(i) उन लाइनों की संख्या जिन्हें पांचवी योजना के मसौदे के अनुसार अलाट किए जाने की संभावना है । . .	81,300	1,93,000	1,37,000
(ii) चौथी योजना में या उसके पहले अलाट की गई उन लाइनों की संख्या जो पांचवीं योजना में चालू की जाएंगी .	53,700	67,000	49,300
(iii) पांचवीं योजना में अलाट की गई जिन लाइनों के चालू होने की संभावना है, उन की संख्या	51,300	1,21,000	70,700
(iv) पांचवी योजना के अन्त में कुल संभावित सज्जित क्षमता .	2,38,600	3,72,300	2,35,000

(ग) ये अलाटमेंट प्रतीक्षा-सूचियों और मांगों के पूर्वानुमानों के आधार पर किए जाते हैं। पांचवीं योजना के मसौदे के अनुसार, बशर्ते कि साधन उपलब्ध हों, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली आदि जैसे बड़े शहरों के लिए पर्याप्त संख्या मे उपस्कर अलाट करने का प्रस्ताव है ताकि टेलिफोन प्राप्त करने के लिए प्रतिक्षा की अवधि घट कर एक साल से कम हो न जाए ।

Nationalisation of Bidi Industry

2579. Shri M. S. Purty: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the State-wise number of persons working in the bidi manufacturing industry of the country at present; and

(b) whether Government propose to nationalise the bidi industry?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) A Statement is attached.

(b) No, Sir.

STATEMENT

	Name of the State	Estimated No. of Workers in Bidi manufacture
1	Madhya Pradesh	20,000
2	Bihar	4,600
3	Andhra Pradesh	18,300
4	West Bengal	1.30.000
5	Punjab	
6	Kerala	64,500
7	Gujarat	12,000
8	Tamil Nadu	12,000
9	Maharashtra	16,500
10	Mysore	5,000

Note 1.—According to the information from Cental Board of Excise and Customs, production of bidies in other States has not been reported.

Note 2.—Manufacture of bidi is done in cottage and small-scale sectors. There is no large scale bidi manufacturing unit in the country. The figures regarding the estimated number of workers engaged in bidi manufacture in different States are based on the information furnished by the State Governments a few years back. The latest figures are not available.

Development of Backward Regions Through Television

2580. Shri M. S. Purty: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether any efforts has been made by Central Government for the development of backward regions such as Adivasi areas in any State through Television; and

(b) if so, the names of such States and the amount sanctioned for the purpose?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) and (b) All the mass media and the State and the Central Government agencies have to work together for the development of backward and Adivasi regions. The development of these areas cannot be effected by TV alone. No TV Station has yet been established which exclusively covers the backward and tribal areas as such. Some proposals are under consideration for expanding the T.V. network to cover backward areas also during the Fifth Plan period.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये कल्याणकारी योजनायें क्रियान्वित करने के लिये एक पृथक मंत्रालय बनाना

2581. श्री एम० एस० पुरती : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की दशा में सुधार करने हेतु संविधान में दी गई गारंटियों को लागू करने तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र में एक आदिवासी मंत्री के अधीन एक पृथक मंत्रालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधिन है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरीक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जी, नहीं ।

तारापुर परमाणु संयंत्र में दोष

2582. श्री सरोज मुखर्जी : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 23 जून, 1973 के 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी निर्माणकर्ता, जनरल इलैक्ट्रिक और उनके भारतीय सहायक बैकटील, इंडिया ने एक दोषपूर्ण संयंत्र भारत के सिर थोप दिया था और इसी कारण तारापुर संयंत्र में आरम्भ से बड़े दोष रहे है और यह कि भारतीय इंजीनियरों को इस बात की पूरी जानकारी थी परन्तु भारत को संयंत्र सौंपने से पहले उक्त निर्माणकर्ताओं ने सम्बद्ध भारतीय अधिकारियों को प्रभावित कर लिया था;

(ख) क्या उन्होंने इस आरोप की जांच की है, और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार ने सम्बन्धित यूनिटों को पुन: चलाने के लिए क्या कदम उठाये हैं जिससे कि महाराष्ट्र और गुजरात में फिर से बिजली का गम्भीर संकट पैदा न हो ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरीक्ष मंत्री, (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) ये आरोप निराधार हैं । इनकी जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई है ।

(ग) तारापुर परमाणु बिजलीघर के दोनों यनिटों को अन्तिम बार जब इंधन [बदलने के लिए बंद किया गया था उसके बाद चालू होने के समय से लेकर अब तक वे सन्तोषजनक रूप से काम कर रहे हैं तथा अपनी लगभग पूरी क्षमता से बिजली पैदा कर रहे है । बिजलीघर से बिजली की सप्लाई में हाल ही में जो रुकावट हुई थीं वे बिजलीघर की किसी खराबी के कारण नहीं थीं। उनका एकमात्र कारण गुजरात तथा महाराष्ट्र के राज्य विद्युत बोर्डों की ट्रांसमिशन लाईनों का फेल हो जाना था। केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग के विशेषज्ञों के एक दल ने ट्रांसमिशन लाइनों के खराब होने के कारणों का अध्ययन करने के लिए तारापुर तथा अन्य स्थानों में लगे स्विच यार्डों की जांच जून, 1973 के अन्तिम सप्ताह में की थी । कारणों का अध्ययन करने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने भी एक समिति नियुक्त की थी, जिसमें परमाणु ऊर्जा वि ाग, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोड, गुजरात राज्य विदयुत बोर्ड तथा टाटा पावर कम्पनी के प्रतिनिधि सम्मिलित थे । इस समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट हाल ही में पेश की है तथा उसे कार्यान्वित करने के उद्देश्य से दोनों राज्यों के विद्युत बोर्डों तथा केन्द्रीय जल एवं विद्युत आ ोग के साथ दी गई सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना

2583. **श्री सरोज मुखर्जी :**

श्री समर गुह :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प० बंगाल से नई औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या है, और इससे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक आरम्भ हो जाएगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) 1-1-1972 से 31-12-1972 तक की अवधि में पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए 54 औद्योगिक लाइसेंस तथा 47 आशय पत्र जारी किये गये। वे उद्योग जिनके लिए ये जारी किये गये है, धातुओं, बिजली के उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, खाद्य परिष्करणा, रबर की वस्तुओं आदि है । औद्योगिक लाइसेंस जारी होने की तिथि से उत्पादन प्रारंभ करने में उद्योग को प्राय: तीन से चार वर्ष का समय लग जाता है । इसलिए ये लाइसेंस/आशय पत्र कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में है। कितने लोगों को रोजगार मिल सकगा इसके आंकडे उपलब्ध नहीं है ।

दार्जिलिंग पहाड़ियों में हिप्पियों की गतिविधियां

2584. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दारजिलिंग पहाडियों में, विशेष कर सोनादाह क्षेत्र में हिप्पियों को तिब्बती शरणार्थियों के शिबिरों में रहने की अनुमति दी जा रही है;

(ख) क्या ये हिप्पी जासूसी और तस्करी कर रहे है;

(ग) क्या दारजिलिंग पहाडियों में शरणार्थियों और स्थानीय लोगों में तनाव बना हुआ है, जिसे हिप्पियों ने उकसाया है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उक्त क्षेत्र में गडबडी पैदा करने से हिप्पियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वे जासूसी और तस्करी कर रहे है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कैफे को गिराने के बारे में कांस्टेबलों के एक दल द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना करना

2585. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 जुलाई, 1973 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि उत्तर जिले के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कांस्टेबलों के एक दल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैफे को गिराते समय क्षेत्र के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान । किन्तु समाचारपत्र की यह रिपोर्ट की पुलिस द्वारा अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना की गई थी, निराधार है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

संगीत तथा नाटक प्रभाग के बारे में केन्द्रीय जांच-ब्यूरो की जांच रिपोर्ट

2586. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत तथा नाटक प्रभाग के कार्यों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला और उक्त मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरों गीत और नाटक प्रभाग के कुछ अधिकारियो के विरुद्ध शिकायतों की जांच कर रहा है । उसन इस बीच पांच मामलो में अपनी जांच पूरी कर ली है । जिसपर अनुवर्ती कार्यवाही चालू है ।

Irregularities committed by the News papers in regard to News-Print

2587. **Shri Sudhakar Pandey**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the names of the newspapers which committed irregularities of made bungling in regard to newsprint during the last three years; and

(b) the action taken against them?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) and (b) Allegations of irregularities in regard to newsprint are investigated by the Chief Controller of Imports & Exports. A statement covering the period 1970-73 is attached based on information supplied by that Department.

Statement

Statement showing the names of newspapers which have committed Irregularities in regard to newsprint allotted to them during the last three yeas (i. e.) Licensing years 1970-71 to 1972-73)

	Name of the Newspaper	*Irregularity*	*Action taken*
1.	M/s. Save Democracy, English Daily, Calcutta.	Misuse of Imported newsprint.	The case was investigated and the party was found guilty. The newspaper has been debarred from receiving import licences, customs clearance permits, allotment of imported goods through STC/MMTC or any other similar agency for five licensing periods *viz.* April-March, '74 to April-March, '78.
2.	M/s. Socialist Rajasthan, Hindi Daily, Jaipur.	Do.	The case was investigated and the party found guilty. The newspaper has been debarred from receiving import licences, customs clearance permits, allotment of imported goods through STC/MMTC or any other similar agency for five licensing periods *viz.* April-March, '73 to April-March, '77.
3.	M/s. Socialist Congress, English Fortnightly, New Delhi.	Do.	The case was investigated and the party found guilty. The newspaper has been debarred from receiving import licences, customs clearance permits, allotmert of imported goods through STC/MMTC or ony other similar agency for 2 licensing periods *viz.* April-March, '73 and April March, '74.
4.	M/s. Vasudha, Marathi Weekly, Bombay.	Obtained import licences for newsprint on the basis of exaggerated figures of circulation.	The excess newsprint allotted was adjusted by RNI in subsequent years and the party was warned to be more careful in future.
5.	M/S Jwala, Weekly, Madras.	Misuse of newsprint.	The case was investigated but nothing was found against the Weekly. The case has, therefore, been closed.

Increase in the Fifth Plan outlay due to rise in prices

2588. Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the estimated increase in the outlay on the proposed productive schemes included in the Draft Fifth Five Year Plan as a result of the steep rise in prices;

(b) whether additional resources would be mobilised therefor or the Plan would be pruned; and

(c) the schemes which will be affected?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c) Draft Fifth Five Year Plan will be based on reassessment of the financial resources now being undertaken by the Working Group on the subject in the light of the recent rise in prices and other relevant factors such as the Centre and State Budgets for 1973-74 and the performance of the economy in 1972-73. The Draft Plan document will also indicate outlays under various sectors of development and production programmes/schemes to be implemented during the Fifth Plan period.

A feasible and realistic target of additional resource mobilisation would be fixed for the Fifth Plan period. Within the estimated overall resources, every effort would be made to make adequate provision for the 'core' sector and productive schemes in order to attain the basic objectives set out in the document "Approach to the Fifth Plan 1974-79".

Production and consumption of news print

2589. Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the quantity of news-print consumed during this year upto March, 1973;

(b) the quantity of news-print produced indigenously and the quantity imported from the various countries;

(c) whether the news-print would be available in the required quantity during the current year; and

(d) the basis on which the available news-print would be allotted?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Newspapers which obtained newsprint quotas in the 1972-73 licensing period have not yet supplied figures of their respective newsprint consumption for the period. The information asked for is, therefore, not available at present.

(b) & (c) The figures for 1972-73 & 73-74 are as follows :—

	72-73 (tonnes)	73-74 (tonnes anticipated)
Indigenous production of newsprint	40,773	40,000
Imported newsprint available for allocation	1,98,600	1,26,700

(d) Under the Newsprint Allocation Policy for 1973-74, the basis for arriving at the newsprint entitlement of a newspaper is its performance in 1972-73 by utilisation of newsprint authorised for that period, reduced by a cut of 30% representing the shortfall in availability of newsprint.

महत्वपूर्ण व्यक्तियों के टलीफोनों को गुप्त माइक्रोफोन द्वारा सुनना (बगिंग)

2590. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मई, 1973 के "स्टेट्समेन" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि विपक्षी राजनीतिक दलों के सम्मेलनों की कार्यवाहियों को और संसद सदस्यों, पत्रकारों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के टेलीफोनों को क्रमशः टेप किया जाता है और गुप्त माइक्रोफोन लगा कर सना जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार ने उल्लिखित समाचार देखा है।

(ख) उसमें निहित आरोपों तथा आक्षेपों का कोई आधार नहीं है ।

सरकारी उपक्रमों में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों सहित सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचारके आरोप

2591. **श्री रामकंवर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों सहित कितने सरकारी कर्मचारी है जो वर्ष 1972 के दौरान विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोपों में भारत सरकार द्वारा अन्तर्ग्रस्त पाये गये है; और

(ख) उन अधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

उत्तर प्रदेश के प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस दल के कार्मिक संघ के नेताओं की गतिविधियां

2592. **श्री रामकंवर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस दल ने अपने को संघटित कर के कार्मिक संघ बना लिया है;

(ख) क्या इस कार्मिक संघ का कथित पंजीकरण भी हुआ था और यदि हां, तो क्या ऐसी अनुमति देने से पूर्व इसके परिणामों को ध्यान में रखा गया है;

(ग) क्या कार्मिक संघ के उच्च पदाधिकारियों ने प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस दल के कर्मचारियों को सेना के साथ खुल्लम खुल्ला झगडे के लिये उकसाया; और

(घ) क्या कार्मिक संघ के बडे पदाधिकारी इस घटना के पश्चात् छिप गये है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान् । किन्तु प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल के कुछ कर्मचारी "राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद" उत्तर प्रदेश नामक एक संघ में शामिल हो गये थे, जो उत्तर प्रदेश में समिति का पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम सं० 21) के अन्तर्गत पंजीकृत हुई थी।

ऐसे पंजीकरण के लिए सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं थी।

(ग) जब कि सेना के साथ खुल्लम खुल्ला संघर्ष के लिए परिषद के नेताओं द्वारा प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस बल के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं भडकाया गया था, परिषद की गतिविधियों से प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस के कुछ कर्मचारियों में गंभीर अनुशासनहीनता हुई जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस बल के कर्मचारियों और सेना के बीच सशस्त्र संघर्ष हुआ, जब प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस बल की बटालियनों को निःशस्त्र करने के लिए सेना को बुलाया गया था ।

(घ) राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद, उत्तर प्रदेश के सभी छः पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल में है । उत्तर प्रदश के राज्यपाल द्वारा उनमें से चार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) के उपबन्ध (ग) के अधीन सेवा से बरखास्त कर दिया है।

Postal stamp on the occasion of Lenin Centenary

2594. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government of India issued a 20 paise postal stamp on the occasion of the Lenin Centenary depicting Communist emblem of sickle and hammer; and

(b) whether the Soviet Union has also issued any postal stamp depicting Ashok Chakra, the emblem of our country?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No, Sir. A postage stamp was issued on 22-4-1970 on the occasion of the birth centenary of V. I. Lenin, wherein his portrait was depicted but not the Communist emblem of hammer and sickle.

(b) Yes, Sir. A stamp showing the State Emblem and the National Flag of India was issued by the Soviet Union to commemorate the 25th Anniversary of Indian Independence.

Trunk calls booked from Chandigarh for places in Pakistan

2595. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Trunk Calls booked for places in Pakistan from Chandigarh during the year 1970 and 1971;

(b) the Telephone numbers from which these calls were booked in Chandigarh; and

(c) the other particulars of these calls?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) to (c) Calls to Pakistan from exchanges all over India were being transitted from Bombay, Delhi and Amritsar exchanges. Amritsar exchange stopped booking calls to Pakistan from August 1971 and New Delhi and Bombay from November, 1971. Records of individual calls made were not required to be kept beyond a period of one year, and are not available now. Some other old records available at Delhi indicate that 15 calls were booked from Chandigarh via Delhi to various stations in Pakistan in 1970 and 1971.

Research in Cement Industry

2596. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether any suggestion has been made to Government for conducting research in cement industry because it is becoming uneconomical; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) & (b) A Cement Research Institute of India is already functioning at New Delhi. This Institute is a cooperative venture in which both Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) and the entire Indian Cement industry actively participate. The Institute is providing Research and Development (R&D) and other technical services in several directions to the cement, concrete and concrete construction industries in the country.

राष्ट्रीय आय के अनुमानों में त्रुटि

2597. श्री सी० जनार्दनन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना के आधार वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय के अनुमानों में एक बडी त्रुटि होने से अनेक मूल योजना पूर्वानुमानों में बाधा आ पडी है;

(ख) यदि हां, तो आधार वर्ष की राष्ट्रीय आय के अनुमानों में कौन सी त्रुटि थी; और

(ग) क्या इस बीच यह त्रुटि सुधार ली गई है और अनुमानों को संशोधित कर लिया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं । चौथी पंचवर्षीय योजना के आधार वर्ष 1968–69 के लिए राष्ट्रीय आय के आंकडों में कोई त्रुटि नहीं पाई गई ।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा पहले प्रकाशित किए गए प्रारंभिक अनुमानों का इस समय संशोधन किया जा रहा है क्योंकि उनमें कृषि उत्पादन के पूर्णत: संशोधित अनुमान समाविष्ट करना है जो कि श्वेत–पत्र के मई, 1971 अंक के प्रकाशन के समय उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार के संशोधन को त्रुटि नहीं माना जा सकता क्योंकि वह भूल से की गई गणना या गलत आंकडों का इस्तेमाल करके नहीं किया गया है । संशोधित आंकडे राष्ट्रीय आय संबंधी श्वेत पत्र के 1973 अंक में शीघ्र प्रकाशित किए जायेंगे ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नही उठता ।

उद्योगों में विदेशी सहयोग की जांच करने के लिये समिति

2598. श्री सी० जनार्दनन : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारतीय उद्योगों में विदेशी सहयोग के प्रश्न की जांच करने के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिश की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) इस समिति की सिफारिशें सरकार की प्रौद्योगिकी आयात नीति की विभिन्न समस्याओं से संबंधित है, यथा, प्रौद्योगिकी अर्थ मूल्यांकन और प्रौद्योगिकीविदों के उचित चयन की क्रिया-विधी, प्रौद्योगिकी के निरंतर आयात को रोकने के उपाय तथा देशीय प्रौद्योगिकी का उपयोग, इत्यादि ।

(ग) सरकार समिति की सिफारिशों पर अभी विचार करेगी ।

Discovery on plant breeding by an Indian scientist in New Zealand

2599. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a scientist of Indian origin in New Zealand has made a new discovery in the "plantbreeding";

(b) whether Government propose to recall such Indian scientists from the foreign countries so that they may prove useful for the industrial development of the country; and

(c) if so, the outcome of the efforts made in this directions so far?

The Minister of Industrial Development and Science and Technoology (Shri C. Subramaniam) : (a) Information on an Indian Scientist having made a new discovery in New Zealand in Plant Breeding as reported in some news papers has come to the notice of the Government.

(b) The Government of Inida have been taking various measures to facilitate the return of well qualified Indian Scientists, Technologists, etc. from abroad and their settling in India. The Scientists Pool, instituted in 1958 for temporary placement of well qualified scientists etc. and the scheme of creation of supernumerary posts for quick absorption of outstanding scientist etc. are but some notable measures in this regard. It is necessary to emphasise that merely recalling the scientists without providing the necessary facilities and resources to work will be counter productive.

(c) Since 1958 more than 8,930 Indian Scientists, Engineers, Medical Personnel abroad were offered temporary placement in the Scientists Pool. Of these 4,791 joined the pool service on their return. Of these who joined 4,391 have since settled in regular employment in India.

Discussion in Central Zonal Council meeting regarding the activities of Muslim League

2600. Shri Shiv Kumar Shastri :

Shri S. N. Misra :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Central Zonal Council has expressed its deep concern on the increasing activities of the Muslim League;

(b) whether its activities were mainly responsible for the recent communal riots in Delhi and other States; and

(c) whether Government propose to declare this communal organisation as unlawful and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) While reviewing the communal situation in the two States in the Central Zonal Council a reference was made, *inter-alia* to the activities of the Muslim League in general.

(b) Government do not have any such definite information.

(c) The House is also aware that associations whose activities are prejudicial to the maintenance of communal harmony and to the interest of national integration can be dealt with under the provisions of Criminal Law (Amendment) Act, 1972. The provisions of this Act have been suitably brought to the notice of the State Governments/Union Territory Administrations. The question whether the provisions of the Act should be invoked in respect of any association is examined by Government from time to time in the light of the material available with Government in respect of such associations.

18 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7425 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

Statement Correcting reply to unstarred question No. 7425 dated 18-4-73.

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :

"(क) पिछले तीन वर्षों में एकत्रित किए गए उपकर का राज्य वार और वर्षवार विवरण संलग्न अनुबंध संख्या 1 में दिया गया है। [**ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5360/73**]

(ख) पिछले तीन वर्षों में विकास तथा अन्य कार्यों पर हुए व्यय का राज्यवार और वर्षवार विवरण संलग्न अनुबंध 2 में दिया गया है।" [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या ल० टी० 5360/73**]

उक्त उत्तर में उल्लिखित अनुबंध 1 और 2 संलग्न हैं। उनमें दिए गए आंकडें नमक आयुक्त, जयपूर द्वारा भेजे गए आंकड़ों के आधार पर तैयार किए गए थे, जिसे उन्होनें अपने देश भर में फैले क्षेत्रीय कार्यालयों से दूरभाष पर प्राप्त किया था। बाद में नमक आयुक्त की जानकारी में यह तथ्य लाया गया कि उनके क्षेत्रीय कार्यालयों से दूर भाष पर प्राप्त किए गए आंकड़ें सहीं नहीं थे। अतः नमक आयुक्त ने बताया है कि सही आंकड़े अनुबंध 3 और 4 में दिए गए हैं।

विलम्ब का कारण :

आंकड़ों की गलती उत्तर देते समय ठीक नहीं की जा सकी क्योंकि सही आंकड़ें उत्तर दिए जा चुकने के पश्चात प्राप्त हुए थे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

विमुद्रीकरण के भयसे सौ रुपयें के नोटों को छोटे नोटों में बदलवाने के लिये बैंकों में लोंगों की भीड लगने का समाचार

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : श्रीमान, मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें।

"विमुद्रीकरण के भय से सौ रुपये के नोटों को छोटे नोटों में बदलवाने के लिए बैंकों में लोगों की भीड़ लगने का समाचार"।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : भारत सरकार ने छोटे मूल्य के नोटों की मांग के अचानक बढ़ जाने के बारे में अखबारों में छपी खबरें देखी हैं। इसके परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक के बम्बई और नयी दिल्ली स्थित कार्यालयों में सौ-सौ रुपये के नोट छोटे मूल्य के नोटों में बदलवाए जाने के लिए भारी संख्या में पश किए गए है । यद्यपि यह बात सही है कि पिछले कुछ दिनों में रिजर्व बैंक के बम्बई और नयी दिल्ली स्थित कार्यालयों में छोटे मूल्य के नोटों की मांग में वृद्धि हुई है किन्तु अन्य केन्द्रों में सौ सौ रुपये के नोटों को बदलवाने के लिए जनता में आमतौर पर कोई हलचल नहीं है। संभव है कि रिजर्व बैंक के इन दोनों कार्यालयों में अधिक संख्या में सौ सौ रुपये के नोट इस अफवाह के कारण पेश किए गए हों कि सौ रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण होने जा रहा है । भारत सरकार, सितम्बर 1972 में वांचू समिति की रिपोर्ट पर हुई बहस के दौरान लोक सभा में तथा उससे पहले और उसके बाद संसद में पूछे गए कई प्रश्नों के उत्तर में यह स्पष्ट कर चुकी है कि 100 रुपये के नोटों सहित बड़े मूल्य के नोटों का विमुद्रीकरण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । सरकार इस निर्णय को पूरे जोर के साथ फिर से दोहराना चाहती है । वित्त मंत्री ने भी 7 अगस्त 1973 को राज्य सभा में, मूल्य वृद्धि के संबंध में बहस का उत्तर देते समय इसके बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी थी।

श्री पी० वेंकंटासुब्बया : मंत्री महोदय के वक्तव्य से प्रतीत होता है कि उन्होनें मामलें की गंभीरता को नहीं समझा है । उन्होनें कहा कि बम्बई और दिल्ली क बैंकों में भीड़ थी पर सामान्य जनता पर उसका कोई प्रभाव नहीं था। माननीय मंत्री के इस स्पष्ट वक्तव्य के पश्चात भी कि विमुद्रीकरण नहीं होगा, अभी भी अफवाहें फैल रही है जिनक परिणाम स्वरूप मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो रहीं है। सोने का मूल्य बढ़कर 500 रुपये तोला हो गया है। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत कुप्रभाव पड़ रहा है । इस प्रकार की गलत अफवाहें समय समय पर फैलाई जाती है । इस के पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह है और इसमें बैंकोंके के कुछ अधिकारियों का हाथ प्रतीत होता है ।

बैंकों में सौ रुपये के नोटों को छोटे नोटों में बदलने के लिए, कहा जाता है कि, 30 प्रतिशत तक कमीशन लिया जा रहा है । कई बड़े लोगों ने 80,000 रुपये के सौ रुपए के नोट छोट नोटों में बदले हैं। सरकार ने इन अफवाहों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ? पिछले कुछ समय से बैंकों में सौ रुपये के नोट जमा किए गए है । मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार से कितनी राशि जमा की गई है ?

श्री के० आर० गणेश : विमुद्रीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। वित्तमंत्री ने 3 अगस्त को वाशिंगटनसे भारत आने पर समाचार पत्र संवाददाताओं के समक्ष यह स्पष्ट किया कि सरकार के सामने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जहां तक इस अफवाह का संबंध है यह दिल्ली और बम्बई तक ही सीमित है । रिजर्व बैंक के सूत्रों के अनुसार 6 अगस्त, 1973 को बम्बई में सौ रुपये के 23,249 नोट जमा किए गए और 7 अगस्त, 1973 को दिल्ली में सौ रुपये के 8,312 नोट जमा किए गए। यदि अप्रैल, मई, जून और जुलाई के आंकड़ें देखे जाए तो प्रतीत होगा कि उक्त अफवाह के बावजूद वृद्धि असामान्य नहीं कही जा सकती।

भारत में सोने के मूल्य में वृद्धि पिछले महीनों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के मूल्य में असामान्य वृद्धि के परिणाम स्वरूप है । आम तौर पर भी इस मौसम में सोने के मूल्य में वृद्धि हो जाती है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापूर) : सौ रुपये के नोटों को छोटे नोटों में बदलने की स्थिति के दो पहलू है पहली बात तो यह है कि व्यापारी लोग अफवाह फैलाते हैं । दूसरे, विमुद्रीकरण के भय के परिणामस्वरूप लोग बैंकों को भाग रहे हैं और सौ रुपये के नोट बदल रहे है। माननीय मंत्री ने इस बात का उत्तर नहीं दिया कि एक विख्यात व्यक्ति ने 80,000 रुपये के नोट छोटे नोटों में बदले ।

विमुद्रीकरण की अफवाह का कारण काला धन है । सरकार ने काले धन का पता लगाने के लिए क्या उपाय किए है । देश में काले धन के जमा हो जाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि उत्पादन तथा गैर उत्पादन व्यय में बहुत असमानता है । अत्यधिक कमियों, लाइसेंस नीति तथा अफ़सर शाही आदि के कारण भी काला धन जमा होने में सहायता मिलती है । गुप्त रूप से कमीशन देना, रिश्वत तथा पगड़ी देने आदि के कारण भी कालें धन की प्रवृत्ति को बल मिल रहा है । क्या विभिन्न कर वसूली संगठनों की अकर्मण्यता के परिणामस्वरुप काला धन अधिक जमा नहीं हो रहा है ।

सरकार ने काले धन का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है ? जब भी सदन में विमुद्रीकरण की मांग की गई तो वित्त मंत्री द्वारा हमेशा यही बताया गया कि यह सुझाव अव्यवहारिक है । यह कहा जाता है कि 1946 में विमुद्रीकरण किया गया जिसके फलस्वरूप काले धन की अधिक राशि का पता लगाने में अधिक सफलता नहीं मिली। परंतु क्या यह सच नहीं है कि 1946 के विमुद्रीकरण के समय सौ रुपये तथा दस रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण नहीं हुआ था और क्या 1946 में देश की कुल करेंसी की 76 % भाग यह दो नोट ही थे ? जब देश की 76 प्रतिशत करेंसी को विमुद्रीकरण से बाहर रखा जाए तो उक्त उपाय से सफलता की क्या आशा की जा सकती है । अत: यह तर्क युक्तिसंगत नहीं है । सरकार को बेल्जियम का उदाहरण अपने सामनें रखना चाहिये जहां कि 1944 में विमुद्रीकरण के परिणामस्वरूप करैंसी 16 करोड़ फ्रैंक से घट कर 5 करोड़ फ्रैंक हो गई।

परंतु क्या यह सच नहीं है कि हमारी सरकार इसी कारण से विमुद्रीकरण नहीं करना चाहती क्यों कि सरकार और काल धन वालों के बीच गठजोड़ है । वही लोग सत्ताधारी दल के चुनाव कोष में धन देतें हैं। सरकार की कठिनाई का कारण यही है ।

यदि सरकार विमुद्रीकरण नहीं करना चाहती तो मेरा सुझाव यह है कि सरकार को कम दर पर 'बयरर बांड' जारी करने चाहिये। दूसरें सरकार को कड़ाई से जगह जगह छापें मारने चाहिये। इन उपायों से पता लगने वाले काले धन को विकास कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिय। सरकार को सब लोगों से पूछना चाहियें कि किस के पास कितना सोना है। उसके पश्चात सरकार को इस बारे में अधिकतम सीमा निश्चित करनी चाहियें जिससे अधिक मात्रा में सोना नहीं रखा जा सक। जो अपने सोने की मात्रा की घोषणा न करें उनका सारे का सारा सोना जब्त कर लिया जाये। क्या सरकार इस प्रकार के उपाय को लागू करने को तत्पर है । इस प्रकार के उग्र उपाय ही काल धन के चलन व विमुद्रीकरण की अफवाह आदि को रोक सकते हैं।

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य ने काले धन और विमुद्रीकरण आदि के बारे में जो कुछ कहा है वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सीमा से बाहर है ।

काला धन, इसका उपयोग तत्संबंधी विभिन्न समस्याओं पर सदन में अनेक बार विस्तार से विचार हो चुका है। विधेयक सदन की प्रवर समिति के समक्ष है। सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अतः विस्तारपूर्वक इन बातों में जाना संभव नहीं। सरकार ने वांचू समिति की सिफारिशों के अनुसार काले धन पर नियंत्रण करने के लिए अनेक उपाय उठाये है। सोने के संबंध में दिये गये सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम में संशोधन अपेक्षित होगा। सरकार इन सभी मामलों पर निरन्तर विचार कर रही है। माननीय सदस्य द्वारा बताये गये उदाहरण के संबंध में सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं। यदि किसी वाणिज्यिक बैंक में इस प्रकार की बात हुई भी होगी तो उक्त बैंक द्वारा यह सूचना नहीं बताई जायेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : सरकार ने वांचू समिति के अंतरिम प्रतिवेदनों को प्रकाशित नहीं किया परंतु उसकी प्रतियां बाजार में चोरी से बिकती है। सरकार एकाधिकारपतियों, भूमिपतियों आदि को लाभ पहुंचाना चाहती है इसी कारण उक्त समिति के प्रतिवेदन को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा। काला धन, आयकर अपवंचन काला बाजारी आदि आज के आर्थिक संकट का मूल कारण है। इन्हीं के कारण सोने के मूल्य में वृद्धि हो रही है और उसके परिणाम स्वरूप रुपये का मूल्य कम हो रहा है एवं खाद्य पदार्थों तथा अन्य पदार्थों का मूल्य बढ रहा है। वियतनाम में इतने समय से युद्ध चल रहा है पर वहा पर मूल्य वृद्धि नहीं है।

सरकार काले धन का पता लगाने और मुद्रास्फिति पर नियंत्रण करने में सफल नहीं होने वाली, आर्थिक संकट के परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की जडे हिल रही है। यह संकट सरकारी नीतियों के परिणामस्वरूप है। पिछले वर्ष, अर्थात 1972–73 में उत्पादन में 5 प्रतिशत वृद्धि हुई जब कि मुद्रा की उपलब्धता में 15 प्रतिशतता वृद्धि हुई। 1969 और 1973 के बीच मुद्रा की उपलब्धता में 90 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मुद्रा की यह बाढ गैर उत्पादन कार्यों पर लगी है। इसीसे ही मूल्यों में वद्धि हुई है। सरकार द्वारा रुपये के निरन्तर कम होते मूल्य को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है सट्टेबाजों और एकाधिकारिय पतियो द्वारा सोना जमा करने को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है।

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य ने केवल राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया है। हम बैंकों में सौ रुपये के नोटों को छोटे नोटों में बदलने के लिए नोट के सीमित प्रश्न पर विचार कर रहे है। मुझे केवल इतना कहना है कि दिल्ली और बम्बई दो नगरों में कुछ लोगों में विमुद्रीकरण का भय छा गया है और उन्होंने इन नोटों को छोटे नोटों में बदला है। इस सब को यदि माननीय सदस्य गंभीर संकट का चिन्ह समझे तो इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि देश के सामने यह संकट है। मैंने पहिले ही बताया है कि किसी व्यक्ति के पास यदि 2000 ग्राम से अधिक शुद्ध सोना है तो उसे स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत इसके संबंध में घोषणा करनी पडती है।

जहां तक वांचू समिति के प्रतिवेदन की बात है सरकार ने एक विधेयक प्रस्तुत किया है जो कि प्रवर समिति के समक्ष है। वांचू समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश सम्पत्ति के अधिग्रहण के बारे में है। उस पर कानून बनाया जा चुका है। इस प्रकार के 500 मामलों की जांच की गई है अथवा की जा रही है।

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : माननीय मंत्री इस विषय को सीमित करना चाहते है। मैं जानना चाहता हूं कि सौ रुपये के नोटों को दिल्ली और बम्बई में छोटे नोटों में बदलने को देखते हुए क्या सरकार को यह समाचार भी प्राप्त हुआ है कि क्या गेहूं उत्पादक राज्यों में वाणिज्यिक मण्डियों में भी यह काम तेजी से हो रहा है ?

[श्री रणबहादुर सिंह]

प्रचलित नोटों में 100 रु० के नोटों का कितना प्रतिशत है । समाचार छपे थे कि कुछ प्रमख वाणिज्यिक बैंको में वेतन 100 रु० से छोटें नोटों में दिये जा रहे है । क्या 100 रु० के नोटों की कमी है ?

यह भी सुना गया है 100 रु० के नये नोटों को छपने के बाद भी प्रचलित नहीं किया गया । इससे लोगों में 100 रु० के नोटों के बन्द किये जाने की अफवाह है । यदि इसमें कुछ भी तथ्य है तो इससे लोगों की परेशानी बढ़ जायेगी। मंत्री महोदय इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें ।

श्री के० आर० गणेश : गेहूं उत्पादन के क्षेत्र की मंदियों में 100 रु० के नोटों का छोटे नोटों से बदले जाने की मुझे कुछ सूचना नही है ।

प्रचलित नोटों में 100 रुपये के नोटों का प्रतिशत 45 है। 31 मार्च, 1973 को 5537 करोड रुपए की मुद्रा में 2848 करोड रुपय के 100 रु० नोट थ। यह लगभग 50 प्रतिशत बैठता है। बैंक कर्मचारियों को 100 रुपए से छोटे नोटों में वेतन दिये जाने तथा रिजर्व बैंक द्वारा 100 रु० की नई मुद्रा के जारी न किये जाने के समाचार गलत है । जुलाई, 1973 में रिजर्व बैंक ने 100 रु० के 2,99,546 नोट जारी किए थे, जो कि पर्याप्त है । नासिक टकसाल की अपर्याप्त क्षमता के कारण देवास में नई टकसाल स्थापित की गयी है जिसमें दिसम्बर से उत्पादन होने लगेगा । 100 रु० के० नये नोट नये टकसाल में छापे जायेंगे। इसकी नये नये तकनीक की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होनें तकनीक के बारे में नहीं 100 रु० के छपे हुए उन नोटों के बार में पूछा है जिन्हें प्रचलित नहीं किया गया है ।

श्री के० आर० गणेश : नोटों की नई शृन्खला नही छपी जिन्हें प्रचलित नहीं किया गया ।

श्री सैज्ञियान (कुम्बकोणम) : मंत्री महोदय ने बंबई केन्द्र से जारी किये गये नोटों की संख्या 29000 बतायी। इससे पूर्व अवधि में नोटों की संख्या कितनी थी।

सरकार को 100 रु० के नोटों पर जनता का विश्वास बनाये रखने की आवश्यकता है। इस बारे में सरकार ने क्या कार्य किया है ?

100 रु० के प्रकाशित नोटों के जारी न किये जाने की बात का ठीक स्पष्टीकरण नहीं किया गया है । मार्च 1973 में 100 रु० के नोट 2800 करोड रुपए के थ जब कि जुलाई 1973 में 2300 करोड रुपए के थे । यह 500 करोड रुपये की कमी कैसे आई। वांचू समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति के संबंध में उल्लेख किया गया है । उन्होनें कहा है कि जिन मामलों में जान बूझ कर कम कीमत दिखाई गई है उन्हें अधिकार में लेने की बात कहीं गई है । यह वांचू समिति की अंतरिम रिपोर्ट के सबन्ध में है जिसे श्री ज्योतिर्मय बसु ने सभा पटल पर रखा था ।

इसमें तीन सिफारिशें की गई है । विमुद्रीकरण के संबन्ध में उस में कहा गया है कि ध्यानपूर्वक अध्ययन के पश्चात् वे इस निकर्ष पर पहुंचे है कि प्रभावी कार्यवाही करनी पडेगी। बकद राशियों की उच्चतम सीमा के बारे में भी कहा गया है । ऐसी कम्पनियों जिनको कम मूल्य बताया गया है उन्हें अधिकार में लेने की बात कही गई है । विमुद्रीकरण तथा नोटों की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के मामले म कुछ नहीं किया गया है । मै इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

श्री के० आर० गणेश : बंबई में 100 रु० के नोटों का प्रतिदिन जारी किया जाना पहले 4000 था।

श्री सेझियान : अब यह 29000 है ।

श्री के० आर० गणेश : यह पिछले तीन दिन के लिये था।

विमुद्रीकरण के बारे में वांचू समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के बारे में सरकार यह समझती है कि काले धन की जटिल समस्या का एक मात्र समाधान विमुद्रीकरण नहीं है। इसी लिये सरकार ने वांचू सैमिति की अन्य सिफारीशें स्वीकार कर ली हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रतिवेदन सभा में पेश किये गये थे । क्या उसकी प्रति विरोधी नेताओं को भी दी गई थी।

श्री के० आर० गणेश : नहीं जी। काले धन की समस्या से झझने के लिये सरकार ने कई कार्यवाहियां की है विमुद्रीकरण के अलावा वांचू समिति की अन्य सिफारिशों तथा कई अन्य यथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम लाना आदि कार्यवाहियां की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि हम काफी पीछे है, अतएव हम अन्य प्रस्तावों को नही ले सकते है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अधीन अधिसूचना भूतपूर्व सक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी सेवा की शर्तें अधिनियम के अधीन, अधिसूचना और उत्तर प्रदेश राज्य के सबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक–एक प्रति :—

(एक) अखिल भारतीय सेवायें (निधन सह सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 मई, 1973 में अधिसचना संख्या सा० सां० नि० 510 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) : पहला संशोधन विनियम 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 जून, 1973 में अधिसचना संख्या सां० सा० नि० 557 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) पहला संशोधन विनियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 जून 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 558 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 5345/73]

(2) भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम 1972 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) (कठिनाइयों का निवारण) आदेश संख्या 2 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 292 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5347/73]

(3) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 13 जून, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधा के अनुच्छेद 213 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया तथा कार्य संचालन का विनियमन) अध्यादेश, 1973 (1973 का संख्या 5) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 12 जून 1973 को प्रख्यापित किया गया था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) उपर्युक्त अध्यादेश लोक सभा पटल पर रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5347/73]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1971

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 13 जून, 1973 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1973 (1973 का संख्या 1) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 12 जून, 1973 को प्रख्यापित किया गया था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5348/73]

संसदिय समितियां
PARLIAMENTARY COMMITTEES

कार्य का संक्षिप्त विवरण

सचिव : मैं 1 जून 1972 से 31 मई 1973 की अवधि से सम्बन्धित संसदीय "समितियां – कार्य सारांश" की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान, मुझे राज्य सभा से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है।

"कि राज्य सभा 6 अगस्त, 1973 की अपनी बैठक में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1973 जो लोक सभा द्वारा 26 जुलाई, 1973 को पास किया गया था, से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

सुती धागेपर कानूनी नियंत्रण के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. STATUTORY CONTROL ON COTTON YARN

Shri Madhu Limaye (Banka) : I had drawn your attention under Rule 377 regarding cotton, nylon..

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हमे इस बारे में वाद विवाद करना चाहिए क्यों कि लाखो बुनकर बेकार है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि समय है तो मैं आपको अनुमति दूंगा ।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : क्या मैं वक्तव्य पढ दूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते है ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य :– सूत पर 13 मार्च, 1973 को कानूनी नियंत्रण लागू किया गया था, ताकि उत्पादन के ढांचे कीमतों को स्थिर रखा जा सके और ऐसी वितरण प्रणाली विकसित की जा सके जिससे कि उत्पादन में कमी के बावजूद भी उपलब्ध सूत विकेन्द्रीत क्षेत्र के बुनकरों को पहुंचाया जा सके । सूत की कीमतें दो श्रेणियों में निश्चित की गई थी 59 काउंटों तक के सूत की कीमतें दिसम्बर 1972 में प्रत्येक मिल द्वारा तय की गई उच्चतम कीमत के स्तर पर रखी गई थी, और 60 तथा उससे ऊपर के काऊंटो की कीमतें जनवरी तथा जून 1972 में इसी प्रकार की कीमतों के औसत स्तर पर निश्चित की गई थी। बिजली की कटौती के कारण कीमतें बढने की उसमें कुछ व्यवस्था रखी गई थी, क्योंकि नियंत्रण लागू करने के समय बिजली की कटौती विभिन्न राज्यों में 15 से 75 प्रतिशत पर हुआ करती थी। एक बाजार सर्वेक्षण के अनुसार 59 काउंट तक के सूत की कीमत दिसम्बर 1972 तक लगभग स्थिर सी रहीं, और बाद के महीनों में उनमें अचानक उछाल आया । 60 काउंट तथा उससे ऊपर के काउंटो वाले सूत के विषय में भी, जनवरी 1972 तक कीमतों का उतार चढाव अधिक चिंताजनक नहीं था। जनवरी से जून 1972 के बीच में जाकर विभिन्न बारीक काउंटों की कीमतें बढना आरंभ हो गई । हमने विनियमित कीमतों के उस ढांचे को स्वीकार कर लिया है जिस भारतीय सूती मिल फडरशन ने 50 प्रतिशत "मुक्त' सूत के लिये अगस्त 1972 में स्वीकार किया था और जो 1972 के अंत तक संतोषजनक रूप में चलता रहा था । लगभग सभी प्रकार की स्वदेशी रूई की कीमतें दिसम्बर 1972 में न्यूनतम थी और तब से वे लगातार बढ रही है। कताई उद्योग से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए है जो कि केवल देशी रुई से कते धागे की कीमतों में हुई वृद्धि से ही संबंधित नहीं है बल्कि आयातित रुई से कते धागे के संबंध में भी है । आयातित रुई की कीमतों में गत तीन माहों में काफी वृद्धि हुई है । निर्धारित सूत के अनुसार. इन दोनों समूहों में तय की गई उंची से उंची कीमत वह कीमत है जो यथास्थिति दिसम्बर 1972 के माह में या जनवरी व जून 72 में मिल से निकलते समय की उंची से उंची कीमत थी या यदि ये अगाऊ सौदे थे तो केवल उन संविदाओं को ही ध्यान रखा गया जहां सम्बद्ध महीनों के भीतर ही सुपुर्दगियां कर दी गई थी।

आयातित रुई की कीमतों में मार्च, 1973 के पश्चात काफी वृद्धि हुई है । सूडान तथा मिस्र के विक्रेताओं ने कीमतों में वृद्धि की घोषणा कर दी है तथा आयातित रुई पर लगाए गए 40 % शुल्क से भी कच्चे माल की तट पर उतरते समय की लागत बढ गई है। जब स्वैच्छिक कीमत तथा वितरण योजना के अंतर्गत अगस्त 1972 में कीमतें निर्धारित की गई थी तब उद्योग उस समय चल रही थी बाजार कीमतों की तलना में अपनी कीमतों

[प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय]

को काफी कम करने के लिए सहमत हो गया था। वर्तमान नियंत्रण योजना में ऊंचे काऊंटों की कीमत निर्धारण के लिए इन कम की गई कीमतों को आधार बनाया गया है । कच्चे माल की लागत में बढोतरी होने के बावजूद भी अभी तक कीमतों में किसी प्रकार की बढोतरी करन की अनुमति नहीं दी गई है । चूंकि संतोषजनक सूत तैयार करने की समस्या कुछ हद तक जटिल है, फिर भी ब्यौरे तैयार किए जा रहे है । कीमतें चिंताजनक गति से बढनी शुरू हो गई है और समस्या को शीघ्र सुलझाने की आवश्यकता है तथा 600 से अधिक मिलों के लिए जो रुई की विभिन्न किस्मों की खपत करती है तथा विभिन्न काउंटो व विभिन्न किस्मों के धागों का उत्पादन करती है, कीमत निर्धारण के लिए टैरिफ आयोग या औद्योगिक लागत व कीमत ब्यूरों जैसे विशेषज्ञ निकायों को मामला सौपने से तो काफी समय खर्च हो जायेगा। कीमतों में तेजी से उछाला आ रहा था और इसके संबंध में शीघ्र उपचार करने की आवश्यकता थी। राज्य सरकारों तथा योजना आयोग व मिल क्षेत्र तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ परामश करने के पश्चात तथा मंत्रालय में तकनीकी अधिकारियों की सहायता से, जो रुई तथा धागे की कीमतों के संबंध में आंकडों का रिकार्ड रख ते है, जैसा कि पहले बताया गया है, कीमत निर्धारण सूत्र सहित नियंत्रण की योजना स्वीकार की गई । यह सूत्र केवल 50 % मुक्त धागे पर ही स्वैच्छिक आधार पर लागू था, लेकिन नियंत्रण योजना के प्रवर्तन से, यह सिविल सुपुर्दगियों के लिए पैक किए गए धागे की समग्र मात्रा पर लागू हो गया।

प्रारंभ की अवस्था में जब कि जलदी करना बहुत आवश्यक था राज्य सरकारों को काउंटवार आवश्यकताओं की प्रतीक्षा किए बिना ही आबंटन कर दिय गये। ये आवश्यकताए मौसम के साथ तथा पेंशन बदलने पर अथवा देश में या विदेशों में उपभोक्ताओं की पसंद बदलने पर बदलती रहती है । अतः अलग अलग राज्यों से यह जानकारी एकत्र करना आवश्यक था। जब वस्त्र आयुक्त के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर मार्च, 1973 के उत्तरा में तदर्थ आबंटन किए गये तब अनेक राज्यों ने बताया कि उनके पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार काउंटवार आवश्यकताएं भिन्न है और इसलिए उन्होंनें वस्त्र आयुक्त द्वारा किए गए आबंटनों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार वस्त्र मिलों के संबंध में, भी उत्पादन दिसम्बर 1972 के ढांचे के आधार पर रखा गया था, और लगभग 600 मिलों के काउंटवार उत्पादन ढांचे की जानकारी प्राप्त होने में कुछ देर हों गई। जिन मिलों ने मार्च 1973 के अंत तक काउंटवार उत्पादन पेश नही किया उनसे कहा गया कि वे इसका कारण बतायें अन्यथा मुकदमा चलाया जायेगा । 10 अप्रैल 1973 तक 12 मिलों को छोड कर बाकी सब ने अपेक्षित जानकारी भेज दी थी। इस पर वस्त्र आयुक्त नें दोषी मिलों पर मुकदमा चलाने के लिए समुचित कार्यवाही की।

जानकारी एकत्र करने और पहले की कमियों को सुधारने का कार्य पूरा हो गया है और अप्रैल-जून तथा जुलाई सितम्बर की तिमाहियों क पक्के आबंटन कर दिये गये है जो कि राज्यों की काउंट वर्गवार आवश्यकताओं और मिलों के काउंट वर्गवार उत्पादन को ध्यान में रख कर किये गये है, किन्तु उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में लेख याचिकाओं पर जारी किये गये बहुत से निषेध आदेशों के कारण जिनकी संख्या अब 700 पहुंच चुकी है प्राधिकृत माध्यमों से सूत के वितरण में बाधा पड गई है। हम उन निषेध आदेशों को समाप्त करने के लिए कार्यवाही कर रहे है और प्रत्येक लेख याचिका के खिलाफ पैरवी कर रहे है ।

सूत नियंत्रण योजना को आरंभ करने का उद्देश्य भारी अभाव की स्थिति में बुनकरों की यथा संभव अधिकतम सहायता करना था और इससे स्थिति को आसान बनाने में और सूत की कीमतों में तीव्र वृद्धि को रोकने में सहायता मिली है । बिजली की कटौतियां के समाप्त हो जाने से उत्पादन में सुधार होने के फलस्वरूप संमिश्रित धागे औद्योगिक

धागे तथा 40 काउंटो तक के धागों के संबंध में वितरण नियंत्रण ढीला कर दिया गया है। इस मामले पर सरकार लगातार विचार करती रहती है ताकि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के बुनकरों के हितों की रक्षा की जा सके । उन सभी अधिकारियों ने चाहे वे किसी भी पद पर है विभिन्न दिक्कतों तथा कठिन परिस्थितियों में भरसक कार्य किया है और उनकी नीयत पर, शंका करने का कोई कारण नही है । मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए इस विषय पर किसी प्रकार की पडताल या आंतरिक जांच आरंभ करने की कोई आवश्यकता नही है ।

उत्तर प्रदेश में बाढ की स्थिति के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. FLOOD SITUATION IN UTTAR PRADESH

अध्यक्ष महोदय : श्री बाल गोविद वर्मा । आप इस वक्तव्य को सभा पटल पर रख सकते है ।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मुझे कुछ और सूचना प्राप्त हुई है जिसे मैं सभा को बताना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी आप को मालूम है, आप वह सभा पटल पर रख सकते है ।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : मै इस वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूं [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5349ए/73**]

नियम 377 के अन्तर्गत मामले
MATTER UNDER RULE 377
गुजरात में कोयले की भारी कमी

श्री० पी० एस० मेहता (भावनगर) श्रीमान जो मैं आप की अनुमति से नियम 377 के अन्तर्गत निचे वक्तव्य देना चाहता हूं :

गुजरात मे कोयले की गम्भीर कमी का सामना कर रहा है। वहां कोयले का स्टाक बिलकुल नही है ।

भावनगर में न्यू जहांगीर वकील मिल्स नामक एक कपडे के कारखाने को केवल 52 वैगन कोयला मिला है जबकि उसका मई 1973 से लेकर तीन मास का कोटा 180 वैगन है । यदि वहां कोयला शीघ्र न भेजा गया, तो इस कोयले के संकट के परिणामस्वरूप यह मिल बन्द हो जायेगी जिससे 2500 श्रमिक बेकार हो जायेंगे ।

इसी प्रकार बडौदा में ईंटों के बनाने के लिये स्लैक कोयले की सप्लाई मई, 1973 से नहीं की गयी है । यदि बडोदा में कोयले की सप्लाई नहीं की जाती है और वहां कोयले के वैगन शीघ्र नही भेजे जाते है, तो दो लाख श्रमिक, जो अधिकांश हरिजन और आदिवासी है, बेरोजगार हो जायेंगे ।

मै इस गम्भीर स्थिति की ओर रेल मंत्री ओर इस्पात और खान मंत्री दोनों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उनसे यह मांग भी करना चाहता हूं कि गुजरात के लिये विशेषकर भावनगर और बडोदा को कोयले और कोयले के वैगन शीघ्र भेजे जायें ।

कुछ कोयला समुद्र के द्वारा भी भावनगर में पहुंचा है । सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हम इस कारण से कोयला के मूल्य न बढने पाये ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at Fourteen of the clock

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE. PROCLAMATION IN RELATION TO UTTAR PRADESH

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : राजस्थान में सरकारी, कर्मचारियों ने पूर्ण हडताल की हुई है और वहां समूचा प्रशासन अस्तव्यस्त हो गया है । राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के नताओं ने भी निर्णय लिया है कि यदि बातचीत करके हडताल को नही निपटाया जाता है, तो राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय भी बन्द हो जायेंगे । संसद सदस्यों और विधायकों तक को गिरफ्तार कर्मचारियों से जेल में जाकर मिलने नहं दिया जाता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर है । गृह मंत्री महोदय को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : If the administration of any State is not running properly, Centre can interfere.. No Government work is being done in Rajasthan due to the strike of employees.

Shri Lalji Bhai (Udaipur) : In Rajasthan so many incidents of lathi-charge and tear gas have occurred. In Udaipur this is the first incident when police burst tear-gas shells and lathi-charged the agitated employees. They are on strike for the last one month.

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति रखिये । यह सब कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत ही गम्भीर मामला है । किस नियम के अन्तर्गत आप ऐसा कह रहे है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यद्यपि यह विषय पूरी तरह एक राज्य के साथ संबंधित है, फिर भी मैने उन्हें कुछ कहने की अनुमति दे दी । सदस्य उसी विषय अर्थात् राजस्थान में हडताल का उल्लेख कर रहे थे जिसका उल्लेख अन्य सदस्य कर चुके थे । मैने उस सदस्य को बोलने दिया और बाद में उन्हें बोलने से रोका । यदि वह अपना भाषण बन्द नहीं करते है, तो मैं यही कुछ कह सकता हूं कि इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नही किया जायेगा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मै विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि एजेंडा में दिये गये कार्य के लिये सभा में कार्यवाही करने की अनुमति दी जाये, क्योंकि पहले ही हम काफी पिछे रह गये है । मैने समर गुह को भी आधे टे की चर्चा स्थगित करने के लिये कहा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह इस सभा के प्रत्येक सदस्य का मूल अधिकार है । यदि आप नियम पुस्तिका के अनुसार कार्य नहो करते है, तो आप एक खतरनाक परम्परा स्थापित करेंगे, और इस बात के लिये हम आप से सहयोग नहीं करेंगे । हम भी उसी उदाहरण का पालन करेंगे और सभा म शोर शराबा होगा ।

Shri Satpal Kapur (Patiala) : Please take regular business. This should not happen that 25 members stand up at a time and you go on listening to them.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये । मैं यह नही कह रहा हूं कि हमने समय नष्ट किया है । मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं जब सदस्य बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते है, तो मुझे अवश्य वह बात सुननी चाहिये और उसको निपटाना भी चाहिये । दोनों पक्षों में अधिक जोश होता है, जिससे अधिक समय लगता है । मैं व्यक्तिगत रूप से सरकार को अपील करूंगा कि वह कृपा करके अपना सहयोग दे । किन्तु मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों से भी यह अपील करूंगा । इसका निपटान कर लेने के पश्चात हमें जो कार्यवाही करनी है, उसे लेना चाहिये ।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस बात को जानते हुए भी कि यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित है, इस विषय को उठाने का मूल उद्देश्य . . .

उपाध्यक्ष महोदय : वह दूसरी बात है ।

श्री एस० एम० बनर्जी: परन्तु इससे यह बात उत्पन्न होती है कि क्या राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के प्रश्न . . . (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमने इसे निपटा दिया है । आप फिर उसी पर आ गये है । और आप कहते है कि हम सहयोग कर रहे है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि कोई सदस्य असंगत बात कहता ही चला जाये, तो आपको इस सभा में नियमों के अनुसार उसे बैठने या उसकी बात को कार्यवाही वृतान्त से निकालने का अधिकार है । यदि आज हमे बैठने के लिये कहेंगे तो हम बैठ जायेंगे परन्तु ऐसा विनिर्णय देने का कदम न उठाइये कि कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I would like to quote Rule 379. It says :—

"The secretary shall cause to be prepared a full report . . ."

What is meant by full report? All the proceedings of the House should be fully reflected in that report. If any portion is expunged, that report will not be treated as full. There is separate Rule for expunction on the ground of unparliamentary words. But you have quoted Rule 356. If any member persists in irrelevance, he may be named or suspended but you cannot ask the reporters not to write the speech of any member.

In no Parliament of the world, there is such a rule that whatever the member speaks, will not go on record. Please reconsider your ruling.

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । माननीय सदस्य अपनी बात कह चुके है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : वे इस बात का ध्यान रखें कि अध्यक्षपीठ इस सभा के मालिक नहीं है वह इस सभा के सेवक है। अन्यथा उस पक्ष के सदस्य आपसे ऐसा विनिर्णय देने को कहेंगे जिससे हमारे मुंह बंद हो जायें। वैसा संभव नहीं है ... **(व्यवधान)**

मेरा निवेदन है कि किसी सदस्य को अनुशासन में लाने के लिये अध्यक्षपीठ का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वैसा करने के लिए अध्यक्षपीठ के पास शक्तियां है। यदि कोई सदस्य कहे कि मैं तो सीमा से अधिक बोलता ही चला जाऊंगा तो उसका नाम लेकर पुकारा जा सकता है या संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है। परन्तु कई बार ऐसा होता है कि अध्यक्षपीठ माननीय सदस्य को अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति नहीं देते है। हम आपसे यही बात कहना चाहते है।

Shri Madhu Limaye (Banka): The Chair cannot say that the speech of so and so hon. Member will not go on record.

Some hon. Members have expressed their opinion that the chair can be name a Member if he persists in irrelevance or says 'I will go on speaking.' I disagree with those hon. Members who have said so. A way should be devised whereby the hon. Members can express their opinion and proceedings of the House continue smoothly.

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्री वाजपेयी और श्री मिश्र ने विचार व्यक्त किये कि कुल अवसरों पर नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है परन्तु मेरी भावना यह है कि वास्तव में नियमों का पालन मानव शरीर द्वारा किया जायेगा परन्तु यदि हम नियमों का कठोरता से पालन करने लगे तो कुछ भी काम नहीं होगा।

अत: नियमों की भावना का पालन किया जाना है। यह महत्वपूर्ण बात है कि आप और अध्यक्ष महोदय स्वयं भिन्न भिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों को चेम्बर में बुलाये और इस पर चर्चा करें। जब तक विरोधी दलों के भिन्न भिन्न तत्वों और सरकार के बीच एक समझ नहीं होगी कि हमारा विचार नियमों की भावना का पालन करता है, न कि इनके स्वरूप का, तब तक इस संसद में कुछ नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं हम कार्यवाही जारी कर सकते है **(व्यवधान)** श्री बसु, यदि आप सभी बोलेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। मैंने आप लोगों की बात सुनी है। मेरी बात सुनिए।

अब मैं इस सभा में माननीय सदस्यों के भाषण को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करने की विशेष प्रक्रिया के प्रश्न को लेता हूं **(व्यवधान)** मेरे पास श्री ज्योतिर्मय बसु और अध्यक्ष महोदय के बीच हुए पत्र व्यवहार वाला पत्र है। ऐसा लगता है कि श्री बसु ने इस विशेष प्रथा की ओर अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित किया था और उन कुछ बातों पर आपत्ति की जो अध्यक्षपीठ के आदेश पर कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की गई।

यह अच्छा है कि आप इसे लाये है। हम इसे निपटा सकते है। **(व्यवधान)** अभी क्या हुआ? राजस्थान के बारे में कार्यवाही (एजेन्डा) में कुछ नहीं है। यदि संविधान पढा जाय तो राजस्थान मे जो कुछ हुआ वह राजस्थान राज्य सरकार और राजस्थान विधान सभा का उत्तरदायित्व है। नियमों के अनुसार इस पर चर्चा की अनुमति मुझे नही देनी चाहिए। चूंकि सदस्यों ने इसे उठाया है इसलिये यह कार्यवाही वृतान्त में चला गया है। जब एक सदस्य बोलता ही चला जाये तो अध्यक्षपीठ के हाथ में क्या उपाय है?

एक माननीय सदस्य : उसका नाम लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह इतनी सरल बात नहीं है । यदि हमने प्रत्येक सदस्य का नाम लेना शुरू कर दिया तो इस सभा में सभी प्रकार की बातें होंगी और यह संसद संसद नहीं रहेगी ।

प्रो० मुकर्जी ने जो कुछ सुझाव दिया है वह अच्छा और महत्वपूर्ण है । मैं विनिर्णय देना नहीं चाहूंगा । इस मामले को अध्यक्ष महोदय को सोंपा दिया जाये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम समिति को ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, इसे अध्यक्ष महोदय को सोंपा जायेगा वह नियम समिति की बैठक बुलायेंगे । यदि माननीय सदस्य सहमत हों तो इस मामले को समाप्त करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु अपना भाषण जारी कर सकते है ।

श्री समर गुह : जी, नही । मुझे बिना किसी रोष के निवेदन करना है । कल माननीय मित्र श्री भागवत झा आजाद ने ...

उपाध्यक्ष महोदय : वह मेरे पास है ।

श्री समर गुह : मुझे अपनी पार्टी और पार्टी के सहयोगियों के प्रति कर्तव्य का पालन करना है कल श्री भागवत झा आजाद ने हमारी पार्टी के सदस्य श्री मधु लिमये पर गंभीर आरोप लगाया कि उन्होने बांका उप-चुनाव में लगभग दस लाख रुपये खर्च किये। समाचार-पत्रों में यह समाचार आया और किसी ने उसका विरोध नहीं किया । यह समाचार दिल्ली से प्रकाशित होने वाले महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में छपा है ।

अत: सभा के औचित्य के अनुसार मेरे मित्र, श्री मधु लिमये को उन वक्तव्यों का उल्लेख करने का हक था। परन्तु उसके उत्तर में श्री आजाद ने श्री मधु लिमये पर गंभीर आरोप लगाया। यदि इसे बिना विरोध के स्वीकार किया गया है या इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाले बिना ही छोड दिया गया है तो इससे अध्यक्षपीठ, निर्वाचन आयोग और इस सभा पर कलंक लगता है क्यों कि कोई भी सदस्य 35,000 रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकता। अत: इसकी जांच के लिये समिति गठित की जानी चाहिये।

क्या मेरे माननीय मित्र, श्री आजाद आरोप वापिस लेने जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो तो क्या आप इसें कार्यवाही-वृतान्त से निकालने जा रहे है या जांच करने जा रहे है ?

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं बोल सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं (**व्यवधान**)। कृपया बैठ जाइये ।

अब इस सभा में दो मत है । एक तो यह है कि कल सभा में जो कुछ हुआ उसे वही रहने दिया जाये और आगे चर्चा आरंभ की जाय तथा दूसरा यह है कि इससे पहले कि हम चर्चा आरंभ करें, इस मामले को किसी न किसी तरह निपटा दे ।

इस सम्बन्ध में मेरे पास दो पत्र है । एक श्री मधू लिमये का और दूसरा श्री ज्योतिर्मय बसु का ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

श्री ज्योतिर्मय बसु कहते है कि मैंने प्रस्ताव की सूचना दी है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने अध्यक्ष महोदय को जो पत्र लिखा है उसमें उन्होनें लिखा है कि "आपका पर्यवेक्षण आवश्यक होगा" ।

श्री बसु, क्या यह नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव है ? आपने नियमों का उल्लेख नहीं किया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने अपना प्रस्ताव दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अभी तक मेरे पास नहं आया है ।

श्री मधु लिमये ने अपने पत्र में श्री भागवत झा आजाद द्वारा उन पर लगाये आरोप के सम्बन्ध में एक प्रतिनिधि संसदीय समिति द्वारा मामले की जांच कराये जाने के बारे में लिखा है ।

श्री मधु लिमये : मैंने अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा है, उन्हें निर्णय करने दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : कल श्री मुखर्जी ने सुझाव दिया कि जब कभी आरोप लगाये जाये तो वे कुछ तथ्यों पर आधारित होने चाहिए । अतः मैं समझता हूं कि इस मामले को यही समाप्त किया जाये । यदि माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय के समक्ष कुछ तथ्य रख सके और उन्हें आश्वस्त कर सकें कि उन आरोपों की जांच करने के लिये संसदीय समिति आवश्यक है...

Shri Madhu Limaye (Banka): This is my demand became charges have been levelled against me.

श्री **भागवत झा आजाद** (भागलपूर) : समिति की बात करने से पूर्व आपको हमारा दृष्टिकोण भी सुनना होगा । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से ऐसे एक हजार व्यक्ति ला सकता हूं जो यह कहेंगे कि श्री मधु लिमये ने उनको पर्याप्त धन दिया है जो कि 10 लाख से अधिक था । प्रश्न यह है कि श्री ज्योतिर्मय बसु ने हमारे नेता का नाम लेकर यह बात कही थी और मैंने उसे चुनौती दी थी । श्री मधु लिमये जबसे संसद में आये है वह ऐसी बातें करते रहते है । उन्होंनें स्वयं को दूसरों के चरित्र पर कीचड उछालने में विशेषज्ञ बना लिया है । यदि आप समिति बनाना चाहते है तो हम उसके लिये तैयार है और इस मामले को समाप्त होना चाहिए। मैं श्री मधु लिमये के कहने पर त्यागपत्र नहीं दूंगा। श्री मधु लिमये की भान्ति मेरे पास चुनाव लडने के लिये काला धन नहीं है । कल उन्होनें कहा था कि हमारे नेता के पास 25 लाख रुपये है । श्री बसु ने कल जो कुछ कहा, क्या आप उसको कार्यवाही वृतान्त से निकाल रहे है ? आज सुबह श्री दंडवते ने कहा था कि सरकार की चोर बाजारियों तथा शराब बेचने वालों से सांठगांठ है । क्या वह इस बात को साबित कर सकते है ? समाजवादी दल ही एक ऐसा दल है, जो डा० लोहिया से लेकर मधु लिमये तक जो प्रतिदिन सदन की प्रतिष्ठा का हनन कर रहा है । उन्होने संसदीय गरिमा की हत्या की है ।

श्री समर गुह (बम्बई) : क्या आप इस सदस्य को इस प्रकार हमारे दल तथा नेताओं पर आरोप लगाने की अनमति देते रहेंगे जब कि इनको सिद्ध करने के लिए उनके पास कुछ नही है। वे विरोधी दलों के नेताओं के चरीत्र को उछाल रहे है। श्री मधु लिमये ने यह नही कहां कि कांग्रेस दल ने 25 लाख अथवा 32 लाख रुपये खर्च किये। माननीय

सदस्य ने यह भी कहा कि वह ऐसे एक हजार व्यक्ति ला सकते हैं जिन्होंनें श्री लिमये से धन लिया है । अतः आपको सारे मामले की जांच के लिए एक जांच समिति नियुक्त करनी चाहिए। अन्यथा आप माननीय सदस्य का नाम लेकर पुकारें और उसे कहें कि वह अपने आरोपों को सिद्ध करें। उनके इन आरोपों को देखते हुए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो यह बताने का प्रयत्न कर रहा था कि आप जो कुछ करें वह प्रक्रिया के अनुसार ही करें । मुझे श्री ज्योतिर्मय बसु से एक प्रकार का प्रस्ताव अभी अभी मिला है । (**अंतर बाधा**)

डा० कैलाश (बम्बई दक्षिण) : आप की उपस्थिति में उन्होनें मुझे 'शट अप' कहा है। हम इसको सहन नहीं कर सकते । प्रतिदिन इस प्रकार सदन के समय का अपव्यय हो रहा है । यदि आप उनको चुप नही करायेंगे तो हम उनको चुप करा देंगें । वे इस प्रकार हल्लागुल्ला जारी नहीं रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पहले ही एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है । अब आप दूसरी समस्या उत्पन्न न करें । श्री बसु ने किसी प्रकार के प्रस्ताव की सूचना दी है । मैं तो प्रक्रिया बताने का प्रयास कर रहा था । संसदीय समिति गठित करने के लिए भी एक प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है । प्रस्ताव की सूचना नियम 184 के अन्तर्गत दी गई है । इस पर अनुमति देना अथवा न देना अध्यक्ष महोदय का काम है । कुछ और तथ्यों को अध्यक्ष के समक्ष रखना आवश्यक है जिससे कि वह इस बारे में कोई निर्णय ले सकें । यदि समिति ही नियुक्त की जानी है, तो उसके लिए उचित ढंग से एक संकल्प प्रस्तुत करना होगा । (**व्यवधान**)

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) : आप इस मामले पर अध्यक्ष महोदय से बातचीत कर सकते है ?

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : सभी नेताओं को बुलाकर इस मामले पर चर्चा की जा सकती है । हमे अब उत्तर प्रदेश पर चर्चा करनी चाहिए। यह चर्चा कल भी हो सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह कह रहा था कि यदि संसदीय समिति नियुक्त करने का निर्णय ले लिया जाता है तो ऐसा एक उचित संकल्प के माध्यम से ही किया जा सकता है । हम समिति को सेक्रेटरिएट की सहायता भी प्रदान करनी होगी । प्रत्येक बात उचित ढंग से ही करनी होगी । हमे इस मामले को यही समाप्त कर देना चाहिए। हमे कुछ और तथा अध्यक्ष के सामने रखने चाहिए और उन्हे ही इस पर निर्णय लेने देना चाहिए। श्री बसु, क्या आप अपना भाषण अभी जारी रखेंगे ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तुपुजा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 31 के अनुसार आप केवल कार्य सूची में दर्ज मदों पर ही चर्चा की अनुमति दे सकते है । यदि वे कुछ बातों को यहां उठाना चाहते है तो उन्ह उसके निर्धारित समय के अन्तर्गत सूचना देनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस समय सदन के समक्ष कोई विषय है ? यदि कोई विषय नही है तो आप उनको बैठने के लिए कहे ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं आधे मिनट के लिये व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री सी० एस० स्टीफन : किसी विषय पर ? किस नियम के अन्तर्गत ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दंडवते हम उस मामलो को निपटा चुके है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

डा० कैलाश (बम्बई दक्षिण) : क्या यह व्यवस्था का प्रश्न करने के अधिकार का दुरुपयोग नही है । इस पर में आपका विनिर्णय चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न के बार में हमने कल कुछ निर्णय लिए थे । प्रो० हीरन मुखर्जी के ने कल कहा था कि केवल अध्यक्षपीठ को ही यह दशा न निर्णय करने को शक्ति प्राप्त है कि व्यवस्था का प्रश्न वास्तव में व्यवस्था का प्रश्न है अथवा नहीं ? परन्तु अध्यक्षपीठ सदस्य को व्यवस्था का प्रश्न उठाने से रोक नहीं सकता ? मैं इस बात से सहमत हूं, परन्तु जब तक सदस्य सहयोग न करे तब तक अध्यक्षपीठ के कठिनाई उत्पन्न होती है। यदि वह कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते है तो मैं उसे सुनना चाहता हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है यह है कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम लेकर आरोप लगाये जा सकते है जो कि यहां उपस्थित नही है और जो अपनख बचाव नही कर सकता ? डा० राम मनोहर लोहिया का देहान्त हो चुका है । एक माननीय सदस्य ने कहा है कि डा० लोहिया ने संसद् की मानहानि के लिए सब कुछ किया। सदन में ऐसे वक्तव्य नही दिये जाने चाहिए ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा निवेदन है कि डा० लोहिया सम्बन्धी उल्लेख को आप कायवाही वृत्तांत से निकाल दे ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप अपना विनिर्णय दीजिए ।

श्री भागवत झा आजाद : यदि नियमों के विरुद्ध कोई चीज है, तो कार्यवाही से निकाल दिया जाय । मुझे कोई आपत्ति नही है परन्तु कल से किसी को भी एक दूसरे पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहिए । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मैंने आपका ठीक सुना है तो मेरे विचार मे आपने स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया के बारे में कुछ बातों का उल्लेख किया है । मैं रिकाड देख रहा हूं (**व्यवधान**) ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियार) : हम आज के रिकार्ड की बात कर रहे है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखकर ही कोई निर्णय दूंगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : प्रश्न यह है कि क्या सभा की प्रतिष्ठा तथा महान व्यक्तियों की स्मृति जिसके लाखों लोग प्रेरणा लेते है, को देखते हुए स्व सदस्य को अपने शब्द वापस नही लेने चाहिए । यदि वह ऐसा नही करते, तो हम प्रभावशाली ढंग से अपना विरोध प्रकट करेंगे ।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने जो कुछ कहा, उसम कुछ गलत नहीं । आप प्रतिदिन हमारे नेता का उल्लेख करते रहते है । डा० लोहिया का हम बहुत सम्मान करते है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : माननीय सदस्य ने कहा था कि दो व्यक्तियों ने संसद की हत्या की है : डा० लोहिया और मधु लिमये। इससे सभा की प्रतिष्ठा बढेगी नहीं ।

श्री सी० एम० स्टीफन : वे अब यह कह रहे है कि डा० लोहिया का कोई उल्लेख नही किया जाना चाहिए क्योंकि वह अपना अब बचाव नहीं कर सकते । यह एक खतरनाक बात है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हमे इसका प्रभावशाली ढंग से विरोध करना होगा । हम यहां पर प्रधान मंत्री की आलोचना करने के लिये ही है : अतः इस बारे में कुछ नहीं कहा जाना चाहिये । परन्तु डा० लोहिया का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका है कि मैं इस मामले को देखूंगा।

श्री ज्योतीर्मय बसु : हम यहां पर नीति सम्बन्धी सिद्धान्तों आदि पर चर्चा के लिए आये है न कि व्यक्तिगत बातों पर । मैं यह कहना चाहता हूं कि ... **(व्यवधान)**

श्री समर गुह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह आपकी राय है कि रिकार्ड देखने के पश्चात आप । **(व्यवधान)** ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि रिकार्ड क्या है। मैं रिकार्ड देखूंगा। अब आप कुछ मत कहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मैं अपना भाषण जारी रख सकता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, आप अपना भाषण जारी रखे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उत्तर प्रदेश में घड़े बन्दी के कारण राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा है। चार राज्यों में इस समय राष्ट्रपति का शासन है, समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है कि रुपयों के थैलों से केदार पांडे के मंत्रालय को उलटा गया है। समाचारपत्र में यह भी लिखा गया है कि श्री केदार पांडे ने इस बारे में प्रधान मंत्री से शिकायत की है।

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित (सीतापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं जब उत्तर प्रदश के बारें में चर्चा चल रही है तो बिहार का उल्लेख करने का क्या औचित्य है? आप वक्ता को उस बारे में बोलने से मना करें।

श्री ज्योतर्मय बसु : चार राज्यों में इस समय राष्ट्रपति शासन लागू है। देश में लोकतंत्र को नष्ट किया जा रहा है। लोकतंत्र को जड़ से काटा जा रहा है। मैं यह कह रहा था कि श्री केदार पांडे ने प्रधान मंत्री को शिकायत की थी कि सदस्यों को धन देकर उनसे पृथक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने उनको कुछ आश्वासन दिया था, मैं केवल इतना कहना चाहता था कि धन से लोकतंत्र को नष्ट किया जा रहा है। श्री ललित नारायण इसके मुख्य आर्किटेक्ट हैं। "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ है कि अधिकांश विधायक ललित नारायण मिश्र के प्रति वफादार हैं और वे दल की एकता अथवा लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों की कुछ परवाह नहीं करते।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I rise on a point of order.

श्री ज्योतिर्मय बसु : उस में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में भी लिखा गया है। 25 जून, 1973 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "विक्टिम आफ मनी बैग पालिटिक्स" शीर्षक के अन्तर्गत यह छपा है कि श्री भागवत झा आजाद ने कहा है कि श्री पांडे का मंत्रीमंडल मनी बैग राजनीति का शिकार हो गया है।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या उत्तर प्रदेश पर हो रही चर्चा बिहार के मामले से सम्बन्धित है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अब उत्तर प्रदेश पर आ रहा हूँ। स्टॅण्डर्ड भी अलग अलग हैं। उड़ीसा में अलग स्टॅण्डर्ड है। वहां मंत्रिमंडल को शीघ्रता में हटा दिया गया और विधान सभा भंग कर दी गई। उत्तर प्रदेश में विधान सभा को जीवित रखा हुआ है। उड़ीसा के एक उप-चुनाव में 90 लाख रुपये लगे हैं। यदि हम यह कहते हैं कि श्री दीक्षित धन एकत्र कर रहें है तो यहां कुछ लोग नाराज हो जाते है। मैं चाहता हूँ कि स्वयं श्री दीक्षित इस बात से यहां इन्कार करें कि उन्होंने धन एकत्र नहीं किया।

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : यह पूर्णतया गलत है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत अच्छा है। प्रधान मंत्री के उत्तर प्रदेश राज्य के एक दौरे पर 50 लाख रुपये खर्च होते हैं। यह कितना बडा भ्रष्टाचार है। अतः मैं यह कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश सहकारी निधि में 1.73 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। उसमें सत्तारुढ़ दल का हाथ है।

प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल को बदनाम किया जा रहा है। पी० ए० सी० के लोग वास्तव में अपने कार्मिक संघों के अधिकारों के लिय लड़ रहे हैं। सरकार ने उन पर शक्ति का प्रयोग किया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और सेवा की शर्तों के लिये लड़ने का अधिकार है।

एक प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल के कर्मचारी को एक पुलिस अधीक्षक के चपरासी से कम वेतन मिल रहा है। उनके उचित अधिकार स्वीकार न करने पर उनमें असंतोष होना स्वाभाविक ही था। वे काम कर जीना चाहते हैं लेकिन सरकार उनको ऐसा करने की अनमति नहीं देती।

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : किसी भी समाचार-पत्र में आरोप लगाने मात्र से कोई बात सच नहीं हो जाती।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया है जो सदन में उपस्थित नहीं है। दूसरा आरोप धन एकत्र करने में सम्बन्धित है। मैं इन दोनों बातों के बारे में आपका विनिर्णय चाहता हूं।

श्री राम सहाय पाण्डे (राजनन्दगांव) : श्री ज्योतिर्मय बसु ने "बहूजी" शब्द का प्रयोग किया है, जो समझ में नहीं आता। यदि देश में ऐसी कोई बहूजी है तो वह सदन के अपने समर्थन में कुछ भी नहीं कह सकती। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध सदन में कोई आरोप नहीं लगाये जाने चाहिये जो अपने समर्थन में कुछ भी न कह सके। समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार की यथार्थता के बारे में पहले सुनिश्चित कर किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाना चाहिये। यह बहुत गंभीर आरोप है।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : किसी भी आरोप के बारे में जांच करने का काम सरकार का है। (**अन्तर्बाधाएं**)।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि समाचार-पत्र में लगाया गया आरोप गलत है तो श्री दीक्षित को समाचार-पत्र पर मुकदमा चलाना चाहिये। आप हमको इस बारे में दोषी नहीं ठहरा सकते। **(अंतर्बाधाएं)**।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली (टिहरी-गढ़वाल) : अध्यक्ष पीठ अनेक बार यह विनिर्णय दे चुके है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को प्रमाणिकृत नहीं समझा जाना चाहिय। (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री वसंत साठे (अकोला) : कोई भी आरोप लगाने से पूर्व माननीय सदस्य को उसकी यथार्थता के बारे में पहले संतुष्ठ होना चाहिये। सरकार द्वारा किसी रिपोर्ट के विरुद्ध कार्यवाही न करने से उक्त रिपोर्ट सच नहीं हो जाती। माननीय सदस्य द्वारा की गई टिप्पणियां असंगत हैं। माननीय सदस्य को जब तक कोई आरोप नहीं लगाना चाहिये जब तक वह अपने आरोप को सिद्ध नहीं कर सकें। उनके द्वारा लगाये गये आरोप को सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : समाचार पत्रों के उद्धरण को स्वीकार करने से सभा में एक खतरनाक परम्परा आरम्भ हो जायेगी।

डा० कैलाश (बम्बई-दक्षिण) : यदि समाचार पत्रों से उद्धरण प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी जाती है, तो देश में कुछ एसे समाचार-पत्र और साप्ताहिक हैं जो लगभग प्रतिदिन ही ऐसी कहानियां प्रस्तुत करते रहते हैं। इस प्रकार हम सभा की गणना को बनाये नहीं रख सकेंगे इस बारे में विनिर्णय दिया जाना चाहिये।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : सभा में निराधार आरोप नहीं लगाये जाने चाहिये गृह मंत्री ने भी इस बात का समर्थन किया था।

श्री उमाशंकर दीक्षित : यदि किसी विख्यात समाचार पत्र में किसी घटना के बारे में कोई समाचार प्रकाशित होता है, तो ठीक है लेकिन यदि उक्त घटना के बारे में केवल विचार व्यक्त किये जाते हैं तो इस बात को गम्भीरता से नहीं लिया जाना चाहिये क्योंकि सम्पादक उस समाचर की सत्यता की जिम्मेवारी नहीं लेता। सदन में कोई भी ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसके विरुद्ध किसी समाचार पत्र अथवा पत्रिका में कोई अभद्र अथवा मानहानि कारक समाचार प्रकाशित न हुआ हो। लेकिन हमें इस प्रकार सदन में सब मामले नहीं उठाने चाहिये। आप उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा, मख्य मंत्री द्वारा त्यागपत्र के बारे में लिखे गये पत्र आदि का सदन में उल्लेख कर सकते हैं। ये तत्संगत मामले हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 22,000 पुलिसवालों और उनके परिवारों के लिये 2.75 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। यह राशि बहुत कम है। उनसे 18 घंटे काम लिया जाता है और फिर भी आप लोग अपने को सभ्य कहते हैं। सत्तारूढ़ दल उत्तर प्रदेश के 90 करोड़ लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। बिहार और उड़ीसा के बाद शायद उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है।

उत्तर प्रदेश में द्रुतगामी कार्यक्रम के अन्तर्गत 679 लाख रुपये आवंटित किये गये थे लेकीन सरकार ने उसमें से केवल 422 लाख रुपये से अधिक राशि खर्च नहीं की है जबकि वहां की जनता भूखों मर रही है।

उत्तर प्रदेश में 23 जिले सूखाग्रस्त हैं। वर्ष 1970–71 में उत्तर प्रदेश के लिये सूखा का मुकाबला करने हेतू 35 लाख रुपये आवंटित किये गये थे लेकिन उसमें से केवल 23.53 लाख रुपये खर्च किये गये। 1971–72 में उत्तर प्रदेश के लिये 239 लाख रुपये आवंटित किये गये जबकि उक्त राशि में से केवल 136 लाख रुपये खर्च किये गये।

जब अकाल पड़ता है तो अकालग्रस्त क्षेत्रों में पुलिस तैनात कर दी जाती है। भखे व्यक्तियों को खाने के स्थान पर गोली मिलती हैं।

साक्षरता के मामले में भारत का स्थान विश्व में सबसे नीचा है।

गेहूं वसूली के मामले में सरकार ने अपने को "निक्सन सरकार" की बच दिया है। सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में से 37 जिलों में गेहूं की वसूली रोक देने के क्या कारण हैं? उसका मुख्य कारण यह है कि चुनाव निकट है और सरकार जमाखोरों को नाराज नहीं करना चाहती।

बांदा जिलें में हरिजनों को निरन्तर सताया जा रहा है और उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है।

सरकार साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में पूर्णतया असफल रही हैं। इन साम्प्रदायिक दंगों के पीछे संगठित संघों का हाथ है। मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सरकार को मतदान के समय उनकी आवश्यकता होती है और इसके बाद उन्हें भुला दिया जाता है।

अलीगढ़ में बेचारे विद्यार्थियों को आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत अनुचित रूप से गिरफ्तार किया गया है।

उत्तर प्रदेश में निर्धारित तिथि पर चुनाव करवाने के लिये विधान सभा की शीघ्र बैठक बुलाई जानी चाहिये।

गाजियाबाद में स्वदेशी पोलीटेक्स बन्द हो रही है और इस के परिणामस्वरूप यदि 800 कर्मचारी बेकार हो जाते है, तो इसकी जिम्मेवारी सरकार पर आयेगी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैंने विपक्षी दलों के नेताओं से इस बारे में विचार विमर्श किया था और वे आज सायं 7 बजे इस विषय पर विचार विमर्श करने को सहमत हो गये है।

Shri Tarkeshwar Pandey (Salempur): It is not proper to make any allegation against a person who is not present in the House. It is not true that there is some frictions in the Congress in U. P.

[श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए
SHRI S. A. KADAR *in the Chair*]

Shri Kamlapati Tripathi was elected the leader of the Congress party unanimously. He is also the leader today.

P. A. C. is every where in the country. The employees of P.A.C. are not getting less pay in comparison to the pay their Counter parts are getting in other States. While supporting the resolution regarding the imposition of Presidents rule in Uttar Pradesh, I would like to say that it is easy to criticize the others, but it is difficult to appreciate the qualities of others. It is further difficult to give serious thought to the problems. Pt. Kamlapati Tripathi has been the Chief Minister of U.P. He is thorough gentle, competent, capable, learned and serious thinker. He has done good and appreciable job during last two years. The Prime Minister in a statement has also appreciated Shri Kamlapati Tripathi's administration in clear terms.

I do not hesitate in accepting Shri Jyotirmoy Bosu's contention that Uttar Pradesh is a backward state. The income of the State is not proportionate to the population. We have not been given financial help on the basis of population. So, I request the Central Government to give us more financial aid so that U. P. may come up. Shri Kamlapati Tripathi did not want to stick to the post, so he wrote to the Governor giving his suggestion that the Centre should take over the administration in the State. It shows feeling of sacrifice and dedication in him. One thing more I would like to say General elections to the State are going to take place in 1974. Now the question is : Whether the President's rule in the State will continue till then. Government should give serious thought to it and take an early decision as to when the elections for the State Assembly will be held. With these words, I support the Bill.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Mr. Chairman, Sir, our party opposes imposition of President's rule in any State. If it becomes necessary it should be lifted soon to facilitate the installation of popular Government there. If a popular Government cannot be installed in U. P. on account of internal differences in the Congress Party, the Central should see that fresh elections to the State Assembly are held as soon as possible.

I am against the tactics of Government to utilize the services of P.A.C. to suppress the people and to use army to suppress the legitimate rights and demands of P.A.C. It is a fact that the working conditions of P.A.C. are not satisfactory. A Committee under the Chairmanship of Shri Ali Zaheer was set up to enquire into their working conditions and the Committee recommended that they can form an association. U. P. Government sought the permission of the Central Government in this regard. But the Centre did not take trouble to reply. The P.A.C. people were ruthlessly suppressed and in some cases even the members of their family were also tortured. So I request that the demands of P.A.C. personnel should be seriously considered and their legitimate demands should be accepted.

Uttar Pradesh is one of the big state of the country. But per capita income in that State is much less than in some other states. U. P. did not receive so much financial assistance from the Centre as is required by this State in view of its backwardness. Now the State is in the grip of drought on the one hand and floods on the other. The conditions of people particularly in eastern part of U. P. is miserable. Power shortage is still existing in the State. Power is not available for running the industries which have rendered thousands of labourers jobless. On the other hand Birlas are getting power on nominal votes.

[Shri S. M. Banerjee]

I am glad to learn about the speech of President in which he ordered his advisers and Secretaries to go to rural areas and put the hoarders in jail. But no action has so far been taken against any hoarder, profiteer and black marketeer, who are exploiting the situation. On the other hand those who are fighting against hoarders in peaceful way are being brutally dealt with by the police communal forces are again raising their heads to Uttar Pradesh. These should be dealt with strongly.

श्री सन्त बख्श सिंह (फतेहपुर) : श्रीमन्, गृह मंत्री द्वारा पेश किये गये संकल्प का मैं समर्थन करता हूँ। सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश क्यों की। हमारा दल बहुमत में था। फिर भी विधान सभा के सदस्यों और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने एकमत से यह निर्णय किया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये। ऐसा उन्होंने राज्य और देश के हित में किया यदि हम चाहते तो पदों पर बने रह सकते थे और हमारी सरकार चलती रहती क्योंकि हम बहुमत में थे। अतः कांग्रेस की इस प्रवृत्ति की सराहना की जानी चाहिए।

जहां तक पी० ए० सी० कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनकी सेवा की शर्तें संतोषजनक नहीं हैं और उनमें सुधार किया जाना चाहिए, किन्तु साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने जो स्थिति उत्पन्न कर दी थी उसमें सरकार ने उनके विरूद्ध जो कार्यवाही की, वही ठीक थी। हमारे दल ने यह कार्य दलगत हितों के लिए नहीं, देश के हित में किया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): The Central Government has been impowered under Art. 356 of the Constitution to take over the administration of the State where Constitutional Crisis arises. But now the Central Government is missing this power. There was no Constitutional crisis in Uttar Pradesh, yet the administration has been taken over by the Centre. Actually there was a crisis in the ruling party itself. To solve this crisis the Centre has enforced President's rule there.

The Governor in his letter has stated that President's rule should be inforced in the State temporarily.I feel that he wanted to give time to the ruling party so that they may be able to solve the crisis which has erupted in party. The Governor in the State temporarily. I feel that he wanted to give time to the ruling party so why Shri Tripathi was asked to resign his post. The Governor is not meant for praising the work of any Chief Minister. If the Congress Party was not in the position to run the Government then the Governor should have invited the opposition parties for constituting Government. The fate of the Governments should not be decided in the Raj Bhawan but it should be decided on the flour of the House.

Secondly if both the Congress Party and opposition were not in the position to form the Government then the Governor should have dissolved the legislative Assembly. It should not have been suspended. It is clearly misuse of the Constitution. President's Rule has been imposed in various States twenty-two times since the present Prime Minister has taken over the reigns at the Centre. This has been done to pull out the ruling party from difficulties.

My party does not favour the view that armed forces such as Provincial Armed Contabulary or Army should be allowed to form trade unions. But Government should have kept the door opened for discussion on their grievances by recognising their Association. The Jawans of the P.A.C. are deputed throughout the country for the security of the Prime Minister. The officers of the P.A.C. utilized the services of the Jawans for looking after the buffallows and for other domestic works.

The Intelligence department gave the news of dissatisfaction among the P.A.C. Jawans six months back but no action was taken to remove their grievances. Supreme Court Judge should be asked to look into the whole affair.

The situation in Uttar Pradesh has worsned as all relief works have been stopped. Foodgrains are being sold 180 rupees per quintal. Some areas have been inundated by flood water and some are still suffering from drought.

I want to say nothing more that is a new system of examinations has been evolved. In this system a student having Urdu with Mathematics have to secure only 50 marks in the mathematics whereas a student having Hindi with Mathematics have to secure 60 marks in mathematics. In this way this Government is discriminating between students. Urdu teachers are being posted even in those schools where there is no student of Urdu. This is, perhaps, done keeping in view the elections. I, therefore, suggest that Legislative Assembly should be dissolved and elections should be held immediately.

While concluding the speech I will suggest that a compaign should be launched for the development of hilly districts and Bundelkhand region of Uttar Pradesh.

श्री के० डी० मालवीय (डुमरियागंज) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय सरकार को हटाने का कारण वहां पर पी० ए० सी० की स्थिति में बहुत अधिक बिगाड़ करना था। यह स्थिति वास्तव में संसदीय सरकार के समय ही उत्पन्न हुई थी। सरकारी कर्मचारियों ने भी उस समय भारी प्रदर्शन किया था। स्थिति को जटिल बनाने में संविद सरकार का बहुत हाथ है ।

इसमें सन्देह नहीं कि उत्तर प्रदेश की अनेक समस्याएं हैं जिनको हल किया जाना है। भारत के तीनों प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश के थे परन्तु फिर भी उन्हें राज्य के साथ केन्द्र द्वारा उचित व्यवहार नहीं किया गया है। इस राज्य के पिछडेपन को देखत हुए केन्द्र को इस राज्य की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए था ।

जहांतक संवैधानिक संकट का प्रश्न है, इसके अनेक कारण है। एक पी० ए० सी० में गड़बड़ी है। यह गड़बड़ी अनेक राजनैतिक दलों द्वारा हस्तक्षेप करने के कारण ही उत्पन्न हुई। अनेक कठिनाइयां संविद सरकार की ही उत्पन्न की हुई हैं। संविद सरकार में जनसंघ भी भागीदार था। जब श्री त्रिपाठी ने देखा कि यह स्थिति न केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है बल्कि विरोधी दलों द्वारा देश के अनेक भागों में भी फल रही है तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसे एक प्रकार से बलिदान ही कहा जायेगा। उन्होंने मामले को सुधारने का एक अवसर केन्द्रीय सरकार को दिया है। मैं केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। प्रशासन के परम्परागत ढांचे में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमें पुरानी परम्पराओं को तोड़कर नये ढांचे स्थापित करने चाहिए। जिलास्तर पर लोगों की सहायता ली जानी चाहिए तभी कमी तथा असंतुलन की स्थिति का सामना किया जा सकता है। यदि लोगों की संस्थाएं स्थापित नहीं की जाती तो चाहे कोई भी दल चुनाव जीते, लोगों की स्थिति में अधिक परिवर्तन होने वाला नहीं है। हमें नौकरशाही के ढांचे को इन बात के लिए बाध्य करना चाहिए कि वह सूख, कमी, बढ़ रहे मूल्यों की स्थिति का सामना करने के लिए बदल रही परिस्थितियों को ध्यान में रखे और लोगों की संस्थाओं को मान्यता दे ।

वर्तमान ढांचे में परिवर्तन करके भूमि सुधार, सिंचाई कार्यक्रमों पर कार्य आरम्भ किया जा सकता है। यह कार्य गैर-सरकारी इमानदार व्यक्तियों से लिया जा सकता है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री कल उत्तर देंगे ?

सभापति महोदय : जी हां।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : अभी अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि हमें दलगत नीति से उपर उठकर उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर विचार करना चाहिए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : साढ़े पांच बजे आधे घंटे की चर्चा आरम्भ होने वाली है।

सभापति महोदय : आपकी अनुपस्थिति में इसे सात बजे आरम्भ करने का सदन ने निर्णय किया है।

श्री सेझियान : उत्तर प्रदेश में संविधान के नाम पर जो कुछ हुआ है उससे समूचे देश पर प्रभाव पड़ता है। केन्द्रीय सरकार की कार्यवाही से राज्यस्तर पर संसदीय लोकतंत्र का हनन हुआ है। अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग प्राप्त तथा बहुत आश्चर्यजनक ढंग से किया गया है। मामूली बहाने से ही केन्द्रीय सरकार अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करती है। संविधान सभा में जब श्री एच० वी० कामत तथा प्रो० शिब्बनलाल द्वारा इस बारे में प्रश्न उठाया गया था तो श्री अम्बेडकर ने कहा था कि आशा है कि इस अनुच्छेद को कभी लागू नहीं किया जायेगा। संविधान के निर्माताओं की ऐसी आशा थी। परन्तु पिछले 6 अथवा 7 वर्षों में इस अनुच्छद को 22 बार प्रयोग में लाया गया है। यह तर्क किया जा सकता है कि इस मामले में मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दिया है और राज्यपाल को मुख्यमंत्री के परामर्श पर कार्यवाही करनी है तथा गृह मंत्री को राज्यपाल के प्रतिवेदन इत्यादि। मुझे इतना ही कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति देश में लोकतंत्र की समाप्ति में अपना निश्चित भाग अदा कर रहा है। इस अनुच्छेद का प्राय: प्रयोग संविधान की भावना के अनुसार नहीं है, राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि वहां बिजली की कमी है, अत्यावश्यक वस्तुओं का अभाव हैं, विद्यार्थियों में असंतोष बढ़ रहा है तथा सिविल पुलिस के कुछ वर्गों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है अत: वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना आवश्यक हो गया है। जहांतक पहले तीन कारणों का सम्बन्ध है वे केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। यदि इन कारणों से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है तो फिर सभी राज्यों में ऐसा किया जा सकता है। चौथा कारण सिविल पुलिस में अनुशासनहीनता का दिया गया है। प्रतिवेदन के दूसरे पृष्ठपर कहा गया है कि पी० ए० सी० में असंतोष था परन्तु राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सहायता से उसे दृढ़ता तथा प्रभावशाली ढंग से निपटाया है और लोगों ने अपना नैतिक बल बनाये रखा तथा अपने उसका अपने सामान्य जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया। यदि इससे वहां के सामान्य जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ा तो फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का कोई प्रश्न नहीं था। मुख्यमंत्री ने 31 मई को प्रैस रिपोर्टरों को कहा था कि वह त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि मंत्रिमंडल में कुछ कुछ फेरबदल की सम्भावना हो सकती है, परन्तु उनके द्वारा त्यागपत्र दिये जाने की कोई सम्भावना नहीं है। 10 जून के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री त्रिपाठी ने कहा था कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सदा की भान्ति सुदढ है। 9 जून को उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल की एक आपाद बैठक दिल्ली में हुई। पहले ऐसा कभी नहीं सुना गया कि किसी राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक उस राज्य की राजधानी में न होकर दिल्ली में हो। मंत्रिमंडल की यह बैठक चार घंटे तक चली। समाचारपत्रों में ऐसा छपा है कि मंत्रिमंडल के सदस्य आमतौरपर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के विरुद्ध थे। उनका यह भी विचार था कि प्रशासन को सुचारु ढंग से चलाने के लिए लोकप्रिय सरकार द्वारा और कार्यवाही की जा सकती है। इससे यह बात स्पष्ट है कि 9 जून तक मुख्य

मंत्री त्यागपत्र देने का कोई कारण नहीं समझते थे।, क्या बहुमत वाले दल का राजनैतिक तथा नैतिक कर्तव्य यह नहीं है कि वह राज्य का प्रशासन चलाये? यदि वह समझते हैं कि नेता ठीक काम नहीं कर रहा है तो उसके स्थानपर नये व्यक्ति को नेता चुना जा सकता है। परन्तु यदि नये नेता का चुनाव सम्भव न हो, तो विधान सभा को भंग किया जा सकता है और नये चुनाव कराये जा सकते हैं। परन्तु विधानसभा को स्थगित किये रखने का कोई कारण नहीं है। मुख्यमंत्री ने भी अपने त्यागपत्र में केवल इतना कहा है कि वह उत्तर प्रदेश विधानमंडल की शक्तियों को स्थगित करने का सुझाव देते हैं। परन्तु ऐसा सुझाव देने का उन्होंने कोई कारण नही बताया।

समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि 9 मई को जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो कांग्रेस के एक विधायक ने कहा कि जब वह मानपुर रेलव स्टेशन से गाड़ी पकड़ने वाले थ तो पुलिस के दो सब-इन्स्पैक्टरों ने उन्हें जीप में बैठने को कहा और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें जबरदस्ती जीप में बैठा दिया गया और कुछ अन्तर पर जाकर उन्हें कोरे कागजपर हस्ताक्षर करने को कहा। यह कागज उनका त्यागपत्र देने के लिए था। यह बात विधान सभा में एक कांग्रेसी विधायक द्वारा कही गई है। यदि एक विधायक के साथ ऐसा किया जा सकता है तो ख्य मंत्री के साथ भी एसा किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं।

मुझे इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिपाठी को जिन्होंने अभी दो सप्ताह पूर्व ही त्यागपत्र दिया है एक अधिसूचना द्वारा राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। भूतपूर्व वित्त मंत्री को वाइस चैयरमैन नियुक्त किया गया है, इसी प्रकार भूतपूर्व खाद्य मंत्री को वसूली का इनचार्ज बना दिया गया है। अतः इस प्रकार अनेक मंत्रियों को चोर दरवाजे से सरकार में ले लिया गया है।

यदि इस प्रकार राज्य अपने प्रशासन नही चला सकते और उन्हें सीधे केन्द्र के नियंत्रण में रहना है और यदि आप सब यह महसूस करते हैं कि यह आवश्यक है तो फिर आपको एकात्मक सरकार पद्धति के लिए कहना चाहिए। यदि एक बात आज उत्तर प्रदेश पर लागू की जा सकती है तो कल वही बात किसी अन्य राज्य पर भी लागू की जा सकती है में महसूस करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ वह न केवल असंवैधानिक है बल्कि असंसदीय भी है। सत्तारुढ दल के निहित हितों को देखते हुए ऐसा किया गया है।

प्रत्येक चिकित्सक के पास कुछ जीवन को बनाने वाली औषधियाँ होती है। किन्तु यदि वे उनका बार बार उपयोग करने लगे, तो वह रोगी को स्वस्थ करने की बजाये उसे कमजोर बना देगा। इसी प्रकार सांविधानिक उपबन्धों का बार बार उपयोग नही किया जाना चाहिये। उनके द्वारा सांविधानिक शक्तियों के दुरुपयोग से लोगों का संविधान और संसदीय लोकतंत्र में विश्वास उठ जायेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY. SPEAKER *in the Chair*]

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ) : मैं यह सोचता हूं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को लाग करने के सिवाय राज्यपाल अथवा केन्द्रीय सरकार के लिये कोई अन्य विकल्प नहीं रह गया था।

श्री सेझियान ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को लागू करके हमने संविधान का दुरुपयोग किया हैं और ऐसे कुछ दलगत उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिये किया गया है। मुझ यह बात समझ में नहीं आ रही हैं कि दल की सरकार को हटा देने और एक राज्य पर अधिकारियों का शासन लागू करने से दलगत उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होगी।

[श्री० दिनेश सिंह]

यह एक बिल्कुल भिन्न बात है कि हमारे दल ने बहुमत होते हुए भी त्यागपत्र दे दिया है। किन्तु जब बहुमत वाला मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देता है, तो राज्यपाल के पास उस राज्य के प्रशासन को ले लेने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि राज्यपाल को विरोधी पक्ष के नेता को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिये बुलाना चाहिये था। वहां विरोधी पक्ष थोड़े से ग्रुपों में बिखरा हुआ है। हमने उत्तर प्रदेश में संविद सरकार के परिणामों को देखा है। बडी कठिनाई से लोगों ने इससे छुटकारा पाया।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि विधान सभा को केवल निलंबित क्यों रखा गया है। बहुमत वाले मुख्य मंत्री ने और उनके सहयोगियों ने किन्ही कारणों से यह महसूस किया कि वे राज्य सरकार को नहीं चला सकते हैं और ऐसी सम्भावना हो सकती है कि दल राज्य पर शासन करने के लिये समर्थ हो जाये। राज्य पालने यह ठीक ही कहा है कि वह विधान सभा को भंग नही करना चाहते ह क्योंकि एक प्रतिनिधि सरकार अभी भी बन सकती है। यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रतिनिधि सरकार सम्भव नही है, तो निस्संदेह ही वह सभा को भंग करना चाहेंगे।

केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो कुछ किया, वह सही ही था। यह हो सकता है कि मुख्य मंत्री सरकार में न रहना चाहते हों, किन्तु निश्चय ही दल वहां सरकार बनाने की स्थिती में है।

मुझे आशा है कि गह मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से बतायेंगे कि भविष्य में क्या किया जायेगा। वहां बिजली की कमी है और सूखेकी स्थिति भी विद्यमान है। पी० ए० सी० का मामला भी समाप्त हो चुका है।

यह उपयुक्त समय है कि बहुमत वाले दल को सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिये। यदि किसी कारण से दल सरकार बनाने की स्थिति में न हो, तो मेरे विचार में विधान सभा को भंग करना और चुनावों की तिथि निर्धारित करना ही उचित पग होगा।

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh): There are many discrepancies in the reasons given in support of President's rule in Uttar Pradesh. It is understandable that due to certain reasons it became difficult to run the administration there. It only proves the inability of the ruling party. The ruling Party should admit its failures. It is because of this that President's rule was imposed in the State.

In Uttar Pradesh, four thousand Urdu teachers have been appointed without knowing the fact whether students to learn the language are there or not. It makes it clear that it is being done not to patronise the language but to achieve political ends.

In many cases school buildings are there, but there are no teachers. On the other hand 4000 teachers have been appointed. This is really objectionable. It is giving rise to unrest in the State. Therefore it is necessary that either popular Government is established there or the Assembly is dissolved and fresh elections held.

Shri Rudra Pratap Singh (Bara Banki): I support the proclamation regarding President's rule in Uttar Pradesh.

Our Government had adopted many measures for the upliftment of the people. It had rightly decided to take over educating upto higher secondary level.

There was P.A.C. trouble and troops had to be called in to control the situation.

In spite of our majority there, we had to resign and President's rule had to be imposed and thus we have proved that we are not interested in sticking to power.

I welcome the demand that fresh elections to the Assembly be held. In February, Elections should be held.

It is a very strange demand that why the Assembly has been prorogued and not dissolved? If the Assembly had been dissolved, Shri Vajpayee would have said that democracy have been killed. We are criticised by the opposition leaders for adopting any course of action.

Shri Chandrika Prasad (Ballia): The elections are going to be held in Uttar Pradesh shortly. Our friends from the opposition want some excuse for criticism. So they only find fault with our Party as well as the Government.

The opposition parties were defeated even in those States where they were in power.

Shri Vajpayee has said that the imposition of President's rule in Uttar Pradesh is a wrong step. The drought conditions are prevailing there. This was the first time in the history of 25 years that there was revolt by P.A.C. and the Civil Police, who maintain Law and Order and the administration was paralysed. Our Chief Minister and his colleagues resigned voluntarily and proved that they were not out to stick to power.

Shri Vajpayee had said that the Assembly has been only prorogued instead of its being dissolved. The Governor has clearly stated that there was a temporary arrangement and when there was improvement in the situation, the Assembly would be revived and popular Government would be formed. Shri Kamla Pati Tripathi has done as much in two years, as could not be done even in 20 years. Shri Tripathi is one of those leaders who kept engaged themselves in the Social Service and Political activities.

Shri Vajpayee and Shri Jyotirmoy Bosu both have said that the Government of India have always adopted the policy of neglect towards Uttar Pradesh. Its per capita Income is less than not only the national income, but anywhere in the world. Uttar Pradesh is hit by drought every year and floods. We have not got adequate industries. We want that until we come at par with other States and our financial problems are solved, the President's rule should be there.

In Uttar Pradesh, School children are being asked to pay the fee for 3 or 4 months and the farmers are being charged revenue. We want than the children should be exempted from paying fees and the recovery of revenue should be stopped.

In Ballia Constituency, the power connections for 300 tubewells were disconnected due to non-payment of dues. If these connections are given to them for two months, the agricultural production would increase and the problem of drought would also be solved.

I support the President's rule in Uttar Pradesh. It is the policy of the Government of India that poor and weaker sections should be helped. President's rule in Uttar Pradesh should implement this policy.

It is regretable that the representatives of Harijans, Muslims and other minorities were not nominated in the Board of Directors in the sugar factory in our area.

[Shri Chandrika Prasad]

To remove poverty it is essential that adequate attention is paid to the irrigation projects.

My constituency is affected by floods in the Ganga and Ghaghra. If timely action is not taken, that area would be totally devastated. The work of Dehri project has not been started yet. The work of that project should be taken up immediately.

A co-operative sugar factory should be set up there soon. Only through such industrialisation can poverty be removed.

Shri Krishna Chandra Pandey (Khalilabad): We are discussing a very serious matter. If we think seriously, we would know that the conditions in which the President's rule was imposed, were really unfortunate.

In Uttar Pradesh many Governments were installed and toppled. Work done during Pandit Kamala Pati Tripathi's Government has got its own history.

According to my knowledge the result of P.A.C. can be called political as well as an administrative failure. The Chief Minister and his cabinet had resigned, but the high officials of the P.A.C. are still working on the same posts. They are still misusing their positions. Until action is taken against those high officials, there would be no improvement in the condition.

The Governor's Advisory Committee had declared 23 districts as drought-affected districts, but now only 11-12 districts have been declared as drought-affected areas.

No doubt Uttar Pradesh had made tremendous progress. But if those developmental works are discontinued, the problems of poor labourers would worsen. Cash programmes should be taken in hand in drought-affected areas and in those areas including my district of Basti where industries have not been established even after 25 years of independence. The developmental work being done at present there should be stepped up again.

The officer deputed under President's rule should attend to the people at large and only then the President's rule would prove useful.

In the end, I support the Resolution moved by the Hon'ble Home Minister.

Shri Ram Dhan (Lalganj): Sir, I support this motion. The Governor had clearly stated in the report, that the State Government was not able to function under the provisions of the Constitution. He has also stated that the Government under the leadership of Pandit Kamla Pati Tripathi had resigned. The Chief Minister has stated in his letter of resignation that such acute problems had been created in the State, that immediate solution had become inevitable. The State Government was busy in making available the foodgrains and consumer goods. In this difficult time there was the trouble by some P.A.C. people. The members would recall the incident of the Lucknow University P.A.C. personnel and the students indulged in acts of arson and loot.

This incident could have an impact in other States also. The cabinet decided that in the interest of the State and the country, President's rule under Art. 356 should be imposed in the State for some time and the opposition parties were not in a position to form Government.

The opposition parties are demanding that the elections be held immediately, but if elections are held, they would be completely routed.

The discontentment among Police personnel could have been removed in time. Enquiry should be conducted against those officers, who were responsible for it, after their transfers from their posts. Junior officers were promoted, so there was great discontentment in senior officers. We should also note that today the policeman is an educated person and he wants to discharge only such functions as are expected of an educated person.

The Central Government have asked the same officers to reorganise the police force who are responsible for bungling. I would suggest that Central Government should depute their own officers and entrust this job to them. They should consider the demands of the police personnel sympathetically. It has been demanded that elections should be held in Uttar Pradesh at an early date. But the point is how could it be done when delimitation of constituencies is still going on? I would suggest that we should instal a representative Government in Uttar Pradesh immediately and if not, Leigslative Assembly should be dissolved.

Shri Mulki Raj Saini (Dehra Dun) : In spite of the fact that there have been three Prime Ministers from Uttar Pradesh and Congress Party has been ruling the State for a pretty long time, the State is still backward and poverty and indiscipline in students and workers is rampant. There is lot of corruption in Uttar Pradesh. They have also admitted that no work can be got done without paying illegal gratification. There is much bungling and corrupt officials are trying to misappropriate Government funds in collusion with the contractors. The people of the State thought that an alternative to the congress rule may prove to be good and a coalition of Government was formed in 1967. It was an effort to sabotage the

[डा० सरदीश राय पीठासीन हुए । DR. SARDISH ROY *in the Chair*.]

functioning of democracy. The ruling party was forced to impose President's rule in Uttar Pradesh in order to tone up the administration and bring an end to the corruption so that the projects could be completed. But President's rule should be for minimum period and efforts should be made to achieve the aims of the President's Rule. Bureaucracy cannot replace democracy. We should form a representative Government in Uttar Pradesh as early as possible. However, keeping in view the circumstances in which the President's Rule was imposed, I welcome it.

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishahr) : I support the resolution moved by the Minister of Home Affairs keeping in view the students' agitation in Lucknow University, P.A.C. trouble, the attitude of police personnel and the activities of Government servants and the conspiracy hatched by the oppositions, there was no alternative but to impose President's Rule in Uttar Pradesh. The State Government under the leadership of Shri Kamlapati Tripathi has done a lot for the development of the State. We should take care of the masses instead of increasing the emoluments of Government employees. In case the emoluments are increased, the prices will go up. Government should look into this aspect seriously.

As a result of President's Rule, the situation in Uttar Pradesh has been improved. However, I would suggest that the culprits should be brought to book soon and every effort should be made to instal popular Government as early as possible. After the imposition of President's Rule, foodgrain was supplied to scarcity districts also but it has been observed that the same is finding its way to China via Bihar and Nepal. There is already shortage of wheat and rice in our country. In view of this, Government should take adequate steps to prevent smuggling.

[Shri Nageshwar Dwivedi]

I would like to point out that Jaunpur should be included in the list of scarcity areas. The foodgrain should be supplied to Ration shops in the villages also. The Minister of Home Affairs should pay necessary attention towards this.

Shri Hari Singh (Khurja) : Some Opposition parties have played the politics of destruction and chaos in Uttar Pradesh and instigated the P.A.C. personnel, the students, engineers and Government servants and have tried to jeopardize the democracy. In these circumstances, imposition of President's rule was the only solution of the problem. The Congress Party has upheld the principles of democracy.

It has been argued that Opposition parties should have been given a chance to form an alternative Government. They had tried their best to arrange defections but they were unsuccessful. Even if they had formed a Government with the support of 147 Members, it would have not been a stable one. We have had the experience of SVD Government in Uttar Pradesh. The Central Government have now taken action against hundreds of hoarders and blackmarketeers and have created healthy atmosphere in the State.

The prices of sugarcane should be announced for the ensuing crop in order to satisfy the farmers.

I would suggest that education upto the level of Higher Secondary should be nationalised and Government should take over all the private institutions. No improvement can be effected without taking this step.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : एक ओर हम से सहयोग मांगा जाता है और दूसरी ओर हमें बोलने का अवसर ही नहीं दिया जाता । हम सारा दिन प्रतीक्षा करते रहते हैं । क्या यही संसदीय लोकतंत्र है . . .

श्री वीरेंद्र सिंह राव (महेन्द्रगढ) : यदि श्री रघुरामैया ने आपको शासक दल के सदस्यों को ही बोलने की अनुमति देने को कहा है तो हमारे यहां बैठने का क्या लाभ है ? निर्दलीय सदस्यों को कोई अवसर ही नहीं दिया जाता ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : आप उनको भी बुला सकते हैं । हमे कोई आपत्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : मैंने अभी श्री पैन्यूली को बुलाया है । उसके बाद श्री मावलंकर को अवसर दिया जायेगा ।

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garwal) : I support this resolution regarding imposition of President's Rule in Uttar Pradesh. Although popular Government cannot be replaced by bureaucratic regime, yet in certain set of circumstances one is forced to resort to such a step. Whatever the deficiencies in Tripathi Government they were inherited from previous Governments. Corruption and malpractices were rampant in SVD Government. All the leading newspapers and intelligentsia of the country have welcomed the imposition of President's Rule in Uttar Pradesh. Opposition parties were not in a position to form any stable Government and the Governor took the right step by accepting the advice of the leader of the majority party.

I would suggest that administration should be streamlined and if need be, a Commission on the lines of Administrative Reforms Commission should be appointed which should be asked to submit its report within 3-4 months.

Out of 54 districts of Uttar Pradesh, 36 districts are most backward. There is no arrangement for drinking water in the villages of these backward districts. Government should pay special attention to provide this basic amenity to them.

श्री पी० जी० मावलंकर : यह संकल्प नैतिक दृष्टि से अनुचित, संवैधानिक दृष्टि से अस्थिर और राजनीतिक दृष्टि से आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी संविधान के उपबन्धों का अपने दल के हितों के अनुरूप प्रयोग करती रही है। यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी राज्य विशेष में यदि सत्ताधारी दल अपना कोई अन्य नेता न चुन सके तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाये। लोकतंत्र में संविधान को सरकार से भी अधिक महत्व दिया जाता है। हमारे देश में सरकार मनमाने ढंग से संविधान का दुरुपयोग करती है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन इसका नवीनतम उदाहरण है। राज्यपाल के प्रतिवेदन में विद्युत का अभाव, आवश्यक वस्तुओं का दुर्लभ होना, सूते की स्थिति और छात्र असंतोष आदि का उल्लेख किया गया है। ये सभी समस्याएं केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं हैं बल्कि सारे देश की है। यदि यही बात है तो उन्हें लोकप्रिय सरकार के लोकतंत्रात्मक शासन के स्थान पर श्री शशि भूषण का सीमित अधिनायक वादी तंत्र स्थापित करने का सुझाव स्वीकार कर लेना चाहिये। उनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। परन्तु उन्होंने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। यह ऐसी औषधि है जिसका उपयोग प्रतिदिन न कर के केवल आपात की स्थिति में ही किया जाना चाहिये। उत्तर प्रदेश में जानबूझकर इस प्रकार की स्थिति पैदा की गयी जिससे वहां की सरकार गिर जाये। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने प्रांतीय सशस्त्र पुलिस के विद्रोह के तुरन्त बाद भी त्याग पत्र नही दिया और वे सत्ता पर बने रहे। उत्तर प्रदेश की संवैधानिक मशीनरी असफल हुई है, ऐसा कहना तथ्यों को छिपाना है। मुख्य मंत्री ने सत्ता पर बने रहने तथा रक्षा करने हेतु जिस ढंग से राज्यपाल को पत्र लिखा है, वह एक अस्वस्थ अल्पवैधानिक प्रणाली है। संविधान के प्रावधानों को दल विशेष के हितों में उपयोग करना आपत्तिजनक है। संविधान की धारा 356 का उपयोग गलत ढंग से किया गया है।

प्रजातंत्रीय प्रणाली को चोट पहुंचाने की मैं निंदा करता हूँ। मुझे आशा है कि सदन इस संकल्प को अस्वीकार करेगा।

---

*कोकभट्टी बैटरीयों की खराब दशा का दुर्गापुर इस्पात कारखाने के उत्पादन पर प्रभाव

**EFFECT OF POOR CONDITION OF COKE OVER BATTERIES BY PRODUCTION IN DURGAPUR STEEL PLANT

सभापति महोदय : अब सभा आधे घंटे की चर्चा पर विचार विमर्श करेगी।

श्री समर गूह (कन्टाई) : मंत्री महोदय ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र सम्बन्धी प्रश्न का जो उत्तर दिया है उसस कुछ शंकाये पदा हुई हैं कि श्रम संकट के आधार पर, जो तापीय शाक और कोक भट्टी बैटरियों के बंद हो जाने के कारण पैदा हुआ है, शायद सरकार दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की विस्तार परियोजना को बंद या कम करने पर विचार कर रही है। स्वर्गीय श्री कुमारमंगलम ने धनबाद में अपने भाषण में कहा था कि दुर्गापुर में एक नया वातावरण पैदा हो रहा है और अब हमारे उपर बुरे दिन आ गये हैं और दुर्गापुर के लिये अच्छे दिन अभी बाकी है। योजना आयोग ने भी श्रम अशांती के बारे में एक शब्द नहीं कहा है जो कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की असफलता के लिये उत्तरदायी है। सरकार हमेशा अपनी असफलता के लिये श्रम अशांति को बलि का बकरा बनाती है।

---

*आधे घंटे की चर्चा।

**Half an Hour Discussion.

[श्री समर गुह]

1967 की पांडे समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि दूर्गापुर इस्पात संयंत्र से अपने उत्पादन लक्ष्य में न पहुंचने का मुख्य कारण, कुप्रबन्ध, खराब उपकरण, खराब पर्यवेक्षण, खराब रखरखाव और उपकरणों की खराब सप्लायी है। उसमें श्रम अशांति का कोई उल्लेख नहीं है। श्रम अनुशासनहीनता 1969 या 1970 में पैदा हुई थी। यह बात नही कि दुर्गापुर में लक्षित उत्पादन न होने में श्रम अशांति का हाथ नहीं है। किंतु इसके बारे में इतना अधिक कह कर सदैव यह प्रभाव पैदा करना है कि केवल श्रम की असफलता के कारण दुर्गापुर अपने लक्ष्य को प्राप्त नही कर सका है।

तापीय शाक यांत्रिक गड़बड़ियों के कारण भी हो सकते हैं। प्रबंध मंडल का कार्य यह सुनिश्चित करता है कि गर्मी की अनियमितता का कारण उष्मसह इटे अधिक कार्य नही कर पाती। 1973 में कोक भट्टी के बंद हो जाने के बारे में उत्तर दिया गया है कि कुछ कदम उठाये जा रहे हैं। ये कदम कब तक उठाये जायेंगे।

स्वर्गीय श्री मोहन कुमारमंगलम ने राज्य सभा में कहा था कि कुप्रबंध और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में उत्पादन की कमी के लिये मजदूर पूरे जिम्मेदार है। इन बातों यह आशंका पैदा होती है कि सरकार दुर्गापुर संयंत्र की क्षमता को 25 लाख टन तक बढ़ाने की प्रस्तावित परियोजना को ठप्प न कर दे। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में दुर्गापुर संयंत्र के विस्तार की परियोजना रद्द नही की जानी चाहिये।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): It is unfortunate that the condition of Durgapur Steel Plant has deteriorated to such an extent the Government has been covering its failures under the name of labour troubles. Is it a fact that the Management of thir Plant has clear functioning without consulting the labour? The Government should identify the causes for the setbacks being suffered by this Plant. I also want to know whether this is due to shortage of cooking coal as similar situation also prevails in Bokaro where of late one battery is not functioning. Lastly I would also like to know whether Government intends to shut down this Plant?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (ओसग्राम): पांडे समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि दुर्गापुर के प्रबन्धको ने अनेक अनिवार्य जिम्मेवारियों की उपेक्षा की है और 1961 के बाद के प्रबन्धक इसके लिये उत्तरदायी है। दुर्गापुर के कर्मचारियों की निंदा करना अनुचित है। प्रत्येक बैटरी की आयु साधारणत: 20 से 25 वर्ष होती है। मैं जानना चाहता हूँ कि 1967 से 1973 के बीच की 6 वर्ष की अवधि में ये चार बैटरियां क्यों खत्म हो गयी? क्या सरकार कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करके कठिनाईयों पर काबू पायेगी और विस्तार योजना को कार्यान्वित करेगी?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई): इन संयंत्रों की उन कमियों को मानने के लिये मैं तैयार हूँ जिनकी चर्चा माननीय सदस्यों ने की है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की कमियों का कारण जानना हमारा कर्तव्य है।

पांड समिती ने कुछ कमियों का उल्लेख किया है। ऐसी बात नही है कि दुर्गापुर में उत्पादन कम हुआ है। इसमें निर्धारित लक्ष्य के समान उत्पादन करने की क्षमता है किंतु वहां कुछ ताप सम्बन्धी कठिनाईयां पैदा हो गयी है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के पिछले रिकार्ड को देखने से पता चलेगा कि वहां प्राय: हड़तालें तथा बंद होते रहे हैं जिसके पीछे राजनैतिक उद्देश्य होते थे। संयंत्र के अनुरक्षण के लिये जितनी देखभाल होनी चाहिये थी उतनी नही की गयी जिसके फलस्वरूप संयंत्र में खराबियां आने लगी।

कोकभट्टियों की मरम्मत अथवा उनमें सुधार करना तथा उनका पूरा उद्योग करना ही अब हमारी चिंता है। यदि क्षमता का पूरा उपयोग किया जाये तो रोजगार के अधिक अवसर पैदा किये जा सकते हैं। हमारी धावन मशीने वांछित ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं कोकारी कोयला उपलब्ध नहीं किया जाता।

बिजली के प्रायः फेल हो जाने से संयंत्रों को काफी क्षति पहुंचती हैं। बिजली की व्यवस्था को बनाने तथा यातायात की बाधाओं को दूर करने के लिये सभी उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लाया जाना चाहिये ताकि इस प्रकार की बाधा दूर की जा सके।

दुर्गापुर संयंत्र में श्रम आंदोलन होते हैं जिस के आधार पर उसके साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये। हम दुर्गापुर का भी उसी तरह विस्तार करना चाहते हैं, जैसे कि अन्य संयंत्रों का किया गया है।

तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार 9 अगस्त, 1973/18 श्रावण, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thursday, August 9, 1973 Sravana 18, 1895 (Saka).

GIPN—S2—20 LSS(ND)/73—22-11-73—490.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]